१.५

उच्चतम, लघुतम और दीर्घतम ... 53
मुख्य जल-प्रपात 57
सर्वाधिक आबादी के शहर 57
प्राथमिक पर्वतारोहण 58
विश्व की मुख्य भाषाएं 59
रेलवे स्टेशनों के लम्बे प्लेटफार्म 60
सबसे बड़े पुल 60
प्रसिद्ध दूरवीक्षण यंत्र 61
प्रसिद्ध घंटे 61
ऊंची इमारतें व मीनारें 62
सर्वोच्च दूरवीक्षण यंत्र व रेडियो मास्ट ... 63
सर्वाधिक महान, विशाल और लम्बा ... 63
बड़े आविष्कार 65
मिसाइल (प्रक्षेपास्त्र) व राकेट (अग्निबाण) ... 68
अन्तरिक्ष में मानव की उड़ान 70
पशु-पक्षी-जगत् की कुछ ज्ञातव्य बातें ... 71
विभिन्न जीवों के गर्भ-धारण का काल ... 72
सैनिक सम्मान व पदक 72
स्वास्थ्य-लाभ के पर्वतीय स्थान 72
अल्मोड़ा—बंगलौर—भोवाली
स्वास्थ्य व आमोद के कुछ स्थानों की ऊंचाई ... 73
भीमताल — कूनूर — चकरौता —नैनीताल—मसूरी—चेरापूंजी—लैंसडाउन—मुक्तेश्वर—आबू पर्वत—पिंडारी-गल — गुलमर्ग — डलहौजी—दार्जिलिंग—देहरादून—धर्मशाला—कोटगिरि — कैलिम्पोंग — कोडाईकनाल—कसौली—महाबलेश्वर—कुल्लू व कांगड़ा घाटी—पहल-गाम—शिलांग—सोनमर्ग—शिमला
विश्व के सर्वाधिक तापमान और सर्दी के स्थान 76
भारत के कुछ दर्शनीय स्थान ... 76
आगरा—अमरनाथ—औरंगाबाद —अमृतसर —अजमेर —बीजापुर—बुद्धगया— भुवनेश्वर—वाराणसी—चिदं-

बम्बई—चित्तौड़गढ़—दिल्ली—फतहपुर सीकरी—[illegible]
हरिद्वार—हैदराबाद—जयपुर— जबलपुर— कन्याकुमारी
—पटना— मदुराई —श्रीनगर —लखनऊ— नालन्दा—
महाबलीपुरम—पुष्कर—रामेश्वरम्—सारनाथ—उदयपुर
—तिरुचिरापल्ली—तंजौर

हिन्दू व बौद्ध शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्त्व के स्थान 83

अजन्ता की गुफाएं—अम्बर महल—भारहुत या बारहुत—कार्ली की बौद्धगुफाएं—बुद्धगया मन्दिर—कोर्णाक मन्दिर—वेलूर मन्दिर—चित्तौड़गढ़—दिलवारा मन्दिर—एलीफेंटा की गुफाएं—एलोरा की गुफाएं—ग्वालियर का किला—स्वर्ण-मन्दिर—गोमतेश्वर—खजुराहो मन्दिर—लौह-स्तम्भ—महाबलीपुरम्—सांची का स्तूप—सिरगुम्रा भित्ति-चित्र—भुवनेश्वर का मन्दिर—सारनाथ—श्रीरंगम का मन्दिर—रामेश्वरम् मन्दिर

मुस्लिम इमारतें 87

अजमेर— फतहपुर सीकरी—कुतुबमीनार—आगरा का किला—दिल्ली का लालकिला—शेरशाह का मकबरा, ससराम—ताजमहल आगरा

पृथ्वी के निम्नतम स्थान 89

एक अंश कमानी के सबसे बड़े पुल 89

दुनिया के आश्चर्य 89

काल-मान 90

वर्ष—चांद्र वर्ष —संवत्सर—सन्-संवत्—मास—करण—वार—स्थानीय समय—ग्रीनिच काल

संसार-भर में क्या समय होगा 95

ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हों तो—समर टाइम—अन्तर्राष्ट्रीय तिथि-रेखा—इण्डियन स्टैण्डर्ड टाइम

हिन्दू पर्व 97

दीवाली—दुर्गा-पूजा—विजयादशमी या दशहरा—गणेश चतुर्थी—होली—जन्माष्टमी—सरस्वती पूजा

ईसाई उत्सव व पर्व 98
मूर्ख दिवस—ऑल सोल्स डे—बैंक होलीडे—कैंडलेमा डे—क्रिसमस—ईस्टर डे—हैलोवीन—लेंट—सेंट वैलेंटाइन दिवस
मुस्लिम पर्व 99
अखेरी चहर-सुम्मा—बकरीद—मुहर्रम—ईद-उल-फितर—रमज़ान
बौद्ध पर्व 99
वैशाखी पूर्णिमा
हमारा सौरमण्डल 100
बुध—शुक्र—पृथिवी—चन्द्रमा—मंगल—बृहस्पति—शनि—यूरेनस—नेपच्यून—प्लूटो—नवग्रह—नक्षत्र—राशि—लग्न
अमेरिका के प्रेज़ीडेण्ट (राष्ट्रपति) ... 104
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 105
सरकारों के प्रमुखों का वेतन 108
फ्रांस के शासक 108
प्रथम महायुद्ध के बाद से जर्मनी के शासक 108
सोवियत रूस के शासक (राज्य-क्रान्ति के बाद) 108
ग्रेट ब्रिटेन के शासक (विंडसर राजवंश) ... 108
राजनीतिक हत्याएं 109
प्रसिद्ध राजसिंहासन-त्याग 111
राजनीतिक दल व पक्ष 112
अमेरिका के दल—अरबलीग—कोमितांग—सेंटर पार्टी—कमिनफार्म—कंज़रवेटिव पार्टी (इंग्लैंड)—रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी—फलानजिस्ट—इण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टी (इंग्लैंड)—कम्युनिस्ट पार्टी—फैना-फेल—लेबर (मज़दूर) पार्टी (इंग्लैंड)—फ्रेंच दल—मूवमेंट रिपब्लिकन पपलर (एम० आर० पी०)—लिबरल पार्टी (इंग्लैंड)—एण्टी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग (बर्मा) : ए० एफ० पी० एफ० एल०—पपलर फ्रण्ट या संयुक्त मोर्चा
भारतीय राजनीतिक दल 115
इण्डियन नेशनल कांग्रेस—कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया—

प्रजासोशलिस्ट पार्टी—फारवर्ड ब्लाक—फारवर्ड ब्लाक (मार्क्सिस्ट)—शेड्यूलकास्ट फेडरेशन—हिन्दूमहासभा—शेतकरी व कामगर पार्टी—डेमोक्रेटिक वेनगार्ड—अकाली दल—सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी—रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी—रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी – किसानपार्टी —भारतीय जनसंघ—आल इण्डिया मुस्लिम मजलिस—जमियत-उल-उलमा-ए-हिन्द—शिया पोलिटिकल कान्फ्रेंस —मोमीन अन्सर कान्फ्रेंस—स्वतन्त्र पार्टी—द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम—सोशलिस्ट पार्टी—रामराज्य परिषद्—झारखण्ड पार्टी—लोक सेवक संघ

अन्य दल 118

भारत सेवक समाज–राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–सर्वोदय समाज

सन्धियां, मैत्रियां, कौंसिल, चार्टर, कान्फ्रेंस आदि 119

अन्जूज़ सन्धि—अटलांटिक चार्टर (अधिकारपत्र)—वेनेलक्स—वांडुंग कान्फ्रेंस—व्रुसेल्स पैक्ट—सेंट्रल ट्रीटी आर्गनाइज़ेशन—कोलम्बो प्लैन—कमिफार्म—कामन मार्केट—कामनवेल्थ आफ नेशन्स—कामनवेल्थ पार्लमेंट्री एसोसियेशन —कौंसिल आफ यूरोप—डम्बरटन ओक कान्फ्रेंस—ईस्टर्न मिलिट्री एलायन्स—यूरोपियन एटमिक कम्युनिटी (एयूरेरम) —यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसियेशन (एफ्टा या बाहरी सात) —यूरोपियन कोल एण्ड स्टील कम्युनिटी—जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड (गैट)—फोर फ्रीडम्स (चार स्वतन्त्रताएं)—फोर्टीन प्वाइण्ट—इण्टरनेशनल रेडक्रास—जापानी शान्ति-सन्धि—मार्शल प्लैन—म्युनिक पैक्ट—म्युच्युअल सिक्युरिटी प्रोग्राम (पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम) —फिलेडेल्फिया चार्टर—प्वाइण्ट फोर—पान अमेरिकन यूनियन—ईओ ट्रीट्री—सीटो (दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संस्था)—ट्रीपाटी सिक्यूरिटी ट्रीटी—वार्साई सन्धि—वार्सा पैक्ट—वेस्ट यूरोपियन यूनियन—यूनाइटेड नेशंस टेक्निकल असिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन (संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन)

भारत का संविधान 127
नागरिकता — मताधिकार — मूल अधिकार — निर्देशक सिद्धान्त—संघ कार्यपालिका—केन्द्रीय विधानमंडल—सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय)—अन्तर—राज्य—उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट)—केन्द्र से सम्बन्ध—राजभाषा—संशोधन
राष्ट्रीय चिह्न, पुरस्कार व मान-सम्मान ... 133
राष्ट्रीय झंडा—नियम—राष्ट्रगान
सम्मान व पुरस्कार 134
भारत-रत्न — पद्मविभूषण — पद्मभूषण — पद्मश्री — परमवीर चक्र—महावीर चक्र—वीर चक्र—अशोक चक्र—खरीतों में—ग्राम सेवा पदक—प्रादेशिक सेना (टेरीटोरियल आर्मी)—टेरीटोरियल आर्मी मेडल—राष्ट्रीय अध्यापक—पुरस्कृत विद्वान—साहित्य अकादमी—संगीत-नाटक अकादमी—ललितकला अकादमी
भारतीय रेलवे 139
रेलवे के तथ्य 139
भारतीय रेल का विस्तार 141
गैर-सरकारी रेलवे 141
रेलवे वित्त (करोड़ रु० में) 141
रेलवे की प्रगति—नियोजन-काल में रेलवे
रेलवे संगठन 143
इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन
परिवहन और संचार 144
सड़कें—नागपुर-योजना—रोड-कांग्रेस—सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट—सड़कों का राष्ट्रीयकरण—अंतर्राज्य परिवहन कमीशन—मोटर-गाड़ियां—रोप-वे
अन्तर्देशीय जल-मार्ग 147
गंगा—ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड
भारत में नागरिक हवाई सेवा 147
प्रशिक्षण-केन्द्र—एरोड्रोम—विमान—हवाई जहाजों का निर्माण

भारतीय जहाज़रानी 150
जहाज़-नीति—कमिटियां—जहाज़रानी की प्रगति—समुद्रपार का व्यापार—शिपिंग कार्पोरेशन—प्रशिक्षण—जहाज़-निर्माण
भारत में पर्यटन उद्योग 153
भारतीय डाक-तार 154
तार—डाक-प्रणाली—डाक-तार बोर्ड—कुछ सिद्धियां—प्रिंटोग्राम सर्विस—फोनोग्राम सर्विस—टेलीफोन प्रशिक्षण—वेतार का तार—रेडियो टेलीग्राफ व फोन
भारतीय कृषि 159
भूमि—मौसम व फसल—उपज—कृषि व खाद्य-मंत्रालय—तृतीय नियोजन और कृषि
खाद्यान्न 162
चावल—ज्वार-बाजरा—गेहूं—चना और दालें—तम्बाकू—चाय—रबड़—कपास—जूट—सन—रेशम—तिलहन
मुख्य फसलों की पैदावार 164
हमारा आहार 165
आहार के पचने का काल 165
सन्तुलित आहार 166
मत्स्य-पालन 167
पशु-पालन 169
पशुओं की संख्या 171
वन 171
डेल्टा वन या लिटोरलफारेस्ट—राष्ट्रीय वन-नीति—शिक्षा व प्रबन्ध—वन-पैदावार—महत्त्वपूर्ण वृक्ष
भारत में दूध उद्योग 174
कम उत्पादन—घी
राष्ट्रीय वित्त 176
भारत का राष्ट्रीय वित्त—सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू—बजट
संघ सरकार का बजट 177
भारतीय उद्योग 179
आर्थिक सलाहकार—टेरिफ कमीशन—नमक कमिश्नर—

फारवर्ड मार्केट कमिश्नर—इण्डियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूट (मानक), नई दिल्ली—खादी व ग्राम उद्योग कमीशन- —ग्राल इण्डिया हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड, नई दिल्ली—केन्द्रीय सिल्क बोर्ड—सेण्ट्रल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन, प० बंगाल—टी बोर्ड, कलकत्ता—कॉफी बोर्ड, बम्बई—रबड़ बोर्ड, कोत्तायम—कोयर बोर्ड, एरनाकुलम—हैण्डलूम बोर्ड, बम्बई—जूट कमिश्नर, कलकत्ता—राजकीय उद्योग—भारत सरकार की ग्रौद्योगिक नीति—क सूची के उद्योग हैं—ग्रौद्योगिक वित्त—नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०—इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन ग्राफ इण्डिया—दी इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन—विदेशी पूंजी—राजकीय क्षेत्र की कम्पनियां—हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० —चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स—नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी लि०, कलकत्ता—इंटिग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर—हिन्दुस्तान ग्रारगेनिक केमिकल्स लि०—हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लि०—हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि०—नाहन फाउण्ड्री, सिरमूर—प्राग टूल्स कार्पोरेशन लि०—हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, जलहली, बंगलौर—हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी—इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल लि०, नई दिल्ली—स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ग्राफ इण्डिया लि०—हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी—इण्डियन एक्सप्लोज़िव फैक्टरी—हिन्दुस्तान स्टील लि०—लिगनाइट फैक्टरी—हैवी इलेक्ट्रिकल लि०, भोपाल—हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०, रांची—ग्रायल इण्डिया लि०—इण्डियन रिफाइनरीज़ लि०—बम्बई यूरेनियम-थोरियम फैक्टरी—टेलीप्रिंटर मैन्युफैक्चर—नेशनल न्यूज़प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल लि०

भारतीय उद्योगों का विवरण 187

वस्त्र—इस्पात—जूट —कोयला—ग्रलूमीनियम—चीनी —साइकल—कागज़ ग्रौर गत्ता—चमड़ा—रेयन—पेट्रोलियम—रेशम—सिलाई की मशीन—ऊन उद्योग—सीमेंट—चीनी मिट्टी उद्योग—रबड़—दियासलाई—

कांच — साबुन — चाय — कॉफी — मोटर-कार उद्योग — रंग — प्लास्टिक — तम्बाकू — खेल का सामान — विस्कुट — वनस्पति घी।

कुटीर व लघु उद्योग 194

इण्डस्ट्रियल इस्टेट—खादी-ग्रामोद्योग संघ—आल इण्डिया हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड—लघु उद्योगों के महत्त्वपूर्ण तथ्य

कुटीर उद्योग की विशेष चीजें 196

बिदरी काम—फूलकारी—फिलगिरी—धातु के वर्तन

वाणिज्य व्यापार 197

बोर्ड आफ ट्रेड—निर्यात-व्यापार—व्यापार की दिशा

आयात-निर्यात व्यापार और व्यापारिक सन्तुलन 198

भारत में दारूबन्दी 198

भारतीय समाचारपत्र 199

राज्यवार पत्रों की संख्या 1961 में ... 202

प्रसार या ब्राडकास्टिंग 204

भारतीय भाषाएं 204

भाषावार जनसंख्या 205

वैज्ञानिक अनुसंधान व संस्कृति 206

वैज्ञानिक अनुसंधान—पुरातत्त्व विभाग

शिक्षा 207

खेल-कूद 209

भारत में विदेशी टीमें—रणजी ट्राफी

एशियाई खेल 1962 में विजयी भारतीय ... 210

पचायत 210

ग्राम-सभा

बैंक 211

परिगणित बैंक—रिज़र्व बैंक—स्टेट बैंक आफ इण्डिया—प्रशिक्षण

सहकारिता आन्दोलन 213

सेण्ट्रल मार्गिज बैंक—सेवा सहकारी समितियां—कोआपरेटिव बैंक

संयुक्त राष्ट्र संघ 214

विशिष्ट एजेन्सियां

भारतीय बन्दरगाह 215
जनगणना 216
पंचवर्षीय नियोजन 218
प्रारम्भ–प्रथम नियोजन–द्वितीय नियोजन–तृतीय नियोजन
सामुदायिक विकास 222
विधि-विधान 222
ला कमीशन — सर्वोच्च न्यायालय— पृथक्करण — बार कौंसिल
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्—1962 224
क्यूबा—यमन—अलजीरिया—लाओस — कांगो—पुर्तगाली उपनिवेश—नेपाल—कोलम्बो-कान्फ्रेन्स—पश्चिमी इरियन—टांगानिका—नासू-करार—जेनीवा निःशस्त्रीकरण परिषद्
भारत 1962 में 229
भारत-चीन सम्बन्ध 1962 में 231
भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध 235
त्रिपुरा—कर्णफुली बांध—पाकिस्तान का रुख—एंग्लो-अमरीकी मिशन
भारतीय पुरातत्त्व 237
हिस्टारिकल रिकार्ड्स कमीशन
परराष्ट्र विषय 238
परराष्ट्र मंत्रालय
सिंचाई 238
बाढ़-नियन्त्रण—फरक्का तटबन्ध परियोजना—मुचकुंद परियोजना—चम्बल परियोजना—भद्रा—कोयना परियोजना—ककरापारा परिकल्पना—रेड बांध—त्रिशूली जल-विद्युत परियोजना—नागार्जुन सागर—तवा—हीराकुड (दूसरा चरण)—कुंडा परियोजना—राजस्थान नहर
बीमा 242
राष्ट्रीयकरण—प्रावीडेण्ट सोसायटीज़—एम्प्लाईज़ स्टेट इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन

भूमि-सुधार 244
ज़मींदारी उन्मूलन का प्रभाव—मध्यवर्तियों का अन्त
संकटकालीन कानून 245
भारत रक्षा कानून—स्वर्ण-प्रतिबन्धक कानून—फोरनर्स ला—राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोश—एमर्जेन्सी कमिटी—एमर्जेन्सी प्रोडक्शन कमिटी—होमगार्ड—विलेज वालण्टियर फोर्स स्कीम—एमर्जेन्सी रिस्क इन्श्योरेंस स्कीम
भारतीय आर्थिक तंत्र 247
कृषि—उद्योग व्यवसाय व व्यापार
भारत में अणु-शक्ति 249
एटमिक मिनरल्स डिवीज़न—अणुशक्ति के क्षेत्र में भारत का स्थान
भारत में जन-स्वास्थ्य 251
स्वास्थ्य-सेवा—भारतीय प्रणाली—सेंट्रल कौंसिल आफ हेल्थ—मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया—छूत रोग—नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम—गुप्त रोग—ट्युबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम—कोढ़—इंफ्ल्यूएंजा—कैंसर—चेचक निवारण प्रोग्राम—इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च—स्वास्थ्य-बीमा—जल व सफाई
भारत में परिवार-नियोजन 255
भारत में श्रम 257
श्रम व रोज़गार मन्त्रालय–ट्रेड यूनियन–श्रम-कल्याण–औद्योगिक विवाद–सामाजिक सुरक्षा–नेशनल एम्प्लायमेंट सर्विस
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 259
प्रशिक्षण—आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल कालेज—जनता को शिक्षण—थल सेना—नौ-सेना—हवाई सेना—हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल 262
केबिनेट मन्त्री—पार्लमेंटरी सेक्रेटरी—राज्य मंत्री—उपमंत्री
तीसरा आम चुनाव—१९६२ 263
पोलिंग बूथ—चिह्न-प्रणाली

भारत ज्ञान कोश

वार्षिकी 1963

भारत : एक विहंगम दृष्टि

भारत का क्षेत्रफल 1178995 वर्गमील है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 8° से 37° उत्तरी अक्षांश रेखाओं और 68° से 97° पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित है। भारत संघ विस्तार की दृष्टि से विश्व में सातवां देश है।

पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान के साथ-साथ 9945 मील लम्बी सीमा है। इसके उत्तर में चीन, नेपाल और तिब्वत देश हैं। इसके पूर्व में चीन, वर्मा और पूर्वी पाकिस्तान हैं। अंदमान और निकोबार के द्वीप वंगाल की खाड़ी में हैं, लकाद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह अरब सागर में हैं और भारत के भाग हैं। भारत का समुद्रतट 3500 मील है, और हिन्दमहासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भारत के चरण पखारते हैं। समुद्रतट लम्बा होने पर भी पश्चिमी तट चट्टानों से भरा है और पूर्वी तट छिछला है। अतः स्वाभाविक बन्दरगाह केवल बम्वई और मरमूगाओ हैं। 1961 ई० की जनगणना के मुताविक भारत की जन-संख्या 439235000 है। एक दशक में आवादी 21·50 प्रतिशत बढ़ी है। प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 941 है जबकि यह संख्या 1951 में 946 थी। साक्षरता अब 24 प्रतिशत है। आवादी की घनता प्रति वर्गमील 373 है। 82·16 प्रतिशत आवादी देहातों में बसती है और

17·84 प्रतिशत आबादी शहरों में।

भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की पर्वतमाला है। इसकी लम्बाई करीब 1500 मील है। उत्तर और पूर्व की ओर भारत व बर्मा के मध्य पटकोई, नागा, जयन्तिया, खासी, गारो, लुशाई और अराकान योमा पर्वतमालाएं हैं।

उत्तर से दक्षिण तक भारत की लम्बाई 2000 मील और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 1850 मील है। इसकी स्थल सीमा-रेखा 9425 मील है। इस देश के प्रसिद्ध बन्दरगाह निम्न हैं: कांडला, बेदीबंदर, पोर्ट ओखा, पोरबन्दर, सूरत, बम्बई, मरमूगाओ, मंगलोर, कोझीकोड, कोचीन, अलेप्पी, क्विलोन, तूतीकोरिन, धनुषकोटि, नागापत्तनम्, कारिकल, कुडलोर, पांडीचेरी, मद्रास, मसुलीपत्तनम्, काकीनाड, विशाखापत्तनम् और कलकत्ता।

प्राकृतिक विभाग—प्राकृतिक दृष्टि से भारत तीन भागों में बांटा जा सकता है: (1) हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, (2) सिन्धु-गंगा का मैदान, (3) दक्षिण का पठार। हिमालय प्रदेश कश्मीर से लेकर बर्मा की सीमा तक फैला हुआ है। यह भारत की सम्पूर्ण उत्तरी सीमा में है और चीनी आक्रमण से पहले तक यह अभेद्य प्राचीर माना जाता था। यह क्षेत्र 1500 मील लम्बा है। हिमालय तीन समानान्तर पर्वत-श्रेणियों से मिलकर बना है। यह नगाधिराज कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 150 से 200 मील है। कालिदास की मान्यता रही है कि यह पृथ्वी का मानदण्ड है: "अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः।" इन पर्वत-श्रेणियों के बीच लम्बे-चौड़े पठार और घाटियां हैं। कश्मीर और कुल्लू की घाटियां उपजाऊ, विस्तृत और नैसर्गिक शोभा से पूर्ण हैं। कश्मीर में जोजीला और पंजाब में शिपकी घाटियां हैं। शिपकी से दार्जिलिंग तक कोई घाटी नहीं है। भारत के उत्तर-पूर्व में चम्बी घाटी है।

सिंधु-गंगा का मैदान—यह मैदान 1500 मील लम्बा और 150 से 200 मील चौड़ा है। यह सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन तीन नदी-क्षेत्रों से मिलकर बना है। यह संसार का सबसे बड़ा और लम्बा-

चौड़ा उपजाऊ मैदान है। संसार के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। दिल्ली में यमुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के लगभग 1000 मील लम्बे क्षेत्र में यदि कहीं सबसे अधिक ऊंचाई है तो वह भी समुद्र-तल से 700 फुट से अधिक नहीं।

दक्खिन—यह पठार तीन ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। उत्तर में विन्ध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट हैं। 1500 से 4000 फुट ऊंचे पहाड़ों के कारण यह गंगा के मैदान से अलग पड़ जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण में नील-गिरि पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहां परस्पर आलिं-गन करते हैं। पश्चिमी घाट कार्डेमम पहाड़ी तक फैला हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बाद समुद्रतट निकला हुआ है। इस प्रायद्वीप में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं, जो अरब सागर में मिली हैं। इस क्षेत्र की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

जलवायु—भारत की जलवायु का नियंत्रण मानसून हवाएं करती हैं। इनमें दक्षिण-पश्चिम या ग्रीष्म-मानसून (मधुवात) भारत से टकराने से पहले हज़ारों मील गरम समुद्र पर से होकर आती हैं। ये जून के प्रारम्भ में आती हैं। भारत में पड़नेवाली वर्षा का 40 प्रतिशत वर्षा ये लाती हैं। वर्षा सर्वत्र एकसमान नहीं पड़ती। राज-पूताना और देश के अन्य अनेक भागों में कुछ इंच ही वर्षा होती है, जब चीरापूंजी (असम) में 470 इंच वर्षा पड़ती है। सितम्बर के अन्त में दक्षिण-पश्चिम मानसून (मधुवात) वापस लौटने लगता है। जन-वरी के आरम्भ से उत्तर-पूर्व मानसून (मधुवात) बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक बहने लगता है। इस समय नील गगन, सुहावना मौसम, सूखी हवा और मन्द हवा बहती है। साल के पहले चार मासों में हिमालय-क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र शायद ही कभी एक इंच भी वर्षा पड़ती हो। वर्षा की दृष्टि से भारत इस प्रकार विभक्त है: (1) वह प्रदेश जहां साल में 80 इंच वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी तट, बंगाल, असम, (2) जहां वर्ष-भर में 40 से 80 इंच वर्षा होती है जैसे उत्तर-पूर्व पठार और मध्य गंगा घाटी, (3) वह भाग जहां

साल में 20 से 40 इंच वर्षा होती है, जैसे मद्रास, दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी दक्खिन, और उत्तरी गंगा का मैदान। हिमालय-क्षेत्र में भारी वर्षा होती है।

भारत की मिट्टी चार किस्म की है : (1) कछार की, (2) काली मिट्टी, (3) लाल मिट्टी, और (4) लोहयुक्त पथरीली मिट्टी : लेटराइट मिट्टी। बाढ़ के पानी द्वारा लाई मिट्टी ही एलूवियल मिट्टी कहलाती है। पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम व उड़ीसा के कुछ भागों में इसी किस्म की मिट्टी है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। **लाल मिट्टी** सम्पूर्ण मद्रास, मैसूर, दक्षिण-पूर्वीय महाराष्ट्र, पूर्वीय आंध्र, मध्यप्रदेश से उड़ीसा तक और छोटा नागपुर, संथाल परगना से वीरभूम ज़िला (बंगाल) तक लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तरप्रदेश के हमीपुर और झांसी ज़िले में मिट्टी लाल है, बघेलखण्ड (मध्यप्रदेश) अरावली और पूर्वीय आधे राजस्थान की मिट्टी लाल है। **काली मिट्टी**—यह कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। मूंगफली, तिलहन, दालों और धान (तटवर्ती प्रदेश के साथ) और तम्बाकू के लिए भी अच्छी है। महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े भाग की ज़मीन की मिट्टी काली है। मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग, आंध्र और मद्रास के कुछ भाग की मिट्टी भी काली है। इस मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता काफी है। लोहयुक्त पथरीली ज़मीन—लेटराइट-मिट्टी जलवायु के परिवर्तनों का परिणाम है। इस प्रकार की मिट्टी दक्खिन की पहाड़ियों, मध्यप्रदेश, राजमहाल पर्वतश्रेणियों, पूर्वी घाट और उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल व असम के कुछ भागों में पाई जाती है।

नदियां—भारत की नदियां मुख्यत: दो जल-प्रणालियों में विभक्त हैं। हिमालय प्रणाली और दक्खिन जल-प्रणाली।

हिमालय जल-प्रणाली की मुख्य नदियां सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। इनमें पानी बर्फ और वर्षा से आता है। इनके तटों पर सर्वाधिक सघन बस्तियां हैं। इनकी अधिकांश शाखा-नदियां हिमालय से निकलती हैं और इनका बहुत बड़ा मार्ग पर्वतों के मध्य से गुज़रता है। हिमालय से निकली तीन बड़ी नदियों में सिन्धु एक है।

सिन्धु नदी की पांच शाखा-नदियां हैं : सतलज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम। सिन्धु नदी कैलास पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलती है। पहले 500 मील तो यह हिमालय के गम्भीर घाटों में बहती है, इसके बाद दक्षिण-पश्चिम में उतरती है और मैदान में आती है। इसके बाद दक्षिण की ओर सिन्ध में बहती है और अरब सागर में जा गिरती है। सिन्ध बेसिन का बहुत थोड़ा भाग स्वाधीन भारत के अन्तर्गत है। गंगा 13000 फुट की ऊंचाई से गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। गंगा का उद्गम-स्रोत वर्फ है। यहां इसकी धारा क्षीणकाय है, परन्तु ज्यों-ज्यों यह आगे बढ़ती है, पुष्ट होती जाती है और हरिद्वार के निकट शिवालिक पहाड़ियों से निकलते समय विशालकाय नदी हो जाती है। यह सीधे दक्षिण की ओर न बहकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उत्तरप्रदेश, बिहार में से गुज़रती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मार्ग में यह यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, सोन, कोसी का पानी लेती है और पुष्ट होती जाती है। राजमहाल पर्वतश्रेणी (बिहार) के समीप नदी दक्षिण-पूर्व की ओर मुंह कर लेती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अनेक भागों में बंटकर डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यह वहां से पूर्व में 800 मील तिब्बत में सांगपो नाम से बहती है, दक्षिण में यह भारतभूमि को काटती है। डीवांग और लोहित नदियों का पानी लेकर यह ब्रह्मपुत्र नाम धारण करती है। यहां से यह संकीर्ण असम घाटी में बहती है, जो 500 मील लम्बी और 50 मील चौड़ी है। गोआलुंडो में ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ती है और विभक्त गंगा नदी की सर्वाधिक पूर्वीय धारा पद्मा से मिलने को तेज़ी से दौड़ती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। पूर्वी मेघना नदी इसमें पूर्वी पाकिस्तान में मिलती है। दक्खिन की नदियां दक्खिन पठार के पर्वतों से निकलती हैं। ये वर्षा का जल लेकर ही चलती हैं। गर्मियों में इस कारण इनमें से अनेक जल-शून्य हो जाती हैं। दक्खिन की नदियां तीन भागों में विभक्त हैं। पूर्व की ओर बहनेवाली नदियां, पश्चिम की ओर बहनेवाली नदियां, उत्तर की ओर

बहनेवाली और गंगा तथा यमुना में मिल जानेवाली नदियां । पूर्वाभिमुखी नदियों में मुख्य गोदावरी, कृष्णा, कावेरी । ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पठार के ढाल पर आती हैं, इसको दो भागों में काटती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं । महानदी और दामोदर और दो महत्त्वपूर्ण पूर्व की ओर बहनेवाली नदियां हैं । पश्चिम की ओर बहनेवाली नदियां हैं शरावती, नेत्रवती, येलीपर, पेन्नानी और पेरिचर । ये सब पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। उत्तर की ओर बहनेवाली नदियां धीरे-धीरे भारतीय मैदान में पहुंच जाती हैं । इनमें मुख्य है चम्बल जो यमुना में मिलती है, और दूसरी है सोन जो पटना के पास गंगा में मिलती है । परन्तु दो सबसे बड़ी नदियां हैं—नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं ।

संविधान—26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान अमल में है । भारत संघ राज्य के अन्तर्गत 15 राज्य और 11 राज्यक्षेत्र हैं । यह सर्वप्रभुसत्तासम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, परन्तु यह राष्ट्रकुल (कामनवेल्थ) का सदस्य है । इस देश की सरकार संसदीय प्रणाली की है । इसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों से बने निर्वाचक मण्डल द्वारा पांच साल के वास्ते चुना जाता है । उपराष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है और वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है । प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में बना मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देता है ।

संघ की विधि सभा को संसद (पार्लमेंट) कहते हैं । इसके दो सदन हैं : लोकसभा और राज्यसभा । राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होते । इनमें 12-12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामज़द किए जाते हैं । शेष राज्यों की विधानसभाओं द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत-प्रणाली से चुने जाते हैं । राज्यसभा कभी भंग नहीं होती । हर दूसरे वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्य सदस्यता से मुक्त होते जाते हैं । राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए । राष्ट्रपति-पद के लिए वय-

मर्यादा 35 साल की है। इन सबके लिए भारत का नागरिक और मतदाता होना आवश्यक है।

लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती। विधि नियामक अधिकारों का नियमन तीन सूचियों द्वारा होता है। संघ की संसद को अखिल भारतीय प्रकृति के 97 विषयों पर कानून बनाने का एकान्तिक अधिकार है। राज्यों की सूची में 66 विषय हैं और तीसरी सूची समवर्ती है और इसमें 47 विषय हैं जिनके विषय में केन्द्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लोकसभा यदि पहले न भंग कर दी जाए तो साधारणतः यह पांच साल तक रहती है।

न्यायपालिका—सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, का एक मुख्य न्यायाधिपति होता है, और अधिक से अधिक उसमें दस न्यायाधीश होते हैं। ये 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते रह सकते हैं। न्यायाधिपति के लिए भारत का नागरिक और भारत के एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों (हाईकोर्टों) के कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संविधान ने केन्द्रीय सरकार को समेकित निधि के आधार पर संसद द्वारा निर्धारित सीमा तक कर्ज़ लेने का अधिकार दिया है। राजस्व आय के वितरण के बारे में समय-समय पर निश्चय करने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग नियुक्त करते हैं।

संसद व विधानसभाओं के निर्वाचन-कार्य के वास्ते एक निर्वाचन आयोग है। देश-भर में होनेवाले निर्वाचनों के नियंत्रण और निरीक्षण का इसको अधिकार दिया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त की देख-रेख में यह कार्य करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के ही समान पदच्युत किया जा सकता है।

राजभाषा—अनुच्छेद 343 (1) की व्यवस्था के अनुसार संघ की राजभाषा नागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी, किन्तु भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का (रोमन अंकों का) प्रयोग होगा। किन्तु अहिन्दीभाषी जनता की सुविधा के वास्ते 26 जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी का व्यवहार आज के समान भविष्य में होता रहेगा।

1975 में एक हिन्दी आयोग नियुक्त होगा, जो हिन्दी की प्रगति की जांच करेगा और बताएगा कि अंग्रेज़ी का स्थान हिन्दी लेने के योग्य हुई या नहीं। राज्य अपने-अपने क्षेत्र के लिए अपने यहां प्रचलित किसी भाषा को राज्य की राजभाषा कानून बनाकर घोषित कर सकते हैं।

संकटकालीन व्यवस्था—अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा समस्त देश व देश के किसी भाग के वास्ते कर सकता है। चीनी हमला होने पर संकटकाल की घोषणा की गई। किसी राज्य में (जैसे केरल में) संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति उस राज्य का सम्पूर्ण राज्याधिकार ले सकता है। निस्सन्देह उसको अपने इन कार्यों पर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। केन्द्र व राज्यों के हिसाब-किताब की निगरानी व नियंत्रण के लिए राष्ट्रपति एक लेखा नियंत्रक एवं एक महालेखा परीक्षक नियुक्त करता है। इसके प्रतिवेदन संसद व विधानसभाओं के सम्मुख पेश किए जाते हैं।

राज्यों की व्यवस्था के लिए राज्यपाल (गवर्नर), मंत्रिमण्डल, विधानसभा और कुछ राज्यों में विधानपरिषद् भी हैं। इनका कार्य-क्षेत्र राज्य की सीमा से सीमित है, अन्यथा इसके कार्य व अधिकार केन्द्र के समान हैं।

आदिम जाति क्षेत्र—असम में पर्वतीय आदिम जातियों का बाहुल्य है। अतः अनुच्छेद 244 (2) में इन क्षेत्रों के वास्ते स्वायत्तशाली ज़िलों व प्रदेशों की भी स्थापना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से असम का राज्यपाल इनका प्रशासन-कार्य करता है।

संशोधन—संविधान में संसद ही संशोधन कर सकती है। अब तक 16 संशोधन हो चुके हैं। प्रत्येक सदन में संशोधन-विषयक विधेयक प्रस्तुत करना और उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत और राष्ट्रपति द्वारा संपुष्ट होना चाहिए।

बन्दरगाह—भारत के बन्दरगाहों में मुख्य बन्दरगाह 6 हैं: कलकत्ता, विशाखापत्तनम्, मद्रास, कोचीन, बम्बई और कांडला।

जातियां—भारत के 43 करोड़ 80 लाख लोग समस्त मानव-

समाज का सातवां भाग हैं। यह चीन को छोड़कर और किसी भी देश से अधिक है। अनेक जातियों के लोग यहां बसे हुए हैं। भारत में वाहर से बरावर विभिन्न नस्लों के लोग आते रहे हैं। भारत में पाई जानेवाली नस्लों को मोटे तौर पर 6 भागों में विभक्त किया गया है। इनके नाम हैं—नेग्रीटो, प्रोटो-आस्ट्रेलोइड्स, मंगोलोइड वर्ग, भूमध्यसागरीय वर्ग, पश्चिमी लघुशिरस्क वर्ग और नार्डिक या वैदिक आर्य। परन्तु विद्वान यह भी कहते हैं कि ठीक-ठीक पृथक्करण करना सम्भव नहीं, क्योंकि अन्तर्मिश्रण बहुत अधिक हुआ है।

खनिज—खनिज द्रव्यों की दृष्टि से भारत पर्याप्त साधन-सम्पन्न है। कोयला इसके पास वर्तमान के लिए ही नहीं भविष्य के वास्ते भी काफी है। भारत में उत्पन्न कुल कोयले का 80 प्रतिशत से भी अधिक विहार और बंगाल से निकलता है। भारत में कच्चे लोहे की खानें समस्त विश्व की एक-चौथाई हैं और यह अनुमानतः 2100 करोड़ टन हैं। भारत खनिज लोहे की दृष्टि से दुनिया में समृद्धतम है। अच्छे किस्म का लोहा बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास और बम्बई में पाया जाता है।

अभ्रक और मैंग्नीज़ का संचय न केवल देश की वर्तमान आवश्यकता के लायक पूरा है वल्कि निर्यात व्यापार के लिए भी प्रचुर मात्रा में है। समस्त विश्व का 75 प्रतिशत अभ्रक भारत में उत्पन्न होता है। यह विहार, राजस्थान और आंध्रप्रदेश में मुख्यतः पाया जाता है। बाक्साइट का संचित भण्डार भी पर्याप्त है। भारत के पास टिटेनियम : थोरियम भी पर्याप्त मात्रा में है। थोरियम की उत्पादक धातुएं केनाईट, बेरीलियम, क्रोम और जिप्सम काफी हैं। रिफ्रैक्टरीज, एवरेसिव, और चूने का पत्थर बहुतायत से मिलता है। यद्यपि औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत खनिज पदार्थों के विचार से आत्मनिर्भर है, परन्तु ताम्वा, टीन, जस्त, निकल, कोबाल्ट और गन्धक की देश में कमी है।

इमारती पदार्थों की दृष्टि से अनेक चट्टानें बहुमूल्य हैं। मरकाना (राजस्थान) में गुलाबी रंग का संगमरमर है और दक्खिन में अत्युत्तम ग्रेनाइट पत्थर है। श्वेत और भूरे रंग का संगमरमर और चूने

का पत्थर भारत के अनेक भागों में पाया जाता है। उत्तरीय भारत में मलाई व लाल रंगी व लूहा पत्थर पाया जाता है। अभी भारत में पैट्रोलियम की कमी है। विश्व में उत्पन्न पैट्रोल का केवल 1·1 प्रतिशत भारत में पाया जाता है।

कृषि—भारत इस समय भी कृषि-प्रधान देश है। परन्तु अनाज की दृष्टि से देश स्वावलम्वी नहीं। इसका एक कारण है कि भारत की आवादी हर साल 55 लाख वढ़ जाती है। दूसरे भारतीय कृषि आज भी प्रकृति पर निर्भर है। बाढ़ और सूखा दोनों ही इसके शत्रु हैं। इनपर विजय पाने के लिए भारत ने जल-विद्युत् की अनेक विशाल योजनाएं शुरू की हैं। दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल, हीराकुड, तुंगभद्रा, मयूराक्षी, भवानी और गंगापुर तथा रिहन्द परियोजनाएं मुख्य हैं।

पशु-पक्षी—भारत की जलवायु विविध प्रकार के पशु-पक्षियों के अनुकूल है। हिमालय की तराई के जंगलों में वन्य पशु पाए जाते हैं। तराई कश्मीर से ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैली हुई है। पूर्वी व पश्चिमी घाट, मध्यप्रदेश के वनों में भी वन्य पशु पाए जाते हैं। बवर शेर काठियावाड़ के गिर जंगल में छोड़ा हुआ है। अन्य हिंसक जन्तुओं में चीता, रीछ, भेड़िया, जंगली सूअर पाए जाते हैं। लोमड़ी, हिरन, जंगली भैंसा, हाथी और बारहसिंगा भी भारत के जंगलों में पाए जाते हैं।

पालतू पशुओं में बकरी, भेड़, घोड़ा, टट्टू, गदहा, खच्चर, बैल, गाय, भैंस मुख्य हैं। राजस्थान और पंजाब में ऊंट भी पाले जाते हैं। भारत में सब प्रकार के सूअर, बन्दर और मृग पाए जाते हैं। भारत की नदियों में कछुए, विषैले सांप पाए जाते हैं। सांपों में कोवरा सांप बड़ा ज़हरीला होता है।

अयनवृत्तीय क्षेत्र में होनेवाले सब पक्षी भारत में पाए जाते हैं। शिकार के योग्य पक्षियों में गिद्ध, ईगल और सब प्रकार के बाज। वाटर फाउल्स वहुतायत से पाए जाते हैं। शिकार के पक्षी कबूतर, बटेर, तीतर और अनेक प्रकार की बत्तखें इस देश में हैं।

भारत में पाई जानेवाली मछलियों में कार्प-परिवार की मछ-

लियों की प्रचुरता है। मछली मारनेवालों की दृष्टि से महाशेर मछली है और यह सब धाराओं में पाई जाती है। स्वाद की दृष्टि से हिल्सा मछली लोकप्रिय है। भारत का समुद्र, नदियां, और बंगाल की खाड़ी मछली पकड़ने के विचार से दुनिया के विस्तृत क्षेत्रों में से हैं।

संचार—रेलवे लाइनें भारत में राष्ट्रीय हैं। कुल रेलवे लाइन 34100 मील हैं। एशिया में यह सबसे बड़ी लाइन है और दुनिया की रेलों में इसका स्थान चौथा है। रेलवे आठ क्षेत्रों (ज़ोनों) में विभक्त है। इन सबके ऊपर रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली है। रेलवे मध्य-पश्चिमी, उत्तरीय, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पूर्वी सीमा, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलवे खण्डों में विभक्त है।

नागरिक उड्डयन—भारतीय संचार-प्रणाली में नागरिक उड्डयन का महत्त्व तेज़ी से बढ़ रहा है। इस समय सरकारी इन्तज़ाम में 85 एरोड्रोम हैं। इनमें तीन दमदम (कलकत्ता), शान्ताक्रुज (बम्बई) और पालम (नई दिल्ली) अन्तर्राष्ट्रीय हैं। 9 एरोड्रोम (हवाई अड्डे) जकात एरोड्रोम घोषित किए गए हैं। इलाहाबाद में सिविल एवियेशन ट्रेनिंग सेंटर है। 12 सहायता-प्राप्त उड्डयन क्लब हैं। हवाई परिवहन पूर्णतः राष्ट्रीय है। इनका संचालन दो निगम करते हैं: एयर इण्डिया इण्टरनेशनल और एयर लाइंस कार्पोरेशन।

सड़कें—भारत में सड़कों की कुल लम्बाई 14900 मील है। सड़कें राजपथ (हाईवे), प्रदेश पथ (स्टेट वे), ज़िला रोड और ग्राम पथ, इन चार भागों में विभक्त हैं। राजपथ, राज्यों की राजधानियों, बन्दरगाहों, विदेशी राजपथों से मिलाता है। देश में संचार की यह मुख्य प्रणाली है। प्रदेश पथ राज्यों में मुख्यतः ट्रंकरोड़ है। ग्राम पथ देहात की आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

जहाज़रानी—भारत का समुद्रतट 2500 मील से अधिक लम्बा है। सब देशों के व्यापारिक जहाज़ इसके बन्दरगाहों में आते हैं। तटवर्ती व्यापार एकमात्र भारतीय जहाज़ों द्वारा होता है। भारत की जहाज़रानी अब दस लाख टन की सीमा को पार कर गई है। भारतीय जहाज़रानी में प्रतिवर्ष 150 टन की वृद्धि होती है।

वन—देश के क्षेत्र का 22·1 वन है। हिमालय, विंध्य और दक्खिन

में मुख्यतः वन सीमित है। वनस्पति की दृष्टि से भारत तीन भागों में विभक्त है : (1) हिमालय में देवदार, चीड़ के पेड़ बहुतायत से हैं। इस क्षेत्र में बाग भी बहुत हैं। (2) पूर्वीय—इसमें बागों और ताड़ की प्रचुरता है। (3) पश्चिम में बागों की न्यूनता है, पेड़ों की विविधता भी कम है।

जलवायु और भौतिक विशेषता की दृष्टि से 6 भागों में वनस्पति प्रान्त विभक्त है : पूर्वीय हिमालय, पश्चिमी हिमालय, सिन्धु-मैदान, सुन्दरवन-समेत गंगा मैदान, मालाबार और दक्खिन। जलवायु, ऊंचाई आदि की दृष्टि से भारत की वन-वनस्पति पांच प्रकार की है : (1) सदा हरित, (2) मौसमी हरियाली के, (3) शुष्क, (4) पर्वती, और (5) समुद्री।

भारत के राज्य व प्रदेश

	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	आबादी	साक्षरता (प्रति हज़ार)	घनता (वर्गमील में)
आंध्र	106052	35977999	212	339
असम	84899	11860059	274	252
बिहार	67198	46457042	184	691
गुजरात	72226	20621283	305	286
जम्मू-कश्मीर	86024	3583585	110	...
केरल	15005	16875199	468	1127
मध्यप्रदेश	171217	32372408	171	189
मद्रास	50331	33689953	313	669
महाराष्ट्र	118717	39553718	298	339
मैसूर	74210	23586772	254	318
उड़ीसा	60164	17548846	297	292
पंजाब	42205	20306812	242	420
राजस्थान	132152	20155602	152	153
उत्तरप्रदेश	113654	73746401	176	649
बंगाल	33829	34926279	293	1032
दिल्ली	578	2644072	527	4640
हिमाचलप्रदेश	10885	1351144	77	124

	क्षेत्रफल	आबादी	साक्षरता	घनता
अन्दमान-निकोबार	...	63548	326	20
लकादीव-मीनीकाय अमीनदीवी द्वीप	11	24108	233	2192
मणिपुर	8628	780037	304	90
त्रिपुरा	4036	1142005	202	383
दादर व नगर हवेली	189	57963	95	307
नेफा	31438	336558	72	11
नागालैण्ड	6366	369200	179	58
पाण्डेचेरी	185	369079	374	1995
सिक्किम	2744	162189	123	59
गोआ, दमन व दीऊ	1426	627978	...	440

भारत के समीपस्थ व सम्बद्ध देश

भूटान	18000	700000	...	33·6
नेपाल	54343	9387661	...	161·9
तिब्बत	463000	1273969	...	...
पाकिस्तान	364757	93000000	...	208
चीन	8771000	650000000		
वर्मा	233492	18067146		
सीलोन (लंका)	25332	18012348		

भारत के प्रमुख शहर

नगर	आबादी	नगर	आबादी
बृहत्तर बम्बई	4152056	कलकत्ता (निगम)	2927289
दिल्ली	2359408	हैदराबाद	1251119
बंगलोर	1206961	अहमदाबाद	1206001
मद्रास	1729141	कानपुर	971062
पूना	737426	नागपुर	690302
लखनऊ	655673	आगरा	508680
हवड़ा	512598	वाराणसी	489864
इलाहाबाद	430730	जमशेदपुर	328044

नगर	आबादी	नगर	आबादी
जयपुर	403444	इन्दौर	394947
ज़बलपुर	367014	पटना	364594
मदुराई	424810	त्रिवेन्द्रम	302214
ग्वालियर	300587	बड़ोदा	298398
अमृतसर	398047	जालन्धर	265030
लुधियाना	244032	अजमेर	231240
मेरठ	283997	बरेली	272828
सूरत	298398		

पर्वतीय स्वास्थ्य-स्थान

स्थान का नाम		समुद्र सतह से ऊंचाई (फुटों में)	स्थान का नाम		समुद्र सतह से ऊंचाई (फुटों में)
अल्मोड़ा	(यू० पी०)	5500	बंगलौर	(मैसूर)	3000
भोवाली	(यू० पी०)	5500	चकरौता	(यू० पी०)	7000
कूनूर	(मद्रास)	6740	डलहौजी	(पंजाब)	7867
दार्जिलिंग	(बंगाल)	7168	कसौली	(पंजाव)	6200
कोडाई कनाल	(मद्रास)	9000	कुल्लू घाटी	(पंजाव)	5000
लैंसडाउन	(उ० प्र०)	6060	महाबलेश्वर	(बम्बई)	4500
माथेरन	(बम्बई)	2650	माउण्ट आबू	(राज०)	4500
मसूरी	(यू० पी०)	6580	नैनीताल	(यू० पी०)	6400
ऊटकमण्ड	(मद्रास)	7500	पहलगाम	(कश्मीर)	7200
रानीखेत	(यू० पी०)	6000	रांची	(बिहार)	2100
शिलांग	(असम)	4980	शिमला	(पंजाव)	7235
सोनमर्ग	(कश्मीर)	8950			

भारतीय पुल

	फुटों में		फुटों में
सोन पुल	10052	ताप्ती पुल (1872)	2556
डफरिन पुल (वाराणसी 1817)	3578	नैनी पुल (1865 प्रयाग)	3235
हवड़ा पुल (1942)	2150	इज्जत पुल (इलाहाबाद)	6830
		जमुना पुल (दिल्ली, 1866)	2740

	फुटों में		फुटों में
अलेक्ज़ेण्ड्रा (चनाव)	9088	गंगा पुल (मोकामा 1959)	6078
हुगली पुल	1213	रावी पुल (पठानकोट-जम्मू)	2800
गोदावरी पुल	9096	मालवीय पुल (वाराणसी 1887)	4210
विवेकानन्द पुल (कलकत्ता)	2610	नर्मदा पुल (1881)	4687
जुवली पुल (नैहाटी)	1213		
मेघना पुल	1213		

राष्ट्रीय पार्क व शिकारगाह

हज़ारीबाग नेशनल पार्क (बिहार)
शिवपुरी नेशनल पार्क (ग्वालियर)
जलदापारा शिकारगाह (बंगाल)
बांदीपुर शिकारगाह (मैसूर)
पेरियर शिकारगाह (केरल)
सोनाई-रूपा शिकारगाह (दरोग, असम)
कारबेट नेशनल पार्क (यू० पी०)
कांहेरी नेशनल पार्क, कांहेरी घाटी (महाराष्ट्र)
मुंडुमलाई शिकारगाह नीलगिरि (मद्रास)
तिरप फ्रंटियर ट्रैक्ट नेशनल पार्क (असम)
प्रवा भैंस शिकारगाह उत्तरी लखीमपुर (असम)
मनास शिकारगाह, कामरूप (असम)
काजीरंगा शिकारगाह, सिवसागर (असम)

हिमालय के सर्वोच्च शिखर

	ऊंचाई (फुट)	पर्वतारोहण की तिथि	अभियान
एवरेस्ट	29015	मई, 1953	ब्रिटिश
		1 मई, 1963	अमेरिकी
के 2	28250	जुलाई, 1954	इटालियन
कांचन जंघा	28146	मई, 1955	ब्रिटिश
ल्होत्से	27890	मई, 1956	स्विस
मकालू	27824	मई, 1955	फ्रेंच
चोओयू	26967	अक्तूबर, 1954	आस्ट्रियन
अन्नपूर्णा	26926	जून, 1950	फ्रेंच
धौलगिरि	26795	मई, 1960	स्विस
मनसालू	26656	मई, 1956	जापानी
नंगा पर्वत	26029	जुलाई, 1955	आस्ट्रो-जर्मन

रेल से दूरी

	बम्बई से	कलकत्ता से	मद्रास से
आगरा	835	790	1239
अहमदाबाद	306	1328	1100
वाराणसी	928	429	1461
इलाहाबाद	845	512	1481
बम्बई	...	1223	794
कलकत्ता	1223	...	1032
कानपुर	830	630	1602
दार्जिलिंग	1611	388	1420
डिब्रूगढ़	2051	828	1860
गया	1057	292	1224
दिल्ली	845	902	1361
हैदराबाद	491	987	373
विशाखापत्तनम्	1277	543	483
जबलपुर	616	733	1263
जोधपुर	1206	1131	1580
मद्रास	394	1032	...
लखनऊ	885	616	1386
मदुराई	1099	1337	305
मथुरा	868	823	1272
नागपुर	520	903	682
पूना	119	1342	675
रांची	1447	251	1283
सहारनपुर	974	934	1430
शिमला	1301	1342	1798
त्रिचनापल्ली	1003	1241	209

सर्वोच्च भारतीय वास्तु शिल्प

	फुटों में		फुटों में
कुतुबमीनार 399 सीढ़ियां	238	विक्टोरिया मेमोरियल	
विजयस्तम्भ (चित्तौड़)	122	(कलकत्ता)	152
			179

बुलन्द दरवाज़ा (फतहपुर-सीकरी) 176
राजावाई बुर्जी (विश्वविद्यालय—बम्बई) 270
कलकत्ता हाईकोर्ट 180
लिंगराज मन्दिर (मदुराई) 148
वृहदेश्वर मन्दिर (तंजौर) 216
गोपुरम मदुराई मन्दिर 152
ताजमहल की चार मीनारें 137
ताजमहल 178
गोल गुम्बद (बीजापुर) 186
गोपुरम एकाम्बर् नाथमन्दिर (कांचीपुरम) 188

रायल सोसायटी के भारतीय सदस्य

ए० चटर्जी	(1841)
एस० रामानुजन	(1918)
जगदीशचन्द्र बोस	(1920)
सी० वी० रमन	(1924)
मेघनाद साहा	(1927)
के० एस० कृष्णन	(1940)
एच० जे० भाभा	(1941)
एस० भटनागर	(1943)
एस० चन्द्रशेखर	(1945)
पी० सी० महालनोविस	(1945)
डी० एन० वाडिया	(1957)
एस० एन० बोस	(1958)
एस० के० मित्र	(1958)
टी० आर० शेषाद्रि	(1960)

ब्रिटिश पार्लमेंट में भारतीय

सर एम० भावनगरी (कंजरवेटिव)
दादाभाई नौरोजी (लिवरल)
सापुरजी सकलतवाला (कम्युनिस्ट)
रायपुर के लार्ड सिंह (लार्ड सभा में)
लार्ड सिंह (रायपुर के दूसरे वैरवै) (लार्ड सभा में)

प्रीवी कौंसिल के भारतीय सदस्य

सैयद अमीरअली
सर बी० सी० मित्र
1957 वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री
1926 लार्ड सिंह
1930 सर डी० एफ० मुल्ला
1931 सर शादीलाल
1934 सर तेजबहादुर सप्रू
1934 आगा खां
1936 सर अकवर हैदरी
1939 डा० एम० आर० जयकर
1941 सर श्री माधवन नायर

ब्रिटिश राज के भारतीय लार्ड

अरुणकुमार सिंह (ज० 1883) वाईस सुधीन्द्र सिंह (ज० 1921)

नोबल पुरस्कार विजेता

1913 रवीन्द्रनाथ ठाकुर (साहित्य)
1930 सर सी० वी० रमन (भौतिकी शास्त्र)

लेनिन शान्ति पुरस्कार विजेता

1952 डा० सेफीउद्दीन किचलू
1953 मेजर जनरल एस० एस० सोखी
1958 सर सी० वी० रमन
1960 श्रीमती रामेश्वरी नेहरू

मंगलाप्रसाद पुरस्कारप्राप्त हिन्दी विद्वान

पद्मसिंह शर्मा (साहित्य)
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा (इतिहास)
प्रो० सुधाकर (दर्शन)
डा० त्रिलोकीनाथ (चिकित्सा)
डा० सत्यकेतु विद्यालंकार (इतिहास)
अयोध्यासिंह उपाध्याय (साहित्य)
मैथिलीशरण गुप्त (साहित्य)
वियोगी हरि (साहित्य)
जयशंकर प्रसाद (साहित्य)
डा० गोरखप्रसाद (विज्ञान)
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल (शिक्षा)
प्रो० सत्यव्रत (समाजशास्त्र)
जयचन्द्र विद्यालंकार (इतिहास)

परमवीर चक्र के विजेता

मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं रेजीमेंट (मरणोत्तर) 1943
ले० आर० आर० राने, कोर आफ इंजीनियर्स, 1948
ले० ना० करमसिंह, सिख रेजीमेंट, 1948
नायक जदुनाथसिंह, राजपूत रेजीमेंट, 1948
क० ह० मेजर पीरू सिंह, राजपूताना रायफल्स (मरणोत्तर) 1948

भारत संघ के गवर्नर-जनरल

लार्ड लुई माउन्टबेटन (1943-48)
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1948-49)

भारत के राष्ट्रपति

डा० राजेन्द्रप्रसाद	26 जनवरी,	1950 से 1957
डा० राजेन्द्रप्रसाद	(दूसरी वार)	1957 से 1962
डा० राधाकृष्णन	मई	1962 से.

भारत के उपराष्ट्रपति

डा० राधाकृष्णन	1952 से 1957
डा० राधाकृष्णन	1957 से 1962
डा० ज़ाकिरहुसैन	मई, 1962 से

लोकसभा के अध्यक्ष

जी० वी० मावलंकर	1952—1956
श्री अनन्तशयनम आयंगर	1956—1962
सरदार हुकमसिंह	1962

राज्यसभा के अध्यक्ष

डा० राधाकृष्णन	1952—1962
डा० ज़ाकिरहुसैन	1962

भारत में पब्लिक स्कूल

मेयो कालेज, अजमेर (1873)
सैंटपाल, दार्जिलिंग (1823)
दून स्कूल, देहरादून (1935)
सिंधिया स्कूल, ग्वालियर (1937)
इन सबके हेड मास्टर इंग्लिश हेडमास्टर्स कान्फ्रेंस के सदस्य हैं।

स्वाधीन भारत के सैनिक अधिकारी

सेना

जनरल सर आर० एम० लोकहार्ट	1948
जनरल एफ० आर० आर० बूचर	1948
जनरल के० एम० कैरिअप्पा	1949

जनरल राजेन्द्रसिंहजी	1953
जनरल एस० एम० श्रीनागेश	1955
जनरल के० एस० थिमैया	1957
जनरल पी० एन० थापर	1962
जनरल जे० एन० चौधरी	1963

नौसेना

वाइस-एडमिरल सर ई० पेरी	1948
वाइस-एडमिरल सी० टी० एम० पिज़े	1951
वाइस-एडमिरल एस० एच० कारलिल	1955–58
वाइस-एडमिरल आर० डी० कटारी	1958–61
वाइस-एडमिरल ए० डी० सोमण	1962

हवाई सेना

एयर मार्शल आर० जे० चैपमैन	1949
एयर मार्शल जी० ई० गिब्स	1951
एयर मार्शल एस० मुखर्जी	1954
एयर मार्शल इंजीनियर	1960

भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष

1885 बम्बई, उमेशचन्द्र बनर्जी
1886 कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी
1887 मद्रास, बी० तैयबजी
1888 इलाहाबाद, जार्ज यूल
1889 सर डब्ल्यू वेडरबर्न
1890 सर फिरोजशाह मेहता
1891 नागपुर, पी० आनन्दाचार्लू
1892 इलाहाबाद, उमेशचन्द्र बनर्जी
1893 लाहौर, दादाभाई नौरोजी
1894 मद्रास, अलफ्रेड वेब
1895 पूना, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
1896 कलकत्ता, आर० एम० सयानी
1897 अमरावती, जी० शंकरन नायर
1898 मद्रास, ए० एम० बोस
1899 लखनऊ, रमेशचन्द्र दत्त
1900 लाहौर, ना० ग० चन्द्रावरकर
1901 कलकत्ता, दीनशा वाचा
1902 अहमदाबाद, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
1903 मद्रास, लालमोहन घोष
1904 बम्बई, सर हेनरी काटन
1905 बनारस, गोपालकृष्ण गोखले
1906 कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी

1907 सूरत, रासविहारी घोष
1909 लाहौर, मदनमोहन मालवीय
1910 इलाहाबाद, सर विलियम वेडरबर्न
1911. कलकत्ता, विशननारायण दर
1912 पटना, आर० एन० मुधोलकर
1913 मद्रास, सैयद मुहम्मद
1914 कराची, भूपेन्द्रनाथ वसु
1915 बम्बई, सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह
1916 लखनऊ, अम्बिकाचरण मजूमदार
1917 कलकत्ता, डा० एनी वेसेंट
1918 दिल्ली, हसन इमाम
1918 बम्बई (विशेष अधिवेशन) मदनमोहन मालवीय
1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू
1920 नागपुर, सी० विजय-राघवाचारियर
1920 कलकत्ता (विशेष अधिवेशन) लाजपतराय
1921 अहमदाबाद, हकीम अजमल खां
1922 गया, चित्तरंजनदास
1923 काकीनाडा, मोहम्मदअली
1923 दिल्ली (विशेष अधिवेशन) अबुलकलाम आज़ाद
1924 बेलगांव, मोहनदास करमचंद गांधी
1925 कानपुर, श्रीमती सरोजिनी नायडू
1926 गोहाटी, श्रीनिवास आयंगर
1927 मद्रास, डा० एम० ए० अंसारी
1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू
1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू
1931 कराची, सरदार वल्लभभाई पटेल
1932 दिल्ली, सेठ रणछोड़लाल
1933 कलकत्ता, नेली सेन गुप्त
1934 बम्बई, डा० राजेन्द्रप्रसाद
1935 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू
1936 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू
1938 हरिपुरा, सुभाषचन्द्र बोस
1939 त्रिपुरा, सुभाषचन्द्र बोस
1939 राजेन्द्रप्रसाद
1940 रामगढ़, अबुलकलाम आज़ाद
1940 जवाहरलाल नेहरू
1946 मेरठ, आचार्य कृपलानी
1947 डा० राजेन्द्रप्रसाद
1949 जयपुर, डा० पट्टाभि सीता-रमैया
1950 नासिक, पुरुषोत्तमदास टण्डन
1951 नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू
1953 हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू

1954 कल्याणी, जवाहरलाल नेहरू
1955 अवाडी (मद्रास), यू० एन० ढेबर
1956 अमृतसर, यू० एन० ढेबर
1957 इन्दौर, यू० एन० ढेबर
1958 गोहाटी, यू० एन० ढेबर
1959 नागपुर, इन्दिरा गांधी
1960 बंगलौर, संजीव रेड्डी
1961 पटना, संजीव रेड्डी
1962 संजीवैय
1962 कटक (स्थगित).

भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण तिथियां

ईस्वी पूर्व

3000 सिन्धु घाटी की सभ्यता
1509-900 या 5000 ऋग्वेद के मन्त्रों की रचना
1200 या 3000 महाभारत युद्ध
563-483 बुद्ध का जन्म व निर्वाण
541-468 महावीर के जन्म व मृत्यु की रूढ़िगत तिथि
377 वैशाली बौद्ध परिषद्
327-326 सिकन्दर की भारत पर चढ़ाई
325-194 चन्द्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की
542-490 मगध नरेश बिम्बसार का राज्य
191 पश्चिमोत्तर में ग्रीक राज्य

ईस्वी के बाद

1 भारत पर कुशानों का आक्रमण
68 कनिष्क का सिंहासनारोहण
320-500 गुप्त साम्राज्य; भारतीय कला-विज्ञान का स्वर्ण युग
335-376 समुद्रगुप्त का राज्य
376-415 चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य)
403-11 चीनी यात्री फाहियान आया
454 हूणों का पहला आक्रमण
480-90 गुप्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया
601-647 कान्यकुब्ज के राजा हर्षवर्द्धन
622 हिजरी युग का आरम्भ
629-645 ह्यून सांग, चीनी यात्री आया
711 अरब के मोहम्मद बिन-कासिम ने सिंध को विजय किया
750 कान्यकुब्ज का शासक यशोवर्मा
735 पारसी भारत में बसने आए
760-1142 पाल नरेशों का बंगाल-बिहार पर शासन
960-1203 बुन्देलखंड पर चन्देलों का राज्य

1000-1026 महमूद गजनी के भारत पर ग्राक्रमण

1050 ग्रतिस दिपंकर धर्म प्रचारार्थ तिब्बत गया

1118-1199 बंगाल में सेन राजवंश का शासन

1192 दिल्ली के ग्रन्तिम राजपूत नरेश पृथ्वीराज की पराजय ग्रौर मृत्यु

1206-1290 उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना, गुलाम राजाग्रों का शासन

1221 चंगेज़ खां ने प्रथम मुगल ग्राक्रमण किया

1228 ग्रहोमो ने ग्रसम को विजय किया

1231-32 कुतुबमीनार

1236 ग्रल्तमश की मृत्यु व रज़िया का गद्दी पर बैठना

1320-1414 दिल्ली में तुगलक सुल्तानों का राज्य

1236 विजय नगर साम्राज्य की स्थापना

1334-1342 इब्नबतूता भारत ग्राया

1347 दक्खिन में बहमनी राजवंश की स्थापना

1398 तैमूर के नेतृत्व में भारत पर दूसरा मुगल ग्राक्रमण

1451-1526 लोदी सुलतानों का दिल्ली पर राज्य

1469 गुरु नानक का जन्म

1483 सूरदास का जन्म

1486-1533 चैतन्य का जन्म

1494 सिकन्दर लोदी ने ग्रागरे की नींव डाली

1498 वास्को डि गामा कालीकट पहुंचा

1510 पुर्तगालियों ने गोग्रा पर ग्रधिकार किया

1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की

1529 तुलसीदास का जन्म

1538-1545 शेरशाह का शासनकाल

1556-1605 ग्रकबर का राज्य

1564 जजीया कर उठा दिया गया

1515 ताली कोट का संग्राम ग्रौर विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति

1517 फतहपुर सीकरी की नींव पड़ी

1600 ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शाही चार्टर द्वारा स्थापना

1605 ग्रकबर की मृत्यु

1597 राणा प्रताप की मृत्यु

1612 सूरत में पहली ग्रंग्रेज़ी फैक्टरी की स्थापना

1627-1657 शाहजहां का शासन

1627 शिवाजी का जन्म

1658-1707 ग्रौरंगज़ेब का राज्य

1666 शिवाजी का औरंगज़ेब के दरबार में आना और बाद में कैद किया जाना
1668 सूरत में पहली फ्रेंच फैक्टरी की स्थापना
1675 सिखों के नवें गुरु तेगबहादुर का वध
1686-87 बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों की समाप्ति
1680 शिवाजी की मृत्यु
1690 कलकत्ता में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार केन्द्र स्थापित किया
1698 सूतामाटी, कलीकाता और गोविन्दपुर गांवों की ज़मींदारी अंग्रेज़ों ने प्राप्त की
1707 औरंगज़ेब की मृत्यु
1757 प्लासी-युद्ध, क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हराया : ब्रिटिश शासन का इसके साथ प्रारम्भ हुआ
1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई
1765 बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्राप्त की
1770 बंगाल में भीषण अकाल
1772 वारेन हेस्टिंग्ज़ भारत का पहला गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ
1775 नन्दकुमार को फांसी दी गई
1784 ब्रिटिश पार्लमेंट ने पिट का इण्डिया बिल 'पारित' किया
1790 मैसूर-युद्ध : रणजीतसिंह ने सिख राज्य की स्थापना की
1790 मैसूर का तीसरा युद्ध
1793 बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त
1799 टीपू सुलतान की मृत्यु : मैसूर का विभाजन
1829 राजा राममोहनराय ने ब्रह्म-समाज की स्थापना की
1829 सती-प्रथा का अन्त
1833 राजा राममोहनराय की मृत्यु
1835 शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी को बनाया गया
1839 रणजीतसिंह की मृत्यु
1839–42 अफगान-युद्ध
1853 रेलवे और तार का आरम्भ।
1856 अवध राज्य की इतिश्री, हिन्दू विधवा को पुनर्विवाह की कानूनन अनुमति मिली
1857 भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध
1858 भारत का शासन ब्रिटिश पार्लमेंट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ले लिया
1869 महात्मा गांधी का जन्म

1874 बंगाल में भारी व भीषण अकाल पड़ा
1875 ऋषि दयानन्द ने आर्य-समाज की स्थापना की
1885 भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन
1905 बंग-भंग व आन्दोलन
1906 मुस्लिम लीग की स्थापना की गई
1911 दिल्ली दरबार बंग-भंग रद्द, कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली आई
1914 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, प्रथम महायुद्ध का आरम्भ
1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रकाशित : रालेट एक्ट के विरोध में आन्दोलन अमृत-सर में (13 अप्रेल को) जलयांवाला बाग हत्या-कांड, तीसरा अफगान युद्ध
1921 महात्मा गांधी ने सविनय कानून का बिगुल फूंका, अदालतों, शिक्षणालयों, धारासभाओं और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आदेश दिया
1923 शुद्धि-आन्दोलन का आरंभ
1925 देशबन्धु दास का स्वर्गवास
1926 स्वा० श्रद्धानंद का बलिदान
1930-34 नमक सत्याग्रह, गांधी-जी का दांडी कूच, सविनय कानून भंग, लंदन में गोलमेज़ कांफ्रेंस का पहला अधिवेशन
1931 गांधी-इर्विन पैक्ट
1935 गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट 1935 पारित
1937 प्रान्तीय स्वायत्त शासन का सूत्रपात भारत के सात प्रान्तों में, कांग्रेस के मंत्रि-मंडलों का निर्माण
1941 रवीन्द्रनाथ ठाकुर का निधन
1942 क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आन्दोलन
1943 बंगाल में भयंकर अकाल
1946 ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की योजना, श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार की स्थापना
1947 भारत का विभाजन, भारत स्वतंत्र हुआ, लगभग 80 लाख शरणार्थी पंजाब से भारत आए ; कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण
1948 महात्मा गांधी का अमर बलिदान ; संयुक्त राष्ट्र संघ से कश्मीर पर पाक आक्रमण रोकने की अपील (जन० 2)
1949 संविधान परिपादन, भारत का संविधान पारित किया

1950 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित किया गया; डा० राजेन्द्रप्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए
1951 प्रथम पंचवर्षीय नियोजन का आरम्भ
1952 पहला आम चुनाव हुआ
1954 फ्रेंच बस्तियों का भारत में विलय स्वीकार किया गया, पंचशील का सिद्धान्त
1956 भाषावार भारत के राज्यों का पुनर्गठन, द्वितीय पंचवर्षीय नियोजन का प्रारंभ
1960 बम्बई का महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभाजन
1961 गोवा पर भारत का अधिकार; पुर्तगाली शासन का भारत से अन्त
1962 चीन-भारत संग्राम
1962 तृतीय नियोजन का प्रारम्भ
1963 कश्मीर-समस्या के निपटारे के लिए भारत-पाकिस्तान (स्वर्णसिंह-भुट्टो) वार्ता

प्रख्यात भारतीय

	जन्म	मृत्यु
अवनीन्द्रकुमार ठाकुर	1871	1951
सर के० शेषाद्रि ऐयर	1865	1901
सर जे० एन० ताता	1839	1904
श्री आनन्दाचार्लू कांग्रेस के सातवें प्रेज़ीडेण्ट	1842	1906
रमेशचन्द्रदत्त	1848	1909
गोपालकृष्ण गोखले, भारत सेवक समिति के संस्थापक	1806	1915
सर फिरोजशाह मेहता, कांग्रेस में लिबरल दल के नेता	4 अगस्त, 1825	1915
बदरुद्दीन तैयबजी, कांग्रेस के प्रेज़ीडेण्ट	1842	1906
चित्तरंजनदास	5 नवम्बर, 1870	16 जून, 1925
सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर	1837	24 अगस्त, 1925
लाला लाजपतराय	1865	1928
रामपुर के लार्डसिंह	1863	1928
सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ कालेज के संस्थापक	1847	1898

	जन्म	मृत्यु
पं० मोतीलाल नेहरू	6 मई, 1861	6 फर०, 1931
विट्ठलभाई झवेरभाई पटेल (केन्द्रीय एसेम्वली के स्पीकर)		1933
सर मुहम्मद इकबाल ('सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' का गायक)	1873	1938
सरोजिनी नायडू	1879	1949
केशवचन्द्र सेन	1838	1884
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	1850	1884
दादाभाई नौरोजी	1824	1917
राजा राममोहनराय	1772	1833
बंकिमचन्द्र चटर्जी	1828	1894
स्वामी विवेकानन्द	1863	1873
मैथिलीशरण गुप्त	1886	
महामना मदनमोहन मालवीय	1861	1946
रवि वर्मा चित्रकार	1848	1906
सर जदुनाथ सरकार	1870	1958
डा० विधानचन्द्र राय	1882	1962
महर्षि कर्वे	1860	1963
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन	1895	1963
प्रेमचन्द	1880	1936
बालगंगाधर तिलक	1856	1920
श्री सत्यमूर्ति	1889	1946
देवेन्द्रनाथ टैगोर	1817	1904
सर भाष्यम् आयंगार		1908
गिरीशचन्द्र घोष, नाटककार	1843	1909
जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे भारतीय अर्थशास्त्र के पिता		1904
रामानुजन, गणितज्ञ		1920

	जन्म	मृत्यु
रासविहारी घोष	1845	1921
विपिन चन्द्रपाल, स्वदेशी आन्दोलन के जन्मदाता	1855	1932
सर आशुतोष मुकर्जी	20 जून, 1867	25 मई, 1924
स्वामी श्रद्धानन्द, गुरुकुल, कांगड़ी के संस्थापक	1859	23 दिस०, 1926
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई	18 नवम्बर, 1835	7 जून, 1858
सैयद अमीरअली	1849	1929
गणेश शंकर विद्यार्थी		1931
यतीन्द्रमोहनसेन गुप्त (जेल में)	1885	23 जुलाई, 1933
सरअली इमाम		1933
डा० अंसारी	1880	1936
सर जगदीशचन्द्र बोस (वैज्ञानिक)	30 नव०, 1858	23 नव०, 1937
सर तेजवहादुर सप्रू	1875	1947
रवीन्द्रनाथ टैगोर	1861	1941
महात्मा गांधी	2 अक्तू०, 1869	30 जन०, 1948
अरविन्द घोष	1872	1950
ऋषि दयानन्द सरस्वती	1824	1883
महावीरप्रसाद द्विवेदी	1864	1938
शरत्चन्द्र चटर्जी	1876	1938
श्रीनिवास शास्त्री	1869	1946
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	1820	1891
रामकृष्ण परमहंस	1836	1886
रासविहारी वोस (प्रसिद्ध क्रांतिकारी)	1870	1944
सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'	1896	1961
नेताजी सुभाषचन्द्र वोस	1899	1945
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	1848	1925
सर एम० विश्वेश्वरैया	1861	1962
पुरुषोत्तमदास टण्डन	1882	1962
डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी	1901	1953

	जन्म	मृत्यु
डा० राजेन्द्रप्रसाद	1884	1963
श्यामसुन्दरदास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक	1875	1945

भारत में प्रथम

सबसे बड़ी झील—वुलर झील, (कश्मीर)

सर्वाधिक आबादी का शहर—कलकत्ता (उपनगरों समेत) (55·5 लाख)

सर्वाधिक जंगलों का राज्य—असम

सबसे बड़ा डेल्टा—सुन्दरवन डेल्टा, (8000 वर्गमील)

सबसे बड़ी मस्जिद—जामा मस्जिद, दिल्ली

सबसे बड़ी बिजली गाड़ी सेवा—बम्बई से पूना

सबसे बड़ा द्वार—बुलंद दरवाज़ा, (176 फुट) फतहपुर सीकरी

सबसे बड़ा प्लेटफार्म—सोनपुर का (2415 फुट)

पशुओं का सबसे बड़ा मेला—सोनपुर का मेला

सर्वाधिक जनसंख्या का राज्य—उत्तरप्रदेश

सर्वाधिक सघन बस्ती का प्रदेश—दिल्ली

सबसे बड़ी सुरंग—जवाहर सुरंग (11 मील लम्बी) पंजाब को कश्मीर से जोड़ती है।

सर्वोच्च पर्वतशिखर—नन्दादेवी (25645 फुट)

सर्वोच्च जल-प्रपात—जर सोपा प्रपात, मैसूर (830 फुट)

सर्वाधिक वर्षा होने का स्थान, चिरापूंजी (वर्ष में औसतन 426 इंच)

सबसे बड़ा कांटीलेवर—स्पैन पुल—हवड़ा पुल

सबसे बड़ा गुफा मन्दिर—एलोरा (हैदराबाद)

सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य—उत्तरप्रदेश

भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य—केरल

प्रथम जल-विद्युत् स्टेशन—दार्जिलिंग में (1897-98)

प्रथम आधुनिक इस्पात प्लांट—कुल्टी (बंगाल) 1887

सर्वोच्च प्रतिमा—गोमतेश्वर की प्रतिमा, मैसूर (57 फुट ऊंची)

सबसे ऊंचा बुर्ज—कुतुबमीनार, दिल्ली

सबसे बड़ा गुम्बद—गोलगुम्बद, बीजापुर

सबसे बड़ा चिड़ियाघर—जूलाजिकल गार्डन, कलकत्ता

सबसे बड़ा अद्भुतालय—कलकत्ता म्यूज़ियम

सबसे वड़ा बांध—हीराकुड बांध (15748 फुट)

भारत में सर्वप्रथम प्रारम्भ

1825—डाक टिकट सिन्ध भारत में जारी हुए

1851—कलकत्ता–डायमंड हारबर के बीच सर्वप्रथम सरकारी तारलाइन लगी (अक्तूबर में)

1853—प्रथम भारतीय रेलवे 16 अप्रेल को वम्बई से थाना को रवाना हुई

1854—1 अक्तूबर को भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुए

1911—भारत व विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक का आरम्भ बमरौली से नैनी 6 मील दूर तक

1924—बम्बई से कुर्ला के मध्य पहली बिजली से चलनेवाली रेलगाड़ी चली

1929—प्राइवेट कम्पनी द्वारा ब्राडकास्टिंग (प्रसार) या रेडियो का आरम्भ

1929—भारत और विश्व में हवाई डाक के टिकट सर्वप्रथम जारी हुए

भारतीयों में प्रथम

भारतीय गवर्नर—लार्ड सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह

कांग्रेस का प्रधान—उमेशचन्द्र बनर्जी

आई० सी० एस०—सत्येन्द्रनाथ टैगोर

बैरोनेट—सर कवासजी जहांगीर

इण्डिया कौंसिल का सदस्य—सर के० जी० गुप्त

वायसराय की कौंसिल का पहला सदस्य—सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह

रैंगलर—कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय—ए० एम० वोस

प्रान्तों में प्रथम महिला मंत्री—श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित (यू० पी० में)

आई० सी० एस० की परीक्षा में प्रथम—सर अतुलचन्द

हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज—अन्ना चंडी (करेल)

प्रीवी कौंसिल का सदस्य—सैयद अमीरअली

प्रथम महिला बैरिस्टर—मिसेज़ कारनेलिया सोरावजी
फांसी पर चढ़नेवाला पहला क्रान्तिकारी—खुदीराम बोस
एफ० आर० एस०—ए० चटर्जी
नोबल पुरस्कार विजेता—रवीन्द्रनाथ ठाकुर
बार एट ला—जे० एम० टैगोर
भारत का गवर्नर-जनरल—सी० राजगोपालाचारी
स्टालिन पुरस्कार विजेता—डा० सैफीउद्दीन किचलू
भारत का प्रथम राष्ट्रपति—डा० राजेन्द्रप्रसाद
ब्रिटिश राज्य का लार्ड—लार्ड सिंह
ब्रिटिश पार्लमेंट चुनाव लड़नेवाला प्रथम भारतीय—लालमोहन घोष
संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रेज़ीडेण्ट—श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित
महिला राज्यपाल—सरोजिनी नायडू
कांग्रेस की महिला प्रेज़ीडेण्ट—सरोजिनी नायडू
ब्रिटिश पार्लमेंट का सदस्य—दादाभाई नौरोजी
प्रथम महिला पैराशुटिस्ट (छतरीधारी वैमानिक)—गीता चन्द्र
विक्टोरिया क्रास का विजेता—खुदादाद खां
लार्ड सभा का सदस्य—लार्ड सिंह
कमाण्डर इन चीफ—जनरल कैरिअप्पा
महिला एम०ए०—चन्द्रमुखी बोस
टेस्ट का क्रिकेट खिलाड़ी : के०एस० रणजीतसिंहजी
एडवोकेट-जनरल—सर वी० भाष्यम् आयंगर
अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य—डी० एस० सोंध

महाद्वीप

	क्षेत्रफल (वर्गमील में)
अफ्रीका	11696572
आस्ट्रेलिया	3000000
अंटार्कटिका	5100000
दक्षिण अमेरिका	6868098
एशिया	17461583
यूरोप	3525755
उत्तरी अमेरिका	8557026

नदियां

नदी	स्थान	लम्बाई (मीलों में)
नील	अफ्रीका	4145
अमेज़न	ब्राज़ील	3900
यांग्तजी	चीन	3400
कांगो	अफ्रीका	2718
मैकेंजी	उ० अमेरिका	2635
येनीसी	सोवियत रूस (एशिया)	2550
मिसौरी	उ० अमेरिका	2475
नाइजर	अफ्रीका	2600
लेना	यूरोप	2680
मिसीसिपी	उ० अमेरिका	2470
ला प्लाटा	द० अमेरिका	2300
मर्रे	आस्ट्रेलिया	2300
वोल्गा	यूरोप	2290
सें० लारेंस	उ० अमेरिका	1945
रियो ग्रांडे	उ० अमेरिका	1800

महासागर

महासागर	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	सर्वाधिक गहराई (फुटों में)
प्रशांत	63801668	35948
अटलांटिक	31839306	30246
हिन्द	28356276	22968
आर्कटिक	5440197	17850

सागर

सागर	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	सर्वाधिक गहराई (फुटों में)
मलाया सागर	3144056	21242
केरीबियन सागर	1063340	23748

सागर	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	सर्वाधिक गहराई (फुटों में)
भूमध्य सागर	966757	14435
बेरिंग सागर	875753	13422
मैक्सिको की खाड़ी	595760	12744
आखोट्स्क सागर	589807	11154
पूर्वी चीन सागर	482317	9125
पीत सागर	480000	348
हडसन की खाड़ी	475792	600
जापान सागर	389074	13241

पर्वतशिखरों की ऊंचाई

नाम	स्थिति	ऊंचाई फुटों में	नाम	स्थिति	ऊंचाई फुटों में
एवरेस्ट	नेपाल-तिब्बत	29028	गोशेब्रुम	कश्मीर	26470
गाडविन-आस्टिन	कश्मीर	28250	गोसाईं थान	तिब्बत	26291
			डिस्टेगिल	कश्मीर	25868
कंचनजंघा	नेपाल-सिक्किम	28146	हिमाल चुली	नेपाल	25801
			नुप्सू	नेपाल-तिब्बत	25726
लोत्से-1	नेपाल-तिब्बत	27890	मशेरब्रुम	कश्मीर	25660
मकालू	नेपाल-तिब्बत	27824	नंदादेवी	भारत	25643
लोत्से-2	नेपाल-तिब्बत	27560	कोमोलोंजो	नेपाल-तिब्बत	25640
चो ओयू	नेपाल-सिक्किम	26750	राकापोशी	कश्मीर	25550
अन्नपूर्णा	नेपाल	26504	कैमत	भारत-तिब्बत	25447

झीलें

		क्षेत्र वर्गमीलों में			क्षेत्र वर्गमीलों में
कैस्पियन सागर	रूस-ईरान	143550	अराल	सोवियत रूस	25300
			हूरोन	उ० अमेरिका	23010
सुपीरियर	उ० अमेरिका	31820	मिशिगन	उ० अमेरिका	22400
विक्टोरिया न्यांजा	अफ्रीका	26828	बैकाल	साइबेरिया	13300
			लादोगा	यूरोप	7100

		क्षेत्र वर्गमीलों में			क्षेत्र वर्गमीलों में
टंगानिका	अफ्रीका	12700	विनीपेग	उ० अमेरिका	9464
ग्रेटबीयर	उ० अमेरिका	12275	ओंटेरियो	उ० अमेरिका	7520
न्यासा	अफ्रीका	11430	चाड	अफ्रीका	6300
ईरी	उ० अमेरिका	9930	बालकश	एशिया	705

समुद्र और भू-क्षेत्र

	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	औसत गहराई (फुटों में)	अधिकतम गहराई (फुटों में)
कुल भू-क्षेत्र	54522260	2252	29002
कुल समुद्र-क्षेत्र	141124980	11470	31614

ज्वालामुखी

१—जीवित

		ऊंचाई फुटों में			ऊंचाई फुटों में
गुआललातिरी	(चिली)	19882	मोना लोआ	(हवाई)	13680
लस्कर	(चिली)	19652	ताजुमुलको	(गुआतेमाला)	13812
कोटोपैक्सी	(इक्वेडर)	19347	टाकना	(गुआतेमाला)	13333
सैनगे	(इक्वेडर)	17749	एरेबस	(अण्टार्टिका)	13200
कोटाकाची	(इक्वेडर)	16197	फ्यूजियामा	(जापान)	12295
क्ली यूचेवस्काया	(रूस)	15584	एटना	(सिसली, इटली)	10705
वारंगेल	(अलास्का)	14005			

२—शान्त

लुलैलाको	(चिली)	22057	पिंचिचा	(इक्वेडर)	15712
किलीमंजारो	(टंगानिका)	19340	क्रोनोट्सकाया	(रूस)	11575
मिस्ती	(पेरू)	19031	लासीन	(अमेरिका)	10547

३—सुप्त

एकोनकागुआ	(अर्जेण्टाइन)	22834	ओरिजाबा	(मेक्सिको)	18701
			एलबुर्ज	(रूस)	18481
चिमबोराजो	(इक्वेडर)	20561	पोपोकाटेपेटी	(मेक्सिको)	17887
डमावेंड	(ईरान)	18934	कारिसिम्बी	(कांगो)	14787

बड़े द्वीप

नाम	महासागर	क्षेत्रफल	नाम	महासागर	क्षेत्रफल
ग्रीनलैंड	आर्कटिक	840000	एलेसमेरे	आर्कटिक	82119
न्यूगिनी	प्रशान्त	347450	विक्टोरिया	आर्कटिक	80450
बोर्नियो	प्रशान्त	307000	सेलेबेस	प्रशान्त	73160
बाफिन	आर्कटिक	236000	साउथ आईलैंड	प्रशान्त	58093
मैडागास्कर	हिन्द	227737	जावा	प्रशान्त	48763
सुमात्रा	हिन्द	161021	नार्थ आईलैंड	प्रशान्त	44281
होन्शु	प्रशान्त	88031	क्यूबा	अटलांटिक	44206
ग्रेटब्रिटेन	अटलांटिक	84186			

मरुभूमियां

	वर्गमील		वर्गमील
सहारा (उ० अफ्रीका)	3000000	ग्रेट विक्टोरिया (आस्ट्रेलियन मरुभूमि का भाग)	125000
आस्ट्रेलियन (आस्ट्रेलिया)	600000	सीरियन (अरेबियन मरुभूमि का भाग)	125000
ग्रेट सैंडी (आस्ट्रेलियन मरुभूमि का भाग)	160000	गोबी (मंगोलिया)	500000
अरेबियन (अरेबिया)	500000	कालाहारी (बेचुंआनालैंड)	200000
रौबअल खाली (अरेबियन मरुभूमि का भाग)	250000	अरूंटा (आस्ट्रेलियन मरुभूमि का भाग)	120000
तकला मकान (द० सिंकियांग चीन)	125000	नूबियन (सहारा का एक भाग)	100000
काराकुम (द० पश्चिम तुर्किस्तान)	105000	किजिल कुम (मध्य तुर्किस्तान)	90000
थार (उ०प०भारत)	100000		
लीबिया (उ०अफ्रीका)	650000		

रेलवे सुरंगें

		लम्बाई (मीलों में)			लम्बाई (मीलों में)
ईस्ट फिंचले मार्डेन	लन्दन	17½	शिमीजू	जापान	6
सिम्प्लोन	स्विट्ज़रलैंड-इटली	12¼	रिमूटाका	न्यूज़ीलैंड	5½
एपेनाइन	इटली	11½	ग्रेनचेनवर्ग	स्विट्ज़रलैंड	5¼
सेंट गाट हार्ड	स्विट्ज़रलैंड	9¼	रिसकेन	स्विट्ज़रलैंड	5¼
मांटकेनिस	इटली	8½	टौरेन	आस्ट्रिया	5
कास्केड	अमेरिका	7¾	ओटीरा	न्यूज़ीलैंड	5
एरिबर्ग	आस्ट्रिया	6⅜	रोनको	इटली	5
मोफैट	अमेरिका	6⅛	हाएंस्टीन	स्विट्ज़रलैंड	5

पर्वतीय घाट व दर्रे

		ऊंचाई फुटों में			ऊंचाई फुटों में
अल्पिने	(कोलोराडो अमेरिका)	13550	बोलन	(बलूचिस्तान)	5880
सेंट बर्नार्ड	(स्विस एल्प्स)	8100	ब्रेनर	(आस्ट्रियन एल्प्स)	4588
सेंट गाटहार्ड	(स्विस एल्प्स)	6936	शिपका	(बलगेरिया)	4300
सिम्पलोन	(स्विस एल्प्स)	6505	खैबर	(अफगानिस्तान)	3373

सर्वोच्च बांध

		ऊंचाई फुटों में			ऊंचाई फुटों में
वैओं	(इटली)	873	शास्ता	(अमेरिका)	602
मोवोसिन	(स्विट्ज़रलैंड)	780	टिगनेस	(फ्रांस)	592
भाखड़ा-नंगल	(भारत)	740	कारडज	(ईरान)	590
हूवर	(अमेरिका)	726	ग्रांडडिक्सेंस	(स्विट्ज़रलैंड)	584
ग्लेन कैनपोन	(अमेरिका)	710	हंगरी हार्स	(अमेरिका)	564
क्यूरोबे नं. 4	(जापान)	612	ग्रांडकली	(अमेरिका)	550

सबसे बड़े बांध

	क्यूबिक गज़ों में		क्यूबिक गज़ों में
फोर्ट पेक (अमेरिका)	130421014	जेहलम (पाकिस्तान)	53000000
ओग्राहे (अमेरिका)	91000000	किंगस्ले (अमेरिका)	32000000
गेरिसन (अमेरिका)	67500000	पिनीरी (अमेरिका)	29986000
फोर्ट रैंडल (अमेरिका)	53000000	हीराकुड (भारत)	27000000
असवान (मिस्र)	53000000	नवाजो (अमेरिका)	26250000

जहाज़ी नहरें

	लम्बाई मीलों में		लम्बाई मीलों में
अलबर्ट (बेल्जियम)	80	अमेस्टर्डम (नीदरलैंड)	45
व्यूमोंट-पोर्ट आर्थर (अमेरिका)	40	चेसापीक व डेलावेर (अमेरिका)	19
हस्टन (अमेरिका)	43	कील (जर्मनी)	61·3
पनामा (कनाल जोन)	50	सेंट लारेंस सीवे (अमेरिका)	2400
साल्ट से० मेरी (कनाडा)	1·2	साल्ट से० मेरी (अमेरिका)	1·6
स्वेज़ (मिस्र)	100·6	वेलेड (कनाडा)	27·6

उच्चतम, लघुतम और दीर्घतम

सर्वोच्च पर्वतमाला	हिमालय
सबसे लम्बा पर्वत	एंडेज
सर्वोच्च पठार	तिब्बत
सबसे लम्बी नदी	नील (4145 मील)
सबसे बड़ी नदी (परिमाण में)	अमेज़न (3900 मील)
सबसे बड़ा नदी बेसिन	बेसिन आफ अमेजन (2702200 वर्गमील)

सबसे बड़ी झील व सागर	कैस्पियन सागर (143550 वर्ग-मील)
सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील	सुपीरियर (31820 वर्गमील)
सबसे बड़ा द्वीपसमूह	मलाया आर्कीपेलाजो
सबसे बड़ा महाद्वीप	एशिया
सबसे अधिक गहरी झील	बैकल (साइबेरिया) औसत गहराई लगभग 2300 फुट
सबसे बड़ी नकली झील	झील मीड बोल्डर बोध में (अमेरिका)
उत्तर से दक्षिण को सबसे बड़ी भूमि	अमेरिका : उत्तर से दक्षिण आर्कटिक से अटलांटिक सागर तक फैला हुआ है।
सबसे बड़ा अन्तरदेशीय सागर	भूमध्यसागर
सबसे बड़ा प्रायद्वीप	अरेबिया
सबसे बड़ी जहाज़ी नहर	सेंट लारेंस सी वे (2400 मील)
सर्वोच्च झील	टीटीकाका झील (बोलविया) समुद्र-सतह से 12500 फुट ऊंची
सर्वोच्च मोटर-रोड	माउण्ट एवांस हाई वे (कोलो-राडो) अमेरिका
सर्वोच्च राजधानी शहर	ला पाज (बोलविया)
सबसे बड़ा द्वीप	ग्रीनलैंड (840000 वर्गमील)
सघनतम आबादी	मोनाको (56979 प्रति वर्गमील)
सर्वाधिक उष्णतम प्रदेश	उत्तर-पश्चिमी सहारा अजीजीया (ट्रीपोलिटानिया), डेथ वैली (कैलीफोर्निया), थार मरुभूमि (भारत के पश्चिमोत्तर में)
सर्वाधिक सर्दी का स्थान	वरखोयांस्क उत्तर-पश्चिमी साइ-बेरिया; यहां तापमान 94° शून्य से नीचे रहता है।
सर्वोच्च देश	तिब्बत

सबसे बड़ा देश	सोवियत रूस
सघन बसा देश	चीन
सबसे बड़ा सागर	प्रशान्त महासागर (63810668 वर्गमील)
उत्तरतम का शहर	हैमरफेस्ट (नार्वे) आर्कटिक वृत्त से 275 मील उत्तर में
सबसे बड़ा रेगिस्तान	सहारा (अफ्रीका), पूर्व से पश्चिम को 3200 मील लम्बा है
सबसे बड़ा शहर	तोकियो (आबादी 8415397)
सर्वोच्च चोटी	माउण्ट एवरेस्ट (29028 फुट)
सबसे अधिक जिस जगह वर्षा होती है	चेरापूंजी (असम—भारत)
सर्वोच्च जीवित ज्वालामुखी	गुआललतिरि (चिली) 19882फुट
सर्वोच्च सुप्त ज्वालामुखी	लुलैलाको (चिली), 22057 फुट
सबसे छोटा महाद्वीप	आस्ट्रेलिया
सर्वाधिक खारे पानी का और छिछला सागर	डेड
सबसे छोटा देश	वेटिकन सिटी (109 एकड़)
सबसे बड़ा डेल्टा	सुन्दरवन डेल्टा (8000 वर्गमील)
सर्वोच्च जल-प्रपात	एंजल (वेनेजुएला 3212 फुट)
सबसे बड़ा पार्क	येलोस्टोन नेशनल पार्क (अमेरिका), 3350 वर्गमील
सबसे बड़ी दून	ग्रांड कैनयोन (एरिजोना, अमेरिका)
सबसे बड़ा एटाल (प्रवाल द्वीप)	क्वाजालीन मार्शल द्वीप समूह (मध्य प्रशान्त) इसकी 176 मील लम्बी प्रवाल चट्टान 200 वर्ग-मील को घेरे हुए है
सबसे बड़ी चट्टान	ग्रेट बैरियर रीफ (आस्ट्रेलिया), 1260 मील लम्बी

सबसे बड़ा राजपथ	ब्राडवे, न्यूयार्क
सर्वोच्च शहर	फारी (तिब्बत), 14300 फुट ऊंचा
सर्वोच्च हवाई अड्डा	लद्दाख (कश्मीर), 14230 फुट
हवाई जहाज़ की सबसे बड़ी उड़ान	83235 फुट
मुसाफिर वाले बैलून की सर्वोच्च उड़ान	102000
सबसे बड़ा द्वीपसमूह	हिन्देशिया
महासागर में सर्वाधिक गहरा स्थान	मिडानाम्रो द्वीप फिलीपीन के परे, जहां 35948 फुट तक शब्द पहुंचा है
कंकरीट का सबसे बड़ा मकान	ग्रैंड डिक्सेंस (स्विट्ज़रलैंड)
सबसे बड़ा गुम्बद	गोलगुम्बद (बीजापुर—भारत), 144 फुट
सबसे विशाल चर्च	सेंट पीटर्स का चर्च (रोम)
सर्वाधिक लम्बा चर्च	अल्म कैथेड्रल (जर्मनी) 529
सबसे ऊंची मूर्ति	स्वाधीनता की मूर्ति (न्यूयार्क-अमेरिका) 111 फुट
सबसे बड़ा म्युज़ियम	ब्रिटिश म्युज़ियम, लन्दन
सबसे बड़ा थियेटर	ब्लेंकिटा थियेटर (हवाना) : 6500 व्यक्ति बैठ सकते हैं
सबसे लम्बी दीवाल	चीन की दीवाल, 1500 मील से अधिक
सबसे बड़ा दूरवीक्षण यंत्र	माउंट पेलोपर (कैलीफोर्निया—अमेरिका) 200 इंच व्यास का
सबसे बड़ा मोती	वेरेस्फोर्ड—होप (1800 ग्राम)
सबसे बड़ा घंटा	ज़ार कोलोकोल, क्रेमलिन (मास्को), 180 टन
सबसे ऊंचा वृक्ष	जैंट सेकुइपा वृक्ष हैम्बेल्टस्टेट पार्क (कैलीफोर्निया, अमेरिका) 368फुट

सबसे कम वर्षा की भूमि	एरिका (चिली) 2 इंच
सबसे गरम स्थान	अजिजिया (लीबिया) 136 अंश (13 सितम्बर, 1922)
सबसे बड़ी जहाज़ी नहर	श्वेत सागर की नहर (रूस) 140मील
सबसे बड़ा जहाज़	क्वीन एलिज़ाबेथ (83673 टन)
सबसे बड़ा ग्रह	बृहस्पति

मुख्य जल-प्रपात

ऊंचाई की दृष्टि से		ऊंचाई (फुट)	पानी के परिमाण की दृष्टि से		वार्षिक जल-प्रवाह क्यूबिक फुटों में
एंजेल	(वेनेजुएला)	2648	गूऐरा	(ब्राजील)	470000
कूकेनान	(वेनेजुएला)	2000	खोन	(हिन्दचीन)	410000
दिब्बन	(अमेरिका)	1612	न्याग्रा	(कनाडा)	212000
किंगजार्ज षष्ठ	(ब्रि० गायना)	1600	पालोअफोंसो	(ब्राजील)	100000
			यूरूबूगुंगा	(ब्राजील)	97000
अपर योसे माइट	(अमेरिका)	1430	इगूआजू	(अर्जेण्टीना)	61660
			पाटोस मैरीबांडो	(ब्राजील)	53000
टूगेला	(द० अफ्रीका)	1350			
गावार्नीए	(फ्रांस)	1385	ग्रांड	(लैब्रेडर)	35000
वोल्लोमोम्बी	(आस्ट्रेलिया)	1100	विक्टोरिया	(उ० द० रोडिशिया)	38430
टकाक्काव	(कनाडा)	1000	कैतूर	(ब्रि० गायना)	23400

सर्वाधिक आबादी के शहर

	आबादी		आबादी
तोकियो (1960)	8683802	बम्बई (1961)	4146000
लन्दन (1961)	8171902	शिकागो (1960)	3550404
न्यूयार्क (1960)	7781987	रिओडीजनेरो (1960)	3288000
कलकत्ता (1961)	2927289	ओसाका (1957)	3011563
मास्को (1959)	5032000	जकार्ता (1961)	3317562

तितसिन (1953)	3100000	बर्लिन (1960)	3402000
लास एंजल्स (1960)	2479015	लेनिनग्राड (1956)	3176000
बैंगकाक (1960)	2318000	मनीला (1960)	3006629
सिडनी (1960)	2098490	पेरिस (1954)	2850189
फिलेडेल्फिया (1960)	2002512	पेकिंग (1953)	2768149
व्यूनोस एरिस (1958)	4500000	सीयूल (1960)	2444883
		काहिरा (1949)	2100486
साम्रो पालो (1960)	3850000	रोम (1961)	2056386

प्राथमिक पर्वतारोहण

समय	पर्वत का नाम	स्थिति	आरोहक
1786	ब्लैंक	फ्रांस—इटली	एम०जी०पैकर्ड व जे०बलमट
1811	जंगफ्रौ	स्विट्ज़रलैंड	जे० आर० व एच० मेयर
1865	मेटर हार्न	स्विट्ज़रलैंड	ई० ह्विम्पर
1868	एलबुर्ज	काकेसस रूस	डी० डब्ल्यू फ्रेशफील्ड, ए० डब्ल्यू मोर व सी०सी० टकर
1880	चिम्बोरैंजो	इक्वेडर	ई० ह्विम्पर
1882	कुक	न्यूज़ीलैंड	डब्ल्यू एस० ग्रीन
1887	किलीमंजारो	टंगानिका	मेयर
1897	एकोनकागुग्रा	अर्जेण्टाइना	एम० जुरब्रिगेन
1897	सेंट एलिग्रस	अलास्का (अमेरिका)	ड्यूक आफ एब्रुजी
1899	केनिया	केनिया	एच० जे० मैकिंडर
	मेक किनली	(अलास्का)	पारकर ब्राऊन अभियान
1925	लोगन	(अलास्का)	ए० एच० मकार्थी
	इल्लम्पू	(बोलविया)	जर्मन आस्ट्रियन अभियान
29 मई, 1953	एवरेस्ट	नेपाल	ब्रिटिश अभियान तेनज़िंग व हिलेरी
1956	,,	,,	स्विस अभियान

समय	पर्वत का नाम	स्थिति	आरोहक
1963	एवरेस्ट	नेपाल	अमेरिकी अभियान डा० थामस हनिकेन
31 जुलाई, 1954	गाडविन-आस्टेन	(कराकोरम) कश्मीर	इटालियन अभियान
25 मई, 1955	कांचन जंघा	नेपाल	ब्रिटिश अभियान
19 अक्टूबर, 1954	चो-ओयू	नेपाल	आस्ट्रियन अभियान
3 जून, 1950	अन्नपूर्णा	नेपाल	मारिस हरजोग (फ्रेंच)
4 जुलाई, 1958	नंगा पर्वत	कश्मीर	आस्ट्रियन-जर्मन अभियान
28 अगस्त, 1958	नानकुम	कश्मीर	फ्रेंच अभियान
मई, 1956	मकालू	नेपाल-तिब्बत	फ्रेंच अभियान
मई, 1956	लहोत्से	नेपाल-तिब्बत	स्विस अभियान
मई 1956	मंसालू	नेपाल	जापानी अभियान
अक्टूबर, 1962	नीलगिरि	भारत	भारतीय दल

विश्व की मुख्य भाषाएं

	बोलनेवालों की संख्या (लाखों में)		बोलनेवालों की संख्या (लाखों में)
मैनडरीन (चीन)	4570	बंगला	800
अंग्रेजी	2810	अरेबिक	770
रूसी	1580	पुर्तगाली	760
हिन्दी	1520	फ्रेंच	710
स्पेनिश	1450	मलयसी	690
जर्मन	1200	इटालियन	570
जापानी	960	उर्दू	570

	बोलनेवालों की संख्या (लाखों में)		बोलनेवालों की संख्या (लाखों में)
कैंटनीज (चीन)	440	यू (चीन)	390
जवानीज (हिन्देशिया)	420	मिन (चीन)	360
यूक्रेनियन (रूस)	400	तमिल	350
तेलुगु	390	कोरियन	340

रेलवे स्टेशनों के लम्बे प्लेटफार्म

		लम्बाई (फुटों में)			लम्बाई (फुटों में)
स्टोरविक	(स्वीडन)	2470	बोर्नमाउथ	(इंग्लैंड)	1734
सोनपुर	(भारत)	2415	पर्थ	(स्काटलैंड)	1714
बुलवे	(रोडेशिया)	2415	यार्क	(इंग्लैंड)	1704
खड़गपुर	(भारत)	2330	कैम्ब्रिज	(इंग्लैंड)	1629
न्यू लखनऊ	(भारत)	2250	एडिनबरा	(स्काटलैंड)	1608
विजयवाडा	(भारत)	2210	एबरडीन	(स्काटलैंड)	1596
मैंचेस्टर विक्टोरिया-एक्सचेंज	(इंग्लैंड)	2194	तिरुचिरापल्ली	(भारत)	1546
			क्रेवे	(इंग्लैंड)	1509
झांसी	(भारत)	2025	डकोर	(भारत)	1470
कोटरी (सीमाप्रांत,	(पाकिस्तान)	1896	विक्टोरिया	(लन्दन)	1430
			न्यू कैसल	(इंग्लैंड)	1365
मांडले	(बर्मा)	1788	ब्रिस्टल	(इंग्लैंड)	1309

सबसे बड़े पुल

		जल-मार्ग पर पुल की लम्बाई (फुटों में)			जल-मार्ग पर पुल की लम्बाई (फुटों में)
लोवेर जाम्बेसी	(अफ्रीका)	11322	ब्रह्मपुत्र	(भारत)	4252
टे ब्रिज	(स्काटलैंड)	10289	जैक्वेकार्टियर	(कनाडा)	3808
गोदावरी	(भारत)	8881	स्टोर स्ट्राम्ब्रोएन	(डेन्मार्क)	10499
रिओ सलाडो	(अर्जेण्टाइना)	6703	सोन का पुल	(भारत)	9839
रिओ डूलसे	(अर्जेण्टाइना)	5866	फोर्थ ब्रिज	(स्काटलैंड)	8291
विक्टोरिया जुबली	(कनाडा)	5325	गोल्डन गेट	(अमेरिका)	6260
			हार्डिज	(पाकिस्तान)	5384

मोएरडिक (नीदरलैंड) 4698
सिडनी हारबर (आस्ट्रेलिया) 3808
क्वीनस बारो (अमेरिका) 2720

ब्रुकलिन (अमेरिका) 3451
टूर्न (पोलैंड) 3291
क्वेबेक ब्रिज (कनाडा) 3205

प्रसिद्ध दूरवीक्षण यंत्र

नाम	आकार इंचों में	नाम वेधशाला
पैलोमर	200	माउंट पैलोमर केलीफोर्निया (अमेरिका)
मां० विल्सन	100	पैसाडेना (केलीफोर्निया, अमेरिका)
डनलैप	74	रिचमंड हिल (कनाडा)
डोमीनियन एस्ट्रो-फिजिकल	72	विक्टोरिया वी० सी० (कनाडा)
पर्किस	69	डेलावर (अमेरिका)
हारवर्ड	61	हारवर्ड (अमेरिका)
ब्लोएम फोंटीन	60	दक्षिण अफ्रीका
मां० विल्सन	60	पैसाडोना (अमेरिका)
कार्डोवा	60	अर्जेण्टाइना
येर्क्स	40	विलियम वे (अमेरिका)
लिक	36	माउण्ट हैमिल्टन (केलीफोर्निया)
पेरिस विश्वविद्यालय	32½	मेडडन (फ्रांस)
एस्ट्रो-फिजीकल	31½	पोट्सडम (जर्मनी)
एलेग्नी	30	पिट्सबर्ग (अमेरिका)
विसकोफशीम	30	नाइस (फ्रांस)
पोलकोवा	30	लेनिनग्राड (रूस)

प्रसिद्ध घंटे

	भार (टनों में)
1733 जार कोलोकोल (मास्को)	193
अपर बर्मा बेल	80
कोलोन कैथेड्रेल	25
ग्रेट ब्रियर (यार्क मिनिस्टर इंग्लैंड)	17

	भार (टनों में)
ए फर्ट बेल	17
बिग बेन (वेस्टमिनिस्टर) लंदन	17
ग्रेटराम (लिंकोलन, इंग्लैंड)	54
रिवर साइड चर्च बेल (न्यूयार्क)	18½
मास्को घंटा (मास्को)	128
पेकिंग का ग्रेट बेल	53
नानकिंग बेल	22
ग्रेट पाल (सेंट पाल गिरजा, लन्दन)	162
1711 ओल्मुट्ज़बेल	17
ग्रेटटाम (आक्सफोर्ड)	7½
इण्डिपेंडेंस हेल बेल (फिलेडेलफिया)	64

ऊंची इमारतें व मीनारें

मंज़िलें

	ऊंचाई (फुट में)
एम्पायर स्टेट टी० वी० बुर्जी के समेत	1472
क्रिस्लर (न्यूयार्क) 77 मंज़िल	1046
बैंक आफ मैनहैटन (न्यूयार्क) (71 मंज़िलें)	900
वुलवर्थ (न्यूयार्क) 60	792
पैलेस आफ कल्चर एण्ड-साइन्स (वार्सा) 38	756
यूनियन कार्डविड (न्यूयार्क) 52	720
मैट्रोपोलिटन (न्यूयार्क) 50	700
500 फिफ्थ एवेन्यू 60	697
चेनिन (अमेरिका) 56	680
लिंकन (न्यूयार्क) 53	673
इरविंग ट्रस्ट (न्यूयार्क) 50	616
वाल्डार्फ–एस्टोरिया (न्यूयार्क) 47	625
एम्पायर स्टेट (न्यूयार्क) 102	1250
60 वाल टावर (न्यूयार्क) 67	950
आर० सी० ए० (न्यूयार्क) 70	850
चेसमैनहैटन (न्यूयार्क) 60	813
मारकोस्टेट विश्व-विद्यालय 28	787
सिटी बैंक (न्यूयार्क) 57	741
तोकियो टेलीविज़न टावर	1082
ऐफ्फेल टावर (पेरिस)	984·25
चेओप का पिरामिड (मिस्र)	450
सेंट पीटर्स (वैटीकन सिटी)	448

गिरजाघर

उल्म कैथेड्रल (जर्मनी)	529
कोलोनकैथेड्रल (जर्मनी)	512
स्ट्रासवर्ग कैथेड्रल (जर्मनी)	468
सेंट स्टीफंस (वायना)	441
सैलिसबरी कैथेड्रल (इंग्लैंड)	406
सेविल्ले का गिरजा (स्पेन)	400

सर्वोच्च दूरवीक्षण यंत्र व रेडियो मास्ट

	ऊंचाई (फुट)
मास्को टी० वी० सेंटर मास्ट (रूस)	1864
रोसवेल टी० वी० मास्ट न्यूमेक्सिको, अमेरिका)	1610
डास फर्नशेटर्म स्टेट गार्ट (जर्मनी)	1996
तूले रेडियो मास्ट (ग्रीनलैंड)	1212
तोकियो टी० वी० टावर (जापान)	1089
एफ्फेल टावर पेरिस (फ्रांस)	1043
लकीहेग ब्राडकास्टिंग टावर (हंगरी)	1006
जी० पी० ओ० मास्ट्स एबी (इंग्लैंड)	820
होवरो टी० वी० टावर (डेन्मार्क)	810

सर्वाधिक महान, विशाल और लम्बा

सबसे बड़ा राजमहल	वेटिकन (रोम) 13½ एकड़ में,1400 कमरे
सबसे बड़ी हीरे की खान	किम्बर्ली दक्षिण अफ्रीका
सबसे बड़ा हीरा	कुल्लीनन (1½ पौ० से अधिक)
सबसे बड़ा और सर्वाधिक गहरा समुद्र	प्रशान्त महासागर, (66030124 वर्गमील)
सबसे बड़ा गलियारा	रामेश्वर मंदिर गलियारा (दक्षिण भारत), 4000 फुट
सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म	स्टोरविक (स्वीडन), 2470 फुट
सबसे बड़ा मोती	ब्रेसफोर्ड–होप मोती (1800 ग्राम)
सबसे बड़ा घंटा	जार कोलोकोल क्रेमलिन (मास्को), 198 टन भारी
सबसे बड़ा मोरी (सीवेज) का निपटान प्लाण्ट	शिकागो सीवेज प्रणाली, अमेरिका,
मानव-निर्मित जल पुराया (सप्लाई) करने की प्रणाली	कोलोराडो एक्वेडक्ट (अमेरिका), 242 मील

सर्वाधिक दूरगामी रेलवे	रीगा से ब्लाडीवास्टक (6000 मील)
सबसे बड़ी दूरबीन	पैलोमर पर्वत पर कैलीफोर्निया में इसके प्रतिक्षेपक का व्यास 200 इंच है
सर्वाधिक गहरी खान	कोलार गोल्ड फील्ड (मैसूर) का ओरेगम खण्ड (10000 फुट गहरा)
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन	ग्रांडसेंट्रल टरमिनल (न्यूयार्क)
सबसे बड़ी इमारत	जीजेह (मिस्र) में पिरामिड
सबसे बड़ा बुर्ज	एफ्फेल टावर पेरिस, 984 फुट ऊंचा
सबसे बड़ा शाही महल	मैड्रिड का राजमहल
सर्वोच्च सीधा गुरुत्वाकर्षण का बांध	भाखड़ा बांध (भारत), 680 फुट
सबसे बड़ा सुराख	तेल कूप 15279 फुट (टेक्सास अमेरिका)
सबसे बड़ा थियेटर	रेडियो सिटी म्युजिक हाल, 6200 व्यक्तियों के वास्ते जगह है
सबसे बड़ा स्थल का जानवर	अफ्रीकी हाथी
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन	ग्रांड सेंट्रल टरमिनल, न्यूयार्क औसतन प्रतिदिन 600 गाड़ियां यहां आती हैं और 180000 यात्री इसका उपयोग करते हैं
सबसे बड़ा महराबों का पुल (वाइडक्ट)	लेक पोंटचार ट्रेन काजवे (लूईसियन अमेरिका), 2383 मील इसकी लम्बाई है
सर्वोच्च प्रकाश-स्तम्भ	बिशप राक (इंग्लैंड) 146 फुट ऊंचा है
सबसे बड़ा चिड़ियाघर	कूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका
सबसे महान मूर्तियां	माउण्ट रशमोर नेशनल मेमोरियल (अमेरिका), यहां प्रेज़ीडेण्ट जार्ज वाशिंगटन, टी जैफरसन, टी० रूज़वेल्ट, अब्राहम लिंकन की प्रतिमाएं हैं

सबसे बड़ा कंकरीट का बांध	हीराकुड बांध (उड़ीसा) 15·8 मील
कंकरीट का प्राचीनतम बांध	असवान बांध (मिस्र) 1902 में बना
सर्वोच्च बांध	माऊवोइज़िन (स्विटज़रलैंड) 780 फुट
सबसे बड़ा एकाकी देश	ब्राजील (3285319 वर्गमील)
सर्वोच्च झील	टीटीकाका झील (द० अमेरिका) 12507 फुट
सर्वोच्च इमारत	एम्पायर स्टेट बिल्डिंग (102 मंज़िल, 1250 फुट ऊंची)
सर्वोच्च देश	तिब्बत (औसतन ऊंचाई 16000 फुट)
दफ्तर की सबसे बड़ी इमारत	पेंटागन (अमेरिका) 34 एकड़ में यहां 32000 लोग नित्य काम करते हैं, इसका फर्श 6500000 वर्गफुट है। 17 मील लम्बा इसका गलियारा है।
सबसे बड़ा होटल	कोनार्ड हिल्टन होटल, शिकागो (अमेरिका) 25 मंज़िल, 3000 अतिथि ठहर सकते हैं
सबसे बड़ा स्टैडियम	स्ट्राहोव स्टैडियम (पैरागुए), 240000 प्रेक्षक व दर्शक बैठ सकते हैं।

बड़े आविष्कार

आविष्कार का नाम	आविष्कर्ता	नाम देश	सन्
एयर ब्रेक	जी० वेस्टिंग हाउस	अमेरिका	1868
वातानुकूलन	डब्ल्यू० एच० कैरियर	अमेरिका	1911
विमान	डब्ल्यू० ओ० राईट	अमेरिका	1903
बैरोमीटर	ई० टोरी सेल्ली	इटली	1643
बेसेमर कनवंटर	सर एच० बेसेमर	इंग्लैंड	1856
बाईसिकल	मैक्मिलन	स्काटलैंड	1842

आविष्कार का नाम	आविष्कर्ता	नाम देश	सन्
वेकेलाईट	एल०एच० वेकलैंड	अमेरिका	1907
बैलून	मांटगोल्फायर ब्रदर्स	फ्रांस	1873
कैनिंग	फ्रांकोइस एफर्ट	फ्रांस	1804
कैश रजिस्टर	जेम्स रिट्टी	अमेरिका	1879
सेलूलायड	जान डब्ल्यू० हयात	अमेरिका	1870
सिनेमास्कोप	हेनरी च्रेटीन	फ्रांस	1931
काटन जिन	एली ह्विटने	अमेरिका	1793
साइक्लोट्रोन	ई० ओ० लारेंस	अमेरिका	1931
डीज़ल एंजिन	रूडोल्फ डीज़ल	जर्मनी	1895
डाइनेमाइट	अल्फ्रेड नोबल	स्वीडन	1862
एलेक्ट्रो-मेग्नेट	डब्ल्यू० स्टरजन	इंग्लैंड	1825
इलेक्ट्रिक लैम्प	टी० ए० एडिसन	अमेरिका	1879
इलेक्ट्रिक जेनरेटर	माइकेल फराडे	इंग्लैंड	1837
इलेक्ट्रिक मोटर (ए० सी०)	निकोला तेसला	अमेरिका	1892
इलेक्ट्रिक ट्राली	एफ० जे० स्प्रैग्राट	अमेरिका	1887
एलेवेटर पैसेंजर	ई० जी० ओरिस	अमेरिका	1857
फाउण्टेन पेन	एल० ई० वाटरमैन	अमेरिका	1884
जीरो कम्पास	ई० ए० स्पेरी	अमेरिका	1905
हाइड्रोप्लेन	ग्लेन कर्टिस	अमेरिका	1911
इण्टरनल कम्बश्चन-एंजिन	जी डाइमिलर	जर्मनी	1885
जेट प्रोपल्सन	सर फ्रांक ह्विटले	इंग्लैंड	1930
कोडाक	जार्ज ईस्टमैन	अमेरिका	1888
लाइनोटाइप	ओ० मारजेन थालर	अमेरिका	1885
लोकोमोटिव स्टीम	आर० ट्रेविट हीक	इंग्लैंड	1801
मशीनगन	आर० जे० गैटलिंग	अमेरिका	1861
मैच फ्रिक्शन	जान वाल्कर	इंग्लैंड	1801

आविष्कार का नाम	आविष्कर्ता	नाम देश	सन्
माइक्रोस्कोप कम्पाउण्ड	वेड० जानसेन	नीदरलैंड	1827
मूवी प्रोजेक्टर	टी० ए० एडिसन	अमेरिका	1893
नाईलोन	डब्ल्यू० एस० कैरोथर्स	अमेरिका	1930
पैराशूट (विमान से उतरने की छतरी)	एफ० ब्लैन चार्ड	फ्रांस	1785
फ्रोनोग्राम	टी० ए० एडिसन	अमेरिका	1877
फोटोग्राफी	लूई डैगूएरें	फ्रांस	1837
न्यूमेटिक टायर (रबड़ के टायर)	डनलप	उ० आयरलैंड	1888
प्रिंटिंग प्रेस	गूटेनबर्ग	जर्मनी	1450
खाद्य पदार्थों को शीघ्र जमाना	वर्डरु आई	अमेरिका	1925
रेडियो	जी० मारकोनी व जगदीशचन्द्र बोस	इटली व भारत	1895
आटोमेटिक राइफल	जान एम० ब्राउनिंग	अमेरिका	1918
राकेट (अग्निबाण) का द्रव इंधन	गाउर्ड	अमेरिका	1926
रबड़ वल्कनाइज्ड	सी० गुडईयर	अमेरिका	1839
रेफ्रीजरेशन (यंत्रीकरण से शीत में वस्तुओं को रखना)	पार्किस	अमेरिका	1834
सेफ्टी लैम्प	सर एच० डावी	इंग्लैंड	1816
सेफ्टी पिन	वाल्टर हेट	अमेरिका	1849
सीने की मशीन	एलियस होवे	अमेरिका	1846
स्लीपिंग कार (रेलगाड़ी में सोने की व्यवस्था)	जी० एम० पुलमैन	अमेरिका	1858
स्पिनिंग जेनी	जे० हरग्रीवेस	इंग्लैंड	1767

आविष्कार का नाम	आविष्कर्ता	नाम देश	सन्
स्टीम एंजिन	जेम्स वाट	स्काटलैंड	1765
पनडुब्बी	जान पी॰ हूटलैण्ड	अमेरिका	1891
टैंक (सेना)	ई॰ स्विटन	इंग्लैंड	1914
टेलीग्राफ (तार)	सेम्युअल मोर्से	अमेरिका	1832
टेलीफोन	ए॰ ग्राहम बेल	अमेरिका	1876
टेलिस्कोप (दूरबीन)	एच॰ लियरशै	नीदरलैंड	1608
आईकोनोसस्कोप	जवोरीकिन	अमेरिका	1868
थर्मामीटर	गैलीलियो गैलीली	इटली	1593
टाइपराइटर	सी॰ शोलेस	अमेरिका	1868
वैकम ट्यूब	ली डी फोरेस्ट	अमेरिका	1907
एक्स-रे मशीन	डब्ल्यू॰ के॰ रोएंटजन	जर्मनी	1895
जिप	डब्ल्यू॰ एल॰जडसन	अमेरिका	1893

मिसाइल (प्रक्षेपास्त्र) व राकेट (अग्निबाण)

1957 मानव-निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 रूस ने 4 अक्तूबर को छोड़ा। (यह 184 पौंड का था। 560मील ऊंचा गया था।)

1957 स्पुतनिक 2 जीवित कुतिया लाईका (1120 पौं॰) के साथ छोड़ा गया। 1056 मील की ऊंचाई तक गया।

1958 प्रथम अमेरिकी भू-उपग्रह एक्सप्लोरर प्रथम 3 जून को ग्रह-पथ में गया। यह 31 पौं॰ भारी था। 1587 मील ऊपर गया। 17 मार्च, 1958 को अमेरिका ने वैनगार्ड प्रथम राकेट छोड़ा। यह $3\frac{1}{4}$ पौं॰ का था। 2466 मील तक ऊपर गया। यह आज भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है।

1958 अमेरिका ने एक्सप्लोरर तृतीय को शून्य में भेजा। यह 31 पौं॰ का था और 1741 मील तक ऊपर गया।

1958 13 सितम्बर को रूस द्वारा छोड़े जाने के 35 घंटे बाद लूनिक 2 ने चन्द्रमा को स्पर्श किया।

1958 रूस ने अपना तृतीय स्पुतनिक 15 मई को ऊपर भेजा। यह 2925½ पौं० भारी था। यह 1168 मील ऊपर गया और पृथ्वी की 10034 मील परिक्रमा करने के बाद 6 अप्रैल, 1960 को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद जलकर नष्ट हो गया।

1958 अमेरिका ने एक्सप्लोरर चतुर्थ 26 जुलाई को उड़ाया। यह 28 पौं० भारी था। 1810 मील ऊपर गया।

1958 चन्द्रमा तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने 11 अक्तूबर को पोयोनियर प्रथम को उड़ाया। यह 61300 मील तक ऊपर गया।

1958 9 नवम्बर को अमेरिका ने पायोनियर 2 को चन्द्रमा पर भेजा। पर 7500 मील जाकर ही यह रह गया।

1958 8 नवम्बर को अमेरिका ने पायोनियर तृतीय को चन्द्रमा पर जाने के लिए छोड़ा। पर यह भी 66654 मील से आगे नहीं गया।

1958 एटलस प्रथम को अमेरिका ने दिसम्बर में उड़ाया। यह 8700 पौं० भारी था। यह 928 मील पहुंचा।

1959 रूसी लूनिक 1 प्रथम मानव-निर्मित ग्रह था जो सूर्य के चारों ओर ग्रह-पथ पर गया। यह रूस ने 2 जन० को छोड़ा था।

1959 लूनिक 3 य ने 4 अक्तूबर को चन्द्रमा के चारों ओर घूमते हुए चन्द्रमा का फोटो रेडियो से पृथ्वी पर भेजा।

1959 अमेरिका ने वैन गार्ड 2य को शून्य में भेजा। पर यह 2050 मील ही गया।

1959 अमेरिका ने 28 फरवरी को डिसकवरर प्रथम को ध्रुवों की परिक्रमा करने के लिए भेजा। यह 40 पौं० भारी था।

1959 पायोनियर चतुर्थ को अमेरिका ने 3 मार्च को छोड़ा। यह चन्द्रमा से 37000 मील ऊपर चला गया।

1959 रूस ने 12 सितम्बर को चन्द्रमा पर राकेट भेजा। यह चन्द्रमा पर पहुंचकर रुक गया। श्री ख्रुश्चेव के

अमेरिका जाने से एक दिन पहले यह घटना घटी।

1960 अमेरिका ने 90 पौं० भारी एक छोटा ग्रह 11 मार्च को शुक्र के पास भेजा, परन्तु वह शुक्र पर न जाकर पृथ्वी और शुक्र की मध्यवर्ती कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करने लगा है। यह 311 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। मानव-निर्मित ग्रहों में यह सबसे अधिक दूरी पर पहुंचकर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसमें रेडियो सिगनल लगा है। यह 5 करोड़ मील तक 4½ मिनट में संवाद भेजता है।

1963 अन्तरिक्ष वैमानिक गार्डन कूपर 15 मई को उड़ा और पृथ्वी के ग्रह-पथ के 22 चक्कर लगाए। 24 घंटे अन्तरिक्ष में रहा।

अन्तरिक्ष में मानव की उड़ान

गागारिन—12 अप्रैल, 1961 ; एक चक्कर ग्रह-पथ ; 1 घं० 48 मि० ; 25000 मील।

टीटोव—6–7 अगस्त, 1961 ; ग्रह-पथ में 17 चक्कर ; 25 घं० 18 मि० ; 437000 मील।

ग्लेन—20 फरवरी, 1962 ; ग्रह-पथ के तीन चक्कर ; 4 घं० 56 मि० ; 81000 मील।

कारपेंटर—24 मई, 1962 ; 3 चक्कर ; 4 घं० 56 मि० ; 81000 मील।

नीकोलेयेव—11–15 अगस्त, 1962 ; 64 चक्कर ; 95 घं० ; 1625000 मील।

पोपोविच—12–15 अगस्त, 1962 ; 48 चक्कर काटे ; 71 घं० ; 1242500 मील।

वाल्टर शीर्रा—3 अक्तूबर, 1962 ; 6 चक्कर काटे ; 9 घंटे से अधिक रहा।

वालेरी बाईकोवस्की—14-19 जून, 1963; 81 चक्कर; 119 घं०; 3300000 किलोमीटर।

वालेंटीना तेरेस्कोवा (स्त्री)—16-19 जून, 1963; 48 चक्कर; 71 घं०; 2000000 किलोमीटर।

सामूहिक अन्तरिक्ष-यात्रा ने वाह्य जगत् की यात्रा करना सम्भव कर दिया है, यद्यपि इन दोनों सामूहिक अन्तरिक्ष-यात्राओं में दस मास का अन्तर था।

पशु-पक्षी-जगत् की कुछ ज्ञातव्य बातें

सबसे लम्बा व सबसे लम्बी गर्दन का पशु—जिराफ

सबसे बड़ा पशु—अफ्रीकी हाथी

सर्वाधिक तेज़ गति से उड़नेवाला पक्षी—स्विफ्ट (200 मील प्रति-घंटे की चाल से)

कुत्ते की जाति में सबसे बड़ा जानवर—भेड़िया

सबसे बड़ा हिंस्रक व बिल्ली-परिवार का जीव—सिंह

मनुष्य से सर्वाधिक मिलता-जुलता जानवर—वनमानुष, गुरिल्ला

समुद्री चिड़ियों में सबसे बड़ी चिड़िया—अलबाइंस (दक्षिणी समुद्र में पाई जाती है)

थोड़ी दूर में सर्वाधिक तेज़ चाल से चलनेवाला जानवर—चीता

सबसे बड़ा समुद्री जीव—नील ह्वेल, 65 फुट तक लम्बा होता है।

सबसे बड़ा अंडा—शुतुरमुर्ग का अण्डा सबसे बड़ा होता है; यह 6-7 इंच बड़ा और 4-6 इंच व्यास का होता है।

सर्वाधिक दीर्घायु का पक्षी—शुतुरमुर्ग

सबसे भारी चिड़िया—कोमोडो, यह 12 फुट लम्बी 250 पौं० भार तक की पाई गई है। दक्षिण अमेरिका में यह पाई जाती है और गिद्ध की जाति की है।

सबसे बड़ा और भारी जलचर—ब्लू ह्वेल

सर्वाधिक दीर्घायु जलचर—ब्लू ह्वेल (500 वर्ष)

सबसे छोटा जीवित प्राणी—हमिंग बर्ड (मन-मन शब्द करनेवाली एक किस्म की चिड़िया)

विभिन्न जीवों के गर्भ-धारण का काल

गधी	380 दिन	भालू (रीछ)	6 मास
ऊंटनी	13 मास	मुर्गी	21 दिन
बिल्ली	55 से 63 दिन	गाय	9 मास
बकरी	5 मास	स्त्री	9 मास 10 दिन (280 दिन)
गिलहरी	1 मास		
घोड़ी	11 मास	चुहिया	20 दिन
जिराफ	14 मास	भेड़	5 मास
भेड़िया	2 मास	लोमड़ी	62-63 दिन
सूअरी	4 मास	हथिनी	20 से 22 मास
सिंहनी	3¾ मास	कंगारू	39 दिन
खरगोश	30-40 दिन		

सैनिक सम्मान व पदक

विक्टोरिया क्रास	(ग्रेट ब्रिटेन)
आयरन क्रास	(जर्मनी)
लीजन आफ आॅनर	(फ्रांस)
विक्टरी मेडल	(अमेरिका)
परमवीर चक्र	(भारत)
मिलिट्री क्रास	(बेल्जियम)
मेडल फार वेलस	(इटली)
आर्डर आफ पेट्रियोटिक वार	(सोवियत रूस)
आर्डर आफ राइजिंग सन	(जापान)

स्वास्थ्य-लाभ के पर्वतीय स्थान

अल्मोड़ा—कुमाऊं पर्वतों में यह समुद्र-सतह से 5400 फुट ऊपर है। यहां वर्षा औसतन 5·55 इंच पड़ती है। यह रानीखेत से 20 मील और काठगोदाम से 82 मील दूर है। अल्मोड़ा से पिंडारीगल 18 मील दूर है और यह यात्रियों के लिए एक विशेष आकर्षण है। दूसरा यह है कि यहां से पश्चिमी हिमालय के हिम-मण्डित शिखर दिखाई देते हैं।

बंगलौर—दक्षिण भारत में यह सबसे बड़ी छावनी है। यहां

अनेक उद्यान स्थापित हैं। यह नगर बड़े-बड़े उद्यानों और भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध है।

भोवाली—यह समुद्र-सतह से 5600 फुट ऊंचाई पर है। नैनीताल से यह केवल 7 मील दूर है। यहां क्षय रोग के रोगियों के वास्ते चिकित्सालय है। यहां से फल निर्यात होते हैं।

स्वास्थ्य व आमोद के कुछ स्थानों की ऊंचाई

		फुट			फुट
नैनीताल	(यू॰ पी)	6350	मसूरी	(यू॰ पी॰)	6600
माउण्ट आबू	(राज॰)	4500	अल्मोड़ा	(,,)	5500
दार्जिलिंग	(बंगाल)	7168	कैलिम्पोंग	(बंगाल)	4000
बंगलौर	(मैसूर)	3000	डलहौजी	(पंजाब)	7060
लैंसडाऊन	(यू॰ पी॰)	6060	कोडाई कनाल	(मद्रास)	7000
कोटामीरी	(मद्रास)	6500	ऊटकमण्ड	(मद्रास)	7220
महाबलेश्वर	(महाराष्ट्र)	4500	अमरनाथ	(कश्मीर)	13000
कसौली	(शिमला)	6200	माथेरान	(महाराष्ट्र)	2650
पंचमढ़ी	(म॰ प्रदेश)	3500	शिलांग	(असम)	4980
शिमला	(पंजाब)	7000	श्रीनगर	(कश्मीर)	5250
रांची	(बिहार)	2100	चेरापूंजी	(असम)	4455
गुलमर्ग	(कश्मीर)	8700			

भीमताल—नैनीताल से 14 मील ऊपर भीमताल है। यहां की सुन्दर झील मछली का शिकार करने का सुन्दर अवसर देती है।

कूनूर—मद्रास राज्य में यह नीलगिरि पहाड़ों में समुद्र-सतह से 6000 फुट ऊंचा है। समीपस्थ रेलवे स्टेशन कूनूर है। ऊटकमण्ड से भी यहां रेल से पहुंचा जा सकता है।

चकरौता—(6900 फुट) मसूरी से यह पर्वती मार्ग से शिमला जानेवाली सड़क पर 21 मील दूर है। यह वनों से घिरा हुआ है। अखरोट के वृक्ष यहां बहुत हैं।

नैनीताल—कुमाऊं पर्वतों में यह एक स्वास्थ्यप्रद एवं रमणीक स्थान है। यह सुन्दर झील के किनारे बसा हुआ है, जो 120·5 एकड़

में फैली हुई है। यह स्थान समुद्र-तल से 6350 फुट ऊंचा है। रेल से जानेवाले काठगोदाम होकर जाते हैं।

मसूरी—हिमालय की दक्षिणी ढाल पर यह एक स्वास्थ्यप्रद स्थान है। देहरादून से 14 मील दूर है। यहां से दून घाटी का सुन्दर दृश्य दिखाई देता है। दिल्ली से यह 168 मील दूर है। देहरादून से वहां जाने के लिए अच्छी मोटर की सड़क है। 6000 फुट ऊंचा है। निकटस्थ रेलवे स्टेशन देहरादून है।

चेरापूंजी—शिलांग से दक्षिण में 30 मील दूर है। यहां जितनी वर्षा पड़ती है, उतनी दुनिया के किसी और स्थान पर नहीं पड़ती। यहां साल में औसतन 426 इंच वर्षा होती है। यहां जाने का समीपस्थ रेलवे स्टेशन पांडू है। यह 4455 फुट ऊंचा है।

लैंसडाउन—यह गढ़वाल में है। मसूरी और नैनीताल से समान दूरी पर स्थित है। हिम-मण्डित पर्वतशिखर यहां से नयनाभिराम दिखाई देते हैं। कोटद्वार से यह 26 मील दूर है। नजीबाबाद की राह कोटद्वार होते हुए यात्री यहां पहुंचता है और 6600 फुट ऊंचाई की हवा खाता है।

मुक्तेश्वर—कुमाऊं पर्वतों में एक सुन्दर स्थान है। आसपास की घाटियों और क्रमशः ऊंचे होते जाते पर्वतशिखरों का यहां से सुन्दर दृश्य दिखाई देता है। भारत सरकार का यहां पशु-अनुसंधान संस्थान है।

आबू पर्वत—आबू रोड रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचने के वास्ते अच्छी मोटर की सड़क है। यहां की आबहवा बहुत अच्छी है। यहां का सूर्यास्त दर्शनीय होता है। झील में नौका-विहार होता है। दिलवारा मन्दिर जैनियों के लिए पवित्र तीर्थ के समान है। यह मंदिर कला का एक ही नमूना है। इस मंदिर की प्रत्येक दीवार, भित्ति, स्तम्भ व छत पर सुन्दर मूर्तियां व दृश्य अंकित हैं। कला की दृष्टि से यह ताज से अधिक सुन्दर है। जैन-शिल्प की यह एक सर्वोत्कृष्ट कृति है।

पिंडारीगल—यह विश्वभर में प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से यहां पहुंचने में 5 दिन लगते हैं। यह हिमालय के मध्य है। पिंडारीगल स्विट्ज़रलैंड के जंगफ्राऊ की अपेक्षा अधिक सुन्दर और भव्य है।

गुलमर्ग—श्रीनगर से यह 30 मील दूर है। कश्मीर में यह एक सुन्दरतम स्थान है। शीतकाल के खेलों के लिए यह प्रसिद्ध है। यह 8700 फुट ऊंचाई पर है।

डलहौज़ी—यह पठानकोट रेलवे स्टेशन से 52 मील दूर 7867 फुट ऊंचा है। यह यात्रियों को अत्यन्त प्रिय व दर्शनीय है।

दार्जिलिंग—समुद्र-तल से यह 7168 फुट ऊंचा है। यहां से माउण्ट एवरेस्ट (29002 फुट) कांचनजंघा (28104 फुट) के दर्शन होते हैं। यहां का सूर्योदय अत्यन्त रमणीक होता है। यह चाय बागों के ज़िलों के मध्य है। कलकत्ता से यह 369 मील दूर है।

देहरादून—सर्वे ऑफ इण्डिया का यहां सदर मुकाम है। वन अनुसंधानशाला, मिलिटरी अकादमी, नेचुरल आयल एण्ड गैस कमीशन के मुख्य दफ्तर यहीं हैं।

धर्मशाला—यह कांगड़ा ज़िले की मुख्य जगह है। इसके चारों ओर का दृश्य बड़ा नयनाभिराम है। पठानकोट से धर्मशाला तक 56 मील सुन्दर मोटर की सड़क है।

कोटगिरि—यह ऊटी से 18 मील दूर 6500 फुट ऊंचाई पर स्थित है।

कैलिम्पोंग—दार्जिलिंग के पास यह एक स्वास्थ्यप्रद पर्वती स्थान है। सिलीगुरी जंक्शन से 41 मील दूर है। यह 4100 फुट ऊंचाई पर बसा हुआ है।

कोडाईकनाल—यह 7000 फुट ऊंचे पर बसा पर्वतीय स्वास्थ्य निकेतन मदुराई ज़िले के पुलनेई पर्वतमाला के मध्य है। कोडाईकनाल रोड इसके पास का निकटस्थ रेलवे स्टेशन है।

कसौली—शिमला ज़िले में कालका घाट और पंजाब के मैदान के ऊपर यह एक पर्वतीय स्थान है। कालका से रेल द्वारा यह 23 मील दूर है।

महाबलेश्वर—पूना से 75 मील दूर महाराष्ट्र का यह पर्वतीय स्थान 4500 फुट ऊंचाई पर है। गर्मियों में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री यहां आकर रहते हैं।

कुल्लू व कांगड़ा घाटी—हिमालय की धौला धार पर्वतमाला के

चरणों में कांगड़ा जोगेन्द्रनगर, चम्वा, धर्मशाला, डलहौजी और कुल्लू कुछ रमणीक और स्वास्थ्यप्रद एवं मनोरंजन के स्थान हैं। कुल्लू और कांगड़ा घाटी फलों व चाय के वागों के लिए प्रसिद्ध हैं। घाटी 4700 फुट ऊंचाई पर है। पठानकोट से जाने का मुख्य मार्ग है। पठानकोट से कुल्लू 175 मील मोटर से है। प्रत्येक गांव का अपना-अपना एक देवता है। अतः यह घाटी 'देव घाटी' कहलाती है।

पहलगाम—लिडर घाटी में यह कश्मीर का एक अत्यन्त प्रसिद्ध सुन्दर स्थान है। श्रीनगर से यह 60 मील दूर है और 7200 फुट ऊंचाई पर स्थित है।

शिलांग—असम की राजधानी खासी और जयन्तिया पहाड़ियों के बीच 4980 फुट ऊंचे पर वसा हुआ है। यहां से रेलवे स्टेशन पांडू 68 मील दूर है।

सोनमर्ग—श्रीनगर से यह 51 मील दूर है।

शिमला—यह दक्षिण हिमालय के एक किनारे 7225 फुट ऊंचाई पर स्थिति है। यहां तक कालका से रेल जाती है। यहां औसतन वर्षा 70 इंच पड़ती है।

विश्व के सर्वाधिक तापमान और सर्दी के स्थान

उत्तरी साइबेरिया में वर होयांस्क में निम्नतम तापमान रहता है। यहां तापमान शून्य से 90 अंश फारेनहाइट नीचे तक आ चुका है। दक्षिण ट्यूनिस अजीसिया गांव में शून्य से ऊपर 137·4 अंश तक तापमान पहुंचा है।

भारत के कुछ दर्शनीय स्थान

आगरा—यह ताजमहल के कारण जगत्-भर में विख्यात और पर्यटकों का एक आकर्षण-केन्द्र है। मुगल साम्राज्य के वैभव और गौरव का यह साक्षी है। यहां मुगल साम्राज्य की स्मृति दिलानेवाली सब वस्तुएं हैं : जैसे दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, जस्मिने मीनार, दीवान-ए-आम, सिकन्दरा में अकवर का और इतमुद-उद्-दौला का मकवरा।

अमरनाथ—अगस्त में भक्त हिन्दू बड़ी संख्या में इसकी यात्रा प्रतिवर्ष करते हैं। यह यद्यपि 13000 फुट ऊंचाई पर है। श्रीनगर से पहलगाम (7200 फुट) तक मोटर की सड़क है। यह गुफा 50 फुट ऊंची और 50 फुट गहरी है। यह दो बड़े पर्वतों, कैलास और भैंड़ा पर्वतों, के मध्य है। यहां वर्फ जमकर लिंग-शक्ल की हो गई है, अतः यह शिव का धाम माना जाता है। शिव-पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की यहां वर्फ की स्वतः वनी प्रतिमाएं हैं। इस कारण यह अत्यन्त पवित्र स्थान है और निसर्ग की इस विभूति को देखकर मन गद्गद हो जाता है।

औरंगाबाद—मध्य रेलवे के स्टेशन मनमाड से यह 70 मील दूर है। यहां ही विश्वविख्यात एलोरा का विशाल मन्दिर है और अजन्ता की गुफा है। दौलतावाद का ऐतिहासिक किला भी यहीं है। मुगल सम्राट् औरंगज़ेब और सम्राज्ञी का रोजा और वीवी का मकवरा भी यहीं हैं।

अमृतसर—भारत-पाकिस्तान की सीमा-चौकी वागाह से यह केवल 16 मील दूर है। यह सिखों के प्रसिद्ध पवित्र स्थान स्वर्ण मन्दिर व तालाव एवं हिन्दुओं के दुर्ग्याना मन्दिर के कारण प्रसिद्ध है। स्वर्ण मन्दिर के साथ का तालाव सिखों की दृष्टि में अमृतजल से पूर्ण है। यह तालाब 20 फुट लम्बे संगमरमर से निर्मित आयत से घिरा हुआ है। तालाब के मध्य मन्दिर है। एक वर्गाकार इमारत है। अन्दर की दीवारें व फर्श संगमरमर का बना है, छत गुम्बद की शक्ल की है। इसके नीचे पवित्र ग्रन्थ साहव रखा हुआ है। इसके ऊपर का चंदोवा रेशम का है। स्वर्ण मन्दिर से लगभग दो फर्लांग दूर जलयांवाला वाग है।

अजमेर—यह एक प्राचीन शहर है। यहां अन्ना सागर झील है और यह चारों ओर की दृश्यावली के लिए प्रसिद्ध है। यह दरगाह ख्वाजा साहव के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं प्रसिद्ध मुस्लिम सन्त मुइन-उद्दीन चिश्ती का मकबरा भी है। यहां एक बड़ा ढोल है और चित्तौड़ से अकबर द्वारा लाए गए दीपदान रखे हुए हैं। यहां अकबर और शाहजहां द्वारा वनवाई दो मस्जिदें भी हैं। यहां से सात मील दूर

पुष्कर है। यह भारत में एक पवित्र झील है।

बीजापुर—आदिलशाही राजवंश का यह एक प्राचीन नगर है। यहां गोल गुम्बद दर्शनीय है। धीरे से धीरे बोला गया शब्द भी इमारत-भर में गूंज उठता है।

बुद्धगया—गया से सात मील दूर यह स्थान है, जहां बोधि-वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष के समीप अशोक ने एक मन्दिर बनवाया था। यह मन्दिर 180 फुट ऊंचा एक मीनार सदृश है।

भुवनेश्वर—उड़ीसा की नई राजधानी है। यहां लिंगराज का मन्दिर, मुक्तेश्वर मन्दिर तथा परशुरामेश्वर मन्दिर हैं। यहां भगवती पार्वती, अनन्त वासुदेव आदि के मंदिर हैं। समीप का पहाड़ उदयगिरि और खांडा गिरि के नाम से प्रसिद्ध हैं। भुवनेश्वर से कुछ मील दूर गुफाएं हैं, जहां कभी जैन भिक्षु व मुनि निवास करते थे। इन गुफाओं के भीतर उत्कीर्ण कलाकृति ईसा से 200 साल पहले की है।

वाराणसी—तीनों लोकों से न्यारी यह नगरी मानी जाती है। यह शिवजी का धाम है। अतः यह विश्वनाथपुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां मन्दिर बड़ी संख्या में हैं। सारनाथ और मृगदाव निकट हैं, जहां बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने सहयोगियों को अपने धर्म का उपदेश दिया था।

चिदम्बरम—मद्रास से 151 मील दूर दक्षिण रेलवे पर है। यहां विश्वविख्यात नटराज शिव का मन्दिर है। यहां शिव की प्रतिमा ताण्डव-नृत्य करते हुए बनाई गई है। मन्दिर की अन्दर की दीवार में चार गोपुर हैं। इनमें से दो में नाट्यशाला में वर्णित 108 मुद्राओं का चित्रांकन किया गया है।

चित्तौड़गढ़—यह विजय-स्तम्भ के लिए प्रसिद्ध है। यह सिसोदिया राजपूतों की प्राचीन राजधानी रहा है। राणा कुम्भा ने मुगल आक्रान्ताओं को अनेक बार हराने की स्मृति में यहां विजय-स्तम्भ बनवाया था। रतलाम से अजमेर जानेवाली रेल पर यह स्थित है।

दिल्ली—1911 से भारत की राजधानी है। यह सात साम्राज्यों की राजधानी रही है। यहां शाहजहां द्वारा बनवाया हुआ लालकिला

है, जिसके अन्दर दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, दो दर्शन देने के हाल, रंगमहल, हमाम, मोती मस्जिद देखने योग्य हैं। जामा मस्जिद, इन्द्रप्रस्थ, तुगलकाबाद, हुमायूं का मकबरा, पाण्डवों का किला, कुतुबमीनार, आदि यहां अन्य दर्शनीय स्थान हैं।

फतहपुर सीकरी—अकबर ने इसको उस जगह बसाया था, जहां सलीम चिश्ती ने पुत्र-जन्म की भविष्यवाणी की थी। यह आगरा से 24 मील दूर है। अकबर की मृत्यु के बाद यह शहर बसाने के 50 वर्षों के अन्दर उजड़ गया, पानी की यहां अत्यन्त कमी थी। यहां के दर्शनीय स्थानों में शेखसलीम चिश्ती का मकबरा, अकबर की पत्नियों, मीरियम, जोधाबाई, के रनिवास, मस्जिद के विशाल स्तम्भ भी दर्शनीय हैं। पंच महाल पांच मंज़िली इमारत है। दीवान-ए-खास के हिरन, मीनार, बुलन्द दरवाज़ा, बलुआई पत्थर के मकान दर्शनीय हैं। पचीसी कोर्ट है, जहां अकबर दरबार की दास लड़कियों के साथ शतरंज खेलता था। मुगल शिल्प का यह पहला नमूना है।

हैम्पी—(विजयनगर) तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर 10 मील के भीतर इस प्राचीन शहर के ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं। यह गुंतकुल-हुबली रेलवे शाखा के होस्पोट स्टेशन के समीप है। यह दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य के उत्थान व पतन की साथी है। यहां विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन और सुन्दरतम राजधानी के अवशेष बिखरे पड़े हैं। यह वस्तुतः द्रविड़ शैली के शिल्प का एक चारों ओर से खुला विशाल संग्रहालय है, जहां हिन्दू सभ्यता के प्राचीन रूप के दर्शन किए जा सकते हैं।

हरिद्वार—गंगा जब पहाड़ों से निकल मैदान में आती है, तो सबसे पहले यहां ही आती है। हर की पौड़ी पवित्र स्थल है, पूजा-स्थान है। घाट की ऊपर की दीवार पर विष्णु भगवान के पदचिह्न यहां अंकित हैं। थोड़ी ही दूर भीम गोड़ा है जहां लोग दर्शन करने जाते हैं। पास ही पहाड़ों पर एक ओर मंशादेवी और दूसरी ओर चण्डीदेवी के मन्दिर स्थित हैं।

हैदराबाद—चार मीनार, सालार जंग म्युज़ियम और विशाल सागरों के लिए आंध्रप्रदेश की राजधानी प्रसिद्ध है।

जयपुर—सवाई जयसिंह ने 1728 में इस शहर को बसाया। यह हिन्दू वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। गुलाबी रंग के पत्थरों से यह शहर बनाया गया है। इसके मार्ग और वृक्षराजि के साथ बने रास्ते सदा समकोण पर काटते हैं। इससे शहर चार खण्डों में विभक्त हो गया है। यहां 1718 की बनाई एक वेधशाला भी है। हवामहल, रानिवास बाग, अलबर्ट हाल और म्युज़ियम दर्शनीय स्थान हैं। जयपुर से 7 मील दूर अम्बर है। यहां पुराने राज-महल हैं। राजपूत शिल्प यहां देखा जा सकता है।

जबलपुर—बम्बई से 616 मील दूर समुद्र-सतह से 1362 फुट की ऊंचाई पर यह शहर बसा हुआ है। जबलपुर से 13 मील दूर संगमरमर की चट्टानें हैं। ये 100 फुट ऊंची चूने के पत्थर की चट्टानें देखने में भव्य हैं। चांदनी रात में ही इसका सौंदर्य दर्शनीय होता है।

कन्याकुमारी—कुमारी अन्तरीप पर कन्याकुमारी का मन्दिर है। यहां भारतभूमि के अन्त में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिन्द महासागर मिलते हैं। यह भारत के अत्यन्त दर्शनीय स्थानों में से एक है।

पटना—बिहार की राजधानी और भारत का एक अत्यन्त प्राचीन नगर है। यह नगर निरन्तर एक हज़ार साल तक भारत की राजधानी रहा है। यह गंगा के तट के साथ-साथ 12 मील में बसा हुआ है। यहां के दर्शनीय स्थानों के अन्दर मधुमक्खी के छत्ते के आकार का बना गोल घर है। यह 20 फुट ऊंचा है। इसका धरातल 420 फुट है। वारेन हैस्टिंग्ज़ ने अकाल से लोगों को बचाने के वास्ते यहां अनाज जमा करके रखा था। अरबी और फारसी की अनमोल पाण्डुलिपियों के कारण खुदाबख्श लाइब्रेरी दुनिया-भर में प्रसिद्ध है। चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र पटना के नीचे दबी पड़ी है।

मदुराई : पाण्डव राजाओं की यह राजधानी 17वीं शती में नायक राजाओं के शासन में विख्यात हुई। मीनाक्षी का मन्दिर दक्षिण के मन्दिरों में अत्यन्त प्रसिद्ध और दर्शनीय है। यह द्रविड़ शिल्प का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। यह शिव और पार्वती को अर्पित है। मन्दिर समानान्तर चतुष्कोण आकार में 850 × 750 फुट

में बना हुआ है। यह चारों ओर से गोपुरम से घिरा हुआ है। इसका एक गोपुरम 160 फुट ऊंचा है। सहस्र स्तम्भों के हाल में सुन्दर चित्रकारी है। अन्य इमारतें तिरुमल नायक के राजमहल से सम्बद्ध हैं। यह ऐतिहासिक शिल्प का एक पूर्ण नमूना है।

श्रीनगर—कश्मीर की ऊंचाई 5000 से 6000 फुट के बीच है। श्रीनगर इसकी राजधानी 11 वर्गमील में है। श्रीनगर जाने का मोटर-मार्ग पठानकोट से है। जेहलम नदी के किनारे-किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। नदी पर सात पुल आर-पार जाने के वास्ते बने हुए हैं। मुगल सम्राटों के बनाए सुन्दर बाग इसमें बहुत हैं। जैसे: शालीमार बाग, निशात बाग, नसीम बाग और चश्मे शाही। कश्मीर के दर्शनीय स्थानों में पहलगाम, डल झील, अमरनाथ हैं। पहलगाम श्रीनगर से 60 मील दूर है और अमरनाथ 97 मील दूर है।

लखनऊ—उत्तरप्रदेश की यह राजधानी है। इस शहर की शान-शौकत आसफुद्दौला के समय से है। यह बागों का शहर करके प्रसिद्ध है। इमामबाड़ा दर्शनीय इमारत है। इसका एक हाल 162 फुट लम्बा 54 फुट चौड़ा है। हुसेनाबाद इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, छतर मंज़िल और विंग फील्ड पार्क इसके गौरव को बढ़ाते हैं।

नालन्दा—नालन्दा विश्वविद्यालय यहां गुप्त सम्राटों ने स्थापित किया था। यह उस समय के ज्ञात संसार में सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय था। चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने यहां सात साल रहकर 7वीं सदी में अध्ययन किया था। यहां 10000 विद्वान अध्ययन करते थे। उनके निवास और भोजन की व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से थी। यह विश्वविद्यालय 700 वर्ष बना रहा। 13वीं सदी में आक्रान्ताओं ने इसको जलाकर नष्ट कर दिया।

महाबलीपुरम—यह सात पगोडाओं के नाम से भी विख्यात है। यह मद्रास से 53 मील दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर है। महा-बलीपुरम में बनी मूर्तियां ठोस चट्टान को काटकर, तराशकर बनाई गई हैं, जैसे (1) पांच रथ, (2) महषासुर मण्डप, (3) कृष्ण मण्डपम्, (4) अर्जुन-तपस्या। शिला काटकर बनाई गई भारत-भर की मूर्तियों में ये सर्वोत्तम हैं।

पुष्कर—यह झील के कारण प्रसिद्ध है। यहां अक्तूबर-नवम्बर में बड़ा भारी मेला हर साल लगता है। झील भारत के पवित्र तीर्थों में एक है। इसीके पास ब्रह्मा का मन्दिर है। झील उस जगह है, जहां भगवान ने अवतार लिया था।

रामेश्वरम्—भारत के ठेठ दक्षिणी सिरे पर, भारत प्रायद्वीप की अन्तिम सीमा पाल्क स्ट्रेट पर यह बसा है। विश्वास किया जाता है कि यहां स्वयं भगवान राम ने शिव की पूजा की थी, जिससे लंका के युद्ध में रावण-वध के कारण हुए पाप नष्ट हो जाएं। मदुराई से रामेश्वरम् केवल दो मील है। रामेश्वरम् का मन्दिर 15वीं शती का बना हुआ है। इस मन्दिर का गलियारा दर्शनीय है। यह 4000 फुट से भी अधिक लम्बा है।

सारनाथ—वाराणसी शहर से 5 मील दूर सारनाथ है। सारनाथ के 'मृगदाव' में ही भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम 'धर्मचक्र' प्रवर्तन किया था और अपने प्रथम पांच शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। यहां बने बिहार 1500 वर्ष पुराने हैं। इसको देखने के लिए दुनिया-भर के लोग (बौद्ध तीर्थ यात्री) आते हैं। यहां ही प्रसिद्ध अशोक का स्तूप है। इसके शिरोभाग पर बना सिंह ही गणराज्य भारत का राज-चिह्न है।

उदयपुर—महाराणा प्रतापसिंह के पिता उदयसिंह ने चित्तौड़ छोड़ने के बाद यह शहर वसाया था। यह भारत के अत्यन्त रमणीक नगरों में से एक है। शहर चारों ओर से प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें पांच प्रवेश-द्वार हैं। हरी-भरी पहाड़ियों और घाटी के बीच यह बसाया गया है। झील के किनारे शहर वसा है। पानी के किनारे से श्वेत संगमरमर के बने महल ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य-प्रकाश फैलने और चांदनी रात में इनकी शोभा देखते ही बनती है।

तिरुचिरापल्ली—यह कुछ दिन पहले तक त्रिचिनापल्ली के नाम से ज्ञात था। मद्रास से यह 213 मील दूर है। यहां शिलाखण्ड पर बना मन्दिर, तेप्पा कुलम विशाल जलाशय हैं। इसके मध्य एक 'मण्डपम' बना हुआ है।

तंजोर—यह चोल नरेशों की राजधानी था। यह स्थान श्रीवृहदेश्वर मन्दिर के कारण विख्यात है। इसकी विशालता और महानता में ही इसका अद्भुत शिल्प और कला छिपी है।

हिन्दू व बौद्ध शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्त्व के स्थान

अजन्ता की गुफाएं—अजन्ता की गुफाओं की भित्तियों पर बुद्ध भगवान की कथा चित्रित है। हैदराबाद के पास यह एक गांव है। जलगांव स्टेशन से यहां जाने का रास्ता है। स्टेशन से यह 37 मील दूर है। अजन्ता की गुफाओं में 24 विहारों और 5 मन्दिरों का समावेश होता है। इनमें से कुछ तो 2000 वर्ष पुराने हैं। सीधी चट्टान पर ये उत्कीर्ण किए गए हैं। जिस चट्टान को काटकर ये बनाए गए हैं, वह 259 फुट ऊंची है। इसको खोदकर गुफा बनाई गई है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ एक-तिहाई मील लम्बी है। घोड़े के खुर के आकार की घाटी में ये गुफाएं बनी हुई हैं। ये भित्ति-चित्र अब विश्व की कला के उत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। यहां उत्कीर्ण चित्र बुद्ध की जीवनी को चित्रित करने के लिए ही नहीं, प्रत्युत इनको सजाने के उद्देश्य से भी बनाए गए हैं। इनमें कुछ वर्णनात्मक हैं और कुछ चित्रलेखन-वर्णन हैं।

अम्बर महल—परित्यक्त पुरानी राजधानी। यह महल राजपूत शिल्प का एक नमूना माना जाता है।

भारहुत या बारहुत—मध्यभारत में है। पत्थरों की रेलिंग पर यहां चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। बारहुत स्तूप ईसा से दो सौ साल पहले का बना है। यहां बुद्ध के पूर्व जीवनों और ज्ञात जीवन की कथा वर्णित है।

कार्ली की बौद्ध गुफाएं—चट्टान को काटकर बनाए गए मन्दिरों में से यह एक अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है। यह सबसे बड़ा और एक-रूप व समरस है। यह ईसा से सौ साल पहले का बना हुआ है। अन्दर से यह 124 फुट लम्बा व 45 फुट चौड़ा है।

बुद्ध गया मन्दिर—सम्राट अशोक का बनाया हुआ यह मन्दिर

है। बोधि-वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था, उस क्षण की स्मृति में यह बनाया गया है। बुद्ध गया मन्दिर की बुर्ज 180 फुट ऊंची है।

कोणार्क मन्दिर—समुद्र-तट के समीप पुरी के उत्तर में 700 वर्ष पुराना कोणार्क का मन्दिर है। दन्तकथा है कि एक बार भुवन-भास्कर स्वर्ण-रथ पर समुद्र से निकलते हुए दिखाई दिए थे। उसकी छाया जहां पड़ी वहां भक्तों ने उसके रथ की शक्ल का मन्दिर बनाना प्रारम्भ किया। 24 पहियों और 7 घोड़ों-समेत रथ के आकार का मन्दिर बनाया गया। इसका कुछ भाग नष्ट हो गया है। किन्तु पत्थर की कला व शिल्प की दृष्टि से भारत में इसकी तुलना का दूसरा नहीं। पुरी से भुवनेश्वर जानेवाली सड़क से एक सड़क निकलकर यहां तक गई है। यह दूरी 29 मील है।

बेलूर मन्दिर—यह चेन्ता केशव मन्दिर के नाम से विख्यात है। मैसूर राज्य का यह मन्दिर होयसल नरेशों के कला-प्रेम और सौन्दर्य-अनुरक्ति का एक सुन्दर प्रमाण है। होयसल नरेश विष्णुवर्धन ने इसको 1114 में बनवाया था। इस मन्दिर के विषय में फर्गुसन का कहना है कि बारीकी, सूक्ष्मता एवं तफसील में यह बेजोड़ है। यहां कल्पना की उड़ान दिखाई देती है।

चित्तौड़गढ़—मेवाड़ के गोहेलवाड़ा और सिसोदिया नरेशों की बहादुरी और शौर्य का यह प्रतीक है। यह 8वीं सदी से 16वीं शती तक मेवाड़ की राजधानी रहा। यह दुर्ग मन्दिरों, विशाल राज-प्रासादों और मीनारों की एक विशाल दृश्यावली है। इनमें विजय-स्तम्भ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह राणा कुम्भा ने मालवा के सुलतान मोहम्मद खिलजी को पराजित करने की स्मृति में 1440 में बनवाया था।

दिलवारा मन्दिर—आबू पर्वत पर यह विस्मयजनक जैन मंदिर है। ये संख्या में पांच हैं और 11वीं, 12वीं और 13वीं शती में संगमरमर से बनाए गए हैं। स्तम्भों और दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए चित्रों की प्रचुरता है। विमलशाह ने 1032 में मन्दिर बनवाया था। उसके दो भाइयों वस्तुपाल और तेजपाल ने 1197 व 1247 के

मध्य मन्दिर बनवाए।

एलीफेंटा की गुफाएं—बम्बई बन्दरगाह के अपोलो बन्दर से 6½ मील दूर एलीफेंटा की गुफाएं हैं। यहां सात गुफाएं हैं। परन्तु मुख्य गुफा पर संख्या 2 अंकित है। इसमें शिव का मन्दिर है जो कला व शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त आकर्षक है। गुफाओं की मूर्तियों में त्रिमूर्ति की प्रतिमा बहुत भव्य है।

एलोरा की गुफाएं—औरंगाबाद से ये 14 मील दूर हैं। ये संख्या में 34 हैं। ये सम्भवतः सबसे बड़ी और अत्यधिक विभिन्न प्रकार की हैं। ये गुफाएं तीन प्रकार की हैं: हिन्दू, बौद्ध और जैन। ये तीनों प्राचीन धर्मों की विशेषता लिए हुए हैं और उनकी कला-विषयक कल्पना के ये उत्तम नमूने हैं। चट्टान को काटकर बनाए मन्दिरों में सबसे बड़ा और विस्मयजनक कैलास का मन्दिर है। स्वर्ग भी ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसके स्तम्भ विशाल और भारी हैं। चट्टान में 270 फुट लम्बा और 170 फुट चौड़ा एक बड़ा पहाड़ खोदा गया है। इस चौकोर गड्हे में मन्दिर है। इसका विमान 80-90 फुट ऊंचा है। इसके आगे का बरामदा और यह एक पुल व गोपुर द्वारा मन्दिर से मिला हुआ है। इसके सिवाय दो दीपदान और चारों ओर छोटी-छोटी कोठरियां हैं। चारों ओर की सात कोठरियों में से प्रत्येक में हिन्दू देवता स्थापित हैं।

ग्वालियर का किला—मध्य युग के दुर्गों में से यह एक अन्यतम किला है। इस किले पर चढ़ना भी कहानियों में वर्णित किसी राज-महल में जाना है। किले में अनेक दर्शनीय महलों में मानसिंह का बनवाया हुआ महल बहुत शानदार और सुन्दर है।

स्वर्ण-मन्दिर—अमृतसर में तालाब के मध्य 65 वर्गफुट विस्तृत चबूतरे के ऊपर यह बना हुआ है। इसके चारों ओर बरामदे हैं।

गोमतेश्वर—मैसूर राज्य में श्रवण बेल गोला के समीप जैन सन्त गोमतेश्वर की विशाल अनुपम प्रतिमा है। प्रतिमा 57 फुट ऊंची है और पर्वतशिखर पर एक पत्थर को काटकर बनाई गई है। यह सम्भवतः 2000 वर्ष पुरानी है।

खजुराहो मन्दिर—बुन्देलखण्ड में खजुराहो में तीस मन्दिरों का

एक समूह है। ये शिव, विष्णु और जैन मन्दिर हैं। ये 950 से 1050 ई० के मध्य के बने हुए हैं। ये अनुपम हैं। प्रचुर अलंकरणों से ये सुशोभित हैं। इस समूह में महादेव का मन्दिर सबसे बड़ा है। तफसील और बारीकियों और सूक्ष्मताओं के कारण भारी पेचीदगी होने पर भी सन्तुलित सौंदर्य की सृष्टि की गई है।

लौह-स्तम्भ—कुतुबमीनार से कुछ गज़ दूर प्रसिद्ध लौह-स्तम्भ है। पुरकरण वंशीचन्द्र वर्मा ने यह बनवाया है। परन्तु दन्तकथा है कि यह राजा ढिल्लू ने खड़ा किया था। यह 28 फुट 8 इंच ऊंचा है। यह 99·97 प्रतिशत विशुद्ध इस्पात है। इसी कारण इसको अब तक जंग नहीं लगा। यह स्तम्भ 1500 वर्ष पुराना है। धूप-वर्षा सहकर भी टिका है।

महाबलीपुरम्—सात पगोडा, मद्रास के दक्षिण तट पर स्थित है। चट्टानों को काटकर मन्दिर बनाया गया है। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है 'गंगावतरण'। यह 90 फुट लम्बे और 43 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह सातवीं सदी का है। दूसरी महत्त्वपूर्ण मूर्ति है, भगवान विष्णु अनन्त शेषनाग का ढासना लगाए हुए हैं। अर्जुन की तपस्या का विश्व-भर में सबसे बड़ा बेस-रिलीफ (कम उभरी खुदाई का) है।

सांची का स्तूप—भोपाल से 25 मील दूर सम्राट अशोक का बनवाया हुआ यह स्तूप है। पर्वत पर बना यह स्तूप प्राचीनतम है। आधार के समीप इसका व्यास 100 फुट है। यह अर्धमण्डलाकार रूप में बना हुआ है। इसके बनाने में लाल रंग के पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसके चारों ओर दृढ़ पत्थर की वेष्टिनी (रेलिंग) बनी हुई हैं। यह व्यास में 120 फुट और ऊंचाई में 56 फुट हैं। इस स्तूप के द्वार महत्त्वपूर्ण हैं। तीसरे के सिरे पर जातक की कहानियां अंकित हैं। 28 फुट ऊंचाई पर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। स्तूप के निकट ही भगवान बुद्ध के दो शिष्यों—सारीपुत्त और मौद्गल्यायन के भस्मावशेष एक नये बने अन्य मन्दिर में सुरक्षित हैं।

सिरगुआ भित्ति-चित्र—भारत में अब तक प्राप्त चित्रों में ये सर्वाधिक प्राचीन हैं। मध्यप्रदेश के अन्दर सिरगुआ की गुफाओं की

दीवार पर बौद्ध चित्रावली चित्रित है और 1000 ई॰ पू॰ की है।
यह 122 फुट ऊंची है और इसमें 9 कहानियां चित्रित हैं।

भुवनेश्वर का मन्दिर—पुरी के समीप सर्वाधिक प्रसिद्ध मन्दिर है राजरानी और लिंगराज मन्दिर। राजरानी मन्दिर 10वीं शती का है। इसके विशाल बुर्ज-मीनार पर प्रतिमा बनी हुई है और क्रमशः पीछे हटती पत्थरों की सतह से यह घिरा हुआ है। इसका अन्त वृत्ताकार मुकुट और शिखर से होता है। लिंगराज मन्दिर उत्तरीय भारतीय शिल्प का एक परिपूर्ण उदाहरण है।

सारनाथ—वाराणसी में एक बौद्ध-स्तूप है। यह एक विशाल 104 फुट ऊंचा और 93 फुट व्यास का स्तूप है। यह उस समय की स्मृति में बनाया गया है, जब भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने पांच शिष्यों को निर्वाण का मार्ग बताया था।

श्रीरंगम का मन्दिर—तिरुचिरापल्ली से दो मील उत्तर में कावेरी नदी के दो भागों में विभक्त होने से बना द्वीप ही श्रीरंगम हैं। यह विष्णु भगवान के मन्दिर के वास्ते प्रसिद्ध है। इसमें एक हज़ार स्तम्भों के सहारे बना एक विशाल हाल है।

रामेश्वरम् मन्दिर—द्रविड़ शैली का परिपूर्ण नमूना है रामेश्वरम् का मन्दिर। पवित्र रामेश्वरम् शहर पाक जलसंधि पर बसा हुआ है। यह महान मन्दिर 650 फुट चौड़े और 1000 फुट लम्बे घेरे में बना हुआ है। इसकी शान और इसका सौन्दर्य 4000 फुट से भी बड़े दालान बढ़ा रहे हैं।

मुस्लिम इमारतें

अजमेर—मुस्लिम फकीर मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के वास्ते यह प्रसिद्ध हैं।

फतेहपुर सीकरी—आगरा से 23 मील दूर सम्राट अकबर ने यह महलों का शहर 1569-1584 के बीच बनवाया था। कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 176 फुट ऊंचा बना बुलंद दरवाज़ा है, जो खानदेश की विजय के बाद बनवाया गया था। पानी की दुर्लभता के कारण यद्यपि शहर का त्याग कर दिया गया, पर जो कुछ बचा है,

वह इस बात का प्रमाण है कि अकबर के राज्य-काल में हिन्दू-मुस्लिम शिल्प ने किस सीमा तक परिपूर्णता प्राप्त की थी। यह अकबर के हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के सम्मिश्रण के लिए किए गए प्रयत्नों की पूर्ण साक्षी है। फतहपुर सीकरी का इसमें ही महत्त्व है।

कुतुबमीनार—(238 फुट) यह विवादास्पद है कि इसे हिन्दू नरेश ने बनवाया है या गुलाम शासकों ने बनवाया है। यह भारतीय इंजीनियरिंग और शिल्प का एक अनुपम उदाहरण है। इसकी पत्थर की मीनार भारत-भर में सबसे ऊंची है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसको बनाकर पूरा किया। 1229 में अल्तमश ने इसको और बढ़ाया। इसकी नींव के पत्थरों पर नागरी लिपि में कुछ अंकित है। इससे कहा जाता है, इसका निर्माण पृथ्वीराज ने किया था। परन्तु यह इस्लामी शैली की पहली इमारत भी है। यह लाल रंग के पत्थर और संगमरमर से बनाई गई है। यह पांच मंज़िली है। प्रत्येक मंज़िल के बाद एक छज्जा है जो मंज़िलों को जोड़ता है।

आगरा का किला—मूलतः अकबर ने इसको बनवाया था। शाहजहां ने इसको बढ़ाया। इसकी दीवारें 70 फुट ऊंची हैं। इसके बुर्ज अष्टभुज हैं। इसके प्राचीर में जगह-जगह गोली चलाने के वास्ते छिद्र बने हुए हैं। इसका विशाल आंगन, इसके द्वार, दरबार हाल और शाही महल सदृश दर्शनीय वस्तुएं इसके भीतर ही हैं।

दिल्ली का लालकिला—लालकिले की दीवारों के भीतर शाहजहां का शाही महल है। यह मुगल वैभव, शानशौकत और ठाट-बाट का साक्षी है। सम्राट शाहजहां ने इसको 1639-1648 के मध्य बनवाया। किला दीवान-ए-खास और मोती मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है।

शेरशाह का मकबरा, ससराम—मुस्लिम शिल्प का यह एक विशाल व महान उदाहरण है। यह मकबरा ससराम में सोन नदी के बायें किनारे बसा हुआ है।

ताजमहल आगरा—जगत्-भर में प्रसिद्ध यह मकबरा शाहजहां ने अपनी बेगम की यादगार में बनवाया था। सुन्दर उद्यानों के बीच इसकी शानदार मीनारें खड़ी हैं। सादगी और सौन्दर्य का यहां अद्भुत

मेल है। यह भारतीय, तुर्की और यूरोपियन कलाकारों के संयुक्त प्रयत्नों का फ़ल है। गुम्वद की ऊंचाई 230 फुट है।

पृथ्वी के निम्नतम स्थान

नाम	समुद्र-सतह से नीचे (फुट)	नाम	समुद्र-सतह से नीचे (फुट)
डेथवली कैलीफोर्निया	296	लीबियन मरुभूमि	440
कैस्पियन सागर रूस	86	लेके ऐरे, दक्षिण आस्ट्रेलिया	39
डेडसी फिलस्तीन	1290	सहारा की मरुभूमि	150

एक अंश कमानी के सबसे बड़े पुल

बेक्रोन्ते पुल (न्यूयार्क)	वीर चेनफ पुल (द० रोडेशिया)
सिडनी हारवर पुल (650 फुट)	1080 फुट

दुनिया के आश्चर्य

प्राचीन संसार के सात आश्चर्य—

(1) पिरामिड (मिस्र), (2) बैबीलोन का समाधि-बाग, (3) बैबीलोन का हैंगिंग गार्डन, (4) ओलम्पिया में बृहस्पति की प्रतिमा, (5) डीआना का मन्दिर, (6) रोड्स की दीर्घकाय प्रतिमा (7) सिकन्दरिया का फेरोआया प्रकाश-स्तम्भ।

मध्ययुग के सात आश्चर्य—

(1) रोम का दीर्घकाय पीसा का बुर्ज, (2) सिकन्दरिया का प्रकाश-स्तंभ, (3) चीन की बड़ी दीवार, (4) इंग्लैंड का स्टोन हेंज, (5) पीसा का झुका बुर्ज, (6) नानकिंग पोरसीलेन बुर्ज, (7) इस्तम्बुल में सेंटसोफिया की मस्जिद।

आधुनिक जगत् के सात आश्चर्य—

(1) बेतार का तार व टेलीफोन, (2) वायुयान, (3) रेडियम का आविष्कार, (4) एनेस्पेटिक्स एण्टी टाक्सिन्स का आविष्कार,

(5) मोटरकार व रेलवे एंजिन, (6) स्पेक्ट्रम का विश्लेषण, (7) एक्स-रे का आविष्कार व परा-बैंगनी किरणों की खोज ।

काल-मान

भारत में काल का सबसे बड़ा मान ब्रह्मायु है । 100 ब्राह्म वर्ष का एक ब्रह्मायु और 360 ब्रह्म अहोरात्र का एक ब्रह्म वर्ष माना जाता है । एक ब्राह्म दिन या एक ब्राह्म रात्रि को कल्प भी कहते हैं । एक कल्प में 14 मन्वन्तर, अर्थात् 1000 महायुग, दैवयुग या चतुर्युग होते हैं । चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलियुग माने जाते हैं । कलियुग का मान 432000 मानव-वर्ष है । कलियुग से द्वापर दुगुना, त्रेता तीन गुणा और सतयुग चार गुणा होता है । इस रीति से एक महायुग 432000 मानव-वर्ष का होता है । और एक ब्रह्मायु में 3110400000000 मानव-वर्ष होते हैं । प्रत्येक कल्प के बाद महाप्रलय होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है । ब्रह्मायु का आधा भाग समाप्त हो गया है । शेष आधे का प्रथम कल्प चल रहा है । इस कल्प का नाम श्वेत वाराह है । इस कल्प के 6 मन्वन्तर स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत और चाक्षुष बीत चुके हैं । सातवां वैवस्वत मन्वन्तर इस समय चल रहा है । इस मन्वन्तर के 27 महायुग बीत गए हैं । 28वें महायुग के तीन समाप्त हो गए हैं । कलियुग के 204 वर्ष बीत चुके हैं । इस हिसाब से भारतीय गणना के अनुसार पृथ्वी को 197294974 वर्ष हुए हैं । आधुनिक वैज्ञानिक भी पृथ्वी की आयु स्थूल गणनानुसार 2 अरब वर्ष मानते हैं । भारतीय शुभकर्म व संस्कारों में सृष्टि-सम्वत् का उल्लेख अवश्य किया जाता है ।

वर्ष—पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जितने समय में करती है, वह काल एक वर्ष होता है । इस परिक्रमा में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 49·7 सेकण्ड लगते हैं । जितना समय बचता है, उसको चार वर्षों तक जोड़ने पर 23 घंटे 15 मिनट 18·8 सेकंड होते हैं । अतः चौथे वर्ष एक निश्चित काल में एक दिन बढ़ाकर 366 दिन का वर्ष बना दिया जाता है । इसके बाद भी जो समय बचा रहता है,

उसको पूरा करने के लिए 100वें वर्ष में 4थे वर्ष में एक दिन नहीं बढ़ाते हैं। फिर भी जो कमी-घटी रहती है उसको 400 वर्षों में ठीक कर लेते हैं। 100वें वर्ष में एक दिन न बढ़ाकर 400वें वर्ष में एक दिन बढ़ा लेते हैं।

चांद्र वर्ष—चन्द्रमा की गति से लोग चान्द्र वर्ष मानते हैं। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जितने समय में पूरी करता है उसको एक मास मानकर 12 मासों का एक वर्ष मानते हैं। चान्द्र वर्ष में 364 दिन 9 घण्टे होते हैं। इस कमी को मलमास बढ़ाकर पूरा करते हैं।

संवत्सर—बृहस्पति मध्यम गति से जितने समय में एक राशि पर चलता है, उसे संवत्सर कहते हैं। एक संवत्सर 361 दिन 1 घड़ी और 36 पल का होता है। यह वर्ष सौरवर्ष की तुलना में 4 दिन 12 घड़ी 55 पल कम रहता है। 60 सम्वत्सरों का एक चक्र होता है।

सन्-सम्वत्—वर्ष की गणना का आरम्भ विभिन्न लोग विभिन्न घटनाओं से करते हैं। कुछ लोग सृष्टि के आरम्भ से वर्ष का हिसाब करते हैं और सृष्टि-सम्वत् का व्यवहार करते हैं। युधिष्ठिर के समय से युधिष्ठिराब्द, बलि संवत्, महावीर के समय से जैनाब्द (वीराब्द) चले। विक्रमादित्य शकारी के समय से विक्रम-सम्वत् चला जो ईस्वी सन् से 57 साल पुराना है। शक शालिवाहन के समय से शक-संवत् चला। भारत सरकार ने शक-संवत् को राष्ट्रीय संवत् माना है, यद्यपि विक्रम-संवत् का प्रचार अधिक है। बंगाल राजा लक्ष्मणसेन का चलाया लक्ष्मण-संवत् प्रचलित है। ईसा को फांसी देने के दिन से ईस्वी सन् का आरम्भ हुआ। ब्रिटिश शासन-काल से इस देश में ईस्वी सन् भी प्रचलित है। मुसलमानों का हिजरी सन् मुहम्मद साहब के मक्का से भागकर मदीना जाने से शुरू हुआ। राजा टोडरमल ने हिजरी सन् को चान्द्र मास से जोड़कर फसली सन् चलाया। बंगाल में उसको सौरमास से जोड़कर बंगाली सन् बनाया गया। कुछ लोगों ने तुलसी-संवत्, चैतन्य-संवत्, दयानन्दाब्द आदि का भी प्रचार किया है। यहूदी संवत् यहूदी लोगों में प्रचलित है। यह

सृष्टि के आरम्भ से चला हुआ माना जाता है। यहूदियों के हिसाब से सृष्टि विक्रम-संवत् से सिर्फ 3817 वर्ष पहले हुई थी।

सभी भारतीय संवतों का सम्बन्ध सौर और चान्द्र दोनों गणनाओं से है। अंग्रेज़ी सन् केवल सौर गणना से और हिजरी संवत् का केवल चन्द्र गणना से है। चान्द्र गणना से चलने पर हिन्दी मासों का ऋतुओं के साथ कोई सम्बन्ध रहता नहीं। यहूदी संवत् दोनों पर निर्भर करता है।

भारतीय संवतों का प्रारम्भ प्रायः सौर गणनानुसार मेष संक्रांति या सौर वैशाख से होता है। मेष संक्रांति प्रायः 13 अप्रेल को होती है। चान्द्र गणना के हिसाब से सम्वत् का प्रारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सृष्टि का आरम्भ इसी दिन हुआ था। गुजरात में विक्रम-संवत् का आरम्भ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होता है। बुद्धाब्द वैशाख पूर्णिमा से और जैनाब्द (वीराब्द) कार्तिक अमावस्या से प्रारम्भ होता है। फसली सन् का आरम्भ आश्विन से होता है। मुहर्रम से हिजरी सन् का मुसलमान आरम्भ करते हैं।

मास—सौर और चान्द्र मास दोनों चलते हैं। एक राशि में सूर्य जितने समय रहता है, वह काल एक मास माना जाता है। सूर्य जब एक राशि में प्रवेश करता है, तब उस राशि की संक्रांति होती है। मास का प्रारम्भ इस दिन से या इससे अगले दिन से किया जाता है। सौर मास के नाम राशि के नाम पर पड़े हुए हैं। चान्द्र मास के नाम नक्षत्रों के अनुसार हैं। परन्तु सौर मासों को भी चान्द्र मासों के नामों से ही पुकारा जाता है। सूर्य एकसमान गति से गति नहीं करता। अतः भिन्न-भिन्न राशि को पार करने में भी यह कम-अधिक समय लेता है। इसके मास कम व अधिक दिनों के होते हैं। कुछ दिन निश्चित करने का यत्न किया है, जैसे—

"तीस तुला मकर मीन उन्तीस वृश्चिक धनु। विक्रम चौथे वर्ष कुम्भ इक्कतीस गिनैये। दिये चार सों भाग शेष जो न कुछ पैये।"

चांद के पृथ्वी की परिक्रमा करने से चान्द्र मास होता है। यह अमान्त और पूर्णिमान्त दोनों होते हैं। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या

तक अमान्त मास माना जाता है। इसी प्रकार एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक के समय को पूर्णिमांत चान्द्र मास माना जाता है। सूर्य और चन्द्र जब 180^0 पर एक दूसरे के सामने होते हैं तब पूर्णिमा होती है। औसतन चान्द्र मास 29 दिन 12 घंटे 35 मिनटों का होता हैं। चान्द्र वर्ष 354 दिन 9 घण्टे का, सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटों का होता है। अतः दोनों में 10 दिन 21 घण्टे का फिर भी अन्तर रह जाता है। ऋतु व वर्ष का मेल करने के विचार से 33वें सौर मास में एक चान्द्र मास अधिक गिन लेते हैं। इसको अधिमास या मलमास कहते हैं। जिस अक्षांश चान्द्र मास में संक्रांति नहीं पड़ती उसी मास को अधिमास या मलमास कहते हैं। हिसाब पूरा हो जाने पर भी कुछ शेष रह जाता है, अतः चान्द्र मास का कभी-कभी क्षय भी माना जाता है। जिस मास में दो संक्रांतियां होती हैं, वही मास लुप्त माना जाता है। परन्तु क्षय भार के साल में दो अधिमास होते हैं। क्षय मास कभी 19 वर्ष में और कभी 141 वर्ष में होता है। 2020 विक्रमान्द कार्तिक में, 2039 के पौष में, 2180 के मार्गशीर्ष (अगहन) में और 2199 के पौष मास में क्षय मास होंगे।

अमावस के बाद चन्द्रमा दिखाई देने पर यहूदी मास का आरंभ होता है। यहूदी महीना 29 या 30 दिन का होता है। अंग्रेजी महीनों में 6 का नाम देवताओं के नाम पर, 7वें व 8वें का बादशाहों के नाम पर और शेष संख्या के नाम पर है।

स्वाधीन भारत का राष्ट्रीय संवत् शक सम्वत् है। राष्ट्रीय सम्वत् के साथ राष्ट्रीय मास और राष्ट्रीय तिथि भी निश्चित कर दी गई है। यह प्रायः करके सायण सौर गणनानुसार है। वर्ष का प्रारम्भ चैत्र से किया जाता है। राष्ट्रीय चैत्र का आरम्भ 22 मार्च से होता है। शक सम्वत् 1 चैत्र से आरम्भ होता है। प्रत्येक मास के दिन भी निश्चित कर दिए गए हैं। चैत्र मास के दिन 30, आगे के पांच मासों वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण व भादों के 31 दिन रहेंगे, शेष मास भी 31 दिनों के होंगे। हां, चौथे वर्ष चैत्र का आरंभ 21 मार्च से होगा। उस वर्ष चैत्र के दिन भी 31 रहेंगे। अंग्रेजी तिथियों के साथ इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय तिथि का एक निश्चित

सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है।

करण—तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। शुभाशुभ मुहूर्त का विचार करने में ज्योतिषी इसका उपयोग करते हैं या पंचांगों में इसका व्यवहार किया जाता है। करण 11 हैं।

वार—दुनिया-भर में सर्वत्र वार सात ही हैं। इनके नाम भी सूर्य ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। इनका क्रम भी एक सिद्धान्त के आधार पर तय किया गया है। साधारणतः सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का काल एक वार माना जाता है। एक वार में एक दिन व रात रहते हैं। दिन-मान में अन्तर रहने पर भी दोनों का योग सदा 60 दंड या घड़ी के लगभग होता है।

यदि आकाश-मण्डल को इस प्रकार विभक्त किया जाए कि वह दो समान भागों में और एक भाग में उत्तरी ध्रुव और दूसरे में दक्षिणी ध्रुव आए, और दूसरे भाग के मध्य दक्षिणी ध्रुव पड़े तो पहला भाग उत्तरीय गोलार्ध, और दूसरा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य व विषुवत रेखा द्वारा आकाश विभाजित माना जाता है। दोनों भागों में 6-6 राशियां हैं। भूमध्य रेखा सामने जब सूर्य सामन मेष पर आता है, तब पृथ्वी पर दिन-रात बराबर होते हैं, इसके बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, इससे दिन छोटे और रात बड़ी होने लगती है। इसके विपरीत जब सूर्य सामन कर्क पर पहुंचता है, तब दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। 22 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसम्बर को सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी जितने समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है उसके आधार पर या चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, इस काल-मान के अनुसार दिन-मान और मास का हिसाब किया जाता है। पाश्चात्य काल-मान में सेकंड से आगे नहीं। भारत की गणना अत्यन्त सूक्ष्म है। सूक्ष्म-मान की दो पद्धतियां हैं। एक को त्रुटि और दूसरे को तत्परस कहते हैं। एक दिन-रात में 17496000000 त्रुटियां या 46656000000 तत्परस होते हैं। एक सेकंड 202500 त्रुटियां या 540000 तत्परसों में विभक्त है। दोनों पद्धतियों के मान इस प्रकार हैं :

100 त्रुटि	=1 लव
30 लव	=1 निमेष
27 निमेष	=1 गुर्वाक्षर
10 गुर्वाक्षर	=1 प्राण
6 प्राण	=1 विघटिका
60 विघटिका	=1 घटिका
60 घटिका	=1 दिन-रा

60 तत्परस	=1 परस
60 परस	=1 विलिप्ता
60 विलिप्ता	=1 लिप्ता (विपल)
60 लिप्ता	=1 विघटिका (पल)
60 विघटिका	=1 घटिका (दंड)
60 घटिका	=1 दिन-रात

स्थानीय समय—जब कभी स्थानीय समय (लोकल टाइम) का व्यवहार किया जाता है, इसका निश्चय उस देश की वेधशाला ने नक्षत्रों के संक्रमण के हिसाब से किया है। इसका आरंभ मध्याह्न से होता है जबकि सूर्य आकाश में सर्वोच्च अवस्था में होता है, और इसकी छाया उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ रही होती है।

ग्रीनिच काल—अन्तर्राष्ट्रीय मेरिडियन कान्फ्रेंस 1884 में हुई थी और मेरिडियन (सूर्य जब देशान्त रेखा पर सर्वोच्च ऊंचाई पर होता है) जब ग्रीनिच (इंग्लैंड) पर से गुज़रा, उससे दुनिया के काल की गणना की जाने लगी। विश्व 24 जोनों (क्षेत्रों) में विभक्त माना जाता है। प्रत्येक 15 का एक चाप या वृत्तखण्ड होता हैं। ग्रीनिच के मेरिडियन (0^0) को ग्रीनिच टाइम मानकर काल-गणना दुनिया में की जाती है। पूर्व के देशों में घटाया जाता है और पश्चिमी देशों में बढ़ाया जाता है।

संसार-भर में क्या समय होगा

ग्रीनिच में दोपहर के जब बारह बजेंगे तो दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में क्या समय होगा, यह यहां दिया जाता है :

ग्रीनिच में दोपहर १२ बजे हों तो

एडेलेड	9-30 प्रातः	शिकागो	प्रातः के 6
अमेस्टडम	दिन का 1	हवाना	प्रातः के 7
अंकारा	अपराह्न के 2	किंग्स्टन	प्रातः के 7
बगदाद	अपराह्न के 3	लास एंजल्स	अपराह्न के 4

बैंकाक	प्रात: के 7	कराची	शाम के 5
बर्लिन	दिन का 1	लेनिनग्राड	अपराह्न के 3
बर्न	दिन का 1	मेंड्रिड	अपराह्न का 1
बम्बई	शाम के 5-30	माण्डले	शाम के 6-30
काहिरा	अपराह्न के 3	मेलबोर्न	रात के 10
कलकत्ता	शाम के 5-30	मोरक्को	अपराह्न के 3
डब्लिन	12-00 दुपहर	नई दिल्ली	शाम के 5-30
हेलसिंकी	अपराह्न के 2	ओसलो	अपराह्न का 1
हांगकांग	रात के 8	पेरिस	अपराह्न का 1
बोस्टन	प्रात: के 7	पेकिंग	रात के 8
ब्यूनोस आयर्स	प्रात: के 8-9	प्राग	अपरान्ह का 1
रोम	अपराह्न का 1	सिंगापुर	शाम के 7-30
स्टाकहोम	अपराह्न का 1	सिडनी	रात के 10
तोकियो	रात के 9	मोंट्रीयल	प्रात: के 7
न्यूयार्क	प्रात: के 7	क्वीबेक	प्रात: के 7
सनफ्रांसिस्को	प्रात: के 4	टोरंटो	प्रात: के 7
वैंकोवर	प्रात: के 4		

समर टाइम—प्रथम महायुद्ध के समय गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया था। इसका उद्देश्य था बिजली की बचत करना। परन्तु युद्ध समाप्त होने पर भी यह चालू रहा जिससे लोग दिन के बड़े भाग का आनन्द उठा सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय तिथि-रेखा—यह एक काल्पनिक रेखा है। यह दक्षिण से उत्तर को प्रशान्त महासागर से होकर गुज़रती है। यह वह रेखा है जिसपर पहुंचकर यात्री को अपनी घड़ी व कैलेंडर को आगे बढ़ाना पड़ता है, या पीछे करना पड़ता है। यदि यात्री पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है तो उसको यहां प्रशान्त महासागर की रेखा पर पहुंचने पर एक दिन बढ़ाना होगा, अर्थात् सोमवार 17 जनवरी को मंगलवार 18 जनवरी मानना होगा। परन्तु यदि वह पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसको एक दिन पीछे करना होगा।

इंडियन स्टैंडर्ड टाइम—भारत का स्टैण्डर्ड टाइम ग्रीनिच से

5-30 घंटा आगे है। यह सर्वप्रथम 14 जनवरी, 1906 को स्वीकार किया गया। भारत में स्टैंडर्ड टाइम प्रचलित है।

हिन्दू पर्व

दीवाली—भारत में दीपमाला का पर्व साधारणतः अक्तूबर-नवम्बर में होता है। यह रावण-विजय कर अयोध्या को लौटे श्री रामचन्द के राज्याभिषेक का दिन है। भारत के कुछ भागों में जैनियों में इसके आगे के दिन से सम्वत् का आरम्भ होता है।

दुर्गा-पूजा—बंगाल का यह राष्ट्रीय पर्व है। यह सितम्बर-अक्तूबर में मनाया जाता है। यह असत्य पर सत्य की विजय का स्मरण कराता है और बताता है कि पाशविक व आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की अवश्य विजय होती है।

विजया दशमी या दशहरा—भारत का यह राष्ट्रीय पर्व है। श्री राम की लंका-विजय के उपलक्ष्य में रामलीला की जाती है। यह उत्सव भरत-मिलाप के साथ समाप्त होता है। यह सितम्बर-अक्तूबर में ही होता है। दुर्गा-पूजा का भी इसमें समावेश होता है। मैसूर में दशहरा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वहां का दशहरा देखने के वास्ते कभी लोग दूर-दूर से आते थे। यह बुराई पर भलाई की, पाप पर पुण्य की विजय का भी सूचक है।

गणेश चतुर्थी—हिन्दू देवता गणेशजी की पूजा पश्चिमी भारत में इस दिन विशेष रूप से की जाती है। लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को राजनीतिक जागृति का साधन बनाकर इसका महाराष्ट्र में महत्त्व और भी अधिक बढ़ा दिया। इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है।

होली—मार्च में पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। यह वसन्त के आगमन की सूचना माना जाता है। गुलाल उड़ाया जाता है, और रंगीन पानी पिचकारियों से सर्वत्र छोड़ा जाता है।

जन्माष्टमी—जुलाई-अगस्त मास में पूर्णिमा से आठवें दिन यह मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है।

भारत-भर में कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है।

सरस्वती-पूजा—जनवरी-फरवरी मास में यह पंचमी के मौके पर होती है। यह पूजा विद्या की देवी सरस्वती के सम्मान में की जाती है। छात्रों का यह उत्सव है। वे सरस्वती का जलूस धूमधाम से निकालते हैं।

ईसाई उत्सव व पर्व

मूर्ख दिवस—1 अप्रेल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। यह सदियों से ईसाई-जगत् में प्रचलित है। वुद्धि-चातुर्य से पड़ोसी को मूर्ख बनाने का यह उत्सव है।

ऑल सोल्स डे—यह प्रार्थना का दिन है। मृतकों की सद्गति के वास्ते प्रार्थना की जाती है। यह उत्सव अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में मनाया जाता है।

बैंक होलीडे—इंग्लैंड में यह एक धर्म-निरपेक्ष छुट्टी है। इस दिन बैंक बन्द रहते हैं। लोगों को भी इस दिन पैसों का लेन-देन करने से छुट्टी है। कल्पना कीजिए, किसीको उस दिन कर्ज पर सूद देना हो तो वह अगले दिन दे सकता है। पहले न देने के कारण उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कैंडलेमा डे—इसे 2 फरवरी को रोमन कैथोलिक लोग श्रद्धा से मनाते हैं। कुमारी मैरी की याद में यह उत्सव मनाया जाता है।

क्रिसमस—ईसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। यद्यपि ईसा का जन्मदिन अज्ञात है। चौथी सदी में ईसा का जन्मदिन जनवरी 16 या दिसम्बर 28 निश्चित किया गया था। किन्तु 25 दिसम्बर को साधारणतः यह दिन मनाया जाता है। पांचवीं सदी से ईसा का जन्मदिन इसके बाद की तिथि में मनाया जाने लगा।

ईस्टर डे—यह ईसाइयों का मुख्य पर्व है। जीसस क्राईस्ट के पुनरुज्जीवन का यह दिन माना जाता है। यह उत्सव 22 मार्च से 25 अप्रेल तक मनाया जाता है।

हैलोवीन—इसका अर्थ है : पवित्र दिन से पहले। यह 1 नवम्बर को मनाया जाता है। यह शिशिर के आने की सूचना देता है।

ईसाइयों ने गैर-ईसाइयों के पर्व को अपना लिया है।

लेंट—यह शब्द ऐंग्लो-सेक्सन से सम्बन्ध रखता है। इसका अर्थ है वसन्त का समय। ईस्टर से 40 दिन पहले यह उत्सव मनाया जाता है। कैथोलिक लोग इस समय उपवास करते हैं।

सेंट वैलेंटाइन दिवस—यह पर्व 14 फरवरी को मनाया जाता है। इस उत्सव के मूल का पता नहीं। इंग्लैंड और फ्रांस में युवा-युवती सेंट वैलेंटाइन से पहले दिन बड़ी संख्या में एकत्र होकर उत्सव मनाते थे। यह प्रेमियों का दिवस माना जाता है।

मुस्लिम पर्व

अखेरी चहर-सुम्मा—यह सफर के बुधवार को मनाया जाता है। पैगम्बर मोहम्मद अपनी आखिरी बीमारी में इस दिन कुछ अच्छे मालूम होते थे और उन्होंने इस दिन अन्तिम स्नान किया था।

बकरीद—इस्लामी वर्ष के यह अन्तिम दिन मनाया जाता है। इस्लाम के अनुसार अब्राहम को परमात्मा का आदेश हुआ था कि वह अपने पुत्र इस्माइल की बलि दे। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने पुत्र की हत्या कर दी। कपड़ा उठाने पर उसने देखा कि लड़का पास खड़ा है और वेदी पर दुम्बा मरा पड़ा है।

मुहर्रम—मास मुहर्रम का यह दसवां दिन है। शोक व दुःख पहले दस दिन मनाया जाता है। हसन व हुसैन की शहादत की स्मृति में यह मनाया जाता है।

ईद-उल-फितर—रमज़ान के बाद दूज का चांद निकलने पर यह मनाया जाता है। यह पवित्र दिन है क्योंकि कुरान पहले-पहल इसी दिन प्रकाश में आई थी।

रमज़ान—यह पर्व रमज़ान की आखिरी को बताता है। यह उपवास का (रोज़ों का) महीना होता है।

बौद्ध पर्व

वैशाखी पूर्णिमा—बौद्धों के लिए यह पवित्र दिन है। इस दिन लुम्बिनी (नेपाल) में साल-वृक्ष के नीचे रानी माया ने राजकुमार

सिद्धार्थ को जन्म दिया था। एक अन्य वैशाखी पूर्णिमा के दिन गया में गौतम बुद्ध ने बोधि-वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। और एक अन्य वैशाखी पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने महा परिनिर्वाण प्राप्त किया।

हमारा सौरमण्डल

आकाशस्थ पिण्डों में हम केवल अपने सौर-परिवार के पिण्डों को गति करते हुए देख सकते हैं। शेष तारे अत्यन्त दूर होने से स्थिर दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः हमें आकाश के तारे इससे प्रतिकूल दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। इसीको प्रवहमान वायु से तारों का चलना कहा जाता है।

सूर्य से निकटस्थ ग्रह बुध है। सूर्य से ग्रहों की दूरी, ग्रहों का परिमाण आदि बातें इस प्रकार हैं :

नाम ग्रह	सूर्य से औसत दूरी (लाख मीलों में)	सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि (दिनों में)
बुध	360	87·97
शुक्र	670	324·70
पृथिवी	930	365·26
मंगल	1420	686·68
वृहस्पति	4830	4332·56
शनि	8860	10759·29
यूरेनस	170820	30685·93
नेपच्यून	27930	60187·68
प्लूटो	37000	90470·23

बुध—यह सूर्य से 21 अंश से अधिक दूर नहीं रहता, और प्रति सेकंड 30 मील चलता है। जब यह सूर्य से 12 अंश से अधिक दूरी पर पश्चिम की ओर रहता है तब हम इसे सूर्योदय से पहले क्षितिज के पास अल्पकाल के वास्ते देख सकते हैं। यदि यह पूर्व में सूर्य से 12 अंश दूर होगा तो सूर्यास्त के बाद यह दिखाई देता है।

इसका कोई उपग्रह नहीं है।

शुक्र—यह आकार में पृथिवी से कुछ ही छोटा है। इसका औसत व्यास 7600 मील है। यह सूर्य के समीप है, अतः यह प्रातः और संध्या में क्षितिज से 45 अंश पर दिखाई देता है। यह अपनी धुरी पर 30 दिनों में एक बार घूम जाता है। इसकी धुरी सूर्य की कक्षा पर 8 अंश पर झुकी हुई है। यह आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा है। यह इसके नाम से ही प्रकट है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं।

पृथिवी—हमारी पृथ्वी नारंगी के समान गोल है। इसके उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव कुछ चपटे-से हैं। यदि किसी दूसरे ग्रह से इसको देखा जाएगा तो यह भी अन्य चमकते तारों के समान दिखाई देगी। यह ग्रहों में पांचवां बड़ा ग्रह है। इसका क्षेत्रफल 196950284 वर्ग-मील है। विषुवत रेखा पर इसकी परिधि 2490239 मील और इसका व्यास 7920 मील है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि 24860·49 मील है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर जाने पर प्रायः प्रत्येक 50 फुट पर 10^0 फारेनहाईट तापमान बढ़ जाता है। भीतर के मध्य भाग में अत्यधिक गर्मी है, यह पिघली हुई धातु के समान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। सूर्य के चारों ओर एक अण्डाकार वृत्तवाले रास्ते से यह परिक्रमा करती है। उसे कक्षा या ग्रह-पथ कहते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट $49\frac{7}{10}$ सेकंडों में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। यही हमारा वर्ष कहलाता है। पृथ्वी के अंडाकार वृत्त में घूमने और सूर्य-कक्षा पर इसकी धुरी के $66\frac{1}{2}$ अंश झुके रहने के कारण ही ऋतुएं बनती हैं। इसका एक उपग्रह चन्द्रमा है।

चन्द्रमा—यह पृथ्वी का उपग्रह है। इसकी पृथ्वी से औसतन दूरी 238860 मील है। 27 दिन 6 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड इसको पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने और धुरी पर घूमने में लगते हैं। इसका व्यास 2160 मील है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। कहते हैं चन्द्रमा पर वायु नहीं है, अतः वहां कोई प्रकाश नहीं रह सकता। चन्द्रमा पर पहुंचने की कोशिश जारी है।

1980 तक सम्भव है, मनुष्य के पैर वहां संचरण करने लगें। 14 सितम्बर, 1959 को रूस का एक अग्निवाण (राकेट) चन्द्रमा पर पहुंचा था।

मंगल—यह लाल रंग का चमकता हुआ तारा है। 1956 में यह पृथ्वी से केवल साढ़े तीन करोड़ मील दूर रह गया था। यह स्थिति 1924 में भी थी, और 1971 में फिर आएगी। कुछ की मान्यता है कि यह पृथ्वी से अलग होकर एक स्वतन्त्र ग्रह बन गया है। इसका व्यास 4200 मील है। यह पृथ्वी के आधे व्यास से कुछ ही अधिक है। यह प्रति सेकंड 15 मील चलता है। 24 घंटे 36 मिनटों में यह अपनी धुरी पर घूम जाता है। इसकी धुरी पृथ्वी की धुरी की तरह झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी के समान यहां जीवधारी हैं या नहीं इसकी खोज हो रही है। फीवोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं।

बृहस्पति—आकार में यह सबसे बड़ा ग्रह है। विषुवत रेखा पर इसका औसत व्यास 88 हज़ार 7 सौ मील है। इसका गुरुत्व अन्य सभी ग्रहों के सम्मिलित गुरुत्व से कुछ अधिक ही है। शुक्र के बाद यह आकाश-मण्डल में सबसे चमकीला ग्रह है। यह 10 घंटों में ही अपनी धुरी का चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में यह 12 वर्ष लेता है। आकाश में एक राशि को पार करने में एक वर्ष लेता है। इसके 12 उपग्रहों में चार बड़े और आठ छोटे हैं। इसके चार उपग्रह बृहस्पति की गति की प्रतिकूल दिशा में घूमते हैं। इस आश्चर्यजनक बात के कारण यह अनुमान लगाया गया है कि मंगल और बृहस्पति के मध्य रहनेवाले लघु ग्रहसमूह में से ये बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से खिचकर इधर आ गए हैं।

शनि—यह मन्द गति का तारा है। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको 30 वर्ष लगते हैं। पर अपनी धुरी का यह 10 घंटे में ही एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य और बृहस्पति के मध्य जितनी दूरी है, उससे यह दुगुने दूर सूर्य से है। विषुवत रेखा पर इसका औसत व्यास 75000 मील है। शनि के चारों ओर मण्डलाकार तीन परि-वेष्टन दिखाई देते हैं। इनको मिलाकर शनि का व्यास 1 लाख 70 हज़ार मील है। शनि के 9 उपग्रह हैं। जिनमें से तीन बहुत

बड़े हैं। जैसे टीटन का व्यास 3500 मील है। शनि के चारों ओर दिखाई देनेवाले परिवेष्टन किन्हीं उपग्रहों के नष्ट हो जाने से बने हैं, ऐसा कुछ का मत है।

यूरेनस—दूरवीक्षण यंत्र से दिखाई देनेवाला ग्रह है। 1781 ई० में इसका पता चला था। इसका व्यास 308700 मील है। 84 वर्षों में यह सूर्य की एक बार परिक्रमा कर पाता है। इसके पांच उपग्रह हैं। यूरेनस का भारतीय नाम इन्द्र है।

नेपच्यून—इसको दूरवीक्षण यंत्र से ही देखा जा सकता है। 1845 में ही इसका पता चला है। इसका औसत व्यास 33 हज़ार मील है। सूर्य की परिक्रमा यह 165 वर्षों में पूरी करता है। इसके दो उपग्रह हैं। दूसरे का ज्ञान तो 1948 में ही हुआ।

प्लूटो—सूर्य का यह सर्वाधिक दूरवर्ती ग्रह है। यह आकार में कुछ बुध से ही बड़ा है। इसका व्यास 3750 मील है। सूर्य की यह एक परिक्रमा 248 वर्षों में पूरी करता है।

इसके अतिरिक्त सूर्य के और भी बहुत-से छोटे-छोटे ग्रह हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच ही 1500 से अधिक छोटे-छोटे ग्रह मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़े सिरस का व्यास 485 मील है।

नवग्रह—भारतीय फलित ज्योतिष में नवग्रह प्रसिद्ध हैं। शुभ संस्कारों के समय नवग्रह की पूजा की जाती है। सात ग्रहों के साथ राहु और केतु को मिलाने से नौ ग्रह होते हैं। किन्तु राहु और केतु दो सम्पात बिन्दु हैं। चन्द्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा का जब कटाव होता है तभी सम्पात बिन्दु बनता है। उत्तर की ओर को राहु और दक्षिण भागवाले को केतु कहते हैं। ये दोनों बिन्दु बराबर बदलते रहते हैं।

नक्षत्र—सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहमय तारों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। सूर्य जिस मार्ग से तारों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, और वर्ष-भर में जो चक्कर पूरा करता है वह सूर्य का मार्ग क्रान्ति-वृत्त कहा जाता है। चन्द्रमा 27 दिनों में गगन-मण्डल का चक्कर लगाता है, अतः इसको 27 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को नक्षत्रपुंज कहते हैं। प्रत्येक नक्षत्र

13$\frac{1}{3}$ अंश का होता है।

राशि—चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार नक्षत्रों की कल्पना की गई है। इसी प्रकार सूर्य की मासिक गति के आधार पर राशियों की कल्पना की गई है। आकाश में सूर्य का मार्ग क्रान्ति-वृत्त के नाम से ज्ञात है। इस क्रान्ति-वृत्त के 12वें भाग को राशि कहते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं। राशियां 12 हैं और बारह ही मास हैं। इन राशियों के नाम इनके रूप को देखकर रखे गए हैं। जैसे : मिथुन का रूप आकाशगंगा में नाव पर बैठे एक स्त्री-पुरुष के समान है। प्रत्येक राशि 2$\frac{1}{4}$ नक्षत्र की है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब मेष संक्रान्ति होती है। गणना दो प्रकार से निरयन और सायन पद्धति से की जाती है।

लग्न—पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक अहोरात्र में राशि-चक्र एक परिक्रमा कर लेता है; इस कारण पूर्वी क्षितिज पर विभिन्न राशियां उदय होती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार राशियों का उदय-काल भिन्न-भिन्न होता है। जिस समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर लगी रहती है उस समय वह राशि लग्न कहलाती है।

अमेरिका के प्रेजीडेंट (राष्ट्रपति)

	नाम	पक्ष
1789–97	जार्ज वाशिंगटन	फेडरल
1797–1801	जान एडम्स	फेडरल
1801–1909	जान जेफर्सन	रिपब्लिकन
1809–17	जान मैडीसन	रिपब्लिकन
1817–25	जेम्स मनरो	रिपब्लिकन
1825–29	जे० क्वीन्सी एडम्स	रिपब्लिकन
1829–37	एंड्रू जैक्सन	डेमोक्रेट
1837–41	मार्टिन वान ब्यूरेन	डेमोक्रेट
1841	डब्ल्यू० एच० हैरिसन	ह्विग
1841–45	जान टाइलर	ह्विग
1845–49	जे० नॉक्स पोल्क	डेमोक्रेट

	नाम	पक्ष
1849–50	जैचँरी टेलर	ह्विग
1850–53	एम० फलमोर	ह्विग
1853–57	फ्रेंकलिन पियर्स	डेमोक्रेट
1857–61	जे० बूचानन	डेमोक्रेट
1861–65	अब्राहम लिंकन	रिपब्लिकन
1865–69	एंड्रू जानसन	रिपब्लिकन
1869–77	यूलिसेस एस० ग्रांट	रिपब्लिकन
1777–81	आर० बी० हेज़	रिपब्लिकन
1881	जेम्स ए० गार फील्ड	रिपब्लिकन
1881–85	चेस्टर ए० आर्थर	रिपब्लिकन
1885–89	जी० क्लीवलैंड	डेमोक्रेट
1889–1893	बी० हैरीसन	रिपब्लिकन
1893–97	जी० क्लीवलैंड	डेमोक्रेट
1897–1901	डब्ल्यू० मैकिनले	रिपब्लिकन
1901–09	टी० रूज़वेल्ट	रिपब्लिकन
1909–13	विलियम एच० टाफ्ट	रिपब्लिकन
1913–21	उडरो विल्सन	डेमोक्रेट
1921–23	डब्ल्यू० जी० हार्डिंज	रिपब्लिकन
1923–29	कालविन कूलिज	रिपब्लिकन
1929–32	एस० सी० हूवर	रिपब्लिकन
1933–45	एफ० डी० रूज़वेल्ट	डेमोक्रेट
1945–53	एच० एस० ट्रूमैन	डेमोक्रेट
1953–61	डी० डी० आइज़नहोवर	रिपब्लिकन
1961–	जे० एफ० केनेडी	डेमोक्रेट

ब्रिटिश प्रधानमंत्री

सर आर० वालपोल	(ह्विग)	1721
अर्ल आफ विलिंगटन	(ह्विग)	1742
ड्यूक आफ न्यूकासल	(ह्विग)	1743
ड्यूक आफ डेवन शायर	(ह्विग)	1754

ड्यूक आफ न्यूकासिल	(ह्विग)	1757
अर्ल आफ बूट	(टोरी)	1762
जार्ज ग्रेनविले	(ह्विग)	1768
लार्ड राकिंगहम	(ह्विग)	1765
अर्ल आफ चैथम	(ह्विग)	1766
ड्यूक आफ ग्राफन	(ह्विग)	1767
लार्ड नार्थ	(टोरी)	1770
लार्ड राकिंगहम	(ह्विग)	1782
अर्ल आफ शेलबर्न	(ह्विग)	1782
ड्यूक आफ पोर्टलैंड	(संयुक्त)	1783
विलियम पिट	(टोरी)	1788
हेनरी एडिंगटन	(टोरी)	1811
विलियम पिट	(टोरी)	1804
लार्ड ग्रेनविले	(ह्विग)	1806
ड्यूक आफ पोर्टलैंड	(टोरी)	1807
स्पेंसर पर्सीवल	(टोरी)	1809
लार्ड लिवरपूल	(टोरी)	1812
जार्ज केनिंग	(टोरी)	1827
लार्ड गाडरिच	(टोरी)	1827
ड्यूक आफ वेलिंगटन	(टोरी)	1828
अर्ल ग्रे	(ह्विग)	1830
वाइकाउण्ट मेलबोर्न	(ह्विग)	1834
सर राबर्ट पील	(टोरी)	1834
वाइकाउण्ट मेलबोर्न	(ह्विग)	1835
सर राबर्ट पील	(टोरी)	1841
लार्ड जान रसल	(टोरी)	1846
अर्ल आफ डर्बी	(टोरी)	1852
वाइकाउण्ट पामर्स्टन	(लिबरल)	1855
अर्ल आफ डर्बी	(कंजरवेटिव)	1858
वाइकाउण्ट पामर्स्टन	(लिबरल)	1858

लार्ड रसल	(लिबरल)	1865
अर्ल आफ डर्वी	(कंजरवेटिव)	1866
बी० डिज़राइली	(कंजरवेटिव)	1868
डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन	(लिबरल)	1868
बी० डिज़राइली	(कंजरवेटिव)	1874
डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन	(लिबरल)	1880
मार्किस आफ सैलिसवरी	(कंजरवेटिव)	1885
डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन	(लिबरल)	1886
मार्क्विस आफ सैलिसवरी	(कंजरवेटिव)	1886
डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन	(लिबरल)	1892
अर्ल आफ रोजवरी	(लिबरल)	1894
मार्क्विस आफ सेलिसवरी	(कंजरवेटिव)	1895
ए० जे० बाल्फोर	(कंजरवेटिव)	1902
सर एच० कैम्बेल-बैनर्मैन	(लिबरल)	1905
एच० एच० एसक्विथ	(लिबरल)	1908
एच० एच० एसक्विथ	(संयुक्त)	1915
डी० लायड जार्ज	(संयुक्त)	1916
ए० बानर लॉ	(कंजरवेटिव)	1922
स्टेनले बाल्डविन	(कंजरवेटिव)	1923
जे० आर० मैकडानल्ड	(मज़दूर)	1924
स्टेनले वाल्डविन	(कंजरवेटिव)	1924
जे० आर० मैकडानल्ड	(मज़दूर)	1929
जे० आर० मैकडानल्ड	(संयुक्त)	1931
स्टेनले बाल्डविन	(संयुक्त)	1935
एन० चेम्बरलेन	(संयुक्त)	1937
विंस्टन एस० चर्चिल	(कंजरवेटिव)	1940
विंस्टन एस० चर्चिल	(कंजरवेटिव)	1945
सी० आर० एटली	(मज़दूर)	1945–51
विंस्टन एस० चर्चिल	(कंजरवेटिव)	1951
एंथनी ईडन	(कंजरवेटिव)	1955
हैरल्ड मैकमिलन	(कंजरवेटिव)	1957

सरकारों के प्रमुखों का वेतन

अमेरिका का प्रेज़ीडेण्ट	100000 डालर प्रतिवर्ष
ब्रिटिश प्रधानमंत्री	10000 पौंड वार्षिक
भारत का राष्ट्रपति	10000 रुपये मासिक
जापान का प्रधानमंत्री	110000 येन प्रतिमास

फ्रांस के शासक

फ्रेंच क्रान्ति के बाद प्रथम रिपब्लिक
नेपोलियन के अधीन प्रथम साम्राज्य (1804–1814)
राजतन्त्र (1814–1848)
द्वितीय रिपब्लिक (1848–1852)
दूसरा साम्राज्य (1852–1871)
तृतीय रिपब्लिक (1871–1940)
विशी गवर्नमेंट (1940–1944)
अस्थायी गवर्नमेंट (1944–1946)
चतुर्थ रिपब्लिक (1946–1959)
फिफ्थ रिपब्लिक (1959–)

प्रथम महायुद्ध के बाद से जर्मनी के शासक

राइख के प्रमुख

एफ० एलबर्ट	1919–25
पाल वान हिडनबर्ग	1925–34
एडोल्फ हिटलर	1934–45
कार्ल डोनित्ज़	1945–45

फेडरल रिपब्लिक (पश्चिमी जर्मनी)

थियोडर हेयूज	1949–59
हाइनरिख ल्युब्के	1959–

डेमोक्रटिक रिपब्लिक (पूर्वी जर्मनी)

विल्हेल्म पीक	1949

सोवियत रूस के शासक (राज्य-क्रांति के बाद)

निकोलाई लेनिन	1917–24
जोसेफ स्तालिन	1924–53
जार्जी एम० मैलनकोव	1953–55
निकोलाई बुलगानिन	1955–57
निकिता ख्रुश्चेव	1958–

ग्रेट ब्रिटेन के शासक (विंडसर राजवंश)

जार्ज पंचम	1910–36
एडवर्ड अष्टम	1936–36
जार्ज षष्ठ	1936–52
एलिज़ाबेथ	1952–

राजनीतिक हत्याएं

1865 अब्राहम लिंकन, अमेरिका के प्रेज़ीडेंट, 14 अप्रैल
1872 अर्ल आफ मेयो, भारत के गवर्नर-जनरल
1876 अब्दुलअज़ीज़, तुर्की का सुल्तान, 4 जून
1881 अलेक्ज़ेंडर, रूस का सम्राट् और
प्रेज़ीडेण्ट गारफील्ड, अमेरिका
1894 मैरी एफ० सारी-कारनो, फ्रांस का प्रेज़ीडेण्ट, 24 जून
1896 नाश-ए-दीन, ईरान का शाह
1898 सम्राज्ञी एलिज़ाबेथ, आस्ट्रिया, 10 सितम्बर
1900 हम्बर्ट प्रथम, इटली, 29 जुलाई
1901 प्रेज़ीडेण्ट मेकिनले, अमेरिका
1903 किंग अलेक्ज़ेंडर और उसकी पत्नी ड्रागा, सर्बिया
1905 ग्रांड ड्यूक सरजीयूस, रूस
1908 किंग केरोल, पुर्तगाल का युवराज
1909 प्रिंस ईटो, जापान
1911 स्टोलीपिन,रूस का प्रधानमंत्री, सितम्बर, 1914
1912 जोसे कैनालोजस, स्पेन का प्रधानमन्त्री
1913 किंग जार्ज प्रथम, ग्रीस
1914 आस्ट्रिया का आर्क ड्यूक, फ्रांसिस फर्डिनड और उसकी पत्नी
1916 जार निकोल्स द्वितीय और उसका परिवार, जुलाई तथा
पुर्तगाल के प्रेज़ीडेण्ट पेज
1919 अमीर हबीबुल्ला, अफगानिस्तान
1921 डाटो, स्पेन का प्रधानमन्त्री तथा
काशीहारा, जापान का प्रधानमन्त्री
1922 जे० नारुटोविक्ज़, पोलैण्ड का प्रथम प्रेज़ीडेण्ट, 16 दिसम्बर व
माइकेल कोलिन्स, आयरिश फ्री स्टेट का प्रधानमन्त्री
1928 जनरल अलवारो ओवेरगन, मैक्सिको का भूतपूर्व प्रेज़ीडेण्ट,
17 जुलाई
1930 जापान के प्रधानमन्त्री हैमागूशी

1932 फ्रांस के प्रेज़ीडेण्ट डूमर तथा
जापान के प्रधानमन्त्री की इनूकाई, मई, 31
1933 अमीर फैंजल, ईराक का राजा, 9 सितम्बर व
आईयोन डूए, रूमानिया का प्रधानमन्त्री, 24 दिसम्बर तथा
नादिरशाह, अफगानिस्तान का राजा
1934 आस्ट्रियन चांसलर, डा० डोलफस, 25 जुलाई तथा यूगोस्लोविया
के किंग एलेक्ज़ेंडर प्रथम और फ्रेंच परराष्ट्रमन्त्री बार्थो
1936 जापान के वित्तमन्त्री के ताकाहासी एडमिरल सैटो एडमिरल
सूजूकी
1940 लियो ट्राटस्की, रूस का निर्वासित नेता, 21 अगस्त
1945 मेहरपाशा, मिस्र का प्रधानमंत्री, 24 फरवरी
1942 एडमिरल डारला, फ्रांस
1946 आनन्द महीदल, स्याम का राजा, 9 जुलाई
1947 बर्मा के वाइस प्रेज़ीडेण्ट जनरल आंगसेन और मंत्रिमण्डल के
पांच मंत्री
1948 महात्मा गांधी, 30 जनवरी, 1948
1948 काउण्ट एफ० बर्नडोट्टे, संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ, 17 सितम्बर व
नोकराशी पाशा, मिस्र के प्रधानमंत्री
1949 सीरियन प्रेज़ीडेण्ट होसनीजियाम, 14 अगस्त
अब्दुलहुसैन, ईरान का भूतपूर्व प्रधानमंत्री
1951 अली रजमारा, ईरान का प्रधानमंत्री, 7 मार्च व
जोर्डन का राजा अब्दुला, जुलाई तथा
लियाकतअली खां, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, 16 अक्तूबर तथा
1955 पनामा के प्रेज़ीडेण्ट एनटोंटो रेमन, 2 जून
1957 प्रेज़ीडेण्ट कास्टिल्लो अर्मास गुआतेमाला, 26 जुलाई
1958 ईराक के नरेश फैजल और राजकुमार एवं प्रधानमंत्री नूरी-एस
सैद जुलाई, 14
1959 एस० भण्डारनायक, सीलोन के प्रधानमंत्री, 25 सितम्बर
1960 डाग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी-जनरल, 18 सितम्बर
1963 ईराक के प्रधानमंत्री कासिम

प्रसिद्ध राजसिंहासन-त्याग

सुल्ला रोमन डिक्टेटर		79 ई० पू०
डेग्रोक्लेटियन	(रोमन साम्राज्य)	305 ईस्वी
एडवर्ड द्वितीय	(इंग्लैंड)	1327
रिचार्ड द्वितीय	(इंग्लैंड)	1899
चार्ल्स पंचम	(जर्मनी)	1555
स्काटलैंड की रानी मैरी		1567
क्रिश्चिना	(स्वीडन)	1654
जेम्स द्वितीय	(इंग्लैंड)	1688
चार्ल्स चतुर्थ	(स्पेन)	1808
नैपोलियन प्रथम	(फ्रांस)	1814
लूई फिलिप	(फ्रांस)	1848
ईसा वेला प्रथम	(स्पेन)	1870
अब्दुलहमीद द्वितीय	(तुर्की)	1909
मैनोएल	(पुर्तगाल)	1910
पू यी	(चीन)	1912
निकोलस द्वितीय	(रूस)	1917
कांस्टेंनटाइन	(ग्रीस)	1917
फर्डिनंड प्रथम	(बल्गेरिया)	1918
विल्हेल्म द्वितीय	(जर्मनी)	1918
मुहम्मद षष्ठ	(तुर्की)	1922
जार्ज द्वितीय	(ग्रीस)	1924
अमानुल्ला	(अफगानिस्तान)	1929
अलफोंजो	(स्पेन)	1931
प्रजावर्धक	(थाईलैंड)	1935
एडवर्ड अष्टम	(इंग्लैंड)	1936
जोग प्रथम	(अलबानिया)	1939

केरोल द्वितीय	(रूमानिया)	1940
रजाशाह पहलवी	(ईरान)	1941
विक्टर एमेन्युअल तृतीय	(इटली)	1946
साइमन	(बलगेरिया)	1946
माइकेल	(रूमानिया)	1947
विलहेल्मीना	(नीदरलैंड)	1948
लियोपोल्ड तृतीय	(बेल्जियम)	1951
फारूक प्रथम	(मिस्र)	1952
तजलाल	(जोर्डन)	1952

राजनीतिक दल व पक्ष

अमेरिका के दल—अमेरिका की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के मध्य मौलिक सिद्धान्तों का कोई भेद नहीं है। सिद्धान्तों और आदर्शों की दृष्टि से इन दलों को दक्षिण और वामपक्ष का भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों पक्षों में दोनों तरह के विचारों के लोग हैं। दोनों में प्रगतिशील और अपरिवर्तनवादी कट्टर हैं। सनातनपंथी (कंजरवेटिव) भी दोनों में हैं। अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ने दासता का अन्त किया था। परन्तु यह 19वीं सदी की बात है। बीसवीं सदी में यह पार्टी बड़े-बड़े व्यवसायियों, उद्योगपतियों तथा पुराने विचारों की पार्टी मानी जाती है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस शती में अपने को छोटे व्यक्तियों और सामाजिक सुधारों की पार्टी प्रकट किया है। यद्यपि नीग्रो-समस्या के प्रति इस पार्टी का रवैया अभी तक नहीं बदला है।

अरब लीग—22 मार्च, 1945 को अरब-एकता को दृढ़ करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य हैं यूनाइटेड अरब रिपब्लिक (मिस्र-सीरिया), ईराक, जोर्डन, साउदी अरेबिया, लेबनान, यमन, लीबिया, सूडान और ट्यूनिशिया। लीग ने अपने सदस्यों के बीच जकात और भुगतान के सम्बन्ध में करार कराया है। फिलस्तीन के अरब-भाग को स्वाधीन करने के लिए भी समझौता हुआ है। यह इज़राइल-विरोधी संघ है।

कौमितांग—चीनी नेशनलिस्ट पार्टी का इस नाम से संगठन सन यात-सेन के अनुयायियों ने 1905 में किया था। इस पार्टी का उद्देश्य चीन में लोकतंत्री राष्ट्रीय राज्य स्थापित करना था। इसका लक्ष्य है : राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार। इसने चीन की प्रभुत्व शक्ति को स्वीकार करने का आग्रह किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको चीन से निकाल दिया है और यह इस समय तैवान (फारमूसा) द्वीप में है।

सेंटर पार्टी—पार्टी जो वामपक्ष की अपेक्षा अधिक सनातनी, अपरिवर्तनवादी और कट्टर हो, पर दक्षिणपक्ष की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील हो।

कमिनफार्म—1947 में कम्युनिस्ट इनफारमेशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना रूस, इटली और अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने की थी। इसका उद्देश्य है अनुभवों का आदान-प्रदान, विनिमय। इसकी सदस्यता स्वेच्छापूर्ण है और इसके निर्णय मानने को सदस्य बाध्य नहीं हैं।

कंजरवेटिव पार्टी (इंग्लैण्ड)—इंग्लैंड की एक मुख्य राजनीतिक पार्टी। 18वीं, 19वीं सदी में जो टोरी पार्टी थी, उसकी यह उत्तराधिकारिणी पार्टी है। यह दक्षिण पार्टी है, और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की पोषक और संरक्षक है। यह समाजवाद की विरोधी है। इसकी नीति ब्रिटिश साम्राज्य को कायम रखने की है और ब्रिटिश खेती, उद्योग का विकास करने की है। यह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और अधिक करने के पक्ष में नहीं। यही नहीं, जहां सम्भव है वहां पुनः वैयक्तिक साहस की स्थापना का समर्थन करती है।

रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी—ट्राटस्की के अनुयायियों की यह पार्टी है और यह प्रायः सब देशों में है। ये वामपक्षी कम्युनिस्ट हैं। स्तालिन इनकी दृष्टि में प्रतिगामी था।

फलानजिस्ट—यह स्पेन का एक राजनीतिक पक्ष है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। इसका आधार फैसिज़्म है। यह स्पेन की राष्ट्रीय परम्पराओं पर ज़ोर देती है।

इण्डिपेंडेण्ट लेबर पार्टी (इंग्लैंड)—ब्रिटिश मज़दूर दल का यह

एक छोटा उपपक्ष है। यह मार्क्सवादी है। यह कम्युनिस्ट और मज़दूर पार्टी के मध्य रहती है।

कम्युनिस्ट पार्टी—मार्क्सवादी सोशलिस्टों का यह विश्वव्यापी संगठन है। यह राष्ट्रीय पार्टियों के माध्यम से भी काम करती है। इसका कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल या कमिण्टर्न के साथ बहुत शिथिल सम्बन्ध था। कमिन्फार्म के रूप में पुनरुज्जीवित किया गया। यह यूरोप के नौ देशों की कम्युनिस्ट पार्टी का यह एक इन्फारमेशन ब्यूरो (सूचना-दफ्तर) है।

फैना-फेल—डी वेलरा की आयरलैण्ड में उग्र नेशनलिस्ट पार्टी।

लेबर (मज़दूर) पार्टी (इंग्लैंड)—ब्रिटेन की यह सोशलिस्ट पार्टी है। यह ट्रेड यूनियनों, सोशलिस्टों और कोआपरेटिव सोसायटियों को एकत्र कर और मिलाकर बनाई गई है। यह 1908 में अस्तित्व में आई। इसका लक्ष्य ऐसे कानून बनाना है कि जिससे समाज के गरीब और दीन-वर्ग की अवस्था सुधरे, बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीय-करण करना और सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना है। यह पार्टी मार्क्सवाद से अनुप्राणित नहीं होती, अपितु मज़दूरों के आदर्शों, सहकारी व रेडिकल आन्दोलनों और फैवियनिज़्म के व्यावहारिक बुद्धिवाद से प्रभावित और अनुप्राणित होती है।

फ्रेंच दल—मूवमेंट रिपब्लिकन पपलर (एम० आर० पी०): कम्युनिज़्म की यह विरोधी पार्टी है। यह कुछ-कुछ गरम और वाम-पक्षी है। सीमित क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। परन्तु इसमें कैथोलिक तत्त्व की प्रधानता है। यह पक्ष सामूहिक करार, पूर्ण रोज़गार और निर्यात व्यापार के विकास के पक्ष में है। **रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी :** यह वामपक्ष में केन्द्रीय पार्टी है। यह संवैधानिक सुधारों, करों के समान वितरण और सामाजिक सुरक्षा में सुधार की पक्षपाती है। **इण्डिपेंडेण्ट रिपब्लिकन :** निजी उद्योग के कट्टर समर्थक हैं। **सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी।**

लिबरल पार्टी (इंग्लैंड)–19वीं सदी में इसका नाम ह्विग पार्टी था। यह पार्टी पार्लमेंट्री सुधार, वैयक्तिक स्वतंत्रता, भाषण-स्वतंत्रता, प्रेस व पूजा की स्वतंत्रता, अन्तर्राष्ट्रीय उन्मुक्त व्यापार के पक्ष में है। यह

मज़दूर-वर्ग को न्यूनतम जीवन प्रतिमान देने के पक्ष में है—इस पार्टी ने उसकी आधारशिला रखी है, जिसको आज कल्याण राज्य या पितृराज्य (वेल्फेयर स्टेट) कहा जाता है।

एण्टी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग (बर्मा): ए० एफ० पी० एफ० एल०—बर्मी जनता की यह राष्ट्रीय संस्था है। जापानी आक्रान्ताओं को बर्मा से निकालने के लिए 1945 में इसका संगठन जनरल आंग सान (पार्टी के प्रथम प्रेज़ीडेण्ट) ने किया था।

पपलर फ्रण्ट या संयुक्त मोर्चा—विभिन्न देशों में यह समय-समय पर फैसिज़्म व नाज़ीवाद का मुकाबला करने के लिए बनाई गई हैं। इसको बनानेवाली पार्टियां साधारणतः होती हैं—कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट।

भारतीय राजनीतिक दल

इण्डियन नेशनल कांग्रेस—भारत की यह सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। सत्य यह है कि इस समय भारत में और जो राजनीतिक दल विद्यमान हैं, वे इसकी ही शाखा-प्रशाखा हैं। 1948 में इसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया: शान्तिपूर्ण व उचित साधनों द्वारा भारत में सहकारी कामनवेल्थ की स्थापना करना जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के आधार पर स्थापित किया जाएगा और यह विश्व-शान्ति की स्थापना करने और बन्धुत्व बढ़ाने में सहायक होगा। कांग्रेस लोकतंत्री ऐहिक व लौकिक सरकार की पक्षपाती है और इसका लक्ष्य कल्याण राज्य स्थापित करना है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह तटस्थता रखने की समर्थक है।

कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया—कम्युनिस्ट पार्टी का वर्तमान रूप 1934 के संगठन का फल है। अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में इसकी नीति सोवियत रूस का अनुसरण करने की है। भारत की विद्यमान अवस्थाओं का विचार न करके यह ऐसा करती है। यह रूस से अनुप्राणित होती है और मार्ग-दर्शन पाती है। यह कट्टर अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विचारधारा की अनुवर्ती है। इसका लक्ष्य है: साम्राज्यवाद-विरोधी युद्ध में मेहनतकश लोगों का संगठन करना, जिससे सर्वहारा

वर्ग की अधिनायकता (डिक्टेटरशिप) स्थापित हो, और लेनिन और मार्क्स की शिक्षाओं के मुताबिक लोकतंत्री समाजवादी समाज की स्थापना करना है।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी—इस पार्टी का वर्तमान रूप सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के मेल से बना है। इसका लक्ष्य है: भारत में लोकशाही समाजवादी समाज की स्थापना करना। परन्तु यह रूस से इसके लिए मार्ग-दर्शन नहीं लेती।

फारवर्ड ब्लाक—नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस पक्ष की स्थापना गांधीजी के नेतृत्व के विरोध में 1938 में की थी, जब उनको कांग्रेस से अलग कर दिया गया था। पार्टी का इस समय लक्ष्य है: भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना और ब्रिटिश कामनवेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद करना।

फारवर्ड ब्लाक (मार्क्सिस्ट)—यह एक छोटा समूह है जिसने मूल संस्था से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। यह कलकत्ता तक ही सीमित है। इस नई पार्टी की स्थापना 23 जनवरी, 1950 को हुई थी। पंजाब की देशसेवक पार्टी इसमें विलय हो गई है।

शेड्यूल कास्ट फेडरेशन—डा० अम्बेडकर ने इस पार्टी की स्थापना हरिजनों को विशेष अधिकार दिलाने के उद्देश्य से की थी। अब यह पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में बदल गई है। यह दलित व शोषित वर्ग की पार्टी अपने को बताती है।

हिन्दू महासभा—इसका उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू राजनीतिक राष्ट्र की स्थापना करना है। इसके लिए यह भारत में हिन्दू राज स्थापित करना चाहती है और संवैधानिक उपायों से भारत की अखण्डता पुनः स्थापित करना चाहती है।

शेतकरी व कामगर पार्टी—यह पार्टी महाराष्ट्र तक सीमित है और वहीं इसका जन्म हुआ है। इसका जन्म कामिन्फार्म के पथ-प्रदर्शन में काम करने और मार्क्स व लेनिन की शिक्षा पर चलते हुए समाजवादी राज्य स्थापित करने के लिए हुआ था। यह पार्टी ब्रिटिश कामनवेल्थ से सम्बन्ध विच्छेद करने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने, विदेशी पूंजी को जब्त करने के पक्ष में है।

डेमोक्रेटिक वेनगार्ड—रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग हुए लोगों ने इस दल की स्थापना 1943 में की थी। इसका लक्ष्य भारत में लोकशाही क्रान्ति करना है।

अकाली दल—यह सिखों के एक वर्ग की राजनीतिक-धार्मिक पार्टी है। इसका लक्ष्य पंजाबी सूबा स्थापित करना है। यह गुरुमुखी लिपि में लिखी पंजाबी को ही पंजाबी भाषा मानता है, और पंजाब की इसको राजभाषा बनाने का आग्रह करता है।

सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी—इस पार्टी की स्थापना श्री शरत्चन्द्र बोस ने की थी। इसका लक्ष्य था भारत को सब प्रकार के विदेशी प्रभाव से मुक्त करना। भाषा के आधार पर भारत में यूनियन आफ सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करना था। संघ सरकार को यह पार्टी अधिकार देने के पक्ष में नहीं।

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी—यह मार्क्सवाद के सिद्धान्तों का प्रचार करती है और क्रान्ति के ज़रिये भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करने के पक्ष में है।

रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी—यह ट्राटस्की का अनुसरण करने-वाली पार्टी है और कांग्रेस को बुर्जुआ पार्टी कहती है। यद्यपि यह अपने को लेनिनवादी कहती है।

किसान पार्टी—यद्यपि यह कांग्रेस से अलग है, परन्तु इसका प्रोग्राम वही है जो कांग्रेस का है। इसका प्रोग्राम भारतीय किसानों की दशा समाजवादी रीति से सुधारना है।

भारतीय जनसंघ—1951 में इस पार्टी की स्थापना डा० श्यामा-प्रसाद मुखर्जी ने की थी। यह अखण्ड भारत में विश्वास करती है और कश्मीर को भारत में पूर्णतः विलय करने के पक्ष में है।

आल इण्डिया मुस्लिम मजलिस—यह प्रगतिशील व पाकिस्तान की स्थापना की विरोधी व कांग्रेस की समर्थक मुसलमानों की संस्था थी।

जमियत-उल-उलमा-ए-हिन्द—यह मुस्लिम मुल्लाओं, मौलानाओं व मुस्लिम धर्म-गुरुओं की संस्था है। यह कांग्रेस का समर्थन करती रही है। यह धार्मिक आधार पर भारतीय स्वतन्त्रता की समर्थक थी। अब यह राजनीतिक क्षेत्र से पृथक् हो गई है।

शिया पोलिटिकल कान्फ्रेंस—इस संस्था का विरोध मुस्लिम लीग संस्था से है। यह कांग्रेस के राजनीतिक प्रोग्राम की समर्थक है।

मोमीन अंसर कान्फ्रेंस—इसकी स्थापना मुस्लिम लीग और उसकी पाकिस्तान की मांग के विरोध में हुई थी। यह मुस्लिम समाज के दलितों व शोषितों की व कांग्रेस के समर्थक अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था है।

स्वतन्त्र पार्टी—इस पार्टी के संस्थापकों का कहना है कि न्याय और कल्याण राज्य की स्थापना गांधीजी के मार्ग का अनुसरण करते हुए हो सकती है, इसके लिए रूसी मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं। हिंसा और राज्य के कानूनों द्वारा न्याय और कल्याण राज्य की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। यह गांधीजी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का प्रचार करने के पक्ष में है।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम—मद्रास के अब्राह्मणों की यह पार्टी है। यह उत्तरी भारत और ब्राह्मणों के प्रभुत्व की विरोधी है। यह द्रविड़-स्तान बनाने की पक्षपाती है।

सोशलिस्ट पार्टी—प्रजासोशलिस्ट पार्टी से अलग हुए लोगों की यह पार्टी है। इसके नेता हैं डा० राममनोहर लोहिया, जो सतत विरोध में विश्वास करते हैं।

रामराज्य परिषद्—यह भारत में धर्म-सापेक्ष राज्य की स्थापना करने के पक्ष में है। यह प्राचीन सनातन हिन्दू धर्म की स्थापना के पक्ष में है।

झारखण्ड पार्टी—यह बिहार के छोटा नागपुर की पार्टी है। इसके नेता श्री जयपालसिंह हैं। इसका उद्देश्य एक पृथक् झारखण्ड राज्य स्थापित करना है। पर अब यह कांग्रेस में विलीन हो गई है।

लोक सेवक संघ—यह पुरुलिया ज़िले के बंगालियों की एक संस्था है। इसका उद्देश्य बंगला का प्रचार करना और मानभूम ज़िले को बंगाल में मिलाना है।

अन्य दल

भारत सेवक समाज—यह सरकारी प्रेरणा व उपक्रमण से स्थापित एक नया राष्ट्रीय संगठन है। यह देश की आर्थिक शक्ति का शीघ्र

निर्माण करने के उद्देश्य से सब देशभक्तों को मिलकर काम करने के वास्ते आह्वान करता है। यह राजनीतिक संस्था नहीं है। यह कांग्रेस से भिन्न पार्टी के लोगों को भी अपने काम में आमंत्रित करती है। हां, हिंसात्मक उपायों से वर्तमान व्यवस्था का अन्त करनेवालों और साम्प्रदायिकों के लिए इसके अन्दर स्थान नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ—इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इसका लक्ष्य है हिन्दुओं को सैनिक शिक्षा देना, सामाजिक चेतना को उद्‌बुद्ध करना, शारीरिक प्रशिक्षण देना। इसका लक्ष्य भारत में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना करना है। पार्टी ने अब अपना लक्ष्य हिन्दू संस्कृति का पुनरुद्धार करना घोषित किया है।

सर्वोदय समाज—गांधीजी के आदर्शों और सिद्धान्तों में विश्वास करनेवालों का यह आचार्य विनोवा भावे के नेतृत्व में बनाया गया 'समाज' है। यह संस्था व पक्ष नहीं है। यह गांधीजी की विचारधारा और उनके कार्यक्रम में विश्वास करनेवालों का स्वेच्छापूर्ण भातृत्व का परिवार है। गांधी के समान यह सत्य और अहिंसा में विश्वास करता है। इसका मुख्य रूप से आग्रह है कि उद्देश्य व लक्ष्य के समान उसको प्राप्त करने के साधन भी उच्च व पवित्र होने चाहिए। समाज का मुख्य काम, भूदान यज्ञ को सफल बनाना, खादी-प्रचार, हरिजन व आदिम-जातियों की सेवा, कुष्ट-रोगियों की सेवा, साम्प्रदायिकता का अन्त करना, है।

सन्धियां, मैत्रियां, कौंसिल, चार्टर, कान्फ्रेंस आदि

अन्जूज सन्धि—1 सितम्बर, 1951 को इस सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। इसमें स्वीकार किया गया है कि प्रशान्त महासागर में किसी-पर भी किया गया हमला सबपर किया गया हमला माना जाएगा और सब संयुक्त होकर उसका मुकाबला करेंगे। इसके सदस्य हैं, अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया।

अटलांटिक चार्टर (अधिकारपत्र)—14 अगस्त, 1941 को प्रेज़ीडेण्ट रूज़वेल्ट और प्रधानमन्त्री चर्चिल ने एक संयुक्त घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था : (1) देश व राज्य का विचार न किया जाए,

(2) सम्बन्धित जनता की इच्छा के बगैर प्रदेशों में कोई परिवर्तन न किया जाए, (3) सर्व जनता को अपने देश की सरकार का स्वरूप निश्चित करने का अधिकार हो, (4) जो लोग स्वाधीनता से वंचित कर दिए गए हैं उनकी स्वाधीनता पुनः स्थापित की जाए, (5) विश्व-व्यापार और कच्चे माल तक सबको पहुंचने का समान अवसर रहे, (6) आर्थिक क्षेत्र में सब राष्ट्रों के मध्य पूर्ण सहयोग स्थापित हो, (7) नाज़ी आतंक का अन्त होने पर विश्व में शान्ति स्थापित हो।

बेनेलक्स—बेल्जियम, लक्सम्बर्ग और नीदरलैंड, इन तीन देशों की यह एक संस्था है। इन तीनों के मध्य पूर्ण रूप से जकात (कस्टम) की एकता है। इन तीनों देशों के मध्य कोई व्यापारिक बाधा नहीं। इन तीनों के मेल का नाम है बेनेलक्स।

बांडुंग कान्फ्रेंस—एशिया और अफ्रीका के तीस देशों के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस 18 अप्रैल, 1955 में बांडुंग (हिन्देशिया) में हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना और उपनिवेशवाद का विरोध करना था।

ब्रुसेल्स-पैक्ट—मार्च, 1948 में इस करार पर ब्रिटेन, फ्रांस और बेनेलक्स देशों ने हस्ताक्षर किए। यह सैनिक प्रतिरक्षा करार है। साथ ही यह आर्थिक सहयोग का भी है। यह पांचों देशों को परस्पर एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकता है और व्यावसायिक विनिमय का विस्तार करता है।

सेंट्रल ट्रीटी आर्गनाइजेशन—इसका मूल बगदाद-पैक्ट में है, जिसने मध्य-पूर्व सन्धि संस्था (मिडिल-ईस्ट ट्रीटी आर्गनाइजेशन) की स्थापना की थी। किन्तु इससे ईराक के अलग हो जाने से सेंटो की स्थापना की गई। अमेरिका इसका सदस्य नहीं है परन्तु उसने पारस्परिक प्रतिरक्षा में सहायता देने का वचन दिया है। इसके सदस्य हैं : ग्रेट ब्रिटेन, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान।

कोलोम्बो प्लैन—इस कोलम्बो योजना का आरम्भ 1 जुलाई, 1951 को हुआ था। यह जनवरी, 1950 में कोलम्बो कान्फ्रेंस के निर्णय के आधार पर दक्षिण-पूर्व एशिया के वास्ते 6 वर्षीय आर्थिक सहायता देने की योजना है। इसके निर्माता हैं : ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा,

भारत, सीलोन, न्यूजीलैंड व पाकिस्तान। बाद में मलाया, सिंगापुर, उत्तरी वोर्नियो, सारावाक ने भी इसके साथ सहयोग करने का वचन दिया। यह थाईलैंड और वर्मा को भी मदद देती है। हिन्देशिया ने भी इसकी लन्दन की बैठक में भाग लिया था। 13680 लाख पौंड की निधि जमा करने की योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य गरीवी दूर करना और कम्युनिज़्म के प्रसार को रोकना था। अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, पर विकास संस्थाएं इसके साथ सहयोग करती हैं। व्रिटेन ने 100000000 पौंड दिए। कनाडा और आस्ट्रेलिया में से प्रत्येक ने पहले साल 25000000 पौंड दिए।

कमिफार्म—5 अक्तूवर, 1947 को पौलेंड में यूरोप के नौ देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों ने गुप्त रूप से इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना कमिण्टर्न (कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल) की जगह की गई थी। पश्चिमी यूरोप के दो देशों, इटली और फ्रांस, जहां सर्वाधिक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, और पूर्वीय यूरोप के देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसके साथ सम्बन्ध स्थापित किया।

कामन मार्केट—(एक हाटीकरण व्यवस्था) यह 'रोम-सन्धि' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम यूरोपियन इकनामिक कम्युनिटी (यूरोपियन आर्थिक संघ) भी है। यह पश्चिमी यूरोप के 6 देशों, इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, वेल्जियम, नीदरलैंड और लक्सम्वर्ग का संघ है। 1970 तक यह इन देशों के मध्य विद्यमान सव आर्थिक अवरोधों का अन्त कर देना चाहता है, तव इन छहों देशों का आन्तरिक वाज़ार एक होगा। सन्धि का मुख्यतः सम्वन्ध यद्यपि आर्थिक, व्यावसायिक और व्यापारिक विषयों से है, परन्तु इसका मूल उद्देश्य आर्थिक एकता के आधार पर राजनीतिक ऐक्य स्थापित करना है। ये सब देश आयात वस्तु पर एक समान और एक नीति के अनुसार कर लगावेंगे। यह यूरोप की राजनीतिक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से एक आर्थिक साहस है।

कामनवेल्थ आफ नेशंस—यह प्रभुत्व शक्ति-सम्पन्न स्वाधीन राज्यों का स्वेच्छापूर्ण संघ है। ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, भारत, पाकिस्तान, घाना, मलाया, नाइजेरिया और साइप्रस इसके सदस्य हैं।

ब्रिटिश रानी एलिज़ाबेथ इस एकता की प्रतीक है। भारत, पाकिस्तान और मलाया उसको केवल संघ का प्रमुख मानते हैं, उसके प्रति निष्ठा नहीं रखते।

कामनवेल्थ पार्लमेंट्री एसोसियेशन—इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। इसका उद्देश्य संसदीय व पार्लमेंट्री शासन-प्रणाली के विकास में प्रवृत्त देशों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान करना और परस्पर सहायता करना है। यह मूलतः ब्रिटिश साम्राज्य के स्वायत्त शासन प्राप्त देशों की संस्था थी। इसके सदस्य हैं, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, भारत, सीलोन, घाना, मलाया, नाइजीरिया, सिंगापुर, रोडेशिया, न्यासालैण्ड और वेस्ट इण्डीज़।

कौंसिल आफ यूरोप—यूरोपियन समस्याओं पर विचार करने के लिए यह 1949 में स्थापित की गई थी। इसके 15 सदस्य हैं। इटली, फ्रांस, प० जर्मनी, बेनेलक्स (ये 6 इनर सिक्स कहलाते हैं)। इनके सिवाय ब्रिटेन, आयरलैण्ड, नार्वे, डेन्मार्क, स्वीडन, आइसलैण्ड, ग्रीस, तुर्की और आस्ट्रिया इसके सदस्य हैं।

डम्बरटन ओक कान्फ्रेंस—अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस डम्बर्टन ओक, वाशिंगटन में 9 अक्तूबर, 1944 को हुई थी। इसने सिफारिश की थी कि संयुक्त राष्ट्र को एक सुरक्षा संस्था भी स्थापित करनी चाहिए।

ईस्टर्न मिलिट्री एलायन्स—पूर्वी सैनिक मैत्री। यूरोप के कम्युनिस्ट देशों का यह सैनिक संगठन है। और यह 'नाटो' (नार्थ अटलाण्टिक आर्गनाइज़ेशन) के विरोध में बनाया गया है।

यूरोपियन एटमिक कम्युनिटी : (एयूरेरम)...इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। शान्तिपूर्ण उद्देश्य के उद्योगों में अणु-शक्ति की सहायता देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है।

यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसियेशन (एफ्टा या बाहरी सात)—स्टाकहोम सन्धि के द्वारा इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। यह आस्ट्रिया, डेन्मार्क, नार्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्ज़रलैण्ड और ब्रिटेन का एक ढीलाढाला संगठन है। इसका लक्ष्य सदस्य-देशों के मध्य व्यापार बढ़ाना और आर्थिक उन्नति करना है। प्रत्येक देश अन्य देशों

के प्रति राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करता है।

यूरोपियन कोल एण्ड स्टील कम्युनिटी—फरवरी, 1953 में इसकी स्थापना की गई और कोयला और इस्पात के वास्ते एक सामान्य बाज़ार उत्पन्न किया गया। इसमें सम्मिलित होनेवाले देश हैं: फ्रांस, प० जर्मनी, बेल्जियम, लक्सम्बर्ग और नीदरलैण्ड। सार-क्षेत्र के बारे में फ्रांस और जर्मनी में उठे विवाद का अन्त करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई थी।

जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड (गैट)—तटकर व व्यापार-विषयक सामान्य करार। कम्युनिस्ट-जगत् से बाहर के बड़े व्यापारी देशों की यह संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पालन करने के लिए इसने एक संहिता (कोड) बनाई है। यथा: (1) द्विदेशिक करारों में एक देश के प्रति जो बर्ताव किया जाय, वही सब देशों के प्रति किया जाना चाहिए; (2) वरीयता या तरजीह देनेवाली (प्रिफरेंस) की सन्धियां अब न की जानी चाहिए। किन्तु उन्मुक्त व्यापार के देशों को जकात-ऐक्य (कस्टम यूनियन) बनाने की छूट दी गई है। गैट के माध्यम से तटकर घटाने का प्रयत्न किया जाता है।

फोर फ्रीडम्स (चार स्वतन्त्रताएं)—प्रेज़ीडेण्ट रूज़वेल्ट ने (जनवरी, 1941 को) कांग्रेस को संदेश भेजते हुए चार स्वाधीनताओं की स्थापना पर ज़ोर दिया था और इसको मानव-स्वतन्त्रता के वास्ते आवश्यक बताया था: (1) भाषा व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (2) अपने ढंग से भगवान की उपासना करने की स्वतन्त्रता, (3) अभाव से स्वतन्त्रता, (4) भय से स्वतन्त्रता। यह प्रोग्राम बाद में अगस्त, 1947 को अटलाण्टिक चार्टर में शामिल कर लिया गया।

फोर्टीन प्वाइण्ट—अमेरिकी प्रेज़ीडेण्ट उडरो विल्सन ने 8 जनवरी, 1918 को कांग्रेस को सन्देश देते हुए प्रथम युद्ध की समाप्ति पर विश्व-शान्ति की स्थापना के आधार की बातें घोषित की थीं।

इण्टरनेशनल रेडक्रास—रेडक्रास की दो संस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय हैं: इण्टरनेशनल कमिटी आफ रेडक्रास, और लीग आफ रेडक्रास सोसायटीज़। दोनों के दफ्तर जेनीवा में हैं। यह पहली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका किसी राष्ट्रीय संस्था के साथ सम्बन्ध नहीं और

जेनीवा कन्वेंशन से निर्धारित रेडक्रास के सिद्धान्तों के अनुसार काम करती है। दूसरी विभिन्न देशों की रेडक्रास सोसायटियों में सहयोग बढ़ाने के वास्ते स्थापित की गई है।

जापानी शान्ति-सन्धि—8 सितम्बर, 1951 को सेनफ्रांसिस्को में 49 देशों ने जापान के साथ शान्ति-सन्धि की और जापान के साथ युद्ध-स्थिति की समाप्ति की गई। जापान का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने का अधिकार स्वीकार किया गया। जापान ने कोरिया की स्वाधीनता स्वीकार की और फारमूसा, पेरुकाडोर, कुर्ली, सखालिन, प्रशान्त द्वीपों, अण्टार्कटिक क्षेत्र, स्पार्टली द्वीप, पैरासेल पर से अपने स्वत्व का परित्याग कर दिया। की कीयू और डैटो द्वीपों आदि पर संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टीशिप स्वीकार की।

मार्शल प्लैन—मार्शल योजना यूरोपियन आर्थिक सहयोग संस्था के नाम से भी परिचित है। अमेरिका के परराष्ट्र मंत्री मार्शल ने 5 जून, 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए इस योजना को दुनिया के सामने रखा। इसका उद्देश्य युद्ध से ध्वस्त पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। इस कार्य में डालर की दुर्लभता बाधक हो रही थी, उस बाधा को दूर करने की यह योजना थी। मार्शल योजना का आरम्भ 12 जुलाई, 1947 से पेरिस में हुआ। उद्देश्य था कि 1950 तक इस योजना में भाग लेनेवाले देशों में अधिकतम पारस्परिक सहयोग और सहायता देने की योजना बनाई जाए, वहां अमेरिका ने भी आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई। अमेरिकी सहायता यूरोप को इस संस्था के माध्यम से प्राप्त हुई।

म्युनिक पैक्ट—म्युनिक में जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने 29 सितम्बर, 1932 को सन्धि पर दस्तखत किए और इसके द्वारा स्वीकार किया कि सुडेटन लैंड (चेकोस्लोवाकिया का) जर्मनी को दिया जाए। हिटलर ने मार्च, 1939 में इस सन्धि को तोड़कर रहे-सहे सुडेटन को भी ले लिया।

म्युच्युअल सिक्युरिटी प्रोग्राम (पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम)—अमेरिका जो कुछ आर्थिक सहायता देता है वह म्युच्युअल सिक्युरिटी एक्ट, 1951 के अधीन देता है। इसके अन्तर्गत आर्थिक, सैनिक,

तकनीकी, शिल्पिक सहायता स्वतंत्र देशों को दी जाती है।

उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संस्था (नार्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइज़ेशन, नाटो) अप्रेल, 1949 में एक सन्धि पर हस्ताक्षर होने के बाद इस संस्था की स्थापना की गई। इसके अनुसार इसके सदस्य मानते हैं कि उनमें से किसी एक पर किया गया आक्रमण उनपर ही किए गए आक्रमण के समान है। इसके सदस्य हैं : संयुक्त राज्य, कनाडा, आईलैंड, नार्वे, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेन्मार्क, प० जर्मनी, बेल्जियम, लक्सम्बर्ग, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, ग्रीस और तुर्की। आर्गनाइज़ेशन आफ अमेरिकन स्टेट्स (ओ ए ए स) अमेरिकी राज्यों के मध्य पारस्परिक सहायता और सहयोग को उत्पन्न करने के वास्ते 1948 में इस संस्था की स्थापना की गई।

फिलेडेल्फिया चार्टर—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था (इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइज़ेशन) ने फिलेडेल्फिया में 10 मई, 1944 को फिलेडेल्फिया कान्फ्रेंस में इसको स्वीकार किया। इसका कहना था कि एक देश की गरीबी भी विश्व-शान्ति की स्थापना में बाधक है। श्रम वस्तु नहीं है। अभिव्यक्ति और संघ-सभा बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बिना प्रगति संभव नहीं। अभाव के विरुद्ध युद्ध प्रत्येक देश में ज़ोरशोर से जारी रहना चाहिए।

प्वाइंट फोर—20 जनवरी, सन् 1949 को प्रेज़ीडेण्ट ट्रूमैन ने अमेरिकी परराष्ट्र नीति के चार पथ बनाए थे। चतुर्सूत्री प्रोग्राम होने से इसका नाम यह पड़ा। इसमें अमेरिका के लोगों से अपील की गई थी कि स्वाधीन विश्व के लोगों को मदद देने के लिए वे वस्त्र, मशीन आदि का अधिकतम उत्पादन करें और इस प्रकार उनके बोझ को घटावें। शान्ति, समृद्धि और स्वाधीनता की स्थापना का यह व्यापक प्रयत्न है। प्वाइण्ट फोर का उद्देश्य स्वाधीन देशों की कृषि और औद्योगिक विकास में अमेरिकी यांत्रिक ज्ञान की मदद देना भी सम्मिलित है। तकनीकी सहकारिता प्रोग्राम के वास्ते 1950 में फण्ड दिया गया था।

पान अमेरिकन यूनियन—1890 में अमेरिका महादेश के 21 अमेरिकी गणराज्यों ने इसकी स्थापना की थी। यह अमेरिकी गण-

राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो था। इसके सदस्य अपनी जनसंख्या के हिसाब से इसको चन्दा देते हैं। हर पांच वर्ष पर इसकी आम सभा भी होती है, जिसका नाम है पान-अमेरिकन कान्फ्रेंस।

ईओ ट्रीटी—यह अगस्त, 1947 में की गई थी। इसपर दस्तखत करनेवाले देशों ने माना है कियदि उनमें से किसीपर हमला किया गया तो आक्रान्त देश की प्रार्थना पर वे उसकी सहायता करेंगे। इसके सदस्य हैं : अमेरिका, क्यूबा, होंडूराज, मैक्सिको, गुआतेमाला एल सालवेडर, निकारगुआ, हैती, डोमनीकन रिपब्लिक, कोस्टरीका, पनामा, वेनेजुएला, इक्वेडर, कोलम्बिया, पेरू, बोलविया, पैरागुए, ब्राजील, चिली, अर्जेण्टाइना और यूरूगुए।

सीटो : दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संस्था (साउथ-ईस्ट एशिया ट्रीटी आर्गनाइज़ेशन)—8 सितम्बर, 1954 को मनीला में इसपर हस्ताक्षर हुए। यदि दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त के देशों में से किसीपर आक्रमण हुआ, तो सदस्य देश अविलम्ब परस्पर परामर्श करेंगे और सामान्य प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक उपाय की खोज करेंगे। इसके सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूज़ीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, थाईलैण्ड, पाकिस्तान और फिलीपीन।

ट्रीपाटी सिक्यूरिटी ट्रीटी—8 सितम्बर, 1951 को आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और अमेरिका ने इस सन्धि पर दस्तखत किए : (1) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्ति से निबटायेंगे, (2) जब कभी किसीकी दैशिक एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा खतरे में होगी तो ये परस्पर परामर्श करेंगे। प्रशान्त क्षेत्र में यदि किसीपर विपत्ति आएगी, तो भी ये तीनों परस्पर विचार करेंगे कि क्या किया जाए।

वर्साई सन्धि—प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर मित्रराष्ट्रों ने और जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों के साथ 29 जून, 1919 को यह सन्धि हुई थी। इसकी मुख्य बात यह थी कि राइनलैण्ड पर दस साल तक मित्रराष्ट्रों का अधिकार रहेगा। अलसेस-लोरेन, फ्रांस को और पूर्वी प्रशिया पोलैण्ड को दिया गया था। जर्मनी के सब उपनिवेश ले लिए गए थे। इस सन्धि की मुख्य बात यह थी कि विश्वशान्ति की रक्षा के लिए सर्वप्रथम एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्र

संघ (लीग आफ नेशंस) की स्थापना की गई थी।

वार्सा पैक्ट—कम्युनिस्ट देशों ने पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि इसके द्वारा की है। इसके भागीदार हैं : बल्गेरिया, अलबानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, रूमानिया और हंगरी। 14 मई, 1955 को वार्सा में इसपर दस्तखत हुए। पश्चिमी जर्मनी के शस्त्रीकरण करने से इस सन्धि की आवश्यकता हुई। संयुक्त सैनिक कमान भी स्थापित किया जाएगा। यह सन्धि बीस साल के वास्ते है।

वेस्ट यूरोपियन यूनियन—ब्रुसेल्स सन्धि के द्वारा 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका लक्ष्य पश्चिमी यूरोप की प्रतिरक्षा पर ध्यान देना था। नाटो ने अब यह कार्य ले लिया है। अब इसका काम जर्मनी के शस्त्रीकरण की सतह पर नज़र रखना रह गया है।

यूनाइटेड नेशंस टेक्निकल असिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन (संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन)—1950 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण एवं प्रशासन के क्षेत्र में किसी देश के मांगने पर यह सहायता दी जाती है। विशिष्ट क्षेत्रों के वास्ते विशेषज्ञ दिए जाते हैं। अन्य देशों में अध्ययन और प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं, क्षेत्रीय विचारगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है।

भारत का संविधान

26 जनवरी, 1950 से यह संविधान अमल में आया है। यह भारत में सर्वप्रभुत्व शक्तिसम्पन्न लोकतंत्री गणराज्य की स्थापना करता है। भारत लोकतंत्री गणराज्य (रिपब्लिक) है, अतः सब अधिकार जनता में निहित हैं। देश की जनता में प्रभुत्व शक्ति निहित है।

संविधान की भूमिका में सभी नागरिकों के लिए निम्नलिखित की सुरक्षा प्रदान की गई है :

न्याय—सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ;

स्वतंत्रता—विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा उपासना की ;

समानता—सामाजिक और अवसर की ; और

भ्रातृत्व—व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता की प्रतिष्ठा का आश्वासन।

नागरिकता—भारत-भर में एकल और एकसम नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत में जन्म लेने, भारतीय माता-पिता की सन्तान होने, या संविधान के लागू होने से ठीक पांच वर्ष तक भारत में निवास करनेवाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित भी इन शर्तों को पूरा करने पर भारत के नागरिक हो सकते हैं। विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, यदि वे अपना नाम अपने निवास के देश में स्थित भारतीय राजनयिक व वाणिज्य प्रतिनिधियों द्वारा रजिस्टर्ड (पंजीकृत) करा लें।

मताधिकार—21 वर्ष की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक चुनावों में मत देने का अधिकारी है।

मूल अधिकार—मूल अधिकार सात वर्गों में विभक्त किए गए हैं: (1) समानता का अधिकार, (2) स्वाधीनता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, (6) साम्पत्तिक अधिकार, (7) संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके परिपालन के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है।

निर्देशक सिद्धान्त—राज्य-निर्देशक सिद्धान्त में विहित बातों का परिपालन न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता, पर देश के प्रशासन में इनपर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसमें कहा गया है :(1)सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो। तदनुसार सरकार का कर्तव्य है कि वह जीवन-यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे; (2) समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे; (3) अपनी क्षमता व विकास की सीमा के अनुसार सभीको काम करने का समान अधिकार दे, बेरोज़गारी, बुढ़ापे, व

बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

इसमें यह भी विहित किया गया है कि (1) वैज्ञानिक ढंग से कृषि व पशुपालन का संगठन करना, (2) ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, (3) मादक पेयों का निषेध करना, (4) 14 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों के वास्ते अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

संघ कार्यपालिका—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् का भारत गणराज्य की कार्यपालिका में समावेश होता है। राष्ट्रपति संघ का प्रधान होने के कारण संसद का अधिवेशन बुलाने, संसद में भाषण देने, संसद को स्थगित करने, संसद को संदेश देने, लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। मंत्रिमंडल यद्यपि राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर है, परन्तु उसका जीवन लोक-सभा की दया पर निर्भर है, क्योंकि वह उसके प्रति उत्तरदायी है।

केन्द्रीय विधानमण्डल— इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का समावेश होता है। राज्यसभा के 250 से अधिक और लोकसभा के 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एंग्लो-इंडियनों के दो प्रति-निधियों को नामज़द करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय)—इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कम से कम 10 न्यायाधीश होते हैं। ये 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। ये 62 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज सेवा-निवृत्त होने पर किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता।

राज्य-सरकारों के हिसाब पर निगरानी रखने का कार्य लेखा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करता है।

अन्तर—राज्यसभा और लोकसभा में केवल सदस्यों की संख्या का ही अन्तर नहीं है, अपितु इनके अधिकारों में भी बड़ा अन्तर है। कोई भी विधेयक (बिल) अधिनियम (कानून व एक्ट) होने से पहले दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। यदि कभी दोनों में मतभेद

हो, तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा, पर यह विधेयकों के ही वास्ते हैं। वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किए जाने चाहिए और वहां पहले पारित किए जाने चाहिए। वित्तीय मामलों में लोकसभा का अधिकार सर्वोपरि है। कर-विधेयक स्वीकृति के लिए पहले इसके समक्ष उपस्थित किए जाते हैं।

राज्य—राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् राज्य की कार्यपालिका के अंग हैं। केन्द्र में जैसे महान्यायवादी (एटर्नी-जनरल) है, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) हैं, और ये कानूनी बातों में पूछने पर परामर्श देते हैं। आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र में विधानपरिषद् और विधानसभा दोनों ही हैं। शेष राज्यों में केवल विधानसभा ही हैं। विधानसभा में राज्यों से निर्वाचित अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं।

उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट)—राज्यों में उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से करते हैं। इनको भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ही भांति पदच्युत किया जा सकता है।

केन्द्र से सम्बन्ध—संसद सारे देश या उसके किसी एक भाग के बारे में कानून बना सकती है। उसका बनाया कानून इसी कारण अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह अतिरिक्त प्रादेशिक न्यायाधिकार क्षेत्र का है। केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन तीन सूचियों द्वारा किया गया है। केन्द्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्यसभा राज्यों के विषयों में से भी किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे सकती है। जैसे केन्द्र ने देश-भर को अनाज पुराया (सप्लाई) करने और भूख से बचाने की ज़िम्मेदारी ली हुई है, इस कारण इसको कृषि की पैदावार के वितरण के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। यद्यपि कृषि राज्य-सूची में है।

व्यापार, वाणिज्य व विनिमय की स्वतंत्रता के सिद्धान्त भी विहित किए गए हैं। राज्य-कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवामुक्ति

का नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय व राज्यीय लोकसेवा आयोगों (पब्लिक सर्विस कमीशन) की नियुक्ति की व्यवस्था है।

राजभाषा—संघ राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, परन्तु जब तक अहिन्दी-भाषी चाहें तब तक हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का भी संघ राज्य के कार्यों के वास्ते व्यवहार हो सकता है। 1975 में हिन्दी आयोग की नियुक्ति होगी, जो हिन्दी की प्रगति पर प्रतिवेदन देगा। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियों के वास्ते एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है।

26 जनवरी, 1950 के बाद से अब तक संविधान में सोलह संशोधन हो चुके हैं।

संशोधन—संविधान के न्यायालयों से सम्बद्ध अनुच्छेदों में संशोधन अकेले संसद नहीं कर सकता, इसके लिए राज्यों की अनुमति लेना भी आवश्यक है। यही बात राज्यों की सीमा के परिवर्तन के बारे में है। 1951 में पहला संशोधन किया गया। अनुच्छेद 31 ए और31 बी दो बढ़ाए गए और 15, 19, 85, 87, 174, 342, 372 और 375 में साधारण संशोधन किए गए। ज़मींदारी उन्मूलन कानून को सफल बनाने के लिए ये संशोधन किए गए। क्षतिपूर्ति की समस्या इस प्रकार हल की गई। अनुच्छेद ए 19 में संशोधन किया गया कि मैत्री-पूर्ण सम्बन्धों की रक्षा के लिए वाक्य व लेखन-स्वातंत्र्य प्रतिबन्धित व सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में से उपधारा 6 को हटा दिया गया। अनुच्छेद 15 में उपधारा (4) का समावेश किया गया और माना गया कि पिछड़े वर्ग की सामाजिक व शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष उपबन्ध राज्य कर सकता है। इसके बल पर शिक्षण संस्थाओं में हरिजनों, अब्राह्मणों आदि के वास्ते स्थान सुरक्षित रखा जाता है। 1952 में संविधान में दूसरा संशोधन किया गया। 1951 में जनगणना पूरी होने के कारण इसकी आवश्यकता हुई। तीसरा संशोधन 1952 में किया गया। और 7वीं सूची में 33 में यह परिवर्तन किया गया कि केन्द्रीय सरकार ज़रूरत होने पर खाद्य पदार्थों, पशु-चारा, कपास, और जूट के उत्पादन व पुराया (सप्लाई):

का नियंत्रण कर सकती है। अनुच्छेद 31 ए में संशोधन किया गया। अल्पकाल के वास्ते राज्य यदि कोई सम्पत्ति ले तो उसका मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं, यह विहित किया गया।

1955 में पांचवां संशोधन किया गया। केन्द्रीय सूची में 92 क बढ़ाया गया। इसका सम्बन्ध अन्तरराज्य क्रय-विक्रय पर कर लगाने से था। इसी कारण अनुच्छेद 269 और 266 में भी संशोधन किया गया। 1956 में सातवां संशोधन किया गया और इसके मुताबिक 1 नवम्बर, 1956 से भाषावार राज्यों की स्थापना हुई। राज्यप्रमुखों का इसके कारण अन्त हो गया। राज्यों के अवान्तर भेद का भी अन्त हो गया। सब राज्य समान हो गए। अनुच्छेद 81 और 82 में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 131, 168, 216, 217, 220, 222, 224 (उच्च न्यायालय-सम्बन्धी) भी इससे प्रभावित हुए, और 350 ख में दो अनुच्छेद भाषिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए जोड़े गए। 1959 में आठवां संशोधन किया गया। हरिजनों आदि के वास्ते स्थानों को और दस साल के वास्ते सुरक्षित रखा गया, अन्यथा 1960 में इसका अन्त हो जाता।

1960 में नवां संशोधन किया गया संविधान की पहली सूची में जिससे बेरुवारी पाकिस्तान को दिया जा सके।

1961 में दसवें संशोधन करने का उद्देश्य दादर-नगर हवेली के वास्ते राष्ट्रपति को (अनुच्छेद 240) नियम बनाने का अधिकार देना था।

11वां संशोधन 1961में किया गया। अनुच्छेद 66 में की आवश्यकता को रद्द करना था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों सदनों का निर्वाचक मंडल बनाना चाहिए। सदस्यों की बैठक न बुलानी पड़े यह इस संशोधन का उद्देश्य था। अनुच्छेद 71 में भी संशोधन किया गया और किसी क्षेत्र का निर्वाचन न होने के कारण राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध न ठहराया जा सकेगा। मार्च, 1962 में बारहवां संशोधन किया गया। गोआ, दमन, दीऊ को भारतीय प्रशासन का एक भाग मानने के वास्ते अनुच्छेद 162 में संशोधन किया गया। 240 (1) में संशोधन किया गया जिससे राष्ट्रपति इनके बारे में

नियम बना सके।

13वां संशोधन 1962 में किया गया और नागालैंड नाम से एक पृथक् राज्य स्थापित किया गया।

14वां संशोधन भी 1962 में किया गया और पार्लमेंट को संघीय प्रदेशों में मंत्रिमंडल व विधानसभा स्थापित करने का अधिकार दिया गया। पांडीचेरी, केरीकल, माहे और यनम फ्रेंच बस्तियों को भारत में सम्मिलित किया गया। पांडीचेरी भी एक प्रदेश माना गया।

पन्द्रहवां और सोलहवां संशोधन 1963 में किया गया। एक से तो भारत से किसी राज्य को पृथक् करने का आन्दोलन करना राजद्रोह माना जाएगा, दूसरे से चुनाव में व्यक्ति खड़ा होगा, उसको संविधान व भारत की अखंडता की रक्षा की शपथ लेनी होगी—यह नियम बनाया गया।

राष्ट्रीय चिह्न, पुरस्कार व मान-सम्मान

सारनाथ व सांची में अशोक-निर्मित सिंह-स्तम्भ हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय चिह्न में भी इसीको स्थान दिया गया है। राज-चिह्न में तीन सिंह दिखाई देते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाईं और बाईं ओर एक सांड और घोड़ा है। चिह्न के नीचे देवनागरी लिपि में मुण्डकोपनिषद् का यह वाक्य 'सत्यमेव जयते' अंकित है।

राष्ट्रीय झंडा—22 जुलाई, 1947 को विधानपरिषद् ने जो राष्ट्रीय झण्डा स्वीकृत किया, वह कुछ परिवर्तनों के साथ 1906 से चला आ रहा था। कलकत्ता कांग्रेस पर झण्डा फहराया गया था और इसमें लाल, पीला और हरा रंग था। श्रीमती कामा और क्रान्तिकारियों ने पेरिस में भी इसी तरह का झण्डा फहराया था। 1917 में लो॰ तिलक ने होमरूल आन्दोलन के सिलसिले में झण्डा फहराया। गांधीजी ने 1921 में तिरंगा झण्डा स्वीकार किया। यही विधानपरिषद् ने माना। केवल चर्खे की जगह चक्र कर दिया। यह झण्डा आयताकार तीन पट्टियों से बना है। सबसे ऊपर

केसरिया, मध्य श्वेत और नीचे हरा रंग है। झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। श्वेत पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भवाले धर्म-चक्र की बनावट का है।

नियम—झण्डा फहराने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। यह झण्डा सर्वोपरि रहना चाहिए। इसके दाहिनी ओर और इसके ऊपर कोई अन्य झण्डा नहीं फहराया जा सकता। झण्डे को लिटाकर या झुकाकर कहीं न ले जाया जाए। जलूस में झण्डा ध्वजवाहक के दायें कंधे पर रहना चाहिए। मकान आदि पर दंडे आदि के सहारे फहराना हो तो केसरियां भाग ऊपर रहना चाहिए। यह सरकारी इमारतों पर ही फहराया जाना चाहिए। (राष्ट्रपति और राज्यपालों के झण्डे अपने-अपने हैं।)

स्वतंत्रता दिवस, गणराज्य दिवस, म० गांधी के जन्मदिन, राष्ट्रीय सप्ताह व अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहरा सकता है।

राष्ट्रगान—24 जनवरी, 1950 को कवीन्द्र रवीन्द्र द्वारा रचित 'जनगण मन अधिनायक जय हे' को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। इस विषय में विवाद मिटाने के लिए बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित गीत 'वन्देमातरम्' को भी इसके समान दर्जा दिया गया। क्योंकि वन्देमातरम् 1896 की कांग्रेस में राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया गया था।

सम्मान व पुरस्कार

भारत-रत्न—कला, साहित्य व विज्ञान की उन्नति के लिए किए गए असाधारण कार्य और परमोच्च देशसेवा के उपलक्ष्य में यह सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाता है। यह पीपल के आकार का पदक होता है। यह $2\frac{5}{16}$ इंच लम्बा $1\frac{7}{8}$ इंच चौड़ा $\frac{1}{8}$ इंच मोटा होता है। यह ठोस कांसे का बना होता है। इसके उपरले भाग में सूर्य की उभरी हुई आकृति होती है। इसके नीचे भारत-रत्न अंकित होता है। इसके पिछले भाग पर राजचिह्न और हिन्दी में ध्येय-

वाक्य होता है। सूर्य की आकृति, राजचिह्न और चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है। भारत-रत्न के अक्षर चमकीले कांसे के होते हैं। भारत-रत्न अब तक निम्न व्यक्तियों को दिया गया है :

डा० राजेन्द्रप्रसाद, डा० राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, डा० सी० वी० रमन, डा० भगवानदास, डा० एम० विश्वेश्वरैया, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, डा० डी० के० कर्वे, डा० ज़ाकिरहुसैन, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, डा० विधानचन्द्र राय, डा० के० आर० आई० डोराई सरामी व डा० पांडुरंगवामणकाणे।

पद्मविभूषण—असामान्य और विशिष्ट सेवा करनेवालों को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, दिया जाता है। यह सम्मानसूचक पदक वृत्ताकार होता है। इसपर ज्यामितिक आकार उभरा होता है। वृत्त का व्यास $1\frac{3}{4}$ इंच होता है और मोटाई $\frac{1}{4}$ इंच। गोल हिस्सों के उपरले भाग में कमल उभरा होता है। इसके नीचे विभूषण शब्द हिन्दी में लिखा होता है। यह भी ठोस कांसे का होता है।

पद्मभूषण—किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इसकी रचना भी पद्मविभूषण के पदक जैसी है। कमल के पुष्प के ऊपर पद्म और नीचे भूषण के अक्षर लिखित होते हैं। दोनों ओर के ज्यामितिक आकार चमकीले कांसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ भाग स्टैंडर्ड सोने का होता है।

पद्मश्री—यह सम्मान भी किसी व्यक्ति को विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जा सकता है।

वीरता के लिए पुरस्कार—

रणक्षेत्र में असाधारण वीरता दिखाने पर सैनिकों को सम्मानार्थ परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त युद्धक्षेत्र से बाहर असाधारण साहस और बहादुरी दिखाने पर अशोक चक्र दिया जाता है। अशोक चक्र के तीन वर्ग हैं :

परमवीर चक्र—वीरता का सर्वोच्च सम्मानसूचक परमवीर चक्र पदक है। यह शत्रु के सामने असीम शौर्य और अदम्य साहस

दिखाने या आत्मबलिदान करने पर भेंट किया जाता है।

महावीर चक्र—यह सम्मान में दूसरे स्थान का है। यह जल, थल, नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम प्रदर्शित करने पर दिया जाता है।

वीर चक्र—शौर्य व वीरता के सम्मान में वीर चक्र का स्थान तीसरा है।

अशोक चक्र—जल, थल, नभ में असाधारण बहादुरी प्रदर्शित करने, बलिदान का असाधारण कार्य करने या साहसिक काम करने पर यह पदक दिया जाता है। अशोक चक्र केवल सैनिक ही नहीं, अपितु नागरिक असैनिक भी इसको पाने के अधिकारी हैं। यह नर-नारी दोनों को मिल सकता है।

अशोक चक्र गिल्ट-सोने का वृत्ताकार बना होता है।

खरीतों में—युद्ध-क्षेत्र में जिनका शौर्य, साहस और बहादुरी पदकों के योग्य नहीं मानी जाती उनका ज़िक्र खरीतों में किया जाता है। और यह 15 अगस्त, 1947 से किया जाता है। जिनके नाम का उल्लेख इन सैनिक खरीतों में होता है वे छोटे पत्ते की शक्ल का पदक धारण करते हैं।

आम सेवा पदक—15 अगस्त, 1947 के बाद रक्षा-क्षेत्र में लड़ते हुए जिन्होंने अनमोल सेवा की है, उनको पदक के साथ एक क्लास्प (बकलस) भी दिया जाता है, जिसमें उस विशिष्ट युद्ध का उल्लेख होता है। इसका आरम्भ कश्मीर-युद्ध के समय किया गया था।

अब तक दो क्लास्प जारी किए गए हैं। पहला अक्टूबर, 1947 से जनवरी, 1949 तक हुए कश्मीर-युद्ध के वास्ते।

और दूसरा उन लोगों के वास्ते जिन्होंने कोरिया में युद्ध में 1950-53 के मध्य वैयक्तिक रूप से सेवा की थी।

प्रादेशिक सेना (टेरीटोरियल आर्मी)—इसके कमीशंड अफसरों का भी सम्मान करने के लिए उनको अलंकरण (डेकोरेशन) दिए जाते हैं। 20 साल की बहुमूल्य सेवा के बाद दिया जाता है।

टेरीटोरियल आर्मी मेडल—टेरीटोरिल आर्मी (प्रादेशिक सेना)

के अवर (जूनियर) कमीशंड अफसरों और नानकमीशंड अफसरों को यह पदक दिया जाता है।

अन्य पुरस्कार अथवा सम्मान—

राष्ट्रीय अध्यापक—1949 में भारत सरकार ने विद्वानों का सम्मान करने और उनको आजीविका से निश्चिन्त हो शोध-कार्य करने के वास्ते कुछ राष्ट्रीय अध्यापकों के कुछ पद निर्माण किए। इनको 2500 रु० मासिक दिया जाता है। राष्ट्रीय प्राध्यापकों में डा० सी० वी० रमन, डा० राधाविनोद पाल भी हैं।

पुरस्कृत विद्वान—संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के विद्वानों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष कुछ को सम्मान प्रमाण-पत्र और 1500 रु० दिए जाते हैं। यह सम्मान प्राप्त करनेवालों में श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, श्री पाद दामोदर सातवलेकर, श्री पांडु-रंगवायन काणे सदृश प्रख्यात विद्वान हैं।

साहित्य अकादमी—12 मार्च, 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। भारत सरकार ने इसका उद्देश्य रखा है: भारतीय साहित्य की उन्नति करना, साहित्य का उच्च प्रतिमान स्थापित करना, और भारतीय भाषाओं के साहित्यिक कार्यों में एक-सूत्रता लाना एवं देश में सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसका संचालन 70 व्यक्तियों की एक कौंसिल करती है। साहित्य अकादमी ने संविधान में विहित 14 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेज़ी और सिंधी को भी स्वीकार किया है। प्रत्येक भाषा के लिए पृथक्-पृथक् परामर्शदात्री समितियां हैं। साहित्य अकादमी के कुछ काम इस प्रकार हैं: (1) कालिदास की रचनाओं का प्रकाशन, भारतीय साहित्य का इतिहास, सामयिक हिन्दी साहित्य (1947–60), (2) सरदार पूर्णसिंह के ग्रंथों का संग्रह, (3) भारतीय कविता, (4) मौलाना आज़ाद के ग्रंथों का संग्रह, (5) कोश।

यह प्रकाशकों को भी सहायता देती है। यूनेस्को से इसका सम्बन्ध है।

साहित्य अकादमी विभिन्न विषयों की सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रति-

वर्ष 5000 रुपये का पुरस्कार देती है। हिन्दी में अब तक यह सम्मान

इनको मिला है : सर्वश्री माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारीसिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, जयचन्द्र विद्यालंकार, सुमित्रानन्दन पंत व भगवतीचरण वर्मा।

संगीत-नाटक अकादमी—इसकी स्थापना 23 जनवरी, 1953 को की गई। इसका उद्देश्य भारतीय नृत्य, अभिनय और संगीत व फिल्मों को प्रोत्साहन देना है। इसके माध्यम से सांस्कृतिक एकता बढ़ाना भी इसका कार्य है। अकादमी क्षेत्रीय संस्थाओं के कार्य में एकसूत्रता लाती है, और इन तीनों के क्षेत्र में पर्वों और महोत्सवों के मौके पर इनका विनिमय करती है। प्रदेशों में इस उद्देश्य से काम कर रही संस्थाएं इससे सम्बद्ध हैं! नृत्य के प्रशिक्षण के वास्ते अकादमी ने दो स्कूल खोले हुए हैं। नई दिल्ली में नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, एशियन थियेटर इंस्टीट्यूट, और दूसरा इम्फाल में मणिपुर डांस कालेज।

अकादमी कलाकारों का प्रतिवर्ष सम्मान भी करती है। वाद्य व कण्ठ-संगीत दोनों का यह विकास करती है। इसके कुछ कार्य हैं : (1) रेडियो नाटक, (2) रेडियो संगीत सम्मेलन, (3) संगीत का राष्ट्रीय प्रोग्राम, वाद्यवृन्द (राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा)।

ललितकला अकादमी—5 अगस्त, 1954 को इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है : चित्रकारी, मूर्ति-निर्माण, शिल्प और व्यावहारिक कला को प्रोत्साहन देना, उसका अध्ययन और अनुसंधान करना। उद्देश्य-पूर्ति के लिए अकादमी प्रदर्शनियों का आयोजन करती है, विभिन्न प्रदेशों की दस्तकारी के प्रदर्शन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। प्राचीन भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला का प्रशिक्षण देने की भी यह व्यवस्था करती है। इस प्रकार विलुप्त कला का इसने उद्धार किया है। 1954 में आधुनिक कला को संरक्षण देने के विचार से नेशनल गैलरी की प्रतिष्ठा की गई। इसमें 2056 कला-वस्तुएं संगृहीत हैं। यह प्रकाशन भी करती है।

1956 में अद्भुतालयों व संग्रहालयों की स्थापना व निर्माण पर सलाह देने के लिए सेण्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड आफ म्युज़ियम (केन्द्रीय संग्रहालय परामर्शदात्री पटल) की स्थापना की गई।

कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियां

1853 16 अप्रैल, 1853 को पहली भारतीय रेलवे बम्बई-थाना के बीच 13 मील चली।

1905 मार्च, 1905 में लार्ड कर्ज़न के समय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई।

1925 बिजली की पहली रेलगाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस (बम्बई) और कुर्ला के बीच चली।

1937 वातानुकूलित (एयर कंडिशंड) सवारी डब्बा (कोच) 1937 में बम्बई-दिल्ली के मध्य चलनेवाली गाड़ी में जोड़ा गया।

1951 चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, रेलवे एंजिन बनाने के कारखाने का विधिवत् उद्घाटन 26 जनवरी, 1951 को किया गया।

1952 बड़ौदा में जनवरी, 1952 में रेलवे स्टाफ कालेज की स्थापना की गई।

1953 रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली और कलकत्ता में 2 अक्तूबर, 1953 को किया गया।

1956 प्रथम दालान या गलियारेवाली वातानुकूलित तीसरे दर्जे की एक्सप्रेस गाड़ी (वेस्टीवुल्ड एयर कंडीशंड) दिल्ली-कलकत्ता के बीच 2 अक्तूबर, 1956 को शुरू हुई।

1956 पीराम्बूर (मद्रास) में 14 अगस्त, 1956 को सम्पूर्ण इस्पात की सवारी गाड़ी बनानेवाले कारखाने की स्थापना की गई। यहां ब्राड गेज के डब्बे ही बनाए जाते हैं।

1955 दिल्ली-हवड़ा के मध्य 7 अक्तूबर, 1955 को जनता-एक्सप्रेस का सूत्रपात हुआ। बाद में दिल्ली, मद्रास, हवड़ा और मद्रास-बम्बई के मध्य भी यह चलाई गई।

रेलवे के तथ्य

- भारतीय रेलवे प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी और दुनिया में चौथे स्थान की है। सोवियत रूस के बाद भारतीय रेलवे ही

सबसे बड़ी राष्ट्रीयकरण की रेलवे है। भारत में 5400 रेलवे स्टेशन हैं। तीसरे दर्जे के यात्री रेलवे राजस्व का 90 प्रतिशत भाग देते हैं। भारतीय रेलवे की 7000 से अधिक गाड़ियां रोज़ चलती हैं। इनमें 4500 मुसाफिरी गाड़ियां होती हैं।

- यदि सब रेलों की मुसाफिरी गाड़ी के डब्बों को एकसाथ जोड़ा जाए तो 125 मील लम्बी रेल तैयार हो जाएगी।
- भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 40 लाख, भारतीय जनसंख्या के 1 प्रतिशत मुसाफिरों का वहन करती है।
- भारत में तीन किस्म की रेलवे हैं : ब्राड गेज (5′–6″), मीटर गेज (3′–3⅜″) और नैरो गेज (2′–6″ और 2′)
- अधिकांश रेलवे गेज 5 फुट 6 इंच चौड़े हैं और ये दुनिया-भर में सर्वाधिक चौड़े हैं।
- भारत की गाड़ियों में प्रसिद्ध गाड़ी **दकन क्वीन** है। यह बम्बई-पूना के बीच चलती है। यह थोड़ी दूर की सर्वाधिक तीव्र गाड़ी है। इसकी चाल 45 मील प्रतिघंटा तक होती है। **फ्लाइंग रानी :** यह पश्चिमी रेलवे की बम्बई-सूरत के मध्य चलनेवाली गाड़ी है। यह भारत की कारीडर (गालियारा) ट्रेन है। दिल्ली-मद्रास के बीच 1371 मील दूरी पार करनेवाली गाड़ी है। **दिल्ली-मद्रास ग्रांड-ट्रंक एक्सप्रेस :** यह भारत खंड के आधे से अधिक भाग को पार कर जाती है। **फ्रण्टियर मेल :** इसकी पहली शान नहीं रही। पर बम्बई और उत्तर भारत के मध्य यह सबसे तेज चलनेवाली गाड़ी है।
- भारतीय रेलवे माल-परिवहन का 80 प्रतिशत और मुसाफिरी का 70 प्रतिशत ढोती है। केवल दो अक्षरों 'आई बी' नाम का रेलवे स्टेशन दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर झारसूगुडा और ब्रजराज-नगर (उड़ीसा) के बीच है।
- सबसे लम्बी रेलवे सुरंग टोरसी टनल है। यह पौन मील है।
- भारत में सबसे पुराना लोहे का रेलवे पुल गोमती पर ओल्ड आयरन ब्रिज है।
- भारत में रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफार्म सोनपुर (2415 फुट) है।
- भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर किताबों की 342 दुकानें हैं।

- भारतीय रेलवे प्रतिवर्ष 1 कोटि टन कोयला खर्च करती है।
- रेलवे का सबसे बड़ा पुल सोन ब्रिज है। इसमें 95 कमान (स्पैन) हैं। हरएक 100 फुट दूर है। पुल 10052 फुट लम्बा है।
- 11 मार्च, 1952 को 30624 मील लम्बी लाइन पर बिजली की गाड़ी चलती थी।

भारतीय रेल का विस्तार

	मील		मील		मील
1863	2507	1933-34	42953	1956-57	34406
1893	10459	1947-48	33985	1957-58	34889
1903	26956	1950-51	34079	1958-59	35081
1913–14	34656	1952-53	34275	1959-60	35213
1923–24	38039	1953-54	34705	1960-61	35395

गैर-सरकारी रेलवे

अहमदपुर—कटवा	32 मील	बर्दवान—कटवा	32 मील
आरा—ससराम लाइट	65 ,,	देहरी रोहतास लाइट	42 ,,
बांकुरा दामोदर रिवर	60 ,,	फतवा इस्लामपुर	87 ,,
बख्तियारपुर—बिहार लाइट	38 मील	हवड़ा—ऊमता लाइट	17 ,,
हवड़ा—शेखाला लाइट	17 ,,	शाहदरा—सहारनपुर लाइट	93 मील

रेलवे वित्त (करोड़ रु० में)

	लगी पूंजी	यातायात से कुल आय	कुल व्यय	विशुद्ध राजस्व
1960-61	152087	456·80	368·93	87·87
1961-62	170743	501·24	409·06	92·17
1962-63 (बजट)	190393	545·36	440·29	105·07

	केन्द्रीय सरकार को लाभांश	बचत	मूल्यह्रास
1960-61	55-86	32·01	45·00
1961-62	75-70	16·47	65·00
1962-63 (वजट)	81-85	23·22	67·00

रेलवे की प्रगति—स्वाधीन भारत की रेलवे की कुछ उन्नतियां व सुधार इस प्रकार हैं :

1. सवारी के डब्बे हल्के और पूर्णतः इस्पात के बने हैं ।
2. महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में दूर के सफर में डब्बों व स्थान का सुरक्षित किया जाना ।
3. पिछले दस वर्षों में 1700 नई गाड़ियां चलाई गईं ।
4. सब जनता एक्सप्रेस वेस्टीवुलेंड (दालान व गलियारेवाली) और वातानुकूलित हैं ।
5. तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिए भी एकमात्र ऊंचे दर्जे के यात्रियों के वास्ते बने कैंटीन, डाइनिंग कार और विश्रामगृह खोल दिए गए हैं ।
6. डीलक्स ट्रेन में तीसरे दर्जे के डब्बे भी वातानुकूलित (एयर कंडीशंड) हैं । ये दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-कलकत्ता, और दिल्ली-बम्बई के बीच के ट्रंक मार्ग पर चलते हैं ।
7. दूसरे नियोजन के पहले चार वर्षों में 779 स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया ।

नियोजन-काल में रेलवे—पहले नियोजन में रेलवे के विस्तार और पुनस्थापन पर 438·73 करोड़ रु० खर्च किया गया । दूसरे नियोजन में रेलवे को 1121·5 करोड़ रु० दिया गया । मार्च, 1960 तक इसमें से 855 करोड़ रु० खर्च हुआ । नियोजन-काल की सिद्धियां हैं : (1) 800 मील नई लाइन बनाई गई, (2) 800 मील रेल लाइन दुहरी की गई, (3) पूर्वी क्षेत्र में 500 मील लाइन का विद्युतीकरण किया गया ।

रेलवे संगठन

रेलवे संचालन के विचार से 8 क्षेत्रों या ज़ोनों में विभक्त हैं। रेलवे-सम्बन्धी माल के उत्पादन का कार्य करने के लिए नई दिल्ली में सेंट्रल स्टैंडर्ड ग्राफिस है। इंजीनियरिंग के तीनों विभागों के लिए इसकी तीन शाखाएं हैं। इसके साथ एक अनुसन्धान-विभाग भी है।

इण्डियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन—इसकी स्थापना 1871 में की गई थी। 1802 में पुनः इसको ग्रारम्भ किया गया। यह स्थायी ग्रौर गैर-सरकारी संस्था है। यह सब रेलों की सामान्य समस्याओं पर विचार करती है। रेलों के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी विचार करती है।

डाइरेक्टर-जनरल के अधीन खोज, आकल्पना (डिज़ाइन), स्टैंडर्ड ग्रारगनाइज़ेशन है। इसके अतिरिक्त पांच सलाहकार समितियां हैं। इनमें एक रेलवे का उपयोग करनेवालों की समिति है। सम्पूर्ण रेलवे पर रेलवे वोर्ड का नियंत्रण है। रेलवे मंत्री व उपमंत्री नीति के लिए उत्तरदायी हैं। यह स्वतः रेलवे मंत्रालय के अधीन है। 1905 से रेलवे बोर्ड निरन्तर काम कर रहा है। वोर्ड को परामर्श देने के लिए चीफ इंजीनियर ग्रौर चीफ मेकेनिकल इन्जीनियर हैं। 1923-24 में ही एक फाइनेन्शियल कमिश्नर भी नियुक्त किया गया। भारतीय रेलवे एशिया में सबसे वड़ी है। अन्तर्देशीय क्षेत्र के 80 प्रतिशत माल ग्रौर 70 प्रतिशत यात्रियों का वहन रेलवे ही करती है। रेलवे वोर्ड का ग्रध्यक्ष पदेन रेलवे मंत्रालय का सेक्रेटरी-जनरल है। 1925 में रेलवे वित्त साधारण वित्त से अलग किया गया ग्रौर रेलवे का बजट केन्द्रीय सरकार के वजट से पृथक् पेश होने लगा। भारत में 181 डीज़ल एंजिन हैं। रेलवे के कुछ भाग का डीज़लीकरण किया जा रहा है। 1947 से पहले 37 रेलवे प्रणालियां थीं। इनको ग्राठ क्षेत्रों या ज़ोनों में बांटा गया है। दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी ग्रौर उत्तर रेलवे के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, मध्य ग्रौर उत्तर-पूर्वी सीमान्त रेलवे ज़ोन हैं।

परिवहन और संचार

परिवहन व संचार मंत्रालय के अन्तर्गत (1) छोटे व बड़े बन्दरगाह,(2) जहाज़रानी व जहाज़गोदी, (3) प्रकाश-स्तम्भ व प्रकाश-पोत, (4) अन्तर्देशीय जल-परिवहन, (5) पथ-परिवहन, रेलवे-समेत परिवहन के सब साधनों का एकीकरण, (6) राष्ट्रीय राजपथ-समेत सड़कों का विकास, (7) केन्द्रीय सड़क फण्ड, (8) पर्यटन, (9) हवाई उड्डयन व रात्रि हवाई डाक हैं।

पर्यटन के वास्ते एक पृथक् डाइरेक्टर-जनरल 1958 से है। यह विभाग अन्यों से पृथक् है। विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों में एकसूत्रता लाने के विचार से परिवहन विकास परिषद् तथा सड़क व अन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्श समिति और केन्द्रीय परिवहन एकसूत्रता कमेटी की स्थापना की गई है।

सड़कें—भारत के लिए सड़कों का अत्यधिक महत्त्व है। देश के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए इनका अच्छा होना और बारहों मास काम योग्य होना भी ज़रूरी है। प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी सड़कों का महत्त्व है। हमारी सेना न्यूनतम समय में किसी भी एक जगह एकत्र हो सके, इसके लिए अच्छी सड़कों का होना ज़रूरी है। गांवों और बाज़ार के मध्य उपयुक्त सड़कों की कमी है। देहात की अधिकांश सड़कें बरसात में काम की नहीं रहतीं। अशोक, शेरशाह और मुगलों ने सड़कों का जो ढांचा छोड़ा था, उसके ऊपर वर्तमान सड़कों का निर्माण हुआ है। प्रथम महायुद्ध के बाद मोटर-परिवहन बढ़ने से सड़कों का भी महत्त्व बढ़ा और इस ओर सरकार का भी ध्यान गया। जयकर-कमिटी (1928) ने इसलिए कहा कि ज़िलाबोर्डों और प्रादेशिक सरकारों के वश में इनका बनाना नहीं रहा। सड़कें राष्ट्रीय महत्त्व की हो गई हैं। इस समय केन्द्रीय रोड फण्ड की स्थापना की गई। केन्द्रीय सड़क संस्था की स्थापना 1930 में की गई। 1935 में ट्रांसपोर्ट एडवाइज़री कौंसिल की स्थापना की गई। सड़क-विकास का कार्य केन्द्र और प्रदेशों में विभक्त है।

राष्ट्रीय महत्त्व और राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण और इनकी सार-

संभाल केन्द्र की जिम्मेदारी है, शेष के लिए प्रदेश उत्तरदायी है। सेण्ट्रल रोड फण्ड (1929) की स्थापना सड़कों के विस्तार के ख्याल से की गई। इसका छठा भाग केन्द्रीय प्रशासन के वास्ते सुरक्षित रखा जाता है। प्रत्येक राज्य पेट्रोल जिस मात्रा में खपत करता है, उस हिसाब से उसको इसमें से भाग दिया जाता है। इस विषयक अनुसन्धान व शोध-कार्य भी इसी फण्ड से किया जाता है। इस फण्ड का पांचवां भाग अब राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यों के लिए सुरक्षित रखा जाता है।

नागपुर-योजना—1943 में रोड कांग्रेस ने निर्धारित किया कि 331000 मील सड़कें बनाई जाएं। नागपुर-योजना के अन्तर्गत सड़कों का वर्गीकरण इस रीति से किया गया :

राष्ट्रीय राजपथ, प्रादेशिक राजपथ, जनपदीय बड़ी व छोटी सड़कें और ग्राम-पथ। नागपुर-योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1961 तक 144000 मील बिना तारकोल की और 250000 मील पक्की सड़क बननी चाहिए थी। इस लक्ष्य को भारत पार कर गया है। राष्ट्रीय राजपथ केन्द्रीय जिम्मेदारी की सड़कें हैं। विद्यमान राजपथ : (1) अमृतसर-कलकत्ता, (2) आगरा-बम्बई, (3) बम्बई-बंगलौर-मद्रास, (4) मद्रास-कलकत्ता, (5) कलकत्ता-नागपुर-बम्बई, (6) वाराणसी-नागपुर-हैदराबाद-कुरनूल-बंगलौर-कन्याकुमारी, (7) दिल्ली-अहमदाबाद-बम्बई, (8) अहमदाबाद-कांडला बन्दरगाह, (9) अम्बाला-शिमला-तिब्बत सीमा, (10) दिल्ली-मुरादाबाद-लखनऊ, (11) लखनऊ-मुजफ्फरनगर-बरौनी-नेपाल सीमा, (12) असम रोड, (13) असम ट्रंक रोड।

रोड-कांग्रेस—इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। सड़क से सम्बन्धित इन्जीनियर इसके सदस्य हो सकते हैं। यह गैर-सरकारी संस्था है। यह संस्था सड़क-निर्माण के अनुभवों के बारे में विचार करती है। नेफा, नागालैण्ड और कुछ अन्य भागों की सड़कों का निर्माण-कार्य सेण्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्ट, सिक्किम के पास है।

सेण्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट—इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1952 में ओखला (दिल्ली) में की गई। यहां सड़क-इंजीनियरिंग के बारे में

खोज की जाती है और कम दाम में पक्की सड़क बनाने के उपायों को खोजा जाता है। मिट्टी में कोलतार मिलाकर बनाई गई ईंटों से बनाई गई सड़क पक्की होती है, इस क़िस्म की खोजें की जाती हैं। नई डिज़ाइन (आकल्पना) की बैलगाड़ी बनाने का भी सोचा जा रहा है। रोड़ी की जगह कंकरीट की गांवों में सड़कें सस्ती बन सकेंगी। राजपथ-निर्माण और पुल-इंजीनियरिंग का आधुनिक प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था देश में बढ़ाई जा रही है। मोटर-वाईसिकल एक्ट, 1939 परिवहन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। मोटरों पर लगाए कर का लाभ ज़िलाबोर्डों को मिला है, क्योंकि सड़कों को ठीक रखने की ज़िम्मेदारी इनपर भी है। मोटर परिवहन का विकास निजी उद्योग का फल है।

सड़कों का राष्ट्रीयकरण—अनेक राज्यों में मुसाफिर परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण हो गया है। इनका संचालन रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 के अन्तर्गत किया जाता है। हरएक राज्य में अलग-अलग परिवहन सेवामण्डल हैं।

अन्तर्राज्य परिवहन कमीशन—अन्तर्राज्य पथों पर परिवहन सेवा का नियमन और एकसूत्रीकरण करने के लिए इसकी स्थापना की गई है।

मोटर-गाड़ियां—भारत में 1947 में 211949 मोटर-गाड़ियां थीं, 1950 में इनकी संख्या 294729 थी, और दस साल बाद 1960 में लगभग दुगुनी 598384 हो गईं। मार्च, 1960 में भारत में 69364 मोटर-साइकलें, 4960 मोटर-रिक्शा, 26290 जीप, 240370 निजी कारें, 50767 टैक्सियां, 18148 मोटर कैब, 152938 ट्रक और 35547 विविध प्रकार की गाड़ियां थीं।

रोप-वे—हिमालय की तराई में नालों और नदियों को पार करने के लिए रोप-वे (रस्सा-पुल) का सहारा लिया जाता है। रस्से के सहारे माल इस पार से उस पार भेजा जाता है। कुछ प्रसिद्ध रोप-वे इस प्रकार हैं: (1) दार्जिलिंग-बीजनबारी मोनोकेबल रोप-वे 5 मील लंबा है, (2) मोनोकेबल रोप-वे, कलिम्पोंग, (3) चेरापूंजी, असम, में चेरा-चाटक रोप-वे, (4) दक्षिण भारत में अन्नामलाई

रोप-वे । यह 5000 फुट की ऊंचाई पर चाय और काफी बागानों की सेवा करता है । चाय जिन ज़िलों में बोई जाती है उनमें रोप-वे का बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है । इस समय भारत में 100 रोप-वे काम कर रहे हैं ।

अन्तर्देशीय जल-मार्ग

प्राचीनकाल में उत्तर भारत में नौकाओं से व्यापार-व्यवसाय बड़ी मात्रा में होता था । 19वीं सदी के मध्य तक इनका महत्त्व रहा । रेलों के बनने के साथ इनकी उपेक्षा की जाने लगी । नदियों का जल सिंचाई के लिए लिया गया, इस कारण से भी नौका-नयन की सुविधा कम हो गई । इस समय नौका-नयन योग्य 5000 मील जल-मार्ग है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी और केरल की नहरें, उल्लेख योग्य हैं । बकिंघम कनाल, वेस्ट कोस्ट कनाल, और महानदी कनाल इनमें मुख्य हैं । यंत्र-चालित नौकाएं और पोत इस समय नदियों में 1557 मील ही चल सकते हैं । 3687 मील नदी-मार्ग में बड़ी देशी नौकाएं चल सकती हैं ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड—अन्तर्देशीय जल-पथ के विकास की आवश्यकता इस समय बड़ी तीव्रता से अनुभव की जा रही है । गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई । उत्तर-पूर्वी भारत के परिवहन के विकास में एकसूत्रता व समन्वय लाने के वास्ते इसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार ने की है । यह चार राज्यों का बोर्ड या मण्डल है । केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त यू० पी०, बिहार, बंगाल और असम इसके लिए वित्त देते हैं । इस योजना के अन्तर्गत (1) प्रमुख जल-मार्गों को गहरा करना, (2) नौका-नयन में रेडियो-टेलीफोन की व्यवस्था करना, (3) चुने हुए स्थानों में बन्दरगाहों की व्यवस्था करना, भी शामिल हैं ।

भारत में नागरिक हवाई सेवा

भारत में नागरिक उड़ान का आरम्भ 1877 में हुआ जब बम्बई के लाल बाग से जोसेफ लिन बैलून से 7500 फुट ऊंचा

उड़ा था। इसके बाद 1911 में तो शक्ति-चालित विमान पर अनेक लोग उड़े और उड़ान का प्रदर्शन हुआ। इसी मौके पर फ्रेंच वैमानिक पिकेट हवाई मार्ग से डाक लेकर उड़ा और इलाहाबाद से 6 मील दूर नैनी जंक्शन तक ले गया। हवाई जहाज़ से डाक ले जाने की यह घटना दुनिया-भर में पहली घटना थी। बम्बई के गवर्नर लार्ड लायड ने 1920 में हवाई डाक-सेवा शुरू की थी। भारत-इंग्लैण्ड के बीच इम्पीरियल एयरवे के विमानों के चलने से भारत में नागरिक हवाई उड्डयन-विभाग की स्थापना हुई। 1927 में अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय हवाई सेवाओं का नियंत्रण यह विभाग करने लगा। इस समय एरोड्रोम बनाए गए। फ्लाइंग क्लब भी स्थापित हुए। लन्दन-कराची के मध्य 1929 में पहली सफल उड़ान के बाद भारत हवाई नक्शे में आ गया। 1930 से 1945 के मध्य ताता एयर लाइन लि०, इण्डियन नेशनल एयरवेज़ लि० की स्थापना हुई जो उल्लेखनीय है। दूसरे महायुद्ध ने हवाई परिवहन को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया और इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया। फलतः 11 हवाई कम्पनियां माल-मुसाफिर ढोने का काम इस देश में करने लगीं। किन्तु परिवहन-व्यय भी बढ़ गया, अतः 1950 में नियुक्त जांच कमिटी ने हवाई कम्पनियों की संख्या घटाकर चार करने की सलाह दी। पर इनको सरकारी सहायता देने की बात फिर भी बनी रही। अतः सरकार ने सब हवाई मार्गों व कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1953 में इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन की स्थापना की गई। इसके पास 10 वाई काउण्ट, 5 स्काई मास्टर, 5 फोक्कर फ्रेंडशिप और 54 डकोटा हैं। यह पड़ोसी देशों में भी हवाई सर्विस का कार्य करती है। दूसरी एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के पास 9 सुपर-कांस्टेलेशन, 5 बोइंग, 707 जेट और 1 डी-सी, 3 फ्रेटर हैं। यह 21 देशों की हवाई सेवा करती हैं। नागरिक हवाई सेवा-विभाग इसके नियमन, संचालन और नियंत्रण के लिए पृथक् है। नई दिल्ली में सिविल एवियेशन महकमे के डाइरेक्टोरेट-जनरल इसका मुख्य दफ्तर है। इसमें 9 डाइरेक्टोरेट काम करते हैं।

प्रशिक्षण-केन्द्र—इलाहाबाद में भारत सरकार की ओर से

सिविल एवियेशन ट्रेनिंग सेंटर है। इस संस्था में वैमानिक बनने की सब किस्म की शिक्षा दी जाती है। इसके अन्तर्गत इंजीनियरिंग स्कूल और फ्लाइंग स्कूल भी हैं। भारत में 17 फ्लाइंग क्लब हैं। इन उड्डयन क्लबों को सरकार सहायता देती है। पूना, बंगलौर और इलाहाबाद में ग्लाइडिंग सेंटर भी हैं।

एरोड्रोम—सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट के अधीन इस समय 86 एरोड्रोम हैं। कलकत्ता (दमदम), बम्बई (सान्ताक्रुज), दिल्ली (पालम) ये तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई बन्दर हैं।

विमान—1961 तक 540 विमानों के पास रजिस्ट्रेशन को चालू करने का सर्टिफिकेट था और 213 विमानों के पास सामयिक सर्टिफिकेट था। 1961 में ए लाइसेंसी वैमानिकों (पाइलटों) की संख्या 1114 थी। बी लाइसेंसी 592 थे। वैमानिक इंजीनियरों की संख्या 1960 में 1182 थी। भारत इण्टरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गनाइज़ेशन (अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई उड्डयन संस्था) का सदस्य है। इसलिए हवाई यातायात का नियंत्रण करने के लिए एयर ट्रेफिक कण्ट्रोल आर्गनाइज़ेशन की स्थापना की गई है।

हवाई जहाजों का निर्माण—बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी की स्थापना 17 साल पहले की गई थी। यहां माल-परिवहन के हवाई जहाज बनाने की व्यवस्था है। इस कारखाने ने 1952 में ट्रेनर एच टी–2 बनाया था। इसके साथ भारत में विमान बनाने के उद्योग का प्रारम्भ हुआ। इसने जेट फाइटर भी बनाया है। एच एफ–24 ने 24 जून, 1961 को उड़कर अपनी सफलता का प्रमाण दिया था। यह कारखाना सीलोन, बर्मा, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान आदि के विमानों की मरम्मत का भी काम करता है।

नागरिक उड्डयन की प्रगति पर निम्न आंकड़े अच्छा प्रकाश डालते हैं :

	यात्री (000 में)	भार (000 पौं० में)	डाक (000 पौं० में)
1947	255	5648	1405
1951	449	87665	7182

	यात्री (000 में)	भार (000 पौं० में)	डाक (000 पौं० में)
1955	469	98200	11478
1960	855	84230	15029
1961	948	88359	16228

कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियां

1911 पहली हवाई डाक इलाहाबाद की प्रदर्शनी के मैदान से 6 मील दूर नैनी जंक्शन ले जाई गई।

1911 भारत में सर्वप्रथम हवाई यात्रा करनेवाला हवाई यात्री सर सेफ्टन ब्रांकर था।

1932 पहली भारतीय हवाई कम्पनी ताता एयर लाइन की स्थापना हुई।

1949 डाक-दर बढ़ाए बगैर अप्रेल, 1949 में हवाई डाक शुरू की गई।

1953 1 अगस्त को भारतीय हवाई मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ।

1960 19 अप्रेल, को भारत जेट युग में आ गया, जब बोइंग 707 ने लन्दन के वास्ते उड़ान की।

1961 भारत का बना एच एफ–24, 24 जून को आकाश में उड़ा।

भारतीय जहाज़रानी

भारत का समुद्र-तट 3500 मील लम्बा है। भारत का व्यापार पूर्व और पश्चिम के सब देशों से है, अतः भारत को शक्तिशाली व्यापारिक नौ दल चाहिए।

जहाज़ी नीति—1947 में भारतीय जहाज़ी नीति का लक्ष्य था : (1) 20 लाख टन की जहाज़रानी होनी चाहिए; (2) तटवर्ती व्यापार शत-प्रतिशत भारतीय जहाज़ों द्वारा होना चाहिए; (3) पड़ोसी देशों के साथ के व्यापार का 60 प्रतिशत भारतीय जहाज़ों से होना चाहिए; (4) समुद्री व्यापार का 50 प्रतिशत भारतीय जहाज़ों को मिलना चाहिए। इस समय भारतीय जहाज़रानी 390707 टन थी। 12 जुलाई, 1947 को भारत सरकार ने एक कानून बनाया और भारतीय जहाज़ी कम्पनी के लिए निम्न शर्तों का पूरा करना

आवश्यक ठहराया : (1) जहाज़ भारतीय बन्दरगाह में रजिस्टर्ड कराया जाए, (2) कम्पनी के 75 प्रतिशत शेयर भारतीयों के होने चाहिए, (3) कम्पनी के सब डाइरेक्टर भारतीय होने चाहिए, (4) मैनेजिंग एजेंट भी भारतीय होना चाहिए। तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। जहाज़ी कम्पनियों को सहायता देने के लिए 1959 में शिपिंग डेवलप फण्ड की स्थापना की गई। इसने जयन्ती शिपिंग कम्पनी को 200000 टन के 13 माल-जहाज़ खरीदने के लिए 20·25 करोड़ रुपया कर्ज़ दिया। जहाज़रानी का नियंत्रण करनेवाले तीन मुख्य अधिकारी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में रहते हैं और ये डाइरेक्टर-जनरल के अधीन हैं।

कमिटियां—निर्यात-व्यापार, भारत सरकार और भारतीय व्यापार करनेवाली जहाज़ी कम्पनियों के बीच सहकारिता स्थापित करने के लिए 1955 में सात सदस्यों की एक कमिटी स्थापित की गई। जहाज़ी उद्योग और भारत सरकार के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से यह की गई। जनवरी, 1958 में शिपिंग कोआर्डिनेशन कमिटी की स्थापना की गई, क्योंकि भारत सरकार के जहाज़ भी माल ले जाने का कार्य करने लगे। 1961 में नेशनल शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। यह जहाज़रानी की नीति निश्चित करने का काम करता है। भारत सरकार ने प्रशिक्षण-कार्य में सलाह देने के लिए मर्चेण्ट ट्रेनिंग नेवी ट्रेनिंग बोर्ड की भी स्थापना की है। न्यू मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट द्वारा 1958 से एक नया अध्याय शुरू हुआ।

जहाज़रानी की प्रगति—1961–62 में 177 जहाज़ थे। इनका भार 917000 टन था। तथ्य यह है कि भारतीय जहाज़रानी 10 लाख टन की सीमा पार कर गई ; और दुनिया की जहाज़रानियों में इसका स्थान दसवां है। आदि-जयन्ती (20418 टन) सुपर टैंकर की वृद्धि महत्त्वपूर्ण है। अगस्त, 1950 से तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित है। तटवर्ती व्यापार में भारतीय जहाज़रानी का दिसम्बर, 1962 में 3·40 लाख टन भाग था, जबकि 1960 में 2·99 लाख टन था।

समुद्र-पार का व्यापार—आयात-निर्यात व्यापार का केवल 10 प्रतिशत भाग भारतीय जहाज़ों द्वारा होता है। इसमें 50 प्रतिशत भाग पाने के लिए भारत को आधुनिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न यात्री-जहाज़ों का आरम्भ करना चाहिए। समुद्री व्यापार में भारत के 76 (5·68 लाख टन) जहाज़ 1962 में लगे हुए थे, जबकि 1960 में 79 जहाज़ (5·53 लाख टन) के थे।

शिपिंग कार्पोरेशन—1951 में दो कम्पनियों को मिलाकर एक शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० नाम से स्थापित की गई। इसकी अधिकृत पूंजी 35 करोड़ है। शिपिंग कार्पोरेशन का जहाज़ी बेड़ा बराबर बढ़ रहा है।

	जहाजों की संख्या	जी० आर० टी०	पूंजी (करोड़ रु० में)
1960	15	109258	15·55
1961	17	126175	20·38
1962	19	128593	23·28

प्रशिक्षण—नौ-प्रशिक्षण की व्यवस्था भद्रा (कलकत्ता), मेखला (विशाखापत्तनम्) इन दो ट्रेनिंग शिपों के अतिरिक्त 'नवलक्ष्मी' में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

जहाज़-निर्माण—सर्वप्रथम सिंधिया स्टीम नेवीगेशन ने भारत में जहाज़ बनाने का कार्य 1919 में शुरू किया। विशाखापत्तनम् में जहाज़ बनाने के लिए पहला शिपयार्ड (गोदी) स्थापित किया गया। जून, 1946 में 'जल उषा' का निर्माण प्रारम्भ हुआ। यह 1948 में समुद्र पर तैराया गया। 1962 में भारत सरकार ने यह अपने प्रबन्ध में ले लिया। इसमें माल-जहाज़ों के बनाने की व्यवस्था है। अब तक यहां 27 जहाज़ बनाए गए हैं।

जहाज़ों के मरम्मत करने की व्यवस्था का विस्तार करने की आवश्यकता है। शिप-रिपेयर कमिटी ने इसके लिए कोचीन और विशाखापत्तनम् को उपयुक्त स्थान बताया है। सरकार ने कोचीन में दूसरा शिपयार्ड (जहाज़-गोदी) बनाने का निश्चय किया है। इसकी क्षमता हर साल 60000 टन के जहाज़ बनाने की होगी।

तृतीय नियोजन में जहाज़रानी के विकास के वास्ते 66 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रकाश-स्तम्भ व प्रकाश-पोत का महकमा आत्मनिर्भर है। कलकत्ता में आधुनिक और अद्यतन प्रकाशगृह वर्कशाप और चक्षु प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

भारत में पर्यटन-उद्योग

1949 से भारत में विदेशी पर्यटकों को लाने, भारत की यात्रा के वास्ते आकृष्ट करने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन-उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए 'टूरिस्ट ट्रैफिक ब्रांच' की स्थापना की गई। यह विदेशी विनिमय पाने का एक बड़ा स्रोत है। इस महकमे के दफ्तर भारत के सब बड़े व दर्शनीय नगरों में स्थापित हैं। टूरिस्ट महकमे के आठ दफ्तर समुद्र-पार के देशों में हैं। इस महकमे का संचालन डाइरेक्टर-जनरल की देखरेख में होता है। पर्यटन-उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक सलाहकार कमिटी भी है ; और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में क्षेत्रीय कमिटियां हैं।

भारत 'इण्टरनेशनल यूनियन आफ टूरिस्ट आर्गनाइज़ेशन' का सदस्य है। भारत 'साउथ एशिया ट्रेवल कमीशन' और 'पैसिफिक एरिया ट्रेवल एसोसियेशन (पैटा)' का भी सदस्य है। अमेरिका की 'अमेरिकन सोसाइटी आफ ट्रेवल एजेण्ट्स' इनमें मुख्य है। फलतः भारत में हर साल बड़ी संख्या में विदेशी यात्री आ रहे हैं। यथा :

	विदेशी यात्रियों की संख्या		विदेशी यात्रियों की संख्या
1956	65887	1959	109464
1957	80544	1960	123095
1958	92202	1961	139804

पर्यटन-उद्योग को बढ़ाने के लिए राज्य-सरकारों को सुझाया गया है कि वे विदेशी यात्रियों के लिए रेस्ट हाउस खोल दें। तीस

दिन या इससे कम की यात्रा पर आनेवालों को नाम रजिस्ट्री कराने से मुक्त कर दिया जाए। पर्यटकों को तीन वीसा दिए जाएं, जिससे वे भारत में रहते हुए भारत के पड़ोस के देशों में आ-जा सकें।

इस उद्योग को बढ़ाने के ही विचार से होटल क्लासीफिकेशन कमिटी नियुक्त की गई है। पर्यटकों को देश की जानकारी देने के लिए साहित्य तैयार किया जा रहा है। पथ-प्रदर्शकों को प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्य-क्रम भी तैयार किया गया है। पर्यटन-महकमे की ओर से विदेशों में भी विज्ञापन किया जाता है।

भारतीय डाक-तार

लार्ड क्लाइव ने 1766 में पहले-पहले सरकारी काम से डाक चलाई। वारेन हैस्टिंग्ज़ ने इसको जनता के लिए भी सुलभ कर दिया। लार्ड डलहौजी ने 1774 में इसको व्यवस्थित रूप दिया। सारे देश में डाक के टिकटों में एकरूपता स्थापित की। डाक-दर सारे देश के लिए एक की गई। डाक-विभाग के संचालन के लिए डाइरेक्टर-जनरल नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम जो डाक-टिकट जारी किया गया, वह सफेद कागज़ पर एमबास (उभरे स्थान पर कटाई) किया हुआ था। श्वेत कागज़ पर नीले रंग का एमवास किया हुआ था। डाक-टिकट सर्वप्रथम 1825 में सिन्ध में जारी किए गए थे। वर्तमान विद्यमान डाक-प्रणाली की व्यवस्था 1898 के एक्ट 6 से की जा रही है।

तार—परीक्षणात्मक तार लगाने का सर्वप्रथम सम्मान भारत में रसायनशास्त्र के एक प्रोफेसर को है, जिसने 1839 में कलकत्ता से डायमंड हारबर तक 21 मील लम्बा तार लगाया था। यह तार 7000 फुट नदी पार करके जाता था। उस समय की दुनिया में तार लगाने का यह पहला सफल परीक्षण था। सरकारी तार इन दोनों स्थानों—कलकत्ता, डायमंड हारबर— के बीच 1851 में लगा। नवम्बर, 1853 में दूरवर्ती स्थानों में तार लगाने की व्यवस्था की गई। जैसे कलकत्ता-आगरा। पहला सन्देश भेजा गया 24 मार्च, 1854 को। इसको बम्बई और पेशावर तक बढ़ाया गया। मार्च, 1867 में 14900 मील में तार



लग गया था।

डाक-प्रणाली—डाक-तार-व्यवस्था परिवहन संचार मंत्रालय के अधीन है। यह डाइरेक्टर-जनरल के माध्यम से काम करता है। इसको सलाह देने के लिए चीफ इंजीनियर है। डाक, तार व फोन, ये तीनों विभाग इसके अधीन हैं। बेतार का तार भी इसके अधीन है। इसके अतिरिक्त डाकखानों में सेविंग बैंक का हिसाब रखने की भी व्यवस्था है। सरकारी अल्प बचत योजना का आधार-ढांचा यही है। डाकखाना नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट, पोस्टल लाइफ इश्योरेंस का भी काम करता है। इस महकमे के चार विभाग हैं : डाक, तार, टेलीफोन और वायरलेस।

डाक-तार बोर्ड—1959 में पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ बोर्ड की स्थापना की गई। इसको प्रशासन के अतिरिक्त वित्तीय अधिकार भी हैं। इस बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य हैं। और प्रत्येक एक-एक विभाग के लिए उत्तरदायी है। डाक-तार-विभाग का काम 14 प्रादेशिक यूनिटों में विभक्त है। दिल्ली के लिए एक पृथक् पोस्टल सर्किल है। टेलीफोन की व्यवस्था कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कश्मीर, इन पांच ज़िलों में विभक्त है। अप्रेल, 1951 में डाक-तार-विभाग का प्रशिक्षण देने के लिए सहारनपुर में ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। 1956 में टेल-कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। गांवों में डाकघर खोलने की एक व्यापक योजना बनाई गई।

कुछ सिद्धियां—अन्तर्देशीय हवाई डाक-सेवा का आरम्भ 1949 में किया गया। प्रारम्भ में यह कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, नागपुर और दिल्ली तक सीमित थी। बाद में सब प्रकार की डाक (पोस्टकार्ड, मनीआर्डर आदि) अतिरिक्त प्रभार के बिना भेजे जाने लगे। सब महत्त्वपूर्ण देशों को भारत से हवाई पार्सल सर्विस जारी की गई।

देश-भर में डाकघरों की 1960 में कुल संख्या 76562 थी। और टेलीफोन 481000 थे।

प्रायः सब डाकखानों में बचत जमा कराने की व्यवस्था है।

5000 आबादी के प्रत्येक गांव में सप्ताह में एक बार डाकिया जाता है।

नागपुर, मद्रास, दिल्ली, बम्बई, और कलकत्ता में चलते-फिरते डाकखानों की व्यवस्था है।

नवम्बर, 1953 में तार-विभाग ने अपनी शताब्दी मनाई।

दुनिया-भर में यह जन-उपयोगी पहला सरकारी तार-विभाग है।

देश-भर में 11229 तारघर हैं। तार किसी भी भाषा में दिए जा सकते हैं। पर तार नागरी लिपि या रोमन लिपि में लिखे होने चाहिए। कुछ स्थानों में हिन्दी टेलीप्रिंटर भी स्थापित किए गए हैं।

प्रिंटोग्राम सर्विस—मार्च, 1956 में यह शुरू की गई। टेलीप्रिंटर जहां लगा है, वहां सन्देश सीधा तारघर से इसके कारण पहुंच सकता है। इसमें सन्देश पहुंचानेवाले की ज़रूरत नहीं होती। अप्रेल, 1947 में प्रेस के वास्ते फ्लैश-सन्देश भेजने की व्यवस्था की गई। इन तारों को प्राथमिकता दी जाती है। ह्यूमन लाइफ (मानव-जीवन) तारों को भी प्राथमिकता दी जाती है। दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु की हालत में इन तारों को एक्सप्रेस से भी पहले भेजा जाता है। विदेश-तार सेवा में 'फालोआन' भी शुरू किया गया। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, फिनलैंड, आस्ट्रेलिया आदि 20 देशों से फोटो-तार लेने का भी इन्तज़ाम है। डी लक्स तार भी जारी किया गया है।

फोनोग्राम सर्विस—तार-विभाग फोन पर सन्देश इसके ज़रिये देता है। तार देनेवाला भी तार-विभाग को फोन से सन्देश लिखा सकता है।

टेलीफोन—वेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। इसके पांच साल वाद 1881 में कलकत्ता में टेलीफोन एक्सचेंज की 50 लाइनें लगी हुई थीं। कलकत्ता में जितने फोन हैं, उतने भारत के किसी और शहर में नहीं हैं। शिमला में सर्वप्रथम ओटोमेटिक टेलीफोन 1913 में लगाया गया। 1949 में 'हमारा अपना टेलीफोन हो' अभियान शुरू किया गया। इस योजना के अन्दर टेलीफोन पाने-वाले को दिल्ली में 2000 रुपये और कलकत्ता-बम्बई में 2500 रुपये

जमा कराने पड़ते थे। बीस साल के करार पर टेलीफोन मिलता था। इस रीति से टेलीफोन लेनेवाले को प्रतिमास दो रुपया देना पड़ता था। 1949 में यह भी अभियान शुरू किया गया कि अपनी एक्स-लाइन लो। कोई संस्था या समुदाय 50000 रुपये जमा करके (इसपर सूद 2½ प्रतिशत मिलता है) 20 साल के वास्ते 50 लाइन इक्सचेंज प्राप्त कर सकता था। यह रुपया बीस साल बाद वापस हो जाता था। 'शिप टु शोर सर्विस' (तट से जहाज़ को फोन-सेवा) के अन्तर्गत समुद्र-तट से 500 मील के अन्दर जहाज़ पर स्थित व्यक्ति को टेलीफोन से सन्देश दिया जा सकता है। टेल-कम्युनिकेशन रिसर्च केन्द्र की स्थापना की गई। यहां अनुसंधान व शोध-कार्य होता है।

प्रशिक्षण—जबलपुर में डाक, तार व बेतार की शिक्षा देने की व्यवस्था है। टेलीफोन बनाने का एक कारखाना बंगलौर में है। इसमें इंग्लैंड की इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० का भी कुछ भाग है।

बेतार का तार—जब तार देने की साधारण प्रणाली बेकार हो जाती है, तब बेतार का तार ही काम आता है। तार से समुद्र में जा रहे जहाज़ों को बेतार के तार से ही सन्देश भेजा जाता है। इस प्रकार के स्टेशन बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। कुछ छोटे स्थानों पर भी बेतार के तार के स्टेशन हैं। मौसम सूचना-केन्द्र अन्य देशों से मौसम के बारे में जानकारी इसी रीति से पाते हैं। वायरलेस डिवीज़न भी डाक-तार-विभाग की एक शाखा है। यह ट्रांसमीटरों (प्रेषकों), रिसीवरों, रेडियो, टेलीफोन टर्मिनल, रेडियो टेलीप्रिंटर, रिसीवर की सार-संभाल के लिए ज़िम्मेदार हैं। कलकत्ता, नई दिल्ली, बम्बई, जबलपुर और बंगलौर में वायरलेस मानिटरिंग स्टेशन हैं।

रेडियो टेलीग्राफ व फोन—समुद्रपार सेवा अनुभाग (ओवरसीज़ कम्युनिकेशन सर्विस): रेडियो टेलीग्राफ, रेडियो फोटो सर्विस, रेडियो टेलीफोन सर्विस, इण्टरनेशनल टेलक्स सर्विस (इस सेवा के लेनेवाले के टेलीप्रिंटर पर दूसरे देश से भेजा तार सीधा मशीन पर आ जाता है), प्रेस-न्यूज़ कास्ट सर्विस सबमैरीन केबल टेलीग्राफ सर्विस, ये सब कार्य इस विभाग के ही हैं। 26 जनवरी, 1955 से

अन्तर्देशीय फोटो-टेलीग्राफ सर्विस शुरू की गई है। डाक-तार-विभाग का कार्य व उसकी आय का लेखा इस प्रकार रहा :

	डाक की सब वस्तुओं की संख्या (करोड़ों में)	डाक की आय (करोड़ रु० में)
1951	227·0	21·04
1955-56	227·0	21·04
1960-61	402·9	40·78

कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियां

1825 पहला डाक-टिकट केवल सिन्ध के वास्ते कराची से जारी किया गया।

1830 ह्यू लिंडसे जहाज़ जब बम्बई से स्वेज़ गया, तब इंग्लैंड और भारत के मध्य डाक-सम्बन्ध स्थापित हुआ।

1851 पहली सरकारी तार लाइन कलकत्ता और डायमंड हारबर के बीच लगाई गई।

1865 27 जनवरी, 1865 को इंग्लैंड और भारत के बीच तार लाइन स्थापित हुई।

1870 कलकत्ता जी० पी० ओ० स्थापित किया गया।

1877 वी० पी० प्रणाली चालू की गई।

1880 मनीआर्डर भेजने का कार्य प्रारम्भ हुआ।

1885 डाकखानों में सेविंग बैंक खोले गए।

1911 इलाहाबाद से नैनी जंक्शन तक जब 6500 पत्र लेकर विमान उड़ा तब सर्वप्रथम हवाई डाक का श्रीगणेश हुआ।

1931 नई दिल्ली के उद्घाटन की स्मृति में डाक-टिकट जारी किए गए।

1935 जार्ज षष्ठ की रजत-जयन्ती की स्मृति में डाक-टिकट जारी किए गए।

1946 1 जुलाई को पुनः दो पैसे का कार्ड जारी किया गया।

1949 देवनागरी लिपि में तार भेजने की व्यवस्था जनवरी, 1949 में शुरू की गई।

1950 म० गांधी के जन्म-दिन पर 1 रु० का डाक-टिकट निकाला गया।

1954 डाक की शताब्दी मनाई गई और डाक-टिकटों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की गई। शताब्दी की स्मृति में चार डाक-टिकट निकाले गए।

1955 26 जनवरी को पंचवर्षीय नियोजन के प्रचारक डाक-टिकट जारी किए गए।

1956 24 मई को बुद्ध-जयन्ती की स्मृति में दो डाक-टिकट प्रचारित किए गए।

1957 23 जुलाई को लोकमान्य तिलक की स्मृति में डाक-टिकट जारी किया गया। तीन विश्वविद्यालयों—कलकत्ता, बम्बई व मद्रास—के सौ वर्ष पूरे होने पर टिकट निकाला गया।

1958 आठ नये पैसे के नये टिकट जारी किए गए। विपिनचन्द्र पाल और डा० कर्वे की शताब्दी की स्मृति में भी डाक-टिकट जारी किए गए। भारत-प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में भी एक डाक-टिकट निकाला गया।

प्रधानमंत्री के जन्म-दिन व बाल-दिवस के उपलक्ष्य में निकाले डाक-टिकट बहुत लोकप्रिय हुए।

1960 कालिदास, कवि भारती और अन्य कवियों व रवीन्द्रनाथ की स्मृति में भी डाक-टिकट निकाले गए। कालिदास के टिकट बड़े भावपूर्ण हैं।

1962 प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के सम्मान में 12 मई को डाक-टिकट प्रचारित हुआ।

भारतीय कृषि

दुनिया में भारत एक प्रमुख कृषि-प्रधान देश है। भारत के 69·8 प्रतिशत लोग आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय आय में खेती का भाग 50 प्रतिशत है। औसतन जोत 7·5 एकड़ की है। लाख में भारत का एकाधिकार है। मूंगफली और चाय में

भारत अग्रणी है । चावल, जूट, गन्ना, सरसों, तिल और रेंडी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है । भारत की खेती की विशेषता अनाज की पैदावार है । इसमें चावल का भाग आधे के लगभग है । दालों, चना आदि की खेती 18 प्रतिशत भाग में होती है । परन्तु भारत अनाज की पैदावर में स्वावलम्वी नहीं । पंचवर्षीय नियोजन का एक लक्ष्य खेती के क्षेत्र का विस्तार कर प्रति एकड़ उपज वढ़ाकर भारत को अन्य धान्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है । तिलहन, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, मसाले, रवड़ और जूट—ये महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक फसलें हैं ।

भूमि—भारत में चार तरह की भूमि पाई जाती है : (1) वाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई मिट्टी या कछार की ज़मीन, (2) काली मिट्टी, (3) लाल मिट्टी, (4) लोहयुक्त पथरीली मिट्टी । मध्यभारत, असम, पूर्वी व पश्चिमी घाट के साथ-साथ लोहयुक्त पथरीली मिट्टी पाई जाती है । इसमें 'ह्यूमस' तो बहुत है, पर इसमें अन्य रासायनिक पदार्थों की कमी है । गंगा का मैदान सारा ही लगभग कछार की ज़मीन है और अत्यन्त उपजाऊ है । संकीर्ण समुद्र-तट की ज़मीन भी इसी किस्म की है । दक्खन पठार के पश्चिमी भाग की ज़मीन काली मिट्टी की है । इसका पूर्वी भाग लाल मिट्टी का है । उड़ीसा, वंगाल, केरल, उत्तर-पश्चिमी विहार, अल्मोड़ा ज़िले की ज़मीन नमकीन और क्षार की है ।

मौसम व फसल—साल में दो फसलें खरीफ और रबी साधारणतः होती हैं । मुख्य फसलों का मौसम इस प्रकार है : गेहूं—अक्तूबर-नवम्बर ; गन्ना—अक्तूवर-नवम्बर ; कपास—अगस्त-सितम्बर ; जूट—जून-जुलाई ; चाय—दिसम्बर-जनवरी ; कॉफी—जून-जुलाई ।

उपज—प्रति एकड़ उपज बहुत कम है । औसतन उपज का प्रमाण—चावल प्रति एकड़ 900 पौं०, गेहूं 759 पौं०, मूंगफली 630 पौं०, कपास 110 पौं०, गन्ना 3400 पौं० । खेती के तीन-चौथाई भाग में खाद्यान्न बोया जाता है । 20 प्रतिशत खेती की ही सिंचाई की व्यवस्था है ।

कृषि व खाद्य-मंत्रालय—अप्रेल, 1957 में कृषि व खाद्य-मंत्रालय की स्थापना की गई । खाद्य-विभाग की ज़िम्मेदारी है : (1) सेना

व नागरिकों के लिए अनाज का समाहरण, (2) आयात अनाज का राज्यों में वितरण, (3) अखिल भारतीय दृष्टि से खाद्य-नीति का निर्देशन, (4) अनाज के आयात व निर्यात का नियमन। कृषि-विभाग ज़िम्मेदार है : (क) कृषि पैदावार, (ख) कृषि-अनुसन्धान, शिक्षा व प्रसार, (ग) पशुपालन, मछली व वन, (घ) फल, शाक, भाजी, फल-उद्योग, (च) कृषि अर्थतंत्र व सांख्यिका, (छ) कृषि-विकास, (ज) उर्वक का वितरण, (झ) छोटी सिंचाई, (ट) भू-संरक्षण। भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद् कृषि, पशुपालन आदि के विषय में शोध-कार्य करती है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। भारत की सबसे महान कृषि-अनुसंधान शाला है : इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, इसकी स्थापना 1905 में पूसा में हुई थी। भूकम्प के बाद यह नई दिल्ली आ गई। इस संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यहां सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक दोनों प्रकार का शोध-कार्य होता है। धान पर अनुसन्धान करने के लिए कटक में व्यवस्था है। कुल्लू में उद्यान की खोज की व्यवस्था है। कोयम्बटूर और करनाल में गन्ने की खोज की जाती है। वन-अनुसंधानशाला देहरादून में 1914 से काम कर रही है। जंगलात के अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिए कोयम्बतूर में भी एक कालेज है। मुक्तेश्वर में पशु-अनुसन्धानशाला 1890 से काम कर रही है। बंगलौर और करनाल में दुग्ध-उद्योग (डेरी) की खोज की जाती है। जूट आदि की खोज की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय वस्तु कमिटियां हैं। माटुंगा (बम्बई) में कपास की और कलकत्ता में जूट-विषयक खोज की जाती है। कानपुर में शुगर टेकनालाजी रिसर्च इन्स्टीच्यूट है। गन्ने की खोज लखनऊ और कोयम्बतूर में होती है।

नारियल कमिटी की ओर से कासरगाड औरकायांगुलम में खोज-कार्य होता है। नामकुम (रांची) में लाख-विषयक खोज की जाती है। सेंट्रल-स्पाइसेस एण्ड केशुनट कमिटी की स्थापना 1961 में हुई है। मसालों, काजू आदि के विकास, बिक्री और खोज का कार्य यह करती है।

तृतीय नियोजन और कृषि—तृतीय नियोजन में कृषि पैदावार

बढ़ाने पर 601 56 करोड़ रुपये खर्च करने की तजवीज है। छोटी सिंचाई पर 250 करोड़ रु० खर्च करने का विचार है। भू-संरक्षण के विचार से वनरोपण की बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। उपज बढ़ाने के लिए कम्पोस्ट का निर्माण बढ़ाया जा रहा है। हड्डी के चूरे की खाद दी जाने लगी है। पौध-संरक्षण और टिड्डी-विनाश का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए एक अलग डाइरेक्टोरेट है। देश में 14 पौध-संरक्षण केन्द्र हैं।

फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से पैदावार बढ़ाने के विचार से सिंचाई-सुविधाओं का 1961-62 से विस्तार किया जा रहा है। सूरत-गढ़ (राजस्थान) में 1956 से केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म है। भारत एफ० ए० ओ० का सक्रिय सदस्य है और भूख का अन्त करने के अभियान में भाग ले रहा है।

कृषि मार्केटिंग विभाग का कार्य, कृषि-पैदावार का प्रतिमानीकरण और ग्रेडिंग करना है। हाटों के नियमों का नियंत्रण भी यही करता है। प्रतिमानीकरण, ग्रेडिंग के वास्ते नागपुर, कोचीन और गन्तूर में प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। गन्तूर की प्रयोगशाला क्षेत्रीय है।

खाद्यान्न

चावल—कुल खेती के 30 प्रतिशत में धान की खेती होती है। मद्रास, बिहार, बंगाल, यू० पी०, मध्यप्रदेश, असम, महाराष्ट्र की यह एक मुख्य फसल है। यह वर्षा की फसल है। जापानी पद्धति से धान की खेती करने का आन्दोलन कई वर्ष से चलाया जा रहा है।

ज्वार-बाजरा—ज्वार को मद्रास में चोलम कहते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र, मध्यप्रदेश, मद्रास व यू० पी० में ज्वार होती है। बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में मुख्यतः बोया जाता है।

गेहूँ—सर्दियों की फसल है। उत्तरी भारत व मध्यभारत का यह मुख्य आहार है। पंजाब और उत्तरप्रदेश गेहूं की कुल जरूरत का दो-तिहाई पूरा करते हैं।

चना और दालें—चना भारत के प्रायः प्रत्येक प्रान्त में बोया जाता है। दालों में उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मटर, खेसारी का

अधिक प्रचलन है।

आंध्र और उड़ीसा इमली-उत्पादक प्रदेश हैं। महाराष्ट्र, मद्रास और केरल में भी इसकी कुछ फसल होती है। फसल की दृष्टि से मसालों का अधिक महत्त्व नहीं, किंतु विदेशी व्यापार की दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है। पश्चिमी तट विशेषत: केरल में काली मिर्च होती है। काली मिर्च के समान इलायची का भी निर्यात होता है। इसकी खेती पश्चिमी तट, नीलगिरि के दक्षिण में, विशेषत: कार्डामन हिल पर होती है। इसपर अनुसंधान भी किया जा रहा है। अदरक भी केरल में ही बहुतायत से पैदा होता है। काजू केरल में विशेष रूप से पैदा होता है।

तम्बाकू—इसकी पैदावार भारत में दो देशों को छोड़कर सर्वाधिक होती है। आंध्रप्रदेश भारत में तम्बाकू पैदा करनेवाला सबसे बड़ा प्रदेश है। वर्जिनिया तम्बाकू यहीं होता है। आंध्र के बाद मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, और पंजाब में तम्बाकू बोया जाता है। भारत में तम्बाकू की दो किस्म की फसलें होती हैं: निकोटियाना तम्बाकू और निकोटियाना रस्टिका। सिगरेट, चुरुट, सिगार आदि में निकोटियाना तम्बाकू का इस्तेमाल होता है। हुक्का, सुंघनी, आदि में निकोटियाना रस्टिका तम्बाकू का प्रयोग होता है। वर्जिनिया तम्बाकू गन्तूर ज़िले में पैदा होता है।

चाय—दुनिया की चाय की कुल आवश्यकता का 40 प्रतिशत भारत पूरा करता है। 8000 से अधिक चाय के बाग हैं। इसमें से 49 प्रतिशत असम में हैं। काफी 224000 एकड़ में बोई जाती है। काफी का उत्पादन अधिक नहीं, पर जो भी है, वह ऊंचे किस्म की होती है।

रबड़—की खेती केरल और मैसूर में की जाती है।

कपास—महाराष्ट्र, पंजाब, मध्यप्रदेश, मद्रास, उत्तरप्रदेश, आंध्र, राजस्थान, सौराष्ट्र, कपास-उत्पादक प्रान्त हैं।

जूट—जूट मुख्यतः बंगाल में बोया जाता है। बिहार, उड़ीसा और असम में भी इसकी कुछ खेती होती है। जूट रेशे की उपज प्रति एकड़ 8 मन से 25 मन तक होती है।

सन—इसकी खेती मध्यप्रदेश, यू०पी०, महाराष्ट्र और बंगाल में

ही अधिक होती है। वैसे इसका उत्पादन कम ही है। रस्सी और कनवास के ही मुख्यतः यह काम आता है।

रेशम—रेशम की मांग का दो-तिहाई भाग मैसूर पूरा करता है। शहतूती रेशम मुर्शिदाबाद, माल्दा और बीरभूम, देहरादून, परवरगढ़ (यू०पी०) और गुरदासपुर (पंजाब) एवं कश्मीर (राज्य का एकाधिकार है) में पैदा होता है। टसर रेशम छोटा नागपुर (बिहार) और मध्यप्रदेश में उत्पन्न होता है। एरी रेशम जलपाईगुड़ी में और मुगा रेशम असम और मणिपुर में पैदा होता है।

व्यावसायिक फसलों में गन्ना, लाख, लेमनग्रास और मैंरोबालन है। मैरोबालन एक छोटा फल होता है। जो समुद्र-सतह से 3000 फुट ऊंचाई पर होता है। इसके अन्दर का गूदा चमड़ा कमाने के काम आता है। लेमनग्रास से तेल निकाला जाता है। ओडाकली में इसके शोध के वास्ते प्रयोगशाला है। विश्व में लेमनग्रास आयल की 75 प्रतिशत की पूर्ति केरल करता है। इसका भी निर्यात होता है।

तिलहन—दुनिया में भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। मूंगफली की खेती भारत में सबसे अधिक होती है। इसकी खेती मद्रास और आंध्र में केन्द्रित है। 50 किस्म की मूंगफली यहां पैदा होती है। नारियल से भी तेल निकाला जाता हैं। इसकी खेती तंजौर, गोदावरी मद्रास, आंध्र और मैसूर, उड़ीसा और बंगाल में भी होती है।

मुख्य फसलों की पैदावार,

(लाख टनों में)

	(1960–61)	1959–60
चावल	337	310
गेहूं	106	101
दालें	225	221
गन्ना	87	77
(लाख गांठों में)		
कपास	54	37
जूट	40	46

हमारा आहार

हमारे आहार की मुख्य चीजें हैं : जल, खनिज, नमक, कार्बो-हाइड्रेट, प्रोटीन, और विटामीन ए, बी,सी, डी, ई और के। पानी और खनिज नमक ताजी सब्जियों से आता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण चीनी और स्टार्च से होता है। आलू, रोटी आदि में स्टार्च पाया जाता है। प्रोटीन मछली, अंडों, मांस, फलियों, मटर और पनीर में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर-निर्माण और कोशों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। अतः वयस्कों से बच्चों को इसकी अधिक ज़रूरत होती है। आहार की आवश्यकता मुख्यतः इस कारण होती है : (1) बढ़ती को कायम रखने, (2) शरीर के कोशों के पुनर्निर्माण, (3) शक्ति व ताप उत्पन्न करने के लिए। प्रोटीन बढ़ती करता है, पुष्टि देता है, कार्बोहाइड्रेट गर्मी और चर्बी प्रदान करता है। किंतु प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और चर्बी (फैट) से बना आहार पूर्ण नहीं। इस अपूर्ण आहार की पूर्णता विटामिन से होती है। विटामिन से संयुक्त आहार ही पूर्ण आहार है। आपके पास कार है। कार में पेट्रोल और आयल भी है। पर यह नहीं चलेगी, जब तक इसके एंजिन विस्फोटक मिश्रण का सम्बन्ध बिजली के तार से न होगा। मोटर में जो काम विद्युत् चिंगारियां करती हैं, वही कार्य विटामिन हमारे शरीर में करता है। विटामिन के बिना हमारा आहार व्यर्थ है और जीवन शून्य है। सात विटामिन ही ज्ञात हैं। हरएक खाद्य पदार्थ को पचने में एक ही समान समय नहीं लगता। जैसे :

आहार के पचने का काल

	घंटे		घंटे
जौ (उबला)	2-00	मछली	2-00
रोटी	2-30	दूध (कच्चा)	2-15
मक्खन	2-30	दूध (उबला)	2-00
मुर्गी (भुनी)	3-30	आलू (पकाया)	2-30
बत्तक (भुनी)	4-00	आलू (उबला)	1-00

		घंटे		घंटे
अंडा (उबला)	3-00		साबूदाना (उबाला)	1-45
अण्डा (भुना)	3-30			

सन्तुलित आहार

इसमें निम्न पदार्थ होने चाहिए—

दूध, घी, अण्डा,	विटामिन ए
पालक, मटर, अंडा,	विटामिन बी
सन्तरा, नींबू, टमाटर, प्याज़	विटामिन सी
प्रचुर मात्रा में सूर्य-रोशनी	विटामिन डी
वनस्पति तेल	विटामिन ई

ज़ैतून का तेल, डब्बों में बन्द मांस, सूप, नमकीन मांस, पनीर, सफेद मछली, डब्बों में बन्द फल व शाक, सब्ज़ी, चाकलेट, चाय-काफी, सफेद आटा, सफेद रोटी, सफेद चावल, साबूदाना खीर और जौ में कोई विटामिन नहीं होता।

स्थिति—1960-61 में 793 लाख टन खाद्य पदार्थ उत्पन्न हुआ। 1959-60 की तुलना में यह 6 प्रतिशत अधिक वृद्धि थी। चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा की पैदावार सन्तोषजनक रही। 1961 में लगभग 129·57 करोड़ रु० का 34·95 लाख मैट्रिक टन अनाज आयात किया गया। 1960 में इसके मुकाबले 192·8 करोड़ रु० मूल्य का 51·37 लाख टन अनाज आयात किया गया था। 1962 के पहले दो मासों में 4.89 लाख टन अनाज आयात किया गया। 1963 में स्थिति सुधरी नहीं। पी० एल० 420 के अधीन 1965 तक अनाज आयात करने का सुझाव दिया गया है। अनाज के निर्यात पर 1956 से पाबन्दी लगी हुई है। अन्न-धान्य का आयात कुछ पिछले सालों में इस प्रकार किया गया है :

	मात्रा (000 टनों में)	मूल्य (लाख रु० में)		मात्रा (000 टनों में)	मूल्य (लाख रु० में)
1958-59	3424·3	42843	1960-61	5029·9	19465
1959-69	3762·9	13964	1961-62	3148·8	11983

मत्स्य-पालन

भारत का समुद्र-तट 3535 मील लम्बा है। भारत की सैकड़ों नदियां समुद्र में गिरती हैं। ये अपने साथ मिट्टी भी लाती हैं। 110000 वर्गमील समुद्र मछली-पालन के योग्य है। देश के अन्दर नदियां तालाव, झीलें, दलदल इसके पालन के अच्छे क्षेत्र हैं। बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मद्रास और केरल के 50 प्रतिशत लोगों के लिए मछली मुख्य आहार है। फिर भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दो औंस से अधिक मछली नहीं मिलती। अनुमान है कि भारत में प्रति व्यक्ति मछली की खपत 3·4 पौंड है। मछली और इससे सम्बन्धित उद्योग भारत में दस लाख मछुओं को रोज़गार देते हैं। अनुमान है कि 5 लाख मछुओं के पास 85000 नौकाएं हैं। एक मछुआ वर्ष-भर में औसतन 2000 से 2500 किलोग्राम मछली पकड़ पाता है। पश्चिमी देशों में प्रति मछुआ 80000 किलोग्राम मछली पकड़ता है। देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, नदियां ही मछली पकड़ने के मुख्य स्रोत हैं। समुद्री मछली तटवर्ती समुद्र की ही होती है।

गंगा व महानदी का डेल्टा मछली का अच्छा क्षेत्र है। अतः पुरी से हुगली तक मछुओं का क्षेत्र है। यहां हिल्सा, पोमफ्रेट, झींगा, कटला, रोहू मछली आदि पाई जाती हैं। देश के चारों ओर के समुद्र और देश की नदियां व झीलों में 1800 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं।

मछली आहार की वस्तु होने के साथ उद्योग की भी वस्तु है। इससे तेल निकाला जाता है। इसका अंडा खाद के काम आता है। कोझीकोड में सरकारी शार्क आयल का कारखाना है। खाने की मछली सालमन से 'इजिन-ग्लास' निकलता है। यह शराबों को साफ करने के काम आता है। बंबई, मद्रास का पूर्वी तट, सुन्दरबन (बंगाल) इस चीज के व्यापार के केन्द्र हैं।

मत्स्य-पालन के क्षेत्र में 1944 से इस देश में अनुसंधान किया जा रहा है। 66·6 प्रतिशत मछली समुद्र से आती है, अतः नियोजनमें गहरे समुद्र से मछली पकड़ने को प्राथमिकता दी गई है। एफ० आर०

ओ० और नार्वे के सहयोग से इस उद्योग का विकास किया जा रहा है। फलतः केरल में (1) 22 फुट लम्बी नाव में 4·5 अश्व-शक्ति का डीज़ल एंजिन लगाया जाने लगा है; (2) विशेष मछुओं को प्रशिक्षण देते हैं; (3) आधुनिक किस्म की नाव बनाने के लिए गोदी (यार्ड) बनाई गई हैं। मछुए इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। इस समय उनकी 2000 सहकारी समितियां बन गई हैं। इनकी सदस्य संख्या 220000 है। दूसरे नियोजन के अंत में 1500 यंत्रीकृत नौकाएं थीं। अब 1870 हैं। मंडपम् (मद्रास) में मैरीन फिशरीज़ रिसर्च स्टेशन है। व्यावसायिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समुद्री मछलियों के बारे में यहां खोज की जाती है। कोचीन में सेण्ट्रल टेक्नालाजिकल रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई है। बंबई, वेरावल, तूतीकोरन और विशाखापत्तनम् में भी खोज-कार्य जारी है। कोचीन में मत्स्य सहकारिता विषयक शिक्षण देने के लिए एक संस्था की स्थापना करने का विचार है। मछली-विषयक कार्यों में एकसूत्रता रखने के लिए सेण्ट्रल बोर्ड आफ फिशरीज़ की स्थापना की गई है। मद्रास और गुजरात में मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह बनाए जा रहे हैं। मद्रास-कलकत्ता, उड़ीसा-कलकत्ता की रेलगाड़ियों में 6 डब्बे और अहमदाबाद-दिल्ली के बीच और आगरा-हवड़ा रेलवे लाइन पर रेफ़रीजिरेटर डब्बा रहता है, जिससे मछली पहुंचने के स्टेशन तक ताज़ी रहे, स्वाद में बिगड़े नहीं, और सड़े नहीं।

मत्स्य-उद्योग के पुनर्जीवित होने का एक लाभ यह हुआ है कि मन्नार की खाड़ी में (तूतीकोरन तट से परे) मोतीवाली मछली को पकड़ने (पर्ल फिशिंग) का उद्योग चालू हो गया है। ये मछलियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो सिर्फ शोभा-मात्र के लिए होती हैं। ये ओइस्टर कहाती हैं और कारोमंडल मद्रास व कोचीन तट पर पाई जाती हैं। दूसरी हैं वास्तविक मोतीवाली मछली। यहां पकड़ी गई मछली में से दो-तिहाई सरकार लेती है। और एक-तिहाई गोताखोर को मिलती है।

नियोजन—मत्स्य-उद्योग पर प्रथम नियोजन में 2·8 करोड़ रु० व्यय किया गया। दूसरे नियोजन में 9 करोड़ रु० व्यय किया गया।

तृतीय नियोजन का निर्धारित व्यय लक्ष्य है 29 करोड़ रु० और 4000 नई यन्त्रीकृत नौकाएं चलाना।

पशु-पालन

भारतीय आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि है। खेती पशुओं पर निर्भर है। पशु-पालन इस देश का एक मुख्य उद्योग है। दुनिया की कुल ढोर आबादी का एक-चौथाई भारत में है। पशु-श्रम से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रु० की आय होती है, और गोबर-खाद से 1000 करोड़ रु० की आमदनी होती है। भारत के पशुओं की हालतें अच्छी नहीं। यह विभिन्न प्रान्तों में प्रति व्यक्ति दूध की खपत से स्पष्ट है। जैसे बंगाल में 2·6 औंस जबकि पंजाब में 14·75 औंस, यू० पी० में 8·2 औंस, और राजस्थान में 8·1 औंस दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत है।

पशु-पालन की ओर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इण्डियन विटरीनरी रिसर्च इंस्टीच्यूट, इज्ज़तनगर व मुक्तेश्वर नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीच्यूट, करनाल और कैटल ब्रीडिंग स्टेशन, जबलपुर इसी कार्य को कर रहे हैं।

केन्द्र ग्राम योजना—प्रथम नियोजन के अन्तर्गत दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र ग्राम योजना (की विलेज स्कीम) प्रारम्भ की गई थी। तीन साल की 500 गौओं की आबादी के तीन-चार गांवों में से एक गांव चुना जाता था। इनकी नस्ल सुधारने का काम किया जाता था। अच्छे तीन-चार सांडों से ही बछड़े पैदा कराये जाते थे। कृत्रिम गर्भाधान को भी अपनाया गया। सरकार ने 125 ढोर फार्मों को अच्छे सांड दिए। इनसे 5000 सांड पैदा हुए। गोशालाओं और पिंजरापोलो को भी सहायता दी गई। नस्ल-सुधार व दूध बढ़ाने के केन्द्र के रूप में गोशालाओं का विकास किया गया। प्रारम्भ में 125 गोशालाओं से काम शुरू किया गया। आर्थिक लाभ शून्य और निरर्थक व अनुत्पादक गायों की जगह अच्छी दूध देनेवाली गायें पैदा करने के उद्देश्य से गो-सदन स्थापित किए गए। गो-सदनों के साथ चर्मालय भी जोड़े गए। जहां खाल और चमड़े को वैज्ञानिक तरीके से कमाया

जाता था। लखनऊ में प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र खोला गया है। केन्द्रीय गोसम्वर्द्धन कौंसिल की स्थापना की गई। पशु-सम्पत्ति के विकास के विषय में यह राज्यों और केन्द्र को परामर्श देती है। 1955 में आल इण्डिया स्टड फार्म बंगलौर में स्थापित किया गया। देश के ढोरों की नस्ल सुधारने को प्रोत्साहन देने के ख्याल से पशु-प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, और अच्छे पशु-पालकों को पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई। भारत के पशु तीन भागों में विभक्त हैं: (1) गाय-बैल, भैंस, यह वर्ग वोवाइन कहलाता है, (2) दूसरा वर्ग भेड़-बकरी ओवाइन का है, (3) अन्य जिसमें घोड़ा खच्चर, गदहा और ऊंट आदि हैं।

गायों की चुनी हुई नस्लें—

कुछ गाएं दूध देनेवाली और भारवाही बछड़े पैदा करनेवाली हैं। सिंधी नस्ल मूलतः सिन्ध की है। पर इस नस्ल के कटिया-बछड़े भी पाए जाते हैं। यह डेरी का पशु है।

साहीवाल—इस जाति की गाय करनाल, उत्तरप्रदेश व मध्य-प्रदेश में पाई जाती हैं।

हरियाना—रोहतक, हिसार, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल इसका मूल देश है।

मुर्रा—गाय दूध देने और भार ढोने दोनों दृष्टियों से अच्छी कोटि की है। इसका मूल स्थान दक्षिणी पंजाब, दिल्ली और उत्तरी यू० पी० है।

गिर—काठियावाड़ की है। इस जाति की विशुद्ध नस्ल की गाय जूनागढ़ में पाई जाती है।

अन्य पशु—

भेड़—भारत में भेड़ों की 14 जातियां पाई जाती हैं। राजस्थान की भेड़ों की ऊन फर्शी, दरी व गलीचा बनाने के काम आती है। प्रति भेड़ ½ पौ० से 4 पौ० ऊन पैदा होती है। कश्मीर और पंजाब व यू० पी० के पहाड़ों में भी भेड़ें पाई जाती हैं। साधारणतः सारे देश में भेड़ें पाली जाती हैं।

बकरी—मुख्यतः मांस के वास्ते पाली जाती है। अमनापुरी (दक्खन पठार), सुरती (पश्चिमी भारत), सफेद-काली दाढ़ी की इन तीन जातियों की बकरियां पाई जाती हैं। खुररोग (रिंडरपेस्ट) से हर साल दो लाख पशु मरते हैं।

मुर्गी-पालन को भी नियोजनों में बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। मुर्गी-पालन उद्योग का विकास इस प्रकार हुआ है: मद्रास (25 प्रतिशत), बंगाल (12·6 प्रतिशत), बिहार (11·2 प्रतिशत), असम (8·9 प्रतिशत), बम्बई (8·5 प्रतिशत) मध्यप्रदेश, (6 प्रतिशत)। भारत में प्रति व्यक्ति पक्षी-मांस की खपत 0·29 पौं० है। पांच क्षेत्रीय मुर्गी-पालन फार्मों का विकास किया जा रहा है।

पशु-उत्पादन—दूध और ऊन के अतिरिक्त भारत में पशु-उत्पन्न वस्तुएं हैं, खून, हड्डी, हाथी दांत, खाल, चमड़ा और चर्बी। हड्डी से मूठ, बटन, सरेस, बनाई जाती है। यह सुपर फासफेट का भी स्रोत है। सींग से बटन, खिलौने, जिलेटीन, सरेस बनता है। हाथी दांत से कला और शिल्प की कीमती चीज़ें बनाई जाती हैं। असम, पश्चिमी घाट और मैसूर से हाथी दांत आता है। चर्बी, गो, बकरी और भेड़ के मांस से निकाली जाती है। यह चर्बी छपाई के कामों, साबुन बनाने और मोमबत्ती बनाने के काम आती है। दिल्ली और कलकत्ता में डेरी लगाई गई है। यहां पाश्चराइज़्ड दूध दिया जाता है।

पशुओं की संख्या

	1951	1956		1951	1956
	(लाखों में)			(लाखों में)	
ढोर	1552	1587	अन्य पशु	64	68
भैंस	434	449	बकरी	471	554
भेड़	390	392	मुर्गी	735	947
घोड़ा-टट्टू	15	15			

वन

सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से वनों का बड़ा महत्त्व है। क्योंकि प्रथम सामरव भारत के तपोवनों में ही मुखरित हुआ।

274000 वर्गमील में वन हैं। यह देश के भू-क्षेत्र का 22 प्रतिशत है। भारत में प्रति व्यक्ति वन-क्षेत्र केवल 0·2 हैक्टर है। प्रति एकड़ वनोत्पत्ति 25 घ० फुट, जबकि फ्रांस में 56·8 घ० फुट, जापान में 37·0 घ० फुट, अमेरिका में 18·0 घ० फुट है। 1952 की वन-नीति में कहा गया है कि भारत का लक्ष्य वन का कम से कम 33 प्रतिशत विस्तार करना है। पहाड़ों में 60 प्रतिशत और मैदान में 20 प्रतिशत वन बढ़ाना है। भारत में वन पांच प्रकार के हैं : (1) सदा हरित वन वहां हैं जहां वर्षा 80 इंच पड़ती है, जैसे पश्चिमी तट और पूर्वी हिमालयन प्रदेश; (2) बरसाती वन—जहां वर्षा 60 इंच से 80 इंच होती है। यह दक्खन में हैं। इन वनों से टीक, साल, पाडुक, रेडवुड और चन्दन आदि की लकड़ी मिलती है ; (3) पहाड़ी वन दक्षिण भारत में 5000 फुट ऊंचाई पर और हिमालय में 3000 फुट ऊंचाई पर हैं। यहां सदा हरित रहनेवाले वृक्ष होते हैं। ओक, देवदार, पाईन, फर, चेस्टनट, अखरोट, एल्म, ऐश, मापले, रोडोडेन्ड्रम आदि वृक्ष इन वनों में मिलते हैं।

डेल्टा वन या लिटोरल फोरेस्ट—ये गंगा और महानदी के डेल्टों में पाए जाते हैं। समुद्री जल से प्रक्षालित कुछ स्थानों पर भी वन हैं। यहां से इंधन के योग्य लकड़ी मिलती है।

राष्ट्रीय वन-नीति—राष्ट्रीय वन-नीति है कि देश के कुल भू-क्षेत्र के एक-तिहाई भाग में राष्ट्रीय वन होना चाहिए। राजस्थान में भी पेड़ उगाए जा रहे हैं। सुरक्षित, राष्ट्रीय और ग्राम वन इन तीन भागों में वन को सुरक्षा के विचार से बोया गया है। प्रशासन की दृष्टि से वन संरक्षित, आरक्षित (प्रोटेक्टेड) और अवर्गीकृत इन तीन भागों में विभक्त हैं। पहले सरकार के वास्ते सुरक्षित हैं। आरक्षित वन वन-विभाग के नियंत्रण में हैं और सरकार इनके उत्पादन का ठेका देती है। अवर्गीकृत जंगल सरकारी नियंत्रण में नहीं है। उत्पादन की दृष्टि से वन दो भागों में विभक्त हैं। व्यापार योग्य और अगम्य अतः अलाभजनक। 73·1 प्रतिशत व्यापार योग्य हैं। 55·1 प्रतिशत सुरक्षित या आरक्षित हैं। लगभग 68000 वर्गमील या 26·9 प्रतिशत वन अगम्य हैं और इस कारण अलाभजनक हैं।

शिक्षा व प्रबन्ध—वन-विभाग केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय के अधीन है, यद्यपि वन राज्यों के विषय हैं। इनसे उनको लकड़ी, ईंधन, बांस, चारा, घास, ओषधि योग्य जड़ी-बूटियां बेचने से और चराई-फीस लेने से आमदनी होती है। वन का इंस्पेक्टर-जनरल सरकार का सलाहकार होता है। राज्यों में वन का अधिकारी कंजरवेटर होता है। जहां वन कई विभागों में विभक्त होता है, वहां एक विभाग का अधिकारी रेंजर होता है। वन-शिक्षा का आरम्भ 1878 में हुआ जब देहरादून में वन-स्कूल खोला गया। अब यह कालेज और अनुसन्धानशाला में बदल गया है। देहरादून में कालेज 1926 से स्थापित है।

वन-पैदावार—कागज़ की लुगदी, दियासलाई की लकड़ी और प्लाईवुड के योग्य कच्चा माल वनों से उपलब्ध होता है। बांस, बेंत, राल, गोंद, रेशेवाली वस्तुएं और अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। द्वितीय नियोजन में वन-विकास पर 24·73 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अन्तर्गत 3·80 लाख एकड़ क्षेत्र में पुनः वन लगाने, 50000 एकड़ क्षेत्र में और सरपत आदि उगाने और 2000 एकड़ में ओषधि योग्य जड़ी-बूटी लगाने का विचार था।

महत्त्वपूर्ण वृक्ष—साल की लकड़ी भारी, कड़ी और लाल-भूरे रंग की होती है। यह पेड़ ऊंचा होता है। इसकी लकड़ी इमारतों के काम आती है।

टीक या सागवान पाला-मुक्त वनों में होता है। दीमक से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और मद्रास के पठार में होता है। यह नौका और जहाज़ बनाने के लिए उपयोगी है। इसका फरनीचर भी बनता है। इसके पत्ते टसर के कीड़ों को खिलाए जाते हैं। टीक से टार भी निकाला जाता है।

जारूल की लकड़ी असम और बर्मा में इमारतों में काम आती है।

अर्जुन की लकड़ी टीक से भी अधिक मज़बूत होती है। कुसुम के पेड़ पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं। इसकी लकड़ी कठोर होती है। सिरीस-वृक्ष भारत में सड़कों के किनारे लगाया जाता है। पलाश (ढाक) छोटा नागपुर में बहुत पाया जाता है। लाख के कीड़ों के ख्याल से यह पेड़ महत्त्वपूर्ण है। महुआ भी छोटा नागपुर में बहुतायत

से होता है। इसका फूल खाया जाता है। इसका तेल साबुन बनाने के काम आता है। देवदार पश्चिमी हिमालय का पेड़ है। 100 से 200 फुट ऊंचाई पर होता है। इसकी लकड़ी टिकाऊ होती है। दरवाज़े और खिड़कियां इसके बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी पर सफाई आती है। नीला पाईन या केल वृक्ष 120 फुट तक ऊंचा जाता है। यह हिमालय वन में होता है। शीशम पंजाब से असम तक नदी के किनारे उगता है।

गोंद और राल के वास्ते भारत में वृक्ष हैं—बबूल, खैर, साल, पाइन, आम आदि। चमड़ा कमाने की अनेक चीज़ें भारतीय वनों में पाई जाती हैं। चन्दन की लकड़ी से चन्दन का तेल निकाला जाता है।

भारत में दूध-उद्योग

भारत में दूध-उद्योग खेती के समान एक मूल उद्योग है। दूध और दूध से बनी चीज़ें राष्ट्रीय आय के बढ़ाने में 620 करोड़ रु० प्रदान करती हैं। देश में प्रतिदिन 15,00,000 मन दूध पैदा होता है। 67000000 गौओं और भैंसों से यह दूध मिलता है। ये 4000000 जोतों पर जीवित रहते हैं। डेरी फार्मिंग अच्छी हालत में नहीं, क्योंकि पशु निर्बल हैं, चारे की कमी है। पशु-रोग बहुत हैं। संगठन का अभाव है। खाद्य-पदार्थों और दूध में मिलावट बहुत अधिक होती है। दूध में मिलावट इतनी अधिक होती है कि शुद्ध दूध मिलना दुर्लभ हो गया है।

कम उत्पादन—भारत की एक गाय साल-भर में 413 पौं० दूध देती है। जबकि नीदरलैंड में 8000 पौं०, आस्ट्रेलिया में 7000 पौं०, स्वीडन में 6000 पौं० और अमेरिका में 5000 पौं० देती है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्ध मात्रा केवल 5·8 औंस है। इसके मुकाबले न्यूज़ीलैण्ड में 244 औंस, डेन्मार्क में 148 औंस, अमेरिका में 87 औं० और ब्रिटेन में 140 औंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध प्राप्त है। इन देशों में प्रति व्यक्ति दूध की खपत भी अधिक है। जैसे, अमेरिका में 35 औंस, ब्रिटेन में 30 औंस, न्यूज़ीलैण्ड में 56 औंस और स्वीडन में 61 औंस प्रति व्यक्ति दूध की खपत है।

अन्य देशों में दूध देने की अवधि में गाय साधारणतः 3000 से 4000 पौं० दूध देती है, पर भारत में गाय इसी अवधि में 1500 पौं० दूध देती है। कुछ दुग्ध-केन्द्रों में छोड़कर भारत के छोटे-छोटे गांवों में दूध पैदा किया जाता है। यह औसत उत्पादन प्रतिदिन 25 मन से अधिक नहीं होता। दूध-केन्द्रों और दूध-क्षेत्र अपवाद हैं। 1948 में इण्डियन डेरी साइंस एसोसियेशन की स्थापना की गई। इसी वर्ष इण्डियन डेरी कौंसिल की भी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य डेरी प्रशिक्षण व प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित करना है। बम्बई के समीप आरे में भारत की सबसे बड़ी दूध की फैक्टरी है। कैरा (गुज०) सहकारिता दूध संघ की ओर से पनीर, मलाई, मक्खन, शिशु-भोजन, घी, दुग्ध-चूर्ण बनाने का कारखाना आनन्द में है। कलकत्ता के पास हरिनघाट में बंगाल सरकार ने दूध-उपनिवेश बसाया है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार ने डेरी चालू की है।

डेरी विज्ञान में प्रशिक्षण देने का कार्य करनाल में होता है। यहां अनुसन्धान का काम भी होता है। बंगलौर, आरे, और इलाहाबाद में भी डिप्लोमा मिलता है। पर डिग्री केवल करनाल ही देता है। कृषि अनुसन्धान परिषद् ने डेरी-विषयक तथा और जानकारी का संग्रह करने के लिए सेण्ट्रल डेरी इन्फारमेशन ब्यूरो स्थापित किया है।

घी—भारत में घी का उत्पादन वर्ष में अनुमानतः 1 करोड़ 15 लाख मन होता है। घी-उत्पादन के मुख्य केन्द्र पंजाब, यू० पी०, मद्रास और बिहार हैं। इनमें कुल उत्पन्न घी का क्रमशः 15·7, 13·8, 9·9 और 5·4 प्रतिशत उत्पन्न होता है। प्रति व्यक्ति वार्षिक घी की खपत ग्वालियर में सबसे अधिक होती है। यहां खपत 15·5 सेर है। सबसे कम घी की प्रति व्यक्ति खपत हैदराबाद और बंगाल में है, क्रमशः 1·1 और 1·3 सेर।

घी को शुद्ध रखने और मिलावट से बचाने के लिए सरकार ने ग्रेडिंग और चिह्न लगाने की योजना बनाई है। ग्रेडिंग संस्था 1938 से काम कर रही है, और इसका चिह्न आगमार्का के नाम से प्रसिद्ध है। घी में वनस्पति घी न मिलाया जाए इस विचार से सरकार ने घी मिलावट कमिटी के सामने यह प्रश्न पेश किया है। इसने वन-

स्पति को संगीत करने की सिफारिश की है। इस विषय में अभी और

परीक्षण हो रहे हैं।

राष्ट्रीय वित्त

भारत का राष्ट्रीय वित्त—संविधान के अनुसार भारत सरकार का वित्त दो खातों में रखा जाता है: समेकित (कंसोलिडेटेड) निधि और सरकारी खाता। समेकित निधि में राजस्व आय, कर्ज़, कर्ज़ की वसूली से आई रकम जमा की जाती है। संसद की अनुमति के बिना इस निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। सरकारी खाते से ली गई राशि के खर्च के लिए संसद की मंजूरी अपेक्षित नहीं होती। इसमें सब प्रकार की जमा (डिपाज़िट) सर्विस फण्ड आदि इसमें जमा होता है। बजट में स्वीकृत न हुए और आकस्मिक खर्चों के लिए भी, जैसे, बाढ़, भूकम्प आदि समेकित निधि से खर्च करने की व्यवस्था है। आकस्मिक व्यय के लिए केन्द्र के समान सब राज्यों में भी व्यवस्था है। रेलवे का अलग हिसाब है। वित्त मंत्रालय सब वित्त विषयों के लिए ज़िम्मेदार है। मुद्रा और बैंक की नीति का निर्णय भी यही करता है। भारत सरकार के सारे व्यय का यही नियन्त्रण करता है। इस मंत्रालय के तीन विभाग हैं : राजस्व, व्यय और आर्थिक विषय।

सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू—प्रत्यक्ष करों, आय-कर, सम्पत्ति-कर, व्यय-कर, उपहार-कर, विरासत-कर की वसूली सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू या राजस्व-विभाग करता है।

अप्रत्यक्ष कर हैं : उत्पादन शुल्क, जकात।

आर्थिक विषय विभाग के 6 विभाग हैं, जैसे—बजट, अन्तर्देशीय वित्त, नियोजन, विदेशी वित्त, विदेशी सहायता, आर्थिक और बीमा विभाग।

अन्तर्देशीय वित्त के अन्तर्गत टकसाल (बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद), नोट-छपाई (नासिक), चांदी परिष्करणशाला (कलकत्ता), सिक्युरिटी पेपर मिल (होशंगाबाद) है।

बजट—28 फरवरी को केन्द्रीय सरकार का बजट लोकसभा के

समक्ष पेश करने की पुरानी परिपाटी है। राज्य-सरकारों का बजट भी फरवरी मास में ही विधानसभाओं के समक्ष पेश होता है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण या ब्योरा कहा जाता है।

केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय का स्वरूप इससे ज्ञात होता है :

संघ सरकार का बजट
(करोड़ रु० में)

	1960–61	1961–62	1962–63 (अनुवीक्षित)	1963–64 (बजट)
राजस्व आय	877·5	978·3	150025	1585·73
व्यय	826·2			1852·40
बचत (+)या		944·3	152231	
घाटा (—)	+ 51·3	+34·0	(—)2206	(—)266·67

1960–61 के बजट में भी 34 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान किया गया था, पर अन्त में 51·3 करोड़ रु० का लाभ हुआ। 1961–62 में भी 6 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान किया गया था, पर वह 34 करोड़ रु० के लाभ में बदल गया। 1963–64 के बजट में विद्यमान करों के हिसाब से आय का अनुमान 158573 लाख रु० का किया गया था। नये करों से 26590 लाख रु० की आशा की गई है। केन्द्रीय सरकार को सर्वाधिक आय उत्पादन शुल्क से होती है और यह प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रु० बढ़ जाती है। जैसे :

	उत्पादन शुल्क की आय (करोड़ रु० में)		भारत का प्रतिरक्षा व्यय (करोड़ रु० में)
1959–60	354·47	1959–60	230·86
1960–61	409·43	1960–61	247·55
1961–62	481·86	1961–62	289·54
1962–63	545·50 (अनुवीक्षित)	1962–63	451·81 (अनुवीक्षित)
1963–64	575·43 (बजट)	1963–64	708·51 (बजट)

केन्द्रीय राजस्व से राज्यों को मिलनेवाला अंश बराबर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार केन्द्रीय आय का एक अंश केन्द्रीय रोड फण्ड में जमा होता है। जैसे—

राज्यों का कर व शुल्कों में भाग (करोड़ रु० में)		केन्द्रीय सड़क-निधि को हस्तान्तरित (करोड़ रु० में)	
1959–60	169·85	1959–60	3·60
1960–61	178·78	1960–61	4·50
1961–62	178·38	1961–62	4·00
1962–63 (अनुवीक्षित)	224·06	1962–63	4·10
1963–64 (बजट)	229·90	1963–64 (बजट)	4·10

रेल एक व्यावसायिक संस्था है। रेलवे में लगी पूंजी पर केन्द्रीय सरकार को रेलवे से लाभांश मिलता है। इसी प्रकार डाक-तार-विभाग अपनी आमदनी में से कुछ अंश केन्द्रीय सरकार को देता है। पर यह अंश अत्यन्त स्वल्प होता है। यह ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान है। यह केन्द्रीय आय का एक क्षुद्र अंश है।

इसकी अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को ब्याज से अधिक आय है : पर वह खुद भी ब्याज देती है। यह ब्याज-व्यय से स्पष्ट है।

रेलवे व डाक-तार से अंशदान (करोड़ रु० में)		ब्याज-आय (करोड़ रु० में)		ब्याज-व्यय (करोड़ रु० में)
1959–60	10·76	1959–60	113·68	170·07
1960–61	15·23	1960–61	131·20	188·48
1961–62	21·43	1961–62	12·22	77·85
1962–63 (अनुवीक्षित)	21·46	1962–63 (अनुवीक्षित)	176·49	241·03
1963–64 (बजट)	25·26	1963–64 (बजट)	217·05	275·24

आय-कर से केन्द्रीय सरकार को आय (करोड़ रु० में)

1950–51	47·62
1959–60	79·32
1960–61	86·98
1961–62	93·85
1962–63 (अनुवीक्षित)	95·27
1963–64 (वजट)	97·95

निगम (कार्पोरेशन) कर व आय-कर से संघ सरकार की आय (करोड़ रु० में)

1959–60	354·47
1960–61	409·43
1961–62	481·86
1962–63 (अनुवीक्षित)	545·50
1963–64 (वजट)	575·43

भारतीय उद्योग

व्यवसाय व वाणिज्य मंत्रालय उद्योगों को देखता है। यह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त लघु व मध्यम परिमाण के उद्योगों के व्यवस्थित विकास पर भी देख-रेख करता है। यह निजी व राष्ट्रीय उद्योगों में भेद नहीं करता। बागान उद्योग पर भी नियंत्रण रखता है। मंत्रालय कम्पनीज़ एक्ट और वायदे के सौदों पर भी नज़र रखता है। आयात-निर्यात का नियंत्रण चीफ कंट्रोलर करता है। इसके शाखा दफ्तर अमृतसर, बम्बई, कलकत्ता, एरनाकुलम, मद्रास, नई दिल्ली, पांडेचेरी, राजकोट, शिलांग, विशाखापत्तनम् और कांडला में हैं। टेक्सटाइल कमिश्नर का दफ्तर बम्बई में है। जूट व रेशम-उद्योग को छोड़कर शेष वस्त्र उद्योग के विकास व नियंत्रण के लिए यह अधिकारी उत्तरदायी है।

लघु उद्योग विकास कमिश्नर, नई दिल्ली लघु परिमाण के उद्योगों के लिए उत्तरदायी है।

आर्थिक सलाहकार—यह मंत्रालय को आर्थिक विषयों पर सलाह देने, भारत में मूल्यों का निर्देशांक तैयार करने, रोज़गार, कीमतों, विदेशी व्यापार और उद्योगों में शोध का कार्य करता है।

टैरिफ कमीशन—एक स्थायी संस्था है। और जो कोई उद्योग विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण चाहता है, उसके विषय में यह जांच करता है और अपनी सिफारिश देता है।

नमक कमिश्नर—(जयपुर) साम्भर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और मंडी इन पांच क्षेत्रीय दफ्तरों के साथ यह सम्बद्ध दफ्तर हैं। नमक सेस एक्ट का प्रशासन यह करता है। नमक-उद्योग विपयक सब देख-रेख यह करता है। भारत में नमक वनाने का उद्योग अधिकतर सरकारी है।

फारवर्ड मार्केट कमिश्नर—फारवर्ड कंट्राक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1952 के अनुसार यह वायदे के बाज़ार का नियंत्रण करता है। कीमतों को वढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक हो गया है।

कंट्रोलर-जनरल आफ पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेड मार्क का दफ्तर बम्बई में है, और यह ट्रेड मार्क एक्ट, 1958 और पेटेण्ट एण्ड डिज़ाइन एक्ट, 1911 के अमल के लिए ज़िम्मेदार है।

इण्डियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट (मानक), नई दिल्ली--भारतीय उद्योगों के मानक को निर्धारित करने के लिए यह अर्द्ध-सरकारी संस्था है। यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारित करती है।

खादी व ग्राम उद्योग कमीशन-- खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज़ एक्ट, 1956 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। खादी व ग्रामोद्योग के विकास के लिए योजना बनाना और उसको पूरा करना इसका काम है।

आल इण्डिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, नई दिल्ली--यह देश की दस्तकारियों के विषय में सरकार को सलाह देने, राज्यों को योजना बनाकर देने और उनको पूरा करने का काम करता है।

केन्द्रीय सिल्क बोर्ड—इसकी स्थापना 1949 में हुई। इसका कार्य रेशम का उत्पादन और उद्योग का विकास करना और राज्यों में इस विपयक हो रहे कार्यों को एकसूत्रित करना है।

सेण्ट्रल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन, प० बंगाल—यह वरहामपुर में है। यह कोकून के उत्पादन और रेशम-उद्योग के विस्तार का कार्य करता है।

टी बोर्ड, कलकत्ता--टी० एक्ट, 1953 का अमल यह देखता है। भारत में चाय-उद्योग के विकास और भारत से चाय के निर्यात और

चाय की खपत बढ़ाने के लिए प्रचार करने का कार्य यह बोर्ड करता है।

कॉफी बोर्ड, बम्बई—कॉफी-उद्योग के विकास के लिए यह संस्था है।

रबड़ बोर्ड, कोत्तायम—रबड़ के वृक्ष की जगह दूसरा वृक्ष न लगाने पर रबड़-उद्योग का विस्तार नहीं होता, अतः इस बोर्ड की स्थापना रबड़-उद्योग के विकास के लिए की गई है।

कोयर बोर्ड, एरनाकुलम—इसकी स्थापना कोयर इण्डस्ट्री एक्ट, 1953 के अधीन की गई है। नारियल की जटाओं से जहाज़ के रस्से, पायदान, फर्शियां, चटाइयां आदि बनती हैं। इस उद्योग की वृद्धि के लिए यह बोर्ड स्थापित किया गया है।

हैण्डलूम बोर्ड, बम्बई—करघों की समस्या को हल करने, इस उद्योग के विकास व विस्तार के उपायों पर विचार करने और इसको वित्तीय सहायता देने का निर्णय करने का काम यह बोर्ड करता है। करघे हाथ से न चलाए जाकर मशीन से चलाए जाएं, यह एक समस्या भी इसके सामने है।

जूट कमिश्नर, कलकत्ता—1958 में इसकी स्थापना जूट मिल उद्योग के विकास पर दृष्टि रखने के लिए की गई। जूट कमिश्नर जूट-उद्योग का टेक्सटाइल कण्ट्रोलर भी है।

राजकीय उद्योग—केन्द्रीय सरकार और राज्यों ने भी अनेक कम्पनियों का संगठन उद्योगों के वास्ते किया है। जैसे, (1) हिन्दुस्तान कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०, (2) हैवी इलेक्ट्रिकल लि०, (3) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, ये सब अभी प्रथम चरण में हैं।

भारत सरकार के जो उद्योग उत्पादन कर रहे हैं वे इस प्रकार हैं: (1) सिंद्री फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स, (2) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, (3) हिन्दुस्तान कैबल्स, (4) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाईड, दिल्ली और आलवाये, (5) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक, (6) नेशनल इंस्ट्रूमेंट, (7) नाहन फाउंड्री, (8) हिन्दुस्तान साल्ट, (9) प्राग टूल्स कार्पोरेशन, (10) नेशनल न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स।

व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए (1) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया, (2) एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कार्पोरेशन स्थापित हैं।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति—6 अप्रेल, 1948 के प्रस्ताव

में मिश्रित आर्थिक व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय हित में सम्पूर्ण उद्योगों के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास की सारी ज़िम्मेदारी सरकार की मानी गई थी। उद्योगों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया : (1) शस्त्र और गोलाबारूद, अणु शक्ति, नदी-घाटी परियोजनाएं, रेलवे पर राज्य का एकाधिकार घोषित किया गया। (2) कोयला, लोहा, इस्पात, विमान, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार की तार, जहाज़-निर्माण और खनिज तेल के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी बताई गई। इनमें विद्यमान निजी उद्योग कम से कम दस वर्ष चलते रहेंगे, यह माना गया। (3) शेष औद्योगिक क्षेत्र निजी उद्योग के लिए खुला रखा गया।

30 अप्रेल, 1956 को भारत सरकार ने पुनः अपनी औद्योगिक नीति घोषित की। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित हो जाने के कारण अब घोषणा की गई कि सरकार विस्तृत क्षेत्र में औद्योगिक विकास की ज़िम्मेदारी लेगी। 17 मूल उद्योग राज्य के घोषित किए गए। 12 उद्योगों का धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की गई। इनके अतिरिक्त शेष उद्योग निजी उद्योग के लिए छोड़ दिए गए।

क सूची के उद्योग हैं—हथियार, गोलाबारूद, प्रतिरक्षा का अन्य साज-सामान, अणु शक्ति, लोहा और इस्पात। इनपर राज्य का एक-मात्र अधिकार है। इनके अतिरिक्त राज्याधिकार के उद्योग हैं, खानें और इस्पात तैयार करने की मशीन, और अन्य मूल उद्योग, (जो भारत सरकार घोषित करे), टरबाइन, विद्युत् प्लांट, कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, खनिज धातुओं को खानों से निकालना, विमान, रेलवे, जहाज़, परिवहन व संचार के साधन (रेडियो रिसीविंग सेट को छोड़कर)।

इण्डस्ट्रीज़ (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1951 के अधीन विद्यमान और नये उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया है। सरकार किसी भी उद्योग के काम की जांच कर सकती है, प्रबन्ध खराब हो तो उसका संचालन कर सकती है।

लाइसेंस की अर्ज़ियों पर विचार करने के लिए एक लाइसेंसिंग

कमिटी है।

औद्योगिक वित्त—औद्योगिक साहस को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन की स्थापना की गई है।

नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०—1954 में इसकी स्थापना उद्योगों के विकास में मदद देने के उद्देश्य से की गई थी। किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य सूती मिलों और जूट मिलों को अभिनवीकरण करने के वास्ते ऋण से मदद करना है। छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए एक अलग कार्पोरेशन है।

इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया—इसकी स्थापना जुलाई, 1948 में की गई। 1960 के संशोधन से इसको कम्पनियों के प्रत्यक्ष रूप से शेयर लेने का हक दे दिया गया है।

दी इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन—जनवरी, 1955 को इसकी स्थापना हुई। इसकी अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रु० है। इसका उद्देश्य निजी उद्योग साहस को प्रोत्साहन देना है।

व्यवसाय व वाणिज्य मंत्रालय की विकास-शाखा के अन्तर्गत अनेक कौंसिलें और कमिटियां हैं। लगभग प्रत्येक उद्योग के लिए कौंसिल या कमिटी है।

विदेशी पूंजी—औद्योगिक विकास में विदेशी पूंजी का क्या स्थान होगा, इस विषय में प्रधानमंत्री ने विधानपरिषद् में 1949 में निम्न सूत्र निर्धारित किए थे :

(1) विदेशी पूंजी का राष्ट्रीय हित में सावधानी के साथ नियमन किया जाएगा। स्वामित्व, संचालन व नियंत्रण में मुख्य भाग भारतीय होना चाहिए।

(2) औद्योगिक विकास-नीति के व्यवहार में विदेशी कम्पनियों के साथ विभेदात्मक बर्ताव न किया जाएगा।

(3) विदेशी उद्योग व कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने की हालत में उचित मुआवज़ा दिया जाएगा। नियोजन कमीशन का भी कहना है कि विदेशी पूंजी को भारत में आने के लिए उत्साहित करना चाहिए।

राजकीय क्षेत्र की कम्पनियां—फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन आफ

इण्डिया लि०, हिन्दुस्तान केमीकल्स, सिन्द्री फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स लि० को मिलाकर यह बनाया गया है। इस रूप में यह 1 जनवरी, 1961 से ही आया है। सिंद्री फर्टिलाइजर 1951 से उर्वरक तैयार कर रहा है। यह अमोनिया सल्फेट पैदा करता है। 1961 में नांगल में स्थापित फैक्टरी नाइट्रो-लाइम स्टोन और भारी पानी तैयार करती है।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि०—यह बंगलौर में स्थापित है। यहां विमान तैयार किए जाते हैं। यहां भारतीय हवाई सेना के विमानों की मरम्मत की जाती है। इसने एच० टी०–2 विमान बनाया है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स—15 करोड़ रु० की पूंजी से इस कारखाने की स्थापना की गई है जिससे विदेशों से रेलवे एंजिन न मंगाने पड़ें। यह वर्ष में डब्ल्यू० जी० टाइप के 168 एंजिन हर साल तैयार करता है। यहां विजली के एंजिन भी बनते हैं।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी लि०, कलकत्ता—यहां 250 किस्म के वैज्ञानिक उपकरण तैयार होते हैं।

इंटिग्राल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर—यहां पूर्णतः इस्पात के हलके भार के रेल के मुसाफिरी डब्बे तैयार किए जाते हैं। 1955 से यह चालू है।

हिन्दुस्तान आरगेरिक केमीकल्स लि०—एक जर्मन कम्पनी की सहायता से आप्टा खारपाड़ा (महाराष्ट्र) में एक ऐसा कारखाना खोला जाएगा जहां ओषधियों, रंगों और प्लास्टिक के लिए उपयोगी मूल व माध्यमिक रासायनिक द्रव्य तैयार किए जाएंगे।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लि०—पेंसिलीन की बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए पिम्परी में यह कारखाना लगाया गया है। 1955 से यह पेंसिलीन तैयार कर रहा है।

हिन्दुतान हाउसिंग फैक्टरी लि०—अगस्त, 1955 से यह भारत सरकार की देख-रेख में चल रही है। यह कारखाना ट्रांसमिशन पोल्स, सड़क के रोशनी के खम्भे, औद्योगिक भारी शहतीर, पूर्व-निर्मित छतें, दरवाजे, खिड़कियां, फोम कंकरीट और पार्टीशन ब्लाक बना रही है।

[illegible] फाउंड्री, सिरसा—यह 1872 में स्थापित हुई थी। भारत सरकार ने इसको 1952 में ले लिया। फाउण्ड्री मुख्यतः खेती के उपकरण तैयार करती है।

प्राग टूल्स कार्पोरेशन लि०—1958 में भारत सरकार ने इसको आंध्रप्रदेश से लिया। यह हैदराबाद में है और यहां मशीन टूल्स, प्रीसीजन टूल्स, आटो और डीज़ल पार्ट्स तैयार किए जाते हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, जलहली, बंगलौर—1954 से यह कम्पनी माल पैदा करती है। यह खराद, मिलिंग मशीन, ग्रिड़िंग मशीन, रेडियल ड्रिल्स का निर्माण करती है। इटालियन कम्पनी की मदद से यह 16 किस्म की चक्राकार ग्रिडिंग मशीन तैयार करेगी। यह कारखाना कलाई की घड़ियां बनाने लगा है, और अपनी आय से हीं इसने मशीन टूल्स बनाने के और पांच कारखाने लगाने का निश्चय किया है। अम्बरनाथ में भी इसी किस्म की एक फैक्टरी है।

हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी—यह डाक-तार-विभाग की ज़रूरत पूरी करने के लिए फोन के उपयुक्त तार बनाती है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल लि०, नई दिल्ली—इसकी स्थापना 1960 में की गई है। इसका उद्देश्य रूस की सहायता से दवाइयों के चार कारखाने खोलना है। इसकी पूंजी 15 करोड़ रु० है।

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०—विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से 1956 में यह स्थापित की गई।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी—तीन करोड़ रु० की पूंजी से यह कम्पनी मद्रास में 30 नवम्बर, 1960 को स्थापित की गई है। यह एक फ्रेंच कम्पनी की सहायता से उटकमंड में सिनेमा की कच्ची फिल्म, फोटो के कागज़ व फिल्म, एक्स-रे फिल्म तैयार करेगी।

इण्डियन एक्सप्लोज़िव फैक्टरी—ब्रिटिश इम्पीरियल केमीकल्स इण्डस्ट्रीज़ लि० के सहयोग से यह कम्पनी 5 नवम्बर, 1958 को हज़ारीबाग में स्थापित की गई। इस कम्पनी में भारत सरकार का शेयर 20 प्रतिशत ही है। यह ब्लास्टिंग एक्सप्लोज़िव तैयार करती है।

हिन्दुस्तान स्टील लि०—इस्पात तैयार करने के इसके चार

कारखाने इस समय चल रहे हैं : (1) रूरकेला (उड़ीसा) में जर्मन कम्पनी क्रुप-डेमाग की सहकारिता से यह 170 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है। इसकी उत्पादन-क्षमता 10 लाख टन इस्पात की है। (2) भिलाई स्टील प्लाण्ट : यह रूसी सहयोग का फल है। यहां फाउंड्री ग्रेड का इस्पात प्रतिवर्ष 10 लाख टन तैयार होगा। इसके बनाने में 131 करोड़ रु० व्यय हुए हैं। (3) दुर्गापुर इस्पात प्लाण्ट : यह ब्रिटिश पद्धति से इस्पात बनाने का कारखाना दिसम्बर, 1959 से चालू है। इसकी भी उत्पादन-क्षमता 10 लाख टन होगी। मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इसकी उत्पादन-क्षमता का विस्तार 100000 टन इस्पात प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

बोकारो में एक और इस्पात का प्लांट विदेशी सहायता से लगाने की तजवीज़ है। इसकी उत्पादन-क्षमता, पूर्ण होने पर, 40 लाख टन वार्षिक होगी।

लिगनाइट फैक्टरी—112·69 करोड़ रु० की लागत से यह एक समग्र केन्द्रीय फैक्टरी है। यह खान खोदने, बिजली पैदा करने, उर्वरक पैदा करने, ब्रिकेट बनाने और क्ले-वाशिंग का प्लाण्ट है। पांचों काम एक ही कारखाने में हो रहे हैं।

हैवी इलेक्ट्रिकल लि०, भोपाल—भारत में यह अपने ढंग की एक फैक्टरी है। यह एशिया में सबसे बड़ी है। जुलाई, 1960 से यह चालू है। बिजली के विकास के लिए ज़रूरी स्विच, गीयर, ट्रांसफारमर, कैपेसियोटर और ट्रेक्शन मोटर आदि तैयार करती है।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०, रांची—दिसम्बर, 1958 में यह स्थापित हुआ है। यह भारी मशीनें, मशीन टूल्स, फाउण्ड्री-फोर्ज, कोयला खोदने की मशीनें आदि बनाने के कई कारखानों का एक समूह है। इसके तीन प्लाण्ट, हटिया (रांची) में लग गए हैं। ओप्थैलमिक ग्लास प्लांट दुर्गापुर में लगाया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 300 टन ओप्थैलमिक कांच तैयार होगा।

आयल इण्डिया लि०—1959 में इसकी स्थापना पेट्रोलियम और गैस के उत्पादन और उसकी खोज के लिए और दो तेलशोधक

कारखानों (रिफाइनरियों) के लिए पाइप-लाइन बनाने के लिए की गई है।

इण्डियन रिफाइनरीज लि०—नूनमाटी (असम) और बरौनी में तेलशोधक कारखाने खोलने के लिए इसकी स्थापना की गई है।

बम्बई यूरेनियम-थोरियम फैक्टरी—जनवरी, 1954 में 45 लाख रु० से इसकी स्थापना की गई। यहां थोरियम नाइट्रेट 205 से 228 टन तैयार किया जाएगा। यहां खनिज यूरेनियम और थोरियम का प्रासेस भी किया जाएगा।

टेलीप्रिंटर मैन्युफैक्चर—टेलीप्रिंटर और इसकी अन्य चीजें बनाने के लिए ओलिवेत्ती के साथ 10 साल के वास्ते करार किया गया है।

नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल लि०—नेपा मिल्स को जब भारत सरकार ने लिया, तो उसका यह नाम हो गया। 1955 से यह कागज़ बनाती है। इसकी उत्पादन-क्षमता 30000 टन है, 1959-60 में इसने 22411 टन कागज़ पैदा किया था।

भारतीय उद्योगों का विवरण

वस्त्र—22 फरवरी, 1954 को आधुनिक भारतीय वस्त्र-उद्योग की स्थापना हुई। सूती मिल उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें 120 करोड़ रु० पूंजी लगी हुई है और यह 9 लाख मज़दूरों को काम देता है। बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर, इन्दौर, मदुराई, कोयम्बतूर इस उद्योग के मुख्य केन्द्र हैं।

इस्पात—इस्पात के उद्योग में ताता भारत ही में नहीं, अपितु एशिया-भर में अग्रणी है। जमशेदपुर का इस्पात का कारखाना आज भी गर्व की चीज़ है। आसनसोल के समीप हीरापुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी इस्पात का कारखाना है। इन दोनों का विस्तार हो रहा है। 1961 में 2810000 टन इस्पात तैयार हुआ।

जूट—निर्यात-व्यापार में जूट-वस्त्रों का भाग महत्त्वपूर्ण है, लगभग एक-चौथाई है। बोरों का स्थान कागज़ ले रहा है पर फिर भी इनकी उपयोगिता बनी हुई है। अतः जूट मिलें और इनका तैयार किया जूट-वस्त्र भी जीवित है। भारत जूट का माल बनानेवाले देशों

में अग्रणी है और भारत खंड में उत्पन्न जूट का 60 प्रतिशत भाग भारतीय जूट मिलों में खपता है। इस समय यह उद्योग मुख्यतः बोरे, और गेहूं, चावल, तिलहन आदि अनाज पैंकिग करने का कपड़ा तैयार करता है। रुई, ऊन और अन्य रेशों की गांठ बांधने के लिए हेसियन कपड़ा बरता जाता है। यह उद्योग इस समय जहाज़ के रस्से (कार्डेज), जूट कार्पेट, मछली पकड़ने के जाल, कागज़ी अस्तर का हेसियन, और जूट वेबिंग आदि भी तैयार करने लगा है। इसके बने थैले हर घर में देखे जा सकते हैं। 1960 में 1085000 टन जूट माल तैयार हुआ।

कोयला—कोयला का उत्पादन, वितरण और मूल्य-निर्धारण खान व ईंधन मंत्रालय करता है। इसकी एक शाखा है, कोयला और लिगनाइट। कोयला कण्ट्रोलर, कलकत्ता कोयले के वितरण की व्यवस्था करता है। कोयला-उद्योग के विकास, इसके संरक्षण, और इसके उपयोग का नियोजन बनाने का काम सरकार ने कोल कौंसिल आफ इण्डिया को सौंपा हुआ है। खानों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कोल बोर्ड, कलकत्ता पर है। सरकारी कोयले की खानों से कोयला निकालने का काम नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के सुपुर्द है। इसकी स्थापना 1956 में हुई और प० बंगाल सरकार ने दुर्गापुर में कोक ओवन प्लांट लगाया है। दुर्गापुर इस्पात प्लांट को कोयला देने के लिए यह लगाया गया है।

अलूमीनियम—1943 में अलूमीनियम का उत्पादन शुरू हुआ। अलूमीनियम उत्पादन करनेवाली कम्पनियां हैं: अलूमीनियम कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० और इण्डियन अलूमीनियम कं० लि०। पहले का कारखाना जयकय नगर, आसनसोल में है। दूसरे का मूरी (बिहार) में है। दोनों बाक्साइट एक ही जगह लोहार डागा से पाते हैं। इण्डियन अलूमीनियम का एक कारखाना अलवाये (केरल) में है। बेलूर में उसकी रोलिंग मिल है। हीराकुड में इसने एक नया स्मेलटर लगाया है। हिन्दुस्तान अलूमीनियम कार्पोरेशन 1960 में स्थापित हुआ है। रेंड बांध पर इसकी फैक्टरी है। मेटूर (मद्रास) में मद्रास अलूमीनियम लि० ने काम प्रारम्भ किया है, और एक कम्पनी

कोयना (महाराष्ट्र) में बनी है।

चीनी—भारत से अधिक और कोई देश चीनी पैदा नहीं करता। परन्तु प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन इस देश में केवल 14-15 टन है, जबकि हवाई में 62 टन, हिन्देशिया में 56 टन है। गन्ना उत्पन्न करनेवाले और चीनी बनानेवाले प्रदेश हैं—उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र और मद्रास। भारत में उत्पन्न गन्ने में से 55 प्रतिशत गन्ने का उपयोग गुड़ बनाने और खाण्डसारी में होता है। स्फटिक (क्रिस्टल) चीनी बनाने के लिए केवल 25 प्रतिशत गन्ना चीनी-मिलों में जाता है। वस्त्र-उद्योग के बाद भारत का यह सबसे बड़ा उद्योग है।

गन्ने के छिलके का उपयोग कागज़-लुगदी (पल्प) बनाने में किया जाता है। इससे गत्ता भी बनाया जाता है। शीरे से एकोनाइटिक एसिड तैयार किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक और पावर अलकोहल और रासायनिक द्रव्य बनाने में किया जाता है। तम्बाकू बनाने में भी शीरे का उपयोग होता है।

चार लाख टन चीनी का निर्यात होता है। इसके उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 33 लाख टन चीनी है।

साइकल—भारत में पहले-पहले 1890 में साइकल दिखाई दी। 1925 में साइकल बनाने का विफल प्रयास किया गया। 1938 से 1941 के मध्य तीन कम्पनियों—इण्डिया साइकल, हिन्दुस्तान बाइसिकल और हिन्द साइकल—ने साइकल बनाने का उद्योग प्रारम्भ किया। कलकत्ता, पटना और बम्बई में यह काम प्रारम्भ हुआ। इसके बाद यह बराबर बढ़ता गया। इस समय 21 बड़ी साइकल बनाने की फैक्टरियां हैं। इनमें से पांच पंजाब में, छः यू० पी० में, तीन दिल्ली में और तीन बंगाल में हैं। बम्बई, मद्रास, बिहार और असम में एक-एक है। इनके अतिरिक्त 112 छोटे-छोटे कारखाने हैं। इनकी कुल क्षमता 5 लाख साइकल बनाने की है।

कागज़ और गत्ता—यद्यपि आधुनिक कागज़-उद्योग का आरम्भ 1832 में हुआ, पर वस्तुतः भारत में कागज़-उद्योग स्थापित तब हुआ, जब अपर इण्डिया मिल्स, लखनऊ और टीटागढ़ पेपर मिल्स, कलकत्ता

ने कागज़ बनाना शुरू किया। ये दोनों मूंज और सवाई घास का उपयोग कागज़ बनाने के लिए करते थे। दक्खन पेपर मिल, पूना (1887), बंगाल पेपर मिल्स, रानीगंज (1891) में स्थापित हुई। कागज़-उद्योग को संरक्षण मिला, फलतः 1925-47 के बीच कागज़ का उत्पादन 27000 टन से बढ़कर 48500 टन हो गया। दूसरे महायुद्ध के काल में कागज़ की 17 मिलें थीं। इनकी उत्पादन-क्षमता 136000 टन थी। नेपा (मध्यप्रदेश) में अखबारी कागज़ 22900 टन तैयार होता है। 1961 में कागज़ 63640 टन तैयार हुआ।

चमड़ा—विदेशी विनिमय उपार्जन की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है। इससे 23 से 25 करोड़ रु० प्रतिवर्ष मिलता है। भारत प्रतिवर्ष 51 लाख भैंस की खालें, 161 लाख गौ की खालें, 229 लाख बकरी की खालें, और 142 लाख भेड़ की खालें पैदा करता है। उत्पन्न खाल और चमड़े का मूल्य अनुमानतः 40 करोड़ रु० होता है। मद्रास में भैंस की खाल सबसे ज्यादा पैदा होती है। भेड़ की खाल यू० पी० में और बकरी की खाल बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा पैदा होती है। ढोर की खाल भी बंगाल में सबसे ज्यादा पैदा होती है।

जूते बनाने में सर्वाधिक चमड़े का उपयोग होता है। पर जूता बनाने का उद्योग अभी लघु परिमाण का उद्योग है। यद्यपि मद्रास, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई में कुछ चमड़ा कमाने के कारखाने हैं। देश-भर में 725 चर्मालय (टैनरीज़) हैं।

भारत में 20 करोड़ पशु-आबादी है। यह अमेरिका से लगभग तीन गुनी है। भारत प्रतिवर्ष 2 करोड़ पशु-खाल उत्पन्न करता है। भारत में 7·5 करोड़ बकरियां और 4 करोड़ भेड़ें हैं। ये 3·5 करोड़ बकरी की खाल और 1·7 करोड़ भेड़ की खाल पैदा करते हैं। चमड़ा कमाने का उद्योग अभी लघु परिमाण पर होता है। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और जालन्धर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। सेंट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास में है। कानपुर में एक लैदर स्कूल है। यहां उच्च तकनीकी शिक्षा दी जाती है।

रेयन—युद्ध के बाद 1958 में ट्रावनकोर रेयन लि० की स्थापना

से इस उद्योग का आरम्भ हुआ। भारत अब 200 लाख पौंड रेयन सूत पैदा करने लगा है। बिसकोसे रेयन सबसे सस्ता है, और वस्त्र-उद्योग क्षेत्र में इसको अपना लिया गया है। रेयन के लिए आवश्यक कच्चा माल है—सल्फ्युरिक एसिड (गन्धकाम्ल) और रेयन ग्रेड कास्टिक सोडा।

पेट्रोलियम—भारत में तेल-उद्योग असम में डिग्बोई के आसपास और गुजरात में अंकलेश्वर के समीप केन्द्रित है। नहर कटिया और मोरन में भी तेल-क्षेत्र मिला है। तेलशोधक कारखाने (रिफ़ाइनरी) ट्राम्बे (बम्बई), विशाखापत्तनम, नूनमाती, कोयाली और बरौनी में स्थापित हैं। इण्डियन आयल कम्पनी सरकारी है और नई है। इसकी स्थापना फरवरी, 1959 में हुई। इसमें बर्मा आयल कम्पनी का हिस्सा 50 प्रतिशत है।

रेशम—दूसरे महायुद्ध ने इस प्राचीन उद्योग को नया जीवन दिया है। रेशम के कीड़े पालने का उद्योग कुटीर उद्योग है। रेशम-उद्योग के केन्द्र मैसूर, असम, बंगाल, मद्रास और कश्मीर हैं। शहतूत के पत्तों पर पाले गए रेशम के कीड़े का रेशम सेना के काम आता है। इससे विमान से उतरने के लिए छतरियां (पैराशूट) तैयार होते हैं। रेशम-उद्योग की शिक्षा देने के लिए मैसूर में आल इंडिया सेरीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसके साथ शहतूत के पेड़ों का एक बड़ा बाग है। जापान से भी शहतूत के पेड़ मंगाकर यहां लगाए गए हैं।

सिलाई की मशीन—सिलाई की मशीन बनाने की पहली फैक्टरी 1937 में खुली। 1951 में 44 हज़ार सिलाई की मशीनें तैयार हुईं। सिलाई की मशीन के सब कल-पुर्ज़े इस समय इस देश में ही तैयार होते हैं। भारत से सिलाई की मशीन का निर्यात हर साल बढ़ रहा है।

ऊन-उद्योग—भारत प्रतिवर्ष 700 लाख पौंड ऊन पैदा करता है। इसमें बहुत-सा ऊन रंगीन होता है। ऊनी होज़री उद्योग लघु परिमाण की है। 875 यूनिट हैं। लुधियाना इनका एक बड़ा केन्द्र है। यहां 800 यूनिट हैं। ऊन से कम्बल, तौलिए, फरकोट, बंडियां, फेल्ट और मशीनों के हेयर बेल्टिंग भी तैयार किए जाते हैं। ऊनी दरी भी बनाई जाती है। इसका मुख्य केन्द्र अमृतसर, आगरा, ग्वालियर

और जयपुर है। गलीचे कश्मीर में बनते हैं।

सीमेंट—1904 में पहले-पहले मद्रास में सीमेंट बनाना प्रारम्भ हुआ। पर यह प्रयत्न विफल हुआ। इसके नौ साल बाद पोरबन्दर, लखेरी और कटनी में सीमेंट बनाने के कारखाने लगे। 1926 में इण्डियन सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसियेशन की स्थापना हुई। इस समय सीमेंट तैयार करने की 34 फैक्टरियां हैं। इनकी कुल उत्पादन-क्षमता 944 लाख मैट्रिक टन है। सीमेंट बनाने का मुख्य कच्चा माल चूने का पत्थर है।

चीनी मिट्टी उद्योग—कुम्हारी या चीनी मिट्टी के वर्तन बनाने की 53 फैक्टरियां हैं। ये इन्सुलेटर भी बनाती हैं। यह उद्योग बहुत प्रगति कर रहा है। इसके मुख्य-केन्द्र मध्यप्रदेश, प० बंगाल, बम्बई, मद्रास और मैसूर हैं। यह ऊंचे तनाव का इन्सुलेटर, सैनीटरी वेयर, ग्लेज्ड टाइल्स भी बनाता है।

रबड़—रबड़ से चीजें बनानेवाले 75 संगठित कारखाने हैं। अनेक माल बनाने में ये आत्मनिर्भर हैं। टायर से लेकर खिलौने तक ये रबड़ के बनाते हैं। इस उद्योग के विकास के लिए इण्डियन रबड़ बोर्ड की स्थापना की गई है।

दियासलाई—1922 से यह उद्योग इस देश में फल-फूल रहा है। विदेशी दियासलाई का आना बन्द हो जाने पर दियासलाई बनानेवाली एक स्वीडिश कम्पनी ने वेस्टर्न इण्डिया मैच फैक्टरी लि० नाम से अम्बरनाथ, कलकत्ता और मद्रास में दियासलाई बनाने की फैक्टरियां खोलीं। इस समय दियासलाई बनानेवाली 62 फैक्टरियां हैं।

कांच—कांच या शीशा बनाने की भारत में 97 फैक्टरियां हैं। इनमें से 28 यू०पी० में, 24 बंगाल में, 22 महाराष्ट्र में, 6 मद्रास में, 4 बिहार में हैं। शेष सारे देश में हैं। रंगीन कांच भी इस देश में बनाया जाता है। दुर्गापुर में सरकार ऐनक के शीशे बनानेवाली है।

साबुन—छोटे-छोटे कारखानों के अतिरिक्त साबुन बनाने के बड़े कारखाने 91 हैं। महाराष्ट्र और बंगाल इस उद्योग के केन्द्र हैं।

चाय—चाय-उद्योग चाय बागानों और कारखानों में लगभग

10 लाख लोगों को काम देता है। इस उद्योग में 71 करोड़ पूंजी

लगी हुई है। निर्यात-व्यापार में जूट के बाद चाय का स्थान है। भारतीय चाय का सबसे बड़ा ग्राहक ब्रिटेन है। कुल उत्पन्न चाय के एक-तिहाई भाग की भारत में खपत है।

कॉफी—यह मुख्यतः केरल, मैसूर, मद्रास में पैदा होती है। असम और बिहार में बहुत अल्पमात्रा में यह होती है। मैसूर में सर्वाधिक कॉफी पैदा होती है। भारत में उत्पन्न कॉफी सर्वोत्तम मानी जाती है। भारत में मुख्यतः काफिया एरेबिका और काफिया रोबस्टा कॉफी की किस्में बोई जाती हैं। लिबेरिका कॉफी की खेती नगण्य है।

मोटर-कार उद्योग—भारत में सर्वप्रथम 1898 में मोटर-कार आयात की गई। देश में इस समय मोटर बनाने के 6 कारखाने हैं। हिन्दुस्तान मोटर, कलकत्ता, प्रीमियर आटोमोबाइल, बम्बई, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, बम्बई, अशोक लेलैंड, मद्रास, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स, मद्रास, और ताता लोकोमोटिव एण्ड इन्जीनियरिंग कं०, बम्बई। डीज़ल एंजिन बनाने के भी दो कारखाने हैं।

रंग—1952 में अतुल प्रोडक्ट्स लि० बुलसार की स्थापना के साथ देश में रासायनिक रंग बनाने के उद्योग का प्रारम्भ हुआ। भारत में एसिड कलर, बेसिक कलर, एजोइक कलर, सल्फर कलर, क्रोम कलर, सिल्क कलर आदि रंग तैयार होता है।

प्लास्टिक—प्लास्टिक उद्योग अभी भारत में नया है। फिर भी भारत से प्लास्टिक का सामान निर्यात होता है। भारत में इस समय चार किस्म का प्लास्टिक बनता है: फेनोलफार्मलडीहाईड, यूरेआ फारमलडीहाईड, पोलीथेलीन और पोलिस्टेरीन प्लास्टिक की विविध वस्तुएं बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं।

तम्बाकू—तम्बाकू पैदा करनेवाले देशों में भारत का स्थान तीसरा है। तम्बाकू से 50 करोड़ रु० की वार्षिक आय होती है। और 1 करोड़ रु० विदेशी विनिमय भी प्राप्त होता है। उत्पादन-शुल्क के रूप में 50 करोड़ रु० सरकार तम्बाकू से पाती है। तम्बाकू में प्रमुख स्थान आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र का है। निर्यात तम्बाकू में 90 प्रतिशत सिगरेट की तम्बाकू होती है। इस उद्योग के विकास के

लिए 1945 से इण्डियन सेंट्रल तम्बाकू कमिटी काम कर रही है।

खेल का सामान—खेल का सामान बनाने का उद्योग इस समय जालन्धर और मेरठ में केन्द्रित है। इस उद्योग के अन्य केन्द्र हैं: दिल्ली, बटाला, पटियाला, आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद। कश्मीर में भी इस उद्योग का प्रवेश हुआ है। खेल का सामान बनाने के उद्योग को कुटीर उद्योग समझना चाहिए।

बिस्कुट—देश की सम्पूर्ण आवश्यकता इस देश का बिस्कुट-उद्योग पूरा कर देता है। 30000 टन से अधिक बिस्कुट तैयार करने-वाली इस देश में 40 फैक्टरियां हैं। विलायती ढंग की मिठाइयां (कानफेक्शनरी) बनाने की 44 फैक्टरियां हैं और इनकी उत्पादन-क्षमता 50 हजार टन है। परन्तु उत्पादन 17000 टन ही होता है।

वनस्पति घी—वनस्पति घी बनाने की पहली फैक्टरी 1930 में स्थापित हुई। वनस्पति घी मुख्यतः मूंगफली के तेल और बिनौले के तेल से बनाया जाता है।

कुटीर व लघु उद्योग

हमारे देश में अनेक कुटीर व लघु परिमाण के उद्योग अलग-अलग चल रहे हैं, जिनमें न मशीन की सहायता ली जाती है, और न उनको चलाने के लिए बिजली ली जाती है। इनमें अधिकांश को उत्पादन-प्रणाली या बिक्री के संगठन की सहायता भी प्राप्त नहीं। कारीगर व शिल्पी की कुशलता व क्षमता के ही कारण ये टिके हुए हैं। लघु परिमाण के व कुटीर उद्योग राज्य-सरकारों की ज़िम्मेदारी के विषय हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने वृहद् परिमाण के मध्यम परिमाण के और लघु परिमाण के उद्योगों के मध्य एकसूत्रता स्थापित करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। फलतः खादी-ग्रामोद्योग कमीशन, हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड, सिल्क बोड, कोयर बोर्ड, स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज़ बोर्ड, आदि केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किए हैं। कुटीर व लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की नीति ग्रहण की गई है। दस्तकारी की चीज़ों को बेचने के लिए भी सरकार ने एक संस्था बनाई है। लघु उद्योग की परिभाषा यह की गई है

कि जिसकी पूंजी 5 लाख रु० से अधिक नहीं।

इंडस्ट्रियल इस्टेट—इण्डस्ट्रियल इस्टेट स्थापित किए गए हैं। शहरों की तंग गलियों में से इनको अच्छे स्थान पर लाया जाता है और काम करने की अच्छी दशा दी जाती है। छोटे-छोटे कारखाने लगाने के लिए इस रीति से सरलता से हवादार, खुली जगह मिल जाती है। इस समय तक 68 इण्डस्ट्रियल इस्टेट बन चुके हैं और वे काम कर रहे हैं। उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय की ओर से लघु परिमाण के उद्योगों के विकास-कार्य को देखने के लिए एक डेवलपमेंट कमिश्नर है।

खादी-ग्रामोद्योग संघ—यह खादी के उत्पादन का संगठन करता है। खादी खरीदने पर सरकार की ओर से प्रति रु० 20 न० पै० रिबेट मिलता है। अम्बर चर्खा नाम से एक नये किस्म का चर्खा बनाया गया है, जिसमें चार तकुए होते हैं। भारत सरकार अम्बर चर्खे का प्रचार करती है। खादी के अतिरिक्त यह संघ, मधुमक्खी-पालन, चमड़ा बनाने, नीम के तेल से साबुन बनाने, घानी व कोल्हू से तेल निकालने, हाथ से कागज़ बनाने, ताड़ गुड़ व खाण्डसारी, चक्की से आटा पीसने, ढेकी से धान कूटने, लोहारी और बढ़ईगीरी इन उद्योगों को प्रोत्साहन देता है और इनके तैयार माल की बिक्री का प्रबन्ध करता है।

आल इंडिया हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड—देश की दस्तकारी की चीज़ों को स्वदेश में बेचने के अतिरिक्त इनको विदेशों में भी बेचने की व्यवस्था करता है।

लघु उद्योगों के महत्त्वपूर्ण तथ्य—लघु उद्योगों में से सम्भवतः हाथ-करघा सबसे अधिक लोगों को रोज़ी देता है, और अनुमानतः 30 लाख लोग यह कार्य कर रहे हैं। देश में जितना कपड़ा खपता है, उसका 30 प्रतिशत हाथ करघे से तैयार होता है। खादी व ग्रामोद्योग कमीशन का बनाया प्रोग्राम ही 20 लाख लोगों को काम और रोज़ी देता है। 800 लाख गज़ खादी हर साल तैयार होती है।

मशीन और बिजली की सहायता से चलनेवाले लघु परिमाण के उद्योग नये युग के सूचक हैं और ये जीवनोपयोगी विविध वस्तुएं

तैयार करते हैं। ये बृहदाकार परिमाण के उद्योगों से भी सम्बद्ध हैं।

दस्तकारी के साथ भारतीयता की भावना जुड़ी हुई है। यह प्राचीन परम्परागत शिल्पिक सौन्दर्य और दक्षता की परम्परा को आगे बढ़ाती है। शिल्पी को इसके माध्यम से अपनी कृति और रचनात्मक शक्ति को प्रकट करने का अवसर मिलता है।

कोयर (नारियल की जटा) और रेमश उद्योग स्थानीय देहाती ढंग के उद्योग हैं और ये बड़ी संख्या में लोगों को काम देते हैं।

कुटीर उद्योग की विशेष चीज़ें

बिदरी काम—यह बिदर की कला है। जस्ता और तांबे में सोने-चांदी की तारों को मिलाकर यह काम किया जाता है। सिगरेट बाक्स, ऐश-ट्रे आदि चीज़ें बनाई जाती हैं।

फूलकारी—यह पंजाब की विशेष चीज़ है। मशहूर पंजाबी शाल बाग व फूलकारी के नाम से विख्यात हैं। मोटे खद्दर पर पाट (मुलायम रेशम) से बेलबूटे बनाये जाते हैं।

फिलगिरी—फिलगिरी काम अब उड़ीसा तक सीमित नहीं रहा। यह बंगाल, आंध्र, कश्मीर में भी फैल गया है। शुद्ध चांदी का उपयोग फिलगिरी के काम के लिए किया जाता है। ऐश-ट्रे, चूड़ियां, बटन, फूलदान, नेकलेस आदि बनाए जाते हैं।

धातु के बर्तन—जयपुर, कश्मीर, मुरादाबाद और बनारस में तांबा, पीतल के एनामिल किए हुए या नक्काशी हुए बर्तन विभिन्न कामों के उपयोगी बर्तन बनाए जाते हैं। तंजौर में कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जो प्राचीन उपाख्यानों का स्मरण दिलाती हैं। आल इंडिया हैण्डलूम बोर्ड ने आकल्पना (डिज़ाइन) केन्द्र बम्बई, मद्रास, बनारस, कलकत्ता, में स्थापित किए हैं। कांचीपुरम्, सूरत, चन्देरी में उपकेन्द्र हैं। हाथ-करघा 15000 लाख गज़ से अधिक कपड़ा प्रतिवर्ष तैयार करता है। रंगीन साड़ियां, धोतियां, तौलिये, चद्दरें बनाने का काम इनके वास्ते ही सुरक्षित रखा गया है। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न किस्म की साड़ियां बनती हैं और वे अपनी विशिष्टता के लिए देश-भर में प्रसिद्ध हैं, जैसे चंदेरी साड़ी, जयपुर की बंधनी,

शान्तिनिकेतन की बाटिक, मैसूर की जार्जेट, कश्मीर का ऊनी माल, मिर्ज़ापुर के कम्बल।

वाणिज्य-व्यापार

दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ होने के समय भारत तैयार माल का आयात करनेवाला और कच्चे माल का निर्यात करनेवाला था। देश के औद्योगिक विकास के कारण व्यापार के स्वरूप में भारी अन्तर आ गया है। इस समय यह खाद्यान्न और महत्त्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल आयात करता है। 1939 से पहले हमारा 75 प्रतिशत आयात उपभोक्ता माल का होता था। इस समय हमारे आयात माल में मुख्यतः मशीनरी, धातु, रासायनिक द्रव्य, और औद्योगिक कच्चा माल होता है। आयात-निर्यात व्यापार का नियंत्रण उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय करता है।

बोर्ड आफ ट्रेड—11 मई, 1962 को सरकार ने बोर्ड आफ ट्रेड की स्थापना की। इसमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि भी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना, अन्तर्देशीय व्यापार बढ़ाना और निर्यात-व्यापार बढ़ाना है।

निर्यात-व्यापार—निर्यात-व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। इसके लिए उसने फारेन ट्रेड बोर्ड एण्ड डाइरेक्टोरेट आफ एक्सपोर्ट प्रोमोशन जून, 1957 में स्थापित किया। इसकी शाखाएं मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में हैं। निर्यात-व्यापार को बढ़ाने के लिए तीन उपाय बरते गए हैं : (1) अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेना, (2) विशुद्ध भारतीय माल की प्रदर्शनी करना, (3) विदेशों में व्यापार-केन्द्र स्थापित करना और शो-रूम (माल-प्रदर्शन कक्ष) कायम करना। निर्यात की वस्तुओं को रेल व जहाज़ की विशेष सुविधा दी जाती है। विभिन्न देशों में व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डल भेजे जाते हैं। भारत के अनेक देशों में व्यावसायिक प्रतिनिधि नियुक्त हैं। 1939 से भारत में विदेशी विनिमय भारत सरकार के नियन्त्रण में है। इसके ज़रिये सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त हो

गए हैं। और वह विदेशों के लेन-देन का भी नियन्त्रण कर सकती है। आयात व्यापार के नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य है, अल्प मात्रा में प्राप्त विदेशी विनिमय का सर्वोत्तम उपयोग। 1957 से प्रतिबन्धित आयात नीति का कठोरता से पालन किया जाता है, क्योंकि भारत का स्टर्लिंग पावना निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। आयात-व्यापार के लाइसेंस दो किस्म के हैं: (1) ओपन जनरल लाइसेंस, (2) वैयक्तिक लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस में सरकार घोषणा करती है कि अमुक चीज़ अमुक देश से आयात की जा सकती है। वैयक्तिक लाइसेंस में आयातक को बताया जाता है कि वह कितने मूल्य तक का किस मात्रा में माल आयात कर सकता है। भारत का तटवर्ती व्यापार 1960 में 425 करोड़ रु० का था।

व्यापार की दिशा—भारत का माल खरीदनेवाले दो देश मुख्य हैं: ब्रिटेन और अमेरिका। 1961 में इनका भाग क्रमश: 24·7 प्रतिशत और 17·3 प्रतिशत था। भारत के आयात-व्यापार में ब्रिटेन का भाग 19·7 प्रतिशत, अमेरिका का 23·6 प्रतिशत और पश्चिमी जर्मनी का 12·1 प्रतिशत है। कम्युनिस्ट देशों से वस्तु-विनिमय के आधार पर व्यापार होता है।

आयात-निर्यात-व्यापार और व्यापारिक सन्तुलन

(लाख रुपये में)

	आयात	निर्यात	व्यापारिक सन्तुलन
1958–59	86790	57730	–29060
1959–60	96080	63960	–32120
1960–61	112160	64240	–47920
1961–62	103870	66210	–37660

भारत में दारूबन्दी

गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम का दारूबन्दी एक भाग था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 47 में राज्य को निर्देश भी दिया गया

है कि वह दारूवन्दी के लिए प्रयत्नशील रहेगा। 1937 में जब कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बने, तब मद्रास में दारूबन्दी जारी की गई। इसके बाद मध्यप्रदेश, बरार विहार और उड़ीसा में इसका सूत्रपात किया गया। 1954 में दारूवन्दी जांच कमिटी ने सिफारिश की थी कि दारूवन्दी योजना का देश के आर्थिक विकास की योजना में समावेश किया जा सकता है। लोकसभा ने 31 मार्च, 1956 के प्रस्ताव से इसको सम्पुष्ट किया। केन्द्रीय दारूबन्दी कमिटी की स्थापना की गई है। नियोजन कमीशन ने राज्यों की इच्छा पर दारूवन्दी का लक्ष्य निर्धारित करने का काम छोड़ दिया है। जहां दारूवन्दी का कोई प्रोग्राम नहीं, वहां सप्ताह में कई दिन शराब की दूकानें बन्द रखी जाती हैं या कम घंटे खोली जाती हैं। आंध्र, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र और गुजरात में पूर्ण दारूवन्दी है। आंध्र के तेलंगाना में दारूवन्दी नहीं है। यू० पी० के तीर्थ-क्षेत्रों और जौनपुर, कानपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के ज़िले में दारूवन्दी है।

मैसूर के गुलबर्गा, रायचूर और बंगलौर ज़िले में दारूवन्दी नहीं है। वैसे सारे राज्य में है। असम में अफीम पर सारे राज्य में पाबन्दी है। शराब कामरूप व नवगांव ज़िलों में वन्द है। पर सारे राज्य में भांग-गांजा चलता है। केरल के कोझीकोड, पालघाट, कन्नूर, त्रिवेन्द्रम, क्विलन के पांच ताल्लुकों, त्रिचूर और फोर्ट कोचीन भाग में दारूवन्दी है। मध्यप्रदेश के महाकोशल भाग में पूर्ण दारूवन्दी है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, महासू, मंडी और चम्बा ज़िले में दारूवन्दी है। पर महासू ज़िले-भर में नहीं केवल महासू सब डिवीज़न में दारूवन्दी है। पंजाब में अकेले रोहतक ज़िले में दारूवन्दी है। उड़ीसा के गंजाम, कोरापुर, कटक बालासोर और पुरी ज़िलों में दारूवन्दी है।

भारतीय समाचारपत्र

बंगाल गजट 29 जनवरी, 1780 को प्रकाशित हुआ और इस दिन भारतीय पत्रकार कला का जन्म हुआ। इसका आरम्भ जेम्स आगस्टस हीकी ने किया था। इसीने बाद में जानबुल निकाला, जो

इंग्लिश मैन में बदल गया और जो बाद में स्टेट्समैन में मिल गया।

राजनीतिक दशा के बदलने के साथ-साथ भारतीय समाचार-पत्र का जीवन भी बदला। सरकारी प्रतिबन्धक कानून भी राज-नीतिक चेतना के प्रबुद्ध होने और राजनीतिक जागरण के कारण प्राप्त प्रोत्साहन को न रोक सके। 1878 में वरनाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, अमृतबाज़ार पत्रिका को बाध्य होकर अपना कलेवर अंग्रेज़ी का करना पड़ा था। इससे भारतीय पत्रों के संघर्ष का आरम्भ हुआ और वह निरन्तर भारत के स्वाधीन होने तक जारी रहा। परन्तु भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रेस की स्वतन्त्रता का अमेरिका के समान मूल अधिकारों में उल्लेख नहीं। संसद राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की रक्षा के विचार से प्रेस की स्वतन्त्रता पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकती है। संविधान में पहला संशोधन इसी आशय का किया गया था। श्रमजीवी पत्रकारों की रक्षा के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है। यह कानून दि०, 1958 में बनाया गया। इसके अनुसार एक 'वेज बोर्ड' बनाया गया। वर्ग पहेलियों का प्रकाशन पत्रों में बन्द कर दिया गया। ये छप सकती हैं, पर इनपर पुरस्कार की राशि 1000 रु० से अधिक नहीं हो सकती। फिर इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। छापेखानों और पत्रों का नियंत्रण 1955 में संशोधित प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1817 से होता है। इस कानून के ही अधीन 'प्रेस रजिस्ट्रार' की नियुक्ति हुई है। समाचारपत्र की परिभाषा के विषय में भारी मतभेद है। डाकखाने की परिभाषा और 'प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स' की परिभाषा में अन्तर है।

चार वर्ग—प्रेस रजिस्ट्रार ने भारतीय समाचारपत्रों को स्वा-मित्व की दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया है: (1) शृंखला, (2) समूह, (3) बहुस्थानिक, और (4) वैयक्तिक। 1961 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय समाचारपत्रों की संख्या में 1960 की अपेक्षा 47 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1961 में एक लाख से अधिक प्रचार-संख्या के दैनिकों की संख्या 11 थी। 22 दैनिकों की प्रचार-संख्या 50000 से अधिक थी, और इनमें हिन्दी के भी थे। 100 दैनिकों की संख्या

10000 से 50000 के मध्य थी। इनमें हिन्दी के 12 दैनिक थे। शृंखला के पत्रों की प्रचार-संख्या सब पत्रों की प्रचार-संख्या का 33·2 प्रतिशत थी। 1960 में उनकी 30·1 प्रतिशत थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 21 पत्र प्रकाशित करती है। 1961 में 1000 नये पत्र निकले और इतने ही बन्द हो गए। 1960 के समान 1961 में अंग्रेज़ी में सर्वाधिक पत्र (1698) प्रकाशित होते थे। 1961 में 8305 समाचारपत्र और सावधिक पत्र थे। 1960 में 8026 थे। हिन्दी में प्रकाशित पत्रों की संख्या 1575 थी। महाराष्ट्र और प० बंगाल से सबसे बड़ी संख्या में पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। महाराष्ट्र से 1276 और प० बंगाल से 1183 पत्र-पत्रिकाएं निकलती थीं। 1961 में 457 दैनिक पत्र निकलते थे और जिनमें हिन्दी दैनिकों की संख्या 123 थी। अंग्रेज़ी के दैनिकों की संख्या 45। परन्तु प्रचार-संख्या की दृष्टि से अंग्रेज़ी के दैनिकों का स्थान पहला है। अंग्रेज़ी दैनिकों की प्रचार-संख्या थी 12·55 लाख, जबकि हिन्दी दैनिकों की थी 6·16 लाख। सावधिक पत्रों की संख्या 1961 में 7714 थी। इनकी प्रचार-संख्या 136·56 लाख थी। समाचार व सामयिक पत्रों की संख्या 1744 थी।

भारतीय समाचारपत्रों को समाचार देनेवाली सबसे बड़ी एजेन्सी है: प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया। इसका पहला नाम एसोसियेटेड प्रेस आफ इण्डिया था। प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया विदेशी समाचार रायटर से लेती है। रायटर बोर्ड में इसका भी प्रतिनिधित्व है। समाचार देनेवाली अन्य एजेंसियां हैं: हिन्दुस्तान समाचार समिति, यूनाइटेड न्यूज़ आफ इण्डिया और इण्डियन न्यूज़ सर्विस। अनेक विदेशी एजेंसियां भी हैं, जैसे एसोसियेटेड प्रेस आफ अमेरिका, इण्टरनेशनल न्यूज़ सर्विस आफ यूनाइटेड स्टेट्स।

प्रेस व पत्र से सम्बन्धित पांच अखिल भारतीय संस्थाएं हैं: आल इण्डिया न्यूज़ पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, इण्डियन लांगवेज न्यूज़ पेपर्स एसोसियेशन, इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर्स सोसायटी, आल इण्डिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसियेशन और अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। एक सरकारी संस्था भी है: इन्फारमेशन एण्ड पब्लिसिटी आफ

दी सेण्ट्रल एण्ड स्टेट गवर्नमेंट। भारत सरकारका प्रचार व प्रकाशन कार्य मुख्यत: सूचना व प्रसार मंत्रालय के द्वारा होता है। इस मंत्रालय के नौ विभाग हैं। इनमें एक फिल्म व फोटो डिवीज़न भी है। हिन्दी के 874 पत्रों की प्रचार-संख्या 1961 में 35 लाख 91 हज़ार थी।

राज्यवार पत्रों की संख्या (1961 में)

महाराष्ट्र	1276	प० बंगाल	1183	उत्तरप्रदेश	1054
आंध्र	415	असम	71	बिहार	19
गुजरात	444	केरल	358	मध्यप्रदेश	254
मद्रास	827	मैसूर	346	उड़ीसा	34
पंजाब	580	राजस्थान	274	दिल्ली	836
हिमाचलप्रदेश	8	मणिपुर	29	त्रिपुरा	14
अन्दमान-निकोबार द्वीप	4				

मासिक पत्रों में कल्याण (हिन्दी) की प्रचार-संख्या सर्वाधिक 132473 थी। प्रचार-संख्या की दृष्टि से सफल कुछ हिन्दी दैनिक व अन्य सावधिक पत्रों की प्रचार-संख्या इस प्रकार थी :

नवभारत टाइम्स (बंबई व दिल्ली)	119655	हिन्दुस्तान (दिल्ली)	67396
धर्मयुग (बम्बई)	68485	चन्दा मामा (मद्रास)	67899
हिन्दुस्तान सा० (दिल्ली)	56134	मनोहर कहानियां (प्रयाग)	53960
माया (प्रयाग)	51584	आर्यावर्त (पटना)	37248
नवभारत (नागपुर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर व रायपुर)	33733	नवप्रभात (इन्दौर, ग्वालियर-भोपाल, उज्जैन, आगरा)	33916
वीर अर्जुन (दिल्ली)	19270	सैनिक (आगरा)	17507
आज (वाराणसी)	16508	अमरउजाला (आगरा)	14750
जागरण (इन्दौर)	13361	नवराष्ट्र (पटना)	12947
कल्याण मा० (गोरखपुर)	132473		

अंग्रेज़ी और इतर भाषाओं के प्रचार-संख्या की दृष्टि से कुछ प्रसिद्ध पत्रों के नाम इस प्रकार हैं :

इण्डियन एक्सप्रेस (बम्बई, मदुराई,विजयवाड़ा, चित्तूर, दिल्ली)	227990
हिन्दू (मद्रास)	119878
फ्री प्रेस जर्नल (बम्बई)	87055
हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली)	85626
भारत ज्योति (बम्बई)	53355
आनन्द बाज़ार पत्रिका (बंगला, कलकत्ता)	102006
स्वाधीनता (बंगला, कलकत्ता)	11172
गुजरात समाचार (अहमदाबाद)	41170
प्रताप (उर्दू, नई दिल्ली, जालन्धर)	34415
टाइम्स आफ इण्डिया (बम्बई व दिल्ली)	189379
स्टेट्समैन (कलकत्ता व दिल्ली)	115768
अमृत बाज़ार पत्रिका (कलकत्ता)	92733
सण्डे स्टैण्डर्ड (बम्बई, दिल्ली,मदुराई, चित्तूर, विजयवाड़ा)	189379
जुगान्तर (बंगला, कलकत्ता)	97030
बम्बई समाचार (गुजराती, बम्बई)	43461
मिलाप (उर्दू, दिल्ली, जालन्धर, हैदराबाद)	44149
मलयाला मनोरमा (मलयालम,कोट्टायम)	100697
लोकसत्ता (मराठी, बम्बई)	100558
तांती (तमिल, मद्रास, मदुराई व तिरुचिरापल्ली)	189379
आंध्र प्रभा (तेलगू, विजयवाड़ा व चित्तूर)	62556
कुमुदम सा० (तमिल, मद्रास)	219394
आनन्द विकटन सा० (तमिल, मद्रास)	184021
आंध्र सचित्र वर पत्रिका सा० (तेलगू, मद्रास)	86883
सम्यक दृष्टि (अजमेर, बहुमासी)	14065
मार्तभूमि (कोजीकोड)	93431
सकाल (मराठी, पूना)	58674
दिनमणि (मदुराई, चित्तूर)	102748
मलयाला मनोरमा सा० (कोट्टायम कोड)	163945
कल्कि सा० (तमिल, मद्रास)	115699
शमा (दिल्ली, उर्दू)	76332
हिन्दवासी सा० (सिंधी, बम्बई)	17211

प्रसार या ब्राडकास्टिंग

प्रसार या ब्राडकास्टिंग पूर्णतः सरकारी है। आकाशवाणी (आल इण्डिया रेडियो) सूचना व प्रसार मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली में टेलीविज़न है। पर यह परीक्षात्मक है। रेडियो के इस समय 29 स्टेशन हैं। जैसे, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर, शिमला, भोपाल, रांची, त्रिवेन्द्रम, कोजीकोड, हैदराबाद, बंगलौर, धारवाड, कलकत्ता, कटक, गोहाटी, श्रीनगर, जम्मू और पंजिम। स्पष्ट है, सारे भारत में ये फैले हुए हैं। रेडियो-प्रोग्राम के पत्र अंग्रेज़ी के अतिरिक्त और सात भाषाओं में छपते हैं। 1960 में 268000 रेडियो सेट बने। रेडियो ट्रांसमीटरोंकी संख्या 62है। रेडियो-केन्द्रों की संख्या 34 है। रेडियो का लाइसेंस पानेवालों की संख्या 1961 में 2245548 थी। स्कूलों में रेडियो रिसीवरों की संख्या 15088 थी। 17 विदेशी भाषाओं में रेडियो प्रसारण होता है। पंजिम (गोआ) में रेडियो स्टेशन 9 जनवरी, 1962 से चालू है।

भारतीय भाषाएं

भारत का संविधान 14 भाषाओं—असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलगू को स्वीकार करता है। हिन्दी केन्द्रीय सरकार की भाषा मानी गई है। और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए रोमन अंक स्वीकार किए गए हैं। 1965 तक के लिए अंग्रेज़ी पहले के समान जारी रखी गई थी। पर अब लैंग्वेजेज़ बिल (भाषा विधेयक) द्वारा 1975 तक के वास्ते अंग्रेज़ी को आज के समान बने रहने दिया गया है। अनुच्छेद 343 इस प्रकार 1975 तक अमल में न आयगा। पार्लमेंट 1975 के बाद भी अंग्रेज़ी को व्यवहार में रहने दे सकती है। मद्रास व बंगाल का हिन्दी-विरोध यदि आज के समान कायम रहा, तो 1975 में भी हिन्दी केन्द्रीय सरकार की भाषा न हो सकेगी। समय बढ़ने के साथ-साथ इन दोनों प्रदेशों का विरोध

मुलायम होने के बजाय और दृढ़ होगा। 1949 में हिन्दी का पहली बार डटकर विरोध किया गया था, उसकी तुलना में हिन्दी-विरोध आज कहीं अधिक प्रबल है। यदि हिन्दी-विरोध की प्रबलता देखकर अंग्रेज़ी को जीवनदान दिया जाता रहा, तो 2000 ई० तक भी शायद ही हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान ले सके। पर इसका यह अर्थ नहीं कि मद्रास और बंगाल में अंग्रेज़ी रहेगी। पं० बंगाल ने तो अंग्रेज़ी की जगह प्रादेशिक कार्य बंगला में करने का निश्चय घोषित कर दिया है। लैंग्वेजेज़ बिल में भी हिन्दी की प्रगति पर विचार करने के लिए कमीशन नियुक्त करने की बात कही गई है।

मद्रास ने तमिल को प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया है। उड़ीसा ने उड़िया को किया है। आंध्रप्रदेश ने अंग्रेज़ी को जारी रखने का निश्चय किया है। पंजाब भाषा की दृष्टि से पंजाबी व हिन्दी इन दो क्षेत्रों (ज़ोनों) में विभक्त है।

हिन्दी—दुनिया की महत्त्वपूर्ण भाषाओं में हिन्दी का स्थान तीसरा है। बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, और हरियाना में हिन्दी बोली जाती है। हिन्दी की बोलियों में ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मैथिली मुख्य हैं। और इनका साहित्य भी समृद्ध है। हिन्दी के अधिकांश विद्वान उर्दू को हिन्दी की एक शैली मानते हैं। उर्दू में प्रचलित सब शब्दों का नागरी प्रचारिणी सभा में प्रकाशित हिन्दी शब्द-कोश में समावेश किया गया है।

भाषावार जनसंख्या

	लाखों में	प्रतिशत
हिन्दी (उर्दू, हिन्दुस्तानी व पंजाबी-समेत)	1493	42·0
तेलगू	330	9·2
मराठी	270	7·6
तमिल	265	7·4
बंगला	251	7·0
कन्नड़	145	4·1
मलयालम	134	3·8

	लाखों में	प्रतिशत
उड़िया	132	3·7
गुजराती	163	4·6

वैज्ञानिक अनुसन्धान व संस्कृति

वैज्ञानिक अनुसन्धान व संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, जैसे बोटनिकल सर्वे आफ इण्डिया, नेशनल एटलस तकनीकी या शिल्पिक शिक्षा, गजेटियर, भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम का इतिहास आदि का भी कार्य है। सरकार की नीति विशुद्ध, व्यावहारिक और शैक्षणिक वैज्ञानिक अनुसन्धान करने की है। विज्ञान का प्रचार व प्रसार हो, यह भी उसका प्रयत्न है। देश की जनता को विज्ञान से पहुंचनेवाले वे सब लाभ प्राप्त हों, जो विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने और वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहार करने से सम्भव हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान—भारत अनेक अन्तर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक संस्थाओं का सदस्य है। भारत में इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन है। बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, लखनऊ में भी वैज्ञानिक शोध का कार्य हो रहा है। भारत सरकार के अधीन जो वैज्ञानिक खोज और शोध का कार्य होता है, वह कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च नामक संस्था की देख-रेख में होता है। इसकी प्रशासिका संस्था के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। भारत के स्वाधीन होने के बाद इस दिशा में सबसे बड़ा कार्य हुआ है, देश-भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना। धातु शोध-कार्य के लिए जमशेदपुर में नेशनल मेटलरजिकल लेबोरेटरी है। कोयला में शोध-कार्य करने के लिए सेण्ट्रल फ्यूल रिसर्च, इंस्टीट्यूट, जलगोरा (बिहार) में है। कांच और चीनी मिट्टी की खोज का कार्य कलकत्ता में होता है। इलेक्ट्रो-रसायनशास्त्र के विविध रूपों की खोज का कार्य कैराकुडी (मद्रास) में स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रो-केमीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है। पिलानी (राजस्थान) में सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक एण्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। यह इलेक्ट्रोनिक

साज-सामान व कल-पुर्जों के बारे में अनुसंधान करता है। खानों के विषय में अन्वेषण यांत्रिक प्रगति को दिखाने का एक म्युज़ियम कलकत्ता में है। 1954 में सरकार ने आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन नाम से एक संस्था शिल्पिक शिक्षा के बारे में सलाह देने के लिए और इस विषयक शिक्षा को एकसूत्रित करने के लिए स्थापित की। केन्द्रीय सरकार ने शिल्पिक व यांत्रिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए देश में टेक्नालाजीकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का निश्चय किया। प्रथम संस्थान खड़गपुर में स्थापित हुआ। बम्बई, मद्रास और कानपुर में और तीन संस्थान स्थापित किए गए। दिल्ली में इंजीनियरिंग व टेक्नोलोजी का एक नया कालेज 1960 में स्थापित हुआ। रांची में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट फार फाउण्डरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलाजी में विशेषज्ञ इंजीनियर व शिल्पी तैयार किए जाते हैं। छपाई व मुद्रणालय का प्रशिक्षण देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टेक्नोलाजी स्थापित किया गया है।

पुरातत्त्व विभाग—इसका नाम अब पुरातत्त्व सर्वेक्षण हो गया है। इसने क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं। कला संग्रहालय, कला गैलरियां और राष्ट्रीय पुस्तकालय संस्कृति मंत्रालय के ही अधीन हैं। कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी देश-भर में सबसे बड़ी है।

नाटक खेलनेवालों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। उन व्यक्तियों को भी सहायता दी जाती है जिन्होंने साहित्य-क्षेत्र में नाम कमाया हो, पर इस समय विपन्न हैं। विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने का काम एक्सटनल रिलेशंस डिवीज़न करता है। सांस्कृतिक सन्धियों को करने के अतिरिक्त विदेशों में जानेवाले भारतीय दलों की यह आर्थिक सहायता भी करता है।

शिक्षा

शिक्षा राज्यों का विषय है। गांवों में उच्चतर शिक्षा के प्रसार के विषय में परामर्श देने के लिए 1956 से नेशनल कौंसिल फार हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज़ स्थापित है। इस कौंसिल ने 13 संस्थाओं को ग्राम संस्थान में परिणत करने के लिए चुना है।

देश में इस समय 60 विश्वविद्यालय हैं। छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय (कोल्हापुर) की तो 1962 में ही स्थापना की गई है। इनमें दरभंगा, वाराणसी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत के हैं। खैरागढ़ (मध्यप्रदेश) में इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय है। इनमें से अन्य आठ संस्थाएं हैं जिनको विश्वविद्यालय सदृश मान्यता प्राप्त है।

सन्	शिक्षण-संस्थाएं	छात्रों की संख्या (लाखों में)	कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
1957–58	394760	380·02	240·65
1958–59	413628	414·33	266·21
1959–60	442016	446·39	297·78

प्राथमिक शिक्षा का तेज़ी से प्रचार हो रहा है। दिल्ली सदृश अनेक शहरों में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है। प्राइमरी शिक्षा की प्रगति निम्न अंकों से प्रकट है।

प्राथमिक शिक्षा की प्रगति

	स्कूलों की संख्या	छात्रों की संख्या	व्यय (करोड़ रु० में)
1958–59	301564	24372181	63·64
1959–60	320586	25918864	69·63

धंधों व शिल्पिक शिक्षा के स्कूल

	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	व्यय (करोड़ रु० में)
1957–58	3232	289698	7·21
1958–59	3563	325571	8·21
1959–60	3836	362893	9·25

तृतीय नियोजन के पहले दो सालों में स्कूली शिक्षा की कैसी प्रगति हुई यह नीचे देखी जा सकती है :

	भरती	1960–61 (स्थिति)	1962–63 (अंक लाखों में) (निर्धारित लक्ष्य)
कक्षा	1–5 में	248·00	31·95
कक्षा	6–8 में	57·00	8·28
कक्षा	9–11 में	30·00	4·07

खेल-कूद

क्रिकेट—

भारत में विदेशी टीमें—आस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 1956 में आई थी। इसने तीन मैच खेले थे। इसने दो जीते और एक अनिर्णीत रहा था।

वेस्ट इण्डीज़ टीम 1958–59 में आई, 17 मैच उसने खेले और 9 मैच जीते। 8 मैचों का परिणाम अनिर्णीत रहा था। आस्ट्रेलियन टीम 1959–60 में आई। पांच टेस्ट मैच उसने खेले। 3 में जीती, 1 में हारी और एक अनिर्णीत रहा। पाकिस्तान टीम 1960–61 में आई और उसने 14 मैच खेले, पर सबके सब मैच अनिर्णीत रहे। 1961–62 में एम० सी० सी० टीम आई और उसने 15 मैच खेले। इसमें से इसने चार जीते, दो में पराजित हुई और 9 मैच अनिर्णीत रहे। इंग्लैण्ड के मुकाबले भारत ने अधिकृत 29 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें भारत 3 में जीता है। आस्ट्रेलिया ने 13 मैच खेले हैं, और भारत ने 1 मैच जीता है। किन्तु वेस्ट इण्डीज़ से 20 टेस्ट मैच खेलने पर भी भारत एक भी मैच नहीं जीत सका।

रणजी ट्राफी—महाराजा मटियाला ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रणजीतसिंह की स्मृति में एक स्वर्ण कप भेंट किया था। यह रणजी ट्राफी के विजेता को हर साल दिया जाता है। 1958–59 से यह कप 1962–63 तक बराबर बम्बई को मिल रहा है।

फुटबाल—

फुटबाल के देश में अनेक मैच होते हैं। जैसे आई० एफ० ए० शील्ड, कलकत्ता, रोवर्स कप, बम्बई, डुरंड कप, दिल्ली (1962 में नहीं हुआ), दिल्ली क्लाथ मिल कम्पटीशन, दिल्ली और नेशनल फुटबाल चैम्पियनशिप, सर आशुतोष मुखर्जी की स्मृति में अन्तर विश्व-विद्यालय फुटबाल चैम्पियनशिप है। फुटबाल में एशियाई ओलम्पिक जकार्ता, 1962 में भारतीय टीम विजेता रही। हाकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। पर ओलम्पिक, रोम से पाकिस्तान से हारने के बाद से इस खेल के प्रति आकर्षण कम हो गया है। हाकी में राष्ट्रीय

प्रतियोगिता के अनेक मैच होते हैं। जैसे—नेशनल हाकी चैम्पियनशिप, बैटन कप, कलकत्ता, आगा खां कप, बम्बई। लड़कियां भी हाकी बड़ी संख्या में खेलती हैं और उनके मैच वोमेन नेशनल चैम्पियन शिप 1958 से चालू हैं। विजयी टीम को लेडी रतन ताता कप दिया जाता है। 1960–61 में मैसूर की टीम विजयी हुई थी। ओलम्पिक के हाकी मैचों में भारत 1922 से 1960 तक बराबर विजयी होता रहा। रोम में उसकी विजय को ग्रहण लग गया।

एशियाई खेल 1962 में विजयी भारतीय

1000 मी० रिले	दलजीतसिंह, जगदीशसिंह मक्खनसिंह, मिल्खासिंह
कुश्ती	उदयचंद, एल० के० पांडे, सज्जन, मालवा
1500 मीटर	मोहिन्दरसिंह
400 मीटर	मिल्खासिंह, गुरुबचनसिंह
फुटबाल	भारत

पंचायत

भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम-पंचायतों की स्थापना के लिए उचित कार्रवाई करेगा और उनको इतनी अधिसत्ता और शक्ति देगा जिससे वे स्वशासन के एक घटक के रूप में कार्य कर सकें। प्रधानमंत्री ने 1948 में राज्यों के मंत्रियों के सामने भाषण देते हुए कहा था कि शिखर पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आधार दृढ़ न हों। गांवों के विकास के लिए एकमात्र पंचायत संस्था ही उत्तरदायी हो सकती है, यह विश्वास नियोजन कमीशन की एक कमिटी ने प्रकट किया। संविधान के निर्देश के अनुसार देश-भर में पंचायतें स्थापित की गई हैं। इस योजना का नाम है, पंचायती राज। 31 मार्च, 1961 को देश

में 193527 पंचायतें थीं। पंचायती राज की स्थापना सारे देश में किसी एक दिन नहीं की गई। पंचायत के स्वरूप में भी अन्तर है। 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई। राजस्थान के बाद, आंध्रप्रदेश, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, असम आदि में भी पंचायती राज की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। पंचायती राज तीन मंजली प्रणाली है। सर्वोपरि है ज़िला परिषद्, यह ज़िला बोर्ड की जगह है, फिर है पंचायत समिति, यह ब्लाक स्तर पर है, और सबसे नीचे है, ग्राम-पंचायत। यह गांव की सतह पर है। ये तीनों परस्पर सम्बद्ध हैं। शेष दो का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है।

ग्राम-सभा—पंचायतों का चुनाव ग्राम-सभा करती हैं। गांव का प्रत्येक वयस्क मत देने का अधिकारी है। पंचायतें कृषि की पैदावार, कुटीर उद्योग, जनकल्याण चरागाह का प्रबन्ध, सड़कें, जल-व्यवस्था, ग्राम-सिंचाई आदि के वास्ते ज़िम्मेदार हैं। सरपंच के रूप में पंचायतें संघात्मक हो जाती हैं। न्याय दान का कार्य न्याय पंचायत करती है। इसका दण्ड देने का अधिकार सीमित है। पंचायतों को कुछ लोग विकास विभाग का एजेंट कहते हैं।

बैंक

भारत के अन्दर एक ओर जहां महाजनी चल रही है, वहां दूसरी ओर केन्द्रीय बैंक हैं रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ज्वाइण्ट स्टाक बैंक परिगणित (शेड्यूल्ड) और अनशेड्यूल्ड (अपरिगणित) और एक्सचेंज बैंक हैं। यह पश्चिमी प्रणाली के हैं। इनके अतिरिक्त कोआपरेटिव बैंक, लैंड मार्गिज बैंक। पिछले दोनों देहातों की ज़रूरत पूरा करते हैं।

परिगणित बैंक—वे बैंक हैं, जिनकी चुकता पूंजी विनिमय योग्य 5 लाख रु० से कम नहीं। ये कम्पनियां हैं, या कार्पोरेशन। इनका कार्य रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार और पथ-प्रदर्शन में होता है। परिगणित बैंक भी दो भागों में विभक्त हैं, मोटे तौर पर इनको देशी और विदेशी कहा जा सकता है। अपरिगणित बैंक चार किस्म के

हैं । यह विभाग पूंजी के अनुसार किया गया है । भारत में व्यावसायिक बैंक 1961 में 67 थे और ये सब परिगणित थे । अपरिगणित बैंकों की कुल संख्या 209 थी। विदेशी परिगणित बैंक 15 थे।

रिज़र्व बैंक—इसकी स्थापना 1 अप्रेल, 1935 को हुई थी । 1948 में यह बैंक पूर्णतः राष्ट्रीय हो गया । इसका मुख्य काम है—(1) कागज़ी नोट जारी करना ; (2) भारत सरकार का यह बैंकर है ; (3) व्यावसायिक बैंकों को दिए गए उधार व उचन्त का यह नियंत्रण करता है ; (4) रुपये का बाह्य मूल्य कायम रखता है; (5) कृषि-कर्म के लिए ऋण देता है ; (6) वित्तीय व मुद्रा जानकारी का संग्रह और प्रकाशन, (7) 1 रु० के नोट को छोड़कर शेष नोटों को छापने का काम इसका है । (8) सरकार की ओर से बाज़ार से कर्ज़ लेता है, (9) अन्य बैंकों का निरीक्षण और नियंत्रण करता है। 1961–62 में इसकी परिसम्पद 263980 लाख रु० थी और इसपर देय था 263980 लाख ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया—1955 में इम्पीरियल बैंक ने यह रूप धारण किया और यह पूर्णतः राष्ट्रीय बैंक हो गया । इसकी अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रु० है । इसका इन्तज़ाम सेंट्रल बोर्ड करता है । इसका एक काम है कि यह देश-भर में अपनी शाखाएं स्थापित करे और बैंकिंग के विकास में मदद दे ।

भारत के परिगणित बैंकों को 1961 में 990 लाख रु० और 1960 में 747 लाख रु० का लाभ हुआ था । बैंकों का यह मुनाफा देखकर ही इनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए आन्दोलन किया जा रहा है । 1961 में देश के बैंकों के पास आरक्षित धन 36·19 लाख रु० था । लोगों ने इनके पास जमा कराया 204940 लाख रु० ।

रूरल क्रेडिट कमिटी की सिफारिश पर रिज़र्व बैंक को 10 करोड़ रु० की राशि के साथ नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट (लांग टर्म) फण्ड स्थापित करने दिया गया । किसान संस्थाओं को लम्बी मुद्दत 20 साल के वास्ते राज्य-सरकारों को या कर्ज़ देने के लिए यह निधि स्थापित की गई है । रिज़र्व बैंक ने ही एक दूसरा फण्ड नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट (स्टेबिलाइज़ेशन) फण्ड स्थापित किया । इस

निधि की स्थापना लैण्ड मार्टेज बैंकों को 20 साल के वास्ते कर्ज़ देने के लिए की गई है।

प्रशिक्षण—बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज की 14 सितम्बर, 1954 को स्थापना की गई। यहां छात्रों को बैंक के प्रत्येक काम की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। यहां नकली बैंक भी काम करता है। सहकारी बैंकों का काम करने का प्रशिक्षण पूना में दिया जाता है। बड़ौदा विश्वविद्यालय ने बड़ौदा में बैंक विषय की शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह डिग्री भी देता है। 1 जनवरी, 1962 को डिपाज़िट इंश्योरेंस कार्पोरेशन की स्थापना की गई है।

सहकारिता आन्दोलन

देहातों के कर्ज़ की समस्या को हल करने के लिए 1904 में सहकारिता आन्दोलन का आरम्भ किया गया। भारत में परन्तु इसकी प्रगति बहुत मन्द ही रही। 1945 में कोआपरेटिव प्लैनिंग कमिटी की नियुक्ति हुई। इसने सिफारिश की कि प्राइमरी सहकारी समितियां बहुमुखी समितियों में परिणत कर दी जाएं और दस वर्षों में 50 प्रतिशत गांवों और देहातों में बसी जनता के 30 प्रतिशत भाग को सहकारिता में ले आया जाए। रिज़र्व बैंक ने 1951 में एक कमिटी नियुक्त की। इसने सिफारिश की कि (1) सहकारी संस्थाओं में सरकार भाग ले, (2) कर्ज़ और अन्य आर्थिक क्रिया-कलापों में सुसूत्रता रहे, (3) ग्राम प्राइमरी कर्ज़ सहकारी समिति को आधार माना जाए और उसको दृढ़ बनाया जाए, (4) अनाज जमा करके रखने के कोठारों की संस्था स्थापित की जाए, (5) सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देने के लिए इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

कृषि-कर्ज़ पर विचार करने के लिए 1959 में और एक कमिटी वी० एल० मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। फलतः जून, 1960 में सरकार ने विज्ञप्ति निकाली कि राज्य सहकारी संस्थाओं के भागीदार हो सकते हैं और उनमें पूंजी लगा सकते हैं। भारत में अधिकांश सहकारी समितियां कर्ज़ देनेवाली ही हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं

कि अन्य विषयों की नहीं ।

सेंट्रल मार्गिज बैंक—यह एक निजी संस्था है । इसका उद्देश्य लम्बी मुद्दत के लिए कर्ज़ देना है । कर्ज़ डूब न जाए, अतः यह भूमि बन्धक में रखती है । 1959-60 में प्राइमरी लैंड मार्गिज बैंकों की संख्या 408 थी ।

सेवा सहकारी समितियां—कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में संयुक्त सहकारी खेती की प्रणाली को स्वीकार किया । यह भी कहा गया कि संयुक्त सहकारी खेती से पहले सेवा सहकारी समितियां स्थापित करनी चाहिए । जैसे सहकारी समितियां गांवों में किसानों को पुष्ट बीज, उर्वर खेती के औज़ार, पुराया (सप्लाई) करें । किसानों की पैदावार को बाज़ार में बेचें । जोत छोटे हैं । अतः यांत्रिक खेती सम्भव नहीं । पर यदि किसान सहकारी खेती करे, अपने जोत मिला ले, तो यांत्रिक खेती करना सम्भव होगा । पैदावार अधिक होने से किसान को अधिक लाभ होगा ।

कोआपरेटिव बैंक—यह कर्ज़ देनेवाली प्राइमरी सहकारी कर्ज़ समिति का शिखर है । प्रान्तिक बैंकों के ये ऊपर हैं । कोआपरेटिव बैंक का काम है : (1) महाजनों, साहूकारों और शहर के बाबू वर्ग को अपने यहां धन जमा करने को आकृष्ट करे (यह पहले सूद अधिक देता था), (2) प्राइमरी सहकारी समितियों को रुपया कर्ज़ दे, (3) सम्बद्ध समितियों के कार्य का निरीक्षण करे और उनका पथ-प्रदर्शन करे । 1961 में 21 स्टेट कोआपरेटिव बैंक थे, 361 सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक थे, और 333 शहरी कोआपरेटिव बैंक थे । इनमें औद्योगिक बैंक भी सम्मिलित हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ

डम्बर्टन ओक्स, वाशिंगटन में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ (यूनाइटेड नेशंस आरगेनाइज़ेशन) की स्थापना पर विचार किया गया । फ्रांसिस्को में 50 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 24 जून, 1945 को उस विचार को मूर्त रूप दिया । 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए । इस प्रकार 24 अक्तूबर, 1945 को यह

संस्था अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य है : (1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा स्थापित करना, (2) राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाना, (3) आर्थिक, सामाजिक व अन्य समस्याओं को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना, (4) इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए केन्द्रीय संस्था होना और राष्ट्रों के कामों में समरसता लाना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के कूवेत समेत 111 सदस्य हैं। इन सदस्यों के चन्दे से ही इसका सारा काम चलता है। इसकी पांच भाषाएं हैं, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और रूसी। संयुक्त राष्ट्र संघ के दो मुख्य अंग हैं : सुरक्षा परिषद् (सिक्युरिटी कौंसिल) और महासभा (जनरल असेम्बली)। सुरक्षा परिषद् के रूस, रा० चीन, इंग्लैंड, अमेरिका व फ्रांस, ये पांच सदस्य स्थायी सदस्य हैं, शेष 6 सदस्य दो-दो साल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के और अवयव हैं (1) सचिवालय, (2) आर्थिक व सामाजिक कौंसिल (इकनामिक एण्ड सोशल कौंसिल), (3) ट्रस्टीशिप कौंसिल, (4) इण्टरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय)।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज हैं और यह हेग में लगता है।

विशिष्ट एजेन्सियां—विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां हैं, जैसे, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था (आई० एल० ओ०), खाद्य व कृषि संस्था (एफ० ए० ओ०), संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था (यूनेस्को), अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था (आई० के० ओ०), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इण्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड), विश्व स्वास्थ्य संघ (डब्ल्यू० एच० ओ०), संयुक्त राष्ट्र शिशु-संकट फण्ड (अनसेफ) आदि।

भारतीय बन्दरगाह

यद्यपि भारत का तट 3500 मील लम्बा है, पर बड़े बन्दरगाह 6 ही हैं : बम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम्, कलकत्ता और कांडला। मद्रास नकली बन्दरगाह है। कलकत्ता 120 मील दूर नदी के मुहाने पर है। कांडला नया बन्दरगाह है और राजस्थान, पश्चिमी पंजाब और मध्यभारत की सेवा करता है। बड़े बन्दरगाह वे होते

हैं जहां 4000 टन या इससे अधिक के जहाज़ ठहर सकें और वहां से समुद्र में जा सकें। दूसरी बात यह भी है कि यहां साल-भर में 50 लाख टन व्यापार होना चाहिए। कोचीन, विशाखापत्तनम् और कांडला का प्रबन्ध पोर्ट ट्रस्ट नहीं, अपितु सरकार स्वत: करती है। छोटे बन्दरगाहों की संख्या 225 है। इनमें से 150 काम करते हैं। ये प्रतिवर्ष 50 लाख टन व्यापार का प्रबन्ध करते हैं। विदेशी व्यापार का 80 प्रतिशत 6 बड़े बन्दरगाहों से गुज़रता है। कलकत्ता और बम्बई से कुल यातायात का 75 प्रतिशत होता है, कलकत्ता और विशाखापत्तनम् से निर्यात-व्यापार अधिक होता है, मद्रास, कोचीन और बम्बई मुख्यत: माल आयात करते हैं। छोटे बन्दरगाहों के प्रबन्ध की ज़िम्मेदारी राज्यों पर है। बन्दरगाहों के विषय में सलाह देने के लिए 1950 में सरकार ने नेशनल हारबर बोर्ड की स्थापना की। भारत के बड़े बन्दरगाहों में गोआ-विलय के कारण मारमुगाओ की वृद्धि हुई है। एशिया के सर्वोत्तम बन्दरगाहों में से यह एक है। यह लोह आदि पदार्थों के निर्यात का मुख्यत: बन्दरगाह है।

जनगणना

पाकिस्तान व चीन अधिकृत भू-भाग को छोड़कर 1961 की जनगणना शेष सारे देश में हुई। दादर-नागर हवेली की जनगणना 19 मार्च 1962 में हुई। सिक्किम को भी भारतीय जनगणना में इस बार सम्मिलित किया गया। भारत का भू-क्षेत्र विश्व-भू का केवल 2·4 प्रतिशत है, किन्तु इस देश की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का 14·6 प्रतिशत है। 1951-61 के मध्य भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2·2 प्रतिशत बढ़ी। 1960 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 439235000 लाख कूती गई।

वृद्धि के कारण—जनसंख्या की वृद्धि के मुख्य कारण हैं—अकाल, संक्रामक बीमारियां, मलेरिया सदृश्य रोगों का अन्त व आर्थिक विकास। जन्म-प्रमाण यद्यपि पहले के समान कायम है, पर मृत्यु-संख्या पर्याप्त मात्रा में घट गई है। 1931 में एक भारतीय की जन्म के समय जीवनाशा 27 वर्ष थी, अब यह बढ़कर 45 वर्ष हो गई है।

14 प्रतिशत से कम आयु के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है, और इस कारण स्कूलों पर भारी दवाव पड़ रहा है।

वम्बई—वृहत्तर वम्बई (वम्वई कार्पोरेशन) का क्षेत्रफल 186 वर्गमील है और इसकी आवादी 41 लाख है। वृहत्तर कलकत्ता का क्षेत्रफल 170 वर्गमील है और आवादी लगभग 60 लाख है। कलकत्ता में वस्ती की सघनता है 73182 प्रति वर्गमील, जवकि वम्वई में है 22323 प्रति वर्गमील। कलकत्ता में साक्षरता प्रति हज़ार 593 है, और वम्वई में 586 है। वृहत्तर वम्वई में प्रति 1000 के पीछे स्त्रियों की संख्या 663 है और कलकत्ता में 612 है। दस सालों में वम्वई की आवादी 38·66 प्रतिशत बढ़ी है और कलकत्ता की 8·48 प्रतिशत बढ़ी है।

कुछ सामान्य तथ्य

	जनसंख्या (प्रतिशत)		प्रति हज़ार जन्म-प्रमाण
देहात	82·7	1951	24·9
शहर	17·3	1961	27·8
जीवनाशा			प्रति हज़ार मृत्यु-प्रमाण
1951-61			
पुरुष	41·68 वर्ष	1957	14·4
स्त्री	42·06 वर्ष	1961	12·2
साक्षरता			प्रति 1000 शिशु-मृत्यु की संख्या
1951	16·6	1951	130
1961	23·7	1959	89

राज्यवार जन-संख्या वृद्धि का प्रमाण

	प्रतिशत		प्रतिशत
असम	34·45	मध्यप्रदेश	24·17
प० बंगाल	32·79	महाराष्ट्र	23·60
गुजरात	26·88	मैसूर	21·57
राजस्थान	26·20	उड़ीसा	19·82
पंजाब	25·86	विहार	19·78
केरल	24·76		

1961 की जनगणना में शहरों व कस्बों को निम्न क्रम से 6 वर्गों में बांटा गया है :

वर्ग	जनसंख्या	संख्या	वर्ग	जनसंख्या	संख्या
1	1 लाख और इससे ऊपर	107	5	5 हज़ार से 10 हज़ार तक	844
2	50 हज़ार से 1 लाख तक	141	6	5 हज़ार से कम के	266
3	20 ह० से 50 ह० तक	515			
4	10 ह० से 20 ह० तक	817		शहरों की कुल संख्या	2690
				भारत के गांवों की कुल संख्या	564712

भारत के 7 बड़े शहर

बृहत्तर बम्बई	4152056	कलकत्ता	2959408
पुरुष	2496176	पुरुष	1327386
स्त्री	1655880	स्त्री	1032022
दिल्ली-नई दिल्ली	2359408	बंगलौर	1206169
पुरुष	1327386	पुरुष	644047
स्त्री	1032022	स्त्री	602544
मद्रास (कुल जनसंख्या)	1729141	अहमदाबाद	1206001
हैदराबाद	1251119	पुरुष	668447
पुरुष	648575	स्त्री	537554
स्त्री	602544		

पंचवर्षीय नियोजन

प्रारम्भ—पंचवर्षीय नियोजन का बीज भारत के संविधान में निहित है। भारत के आर्थिक विकास में राज्य को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, यह संविधान का निर्देश है। राष्ट्रीय नियोजनों के अन्तर्गत वैयक्तिक साहस को महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करने का अवसर दिया गया है। मार्च, 1950 में नियोजन कमीशन की स्थापना हुई। प्रथम पंचवर्षीय नियोजन का अन्तिम स्वरूप दिसम्बर, 1952 को प्रकाशित हुआ। नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन-जीवन का प्रतिमान ऊंचा करना, और अधिक समृद्ध व विविध प्रकार का जीवन बिताने का जनता को अवसर देना, प्राप्त मानवीय और भौतिक साधनों

का सर्वोत्तम उपयोग करके आर्थिक विषमता दूर करना, और अन्ततोगत्वा लोगों को काम और रोज़ी देना है।

प्रथम नियोजन—प्रथम पंचवर्षीय नियोजन के सामने तात्कालिक काम था, चढ़ती कीमतों का जवाब ढूंढ़ना, कच्चे माल की कमी और उपभोक्ता माल की कमी को पूरा करना और विस्थापितों को पुनः बसाना। दीर्घकालिक लक्ष्य था नियोजन आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रारम्भ करना। प्रथम नियोजन में राष्ट्रीय अंचल की योजनाओं का व्यय 24 अरब रु० तय किया गया। निजी अंचल में 16 अरब रु० विनियोग होने की आशा की गई। फलतः राष्ट्रीय आय में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा बांधी गई थी। राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक बढ़ती होगी, यह माना गया। यह उद्देश्य पूरा हुआ। 1955-56 में राष्ट्रीय आय नियोजन प्रारम्भ होने की तुलना में 18·4 प्रतिशत अधिक थी। कृषि पैदावार में 22 प्रतिशत की और औद्योगिक पैदावार में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रथम नियोजन में राष्ट्रीय अंचल में व्यय का ढांचा
(लाख रु० में)

	नियोजन में उपबन्ध	वास्तविक व्यय
कृषि व सामुदायिक विकास	35430	28990
सिंचाई व बिजली	64750	58290
उद्योग व खान	18820	9680
परिवहन व संचार	57010	51780
सामाजिक सेवाएं	53160	41190
विविध	8600	6070
योग—	237770	196000

द्वितीय नियोजन—द्वितीय नियोजन का मूल उद्देश्य भी यही था कि राष्ट्रीय आय इतनी बढ़ाई जाए (1) कि देश के रहन-सहन का मान ऊंचा हो ; (2) देश का औद्योगीकरण तेज़ी से हो और इसके लिए मूल व भारी उद्योगों की स्थापना व विकास को प्राथमिकता दी जाए; और (3) आर्थिक विषमता दूर की जाए। नियोजन में तय

किया गया था कि राष्ट्रीय अंचल में 48 अरब रु० खर्च हों और निजी अंचल में 38 अरब रु०। प्रथम नियोजन की तुलना में दूसरे नियोजन में पूंजी विनियोग दुगुना था। पूंजी-निक्षेप का प्रमाण 7 प्रतिशत से बढ़ाकर राष्ट्रीय आय का 11 प्रतिशत तक ले जाना था। प्रथम नियोजन-काल में राष्ट्रीय आय 3·5 प्रतिशत बढ़ी थी, अब हर साल 5 प्रतिशत बढ़ाना था। इस्पात, भारी रासायनिक द्रव्यों, भारी इंजीनियरिंग और मशीन-निर्माण के उद्योगों पर अधिक ज़ोर दिया गया।

दूसरा नियोजन मार्च, 1961 में समाप्त हुआ। राष्ट्रीय आय 21 प्रतिशत बढ़ी। औद्योगिक उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा, और कृषि पैदावार 19 प्रतिशत बढ़ी। पूंजी-निक्षेप का प्रमाण 8 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत पर पहुंच गया। इस्पात-निर्माण की क्षमता लगभग 45 लाख टन हो गई। बिजली उत्पादन की क्षमता लगभग ढाई गुना बढ़ गई। 10 साल पहले रेलवे जितना माल वहन करती थी, उससे 50 प्रतिशत अधिक माल वहन करने लगी।

राष्ट्रीय अंचल में दूसरे नियोजन-काल में व्यय का ढांचा (लाख रु० में)

	नियोजन में उपबन्ध	अनुमानित व्यय
कृषि और सामुदायिक विकास	56800	55000
सिंचाई व बिजली	91390	85000
ग्राम व लघु उद्योग	20000	18800
परिवहन व संचार	138500	126000
समाज सेवा	104400	83700
योग—	480000	465600

तृतीय नियोजन—राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कृषि पदावार को बढ़ाना; मूल उद्योगों का विस्तार करना जैसे इस्पात और रासायनिक द्रव्य, औद्योगीकरण के और विकास के लिए मशीन-निर्माण क्षमता का निर्माण करना और दस सालों के अन्दर अपने देश के

साधनों के ही भरोसे आर्थिक विकास करना। आर्थिक विषमता को दूर करना और आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना। राष्ट्रीय अंचल में 75 अरब रु० खर्च करना। निजी अंचल में 41 अरब रु० व्यय होगा। राष्ट्रीय आय नियोजन के अन्त में 11 प्रतिशत बढ़ेगी और इसका 14 प्रतिशत निक्षेप होगा। पांच सालों में 17 अरब 10 करोड़ रु० अतिरिक्त करों से प्राप्त किया जाएगा। तृतीय नियोजन की लक्ष्य-पूर्ति के लिए 21 अरब रु० के विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी। यह राशि उससे अलग है, जोकि 6 अरब रु० विदेशी सहायता में प्राप्त हो चुकी है।

तीनों नियोजन

वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि	प्रतिशत	प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि	प्रतिशत
प्रथम नियोजन	18·4	प्रथम नियोजन	8·2
द्वितीय नियोजन	21·1	द्वितीय नियोजन	9·2
प्रथम व द्वितीय नियोजन	43·4	प्रथम व द्वितीय नियोजन	18·2
तृतीय नियोजन (लक्ष्य)	18·4	तृतीय नियोजन	17·0

कृषि पैदावार में वृद्धि	प्रतिशत	औद्योगिक पैदावार में वृद्धि	प्रतिशत
प्रथम नियोजन	22	प्रथम नियोजन	39
द्वितीय नियोजन	19	द्वितीय नियोजन	40
प्रथम व द्वितीय नियोजन	46	प्रथम व द्वितीय नियोजन	94
तृतीय नियोजन (लक्ष्य)	27	तृतीय नियोजन (लक्ष्य)	70

इस्तेमाल में आई विदेशी मदद

	(रु० लाखों में)	अतिरिक्त कर	(लाख रु० में)
प्रथम नियोजन	19660	प्रथम नियोजन	25500
द्वितीय नियोजन	87660	द्वितीय नियोजन	107800
प्रथम व द्वितीय नियोजन	107320	प्रथम व द्वितीय नियोजन	133200
तृतीय नियोजन (अनुमान)	260000	तृतीय नियोजन (लक्ष्य)	171000

सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास का लक्ष्य, ग्रामवासी लोगों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करना और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलना है। इसके सिवाय कृषि पैदावार बढ़ाना, आय बढ़ाना, जन-जीवन को सक्रिय और प्रभावशील व प्रगतिशील बनाना है। यह आत्मसहायता का प्रोग्राम है। ग्रामवासी अपनी उन्नति के लिए स्वतः योजना बनावें और उनको स्वतः पूरा करें। सरकार ज़रूरत हो तो तकनीकी व आर्थिक सहायता दे। ग्राम-समाज के भविष्य का निर्माण गांववाले स्वतः करें। सरकार पर निर्भर न रहें, यह इसका उद्देश्य है। सामुदायिक विकास का प्रारम्भ 2 अक्तूबर, 1952 को हुआ। इस कार्यक्रम में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। प्रोग्राम के अन्य भाग हैं—संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा और कुटीर उद्योग का विकास। ग्राम स्तर पर प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए पंचायत, सहकारिता और स्कूल बुनियादी संस्थाएं हैं। निर्वाचित पंचायत अपने क्षेत्र के सारे विकास-प्रोग्राम के लिए ज़िम्मेदार है।

सामुदायिक विकास प्रोग्राम का सारा कार्य 150–200 वर्गमील में फैले 100 गांवों के बने ब्लाक अधिकारी के माध्यम से होता है। गांव के स्तर पर ग्रामसेवक व ग्रामसेविका हैं। सबके ऊपर सामुदायिक विकास मंत्रालय है। प्रोग्राम का कार्य पालिका प्रमुख डेवलपमेंट कमिश्नर है। जिले-भर के विकास के कार्य के लिए नवनिर्मित ज़िला परिषद् उत्तरदायी है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्युनिटी डेवलपमेंट का निर्माण किया गया है। यह संस्था शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है, केन्द्रों (प्रशिक्षण) का पथ-प्रदर्शन करती है।

विधि-विधान

भारत सरकार के कानूनी मामलों की देख-रेख विधि-मंत्रालय करता है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों को कानूनी विषयों में परामर्श देना इसका मुख्य काम है। मंत्रालय के दो विभाग हैं: (1) लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। इस मंत्रालय में

एक भाग हिन्दी अनुवाद का भी है। यह केन्द्रीय सरकार के बनाए एक्टों (अधिनियमों) का अनुवाद करता है।

ला कमीशन—न्याय-प्रणाली के सब पहलुओं पर विचार करना, न्यायदान के काम को शीघ्रता से करने का उपाय बताना इसका काम है। 16 सितम्बर, 1955 को इसने काम आरम्भ किया था। न्याय-प्रणाली में सुधार करने के बारे में कमीशन का कार्य समाप्त हो गया है। स्टेच्यूट ला के संशोधन के बारे में कमीशन ने 12 रिपोर्टें दी हैं।

कानून के क्षेत्र में एक ही प्रकार के परिभाषिक शब्दों का व्यवहार हो, इस विचार से आफिशियल लैंग्वेज (लेजिस्लेटिव) कमीशन की स्थापना की गई है। यह हिन्दी में अधिकृत पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर रहा है। पंचायती अदालतों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भी एक दल नियुक्त किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय—देश का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) नई दिल्ली में है। संविधान के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद, राज्यों के पारस्परिक विवाद, केन्द्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवाद निर्णयार्थ इसके ही सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में स्थापित हाईकोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी इसमें सुनी जाती है। प्रत्येक राज्य में अपने हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) हैं। इनकी संख्या 15 है।

पृथक्करण—संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार न्याय-विभाग कार्यपालिका से सर्वथा स्वतन्त्र और पृथक् होना चाहिए। अनेक राज्यों में यह कार्य पूरा हो गया है। यू० पी० के 47 ज़िलों में अलग-अलग हैं मजिस्ट्रेट के पहले दो काम होते थे, न्यायदान और अन्य। न्यायदान के कार्य में मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के अधीन है। विशुद्ध न्यायदान के वास्ते वे ही लोग उपयुक्त हैं जो कानून के जानकार हों। इसलिए न्याय-विभाग को कार्यपालिका से स्वतन्त्र करने के लिए आग्रह है।

बार कौंसिल—वकालत करनेवालों की एक बार कौंसिल है। इसका अध्यक्ष भारत सरकार का एटर्नी-जनरल होता है।

क्यूबा—1962 में सोवियत रूस ने क्यूबा में राकेट का अड्डा स्थापित किया। अमेरिका ने इसको अपनी सुरक्षा को एक खतरा माना और इसको आपत्तिजनक समझा। प्रेज़ीडेण्ट केनेडी ने इसके जवाब में क्यूबा का समुद्री घेरा (ब्लोकेड) डालने की घोषणा की। क्यूबा को हथियार न मिलें, इसका इन्तज़ाम करने के बाद अमेरिका ने इस मामले को सुरक्षा परिषद् में भी उठाया। क्यूबा शस्त्रास्त्र लेकर जानेवाले जहाज़ों का क्यूबा पहुंचना अमेरिका ने रोक दिया। अमेरिका और रूस में भिड़न्त होने की आशंका से दुनिया कांप उठी, विश्व ने समझा कि अणु-युद्ध सन्निकट है। परन्तु श्री ख्रुश्चेव में सद्बुद्धि का उदय हुआ और 28 अक्तूबर, 1962 को क्यूबा से सोवियत मिसाइल्स (प्रक्षेपास्त्र) हटाना उसने मान लिया। केनेडी को आश्वासन दिया गया कि अमेरिका जिनको आक्रमणात्मक कहता है, वे तोड़ दिए जाएंगे और वापस रूस लाए जाएंगे। रूसी अड्डे को नष्ट करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण में होगा, यह भी रूस ने माना। प्रेज़ीडेंट केनेडी ने आश्वासन दिया कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न करेगा। संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री (जनरल सेक्रेटरी) के क्यूबा पहुंचने के समय अमेरिकी घेरा स्थगित कर दिया गया। अमेरिकी विमानों ने भी निरीक्षण का काम प्रारम्भ कर दिया। क्यूबा के डा० कैस्ट्रो का आग्रह था कि गुआंटानामो खाड़ी कम से कम अमेरिका पहले खाली करे। पर अन्ततोगत्वा सोवियत रूस ने क्यूबा से अपने मिसाइल्स (प्रक्षेपास्त्र) हटा लिए। इस प्रकार रूस और अमरीका की बुद्धिमानी के कारण यह तनावपूर्ण स्थिति समाप्त हो गई और विश्वयुद्ध का संकट टल गया।

यमन—अक्तूबर, 1962 में यमन में क्रान्ति हुई और यमन से मोहम्मद एल बादर को भाग जाना पड़ा। इसके साथ राजवंश का यमन से अन्त हो गया। मिस्र के संरक्षण में कर्नल अब्दुल्ला सलाल के नेतृत्व में नई सरकार स्थापित हुई है। सऊदी अरब और जोर्डन के नरेश इसके कारण बहुत चिन्तित हो उठे हैं। प्रेज़ीडेण्ट नासर की इस

विजय ने उनके अस्तित्व को ही भय में डाल दिया है। यमन में अरब गणराज्य (रिपब्लिक) स्थापित हो गया है। इससे ब्रिटेन भी चिन्तित हो गया है, क्योंकि यमन की दृष्टि अदन और उसके आसपास के इलाके पर है।

अल्जीरिया—3 जुलाई, 1962 को 132 साल के फ्रेंच शासन से अल्जीरिया पूर्णतः स्वाधीन हो गया। म० बेन यूसुफ बेनखेद्दा अल्जीरिया के प्रधानमंत्री हुए। अल्जीरिया की स्वाधीनता की घोषणा से पहले अल्जीरिया में जनमत लिया गया और जनता से पूछा गया, वह स्वतन्त्रता चाहती है या नहीं। 99·72 प्रतिशत लोगों ने मतदान में भाग लिया।

अब अल्जीरियाई क्रांति के नेता म० बेन बेला अल्जीरिया के राष्ट्रपति और शासकीय प्रधान हैं।

लाओस—जेनीवा करार को अमल में लाने का काम पुनः सह-अध्यक्षों के पास लौट गया। 7 अक्तूबर, 1962 तक लाओस की विदेशी सेनाओं को खाली कर देना चाहिए था। पर कोई सेना नहीं गई। कम्युनिस्ट और अमेरिका दोनों एक-दूसरे को दोषी ठहराते रहे। अमेरिका का अनुमान था कि 8000 वियतनामी सैनिक मौजूद हैं। पाथेटलाओ का दूसरी ओर कहना था कि अमेरिकी फौजें वापस नहीं गईं। 21 जुलाई, 1962 को जेनीवा में 14 राष्ट्रों की कान्फ्रेंस ने एक करार पर दस्तखत कर लाओस की तटस्थता की गारण्टी दी। इन देशों ने लाओस की स्वाधीनता और अखण्डता की भी गारण्टी दी।

11 जून को लाओस के तीनों राजकुमारों ने भी संयुक्त मंत्रि-मण्डल बनाने के विषय में परस्पर समझौता कर लिया। प्रिंस सुवन्न फूमा पुनः प्रधानमंत्री बना।

कांगो—1962 में कांगो की स्थिति अपरिवर्तित रही। कांगो की एकता, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने मुख्य प्रश्न है।

16 अक्तूबर, 1962 को कटंगा के प्रेजीडेण्ट शोम्बे ने युद्ध-विराम पर दस्तखत किए।

पुर्तगाली उपनिवेश—संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा (जनरल असेम्बली) ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टी कमिटी की विशिष्ट कमिटी नियुक्त की

है क्योंकि पुर्तगाल ने चार्टर-दायित्व को पूरा करने से इन्कार कर दिया है। पुर्तगाली उपनिवेशों पर नियुक्त स्पेशल कमिटी की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने स्वीकार की। इसमें गोम्रा के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रीय दृष्टि से यह भारत के साथ संयुक्त था। पुर्तगाल का कहना था कि इस रिपोर्ट को स्वीकार करने का अर्थ भारतीय कार्य का समर्थन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में पुर्तगाल से कहा गया है कि वह अपने उपनिवेशों के स्वराज्य पाने के हक को स्वीकार करे। पुर्तगाल को शस्त्र भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने को कहा गया है, क्योंकि पुर्तगाल अपने मित्रों से प्राप्त हथियारों का इस्तेमाल उपनिवेशों के लोगों को कुचलने में करता है। पुर्तगाल से संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव मनवाने के लिए उचित उपाय बरतने के लिए सुरक्षा परिषद् से कहा गया है।

नेपाल—16 दिसम्बर, 1962 को नेपाल नरेश महेन्द्र ने नेपाल को नया संविधान दिया। इसके साथ नेशनल पंचायत की स्थापना की गई। पंचायती प्रणाली के सूत्रपात से दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना की गई है।

कोलम्बो कान्फ्रेंस—6तटस्थ राष्ट्रों–सीलोन, मिस्र, हिन्देशिया, बर्मा, कम्बोडिया और घाना—की एक कान्फ्रेंस कोलम्बो में दिसम्बर, 1962 में हुई। इसका उद्देश्य ऐसे उपाय खोजना था जिससे चीन और भारत के बीच सीमा-विवाद सुलझ जाए। इस कान्फ्रेंस के निर्णय कोलम्बो प्रस्ताव के नाम से विख्यात हैं। इसमें कहा गया है कि पूर्व में मैकमेहन पांत को साधारणतः युद्ध-विराम रेखा माना जाए। लद्दाख में 1959 की दावे की रेखा से चीन अपनी सेना 20 किलो-मीटर पीछे हटावे। इसके कारण दोनों पक्षों को 8 सितम्बर, 1962 की लाइन से कुछ पीछे हटना पड़ेगा। इस प्रकार बनाए गए असैनिक क्षेत्र का प्रबन्ध दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। मध्य अंचल स्थिति यथापूर्व रहेगी। नेफा में भारतीय सेना मैकमेहन पांत तक जा सकेगी। परन्तु भारतीय सेना धोली और लोंगजू पर अधिकार न कर सकेगी। यह वाद की सन्धि-चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। वालोंग इलाके के बारे में कोलम्बो प्रस्ताव मौन हैं। यह भारत की

अपेक्षा चीन के अधिक अनुकूल है। भारत पर दबाव डाला गया कि वह कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्योंकि यह अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों की ओर से एक एशियाई विवाद को मिटाने का प्रयत्न किया गया है। भारत इसका एक मुख्य देश है, अतः उसको इनका साथ देना चाहिए। दिल्ली में प्रकाशित कोलम्बो प्रस्ताव में कहा गया था :

(1) जैसा कि प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने प्रधानमंत्री श्री नेहरू को 21 नवम्बर, 1962 और 28 नवम्बर, 1962 के पत्र में लिखा है, चीन पश्चिमी अंचल में 20 किलोमीटर पीछे अपनी सेना हटाए।

(2) भारत वर्तमान स्थिति पर ही रहे, यह कान्फ्रेंस की इच्छा है।

(3) हल न मिलने तक चीन से खाली किया गया क्षेत्र असैनिक रहेगा।

(4) पूर्वीय अंचल में दोनों पक्ष जिसको यथार्थ नियंत्रण का क्षेत्र मानते हैं वही युद्ध-विराम रेखा होगी। शेष क्षेत्र के बारे में बाद की सन्धि-वार्ता में तय किया जा सकेगा।

(5) मध्य अंचल के बारे में कान्फ्रेंस को आशा है कि शांतिपूर्ण रीति से विवादों का हल ढूंढ़ लिया जाएगा।

पश्चिमी इरियन—हिन्देशिया पश्चिमी इरियन पर अपना दावा बताता था, पर डच उसको स्वीकार न करते थे। दोनों के मध्य लम्बी सन्धि-चर्चा के बाद 16 अगस्त, 1962 को हिन्देशिया और हालैण्ड में सन्धि हुई और नीदरलैंड ने पश्चिमी इरियन पर हिन्देशिया का स्वत्व मान लिया। तय हुआ कि 1 मई, 1962 से पश्चिमी इरियन का हस्तान्तरण हिन्देशिया को किया जायगा। 1969 में जनमत लिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि पश्चिमी इरियन स्वाधीनता चाहता है या हिन्देशिया में विलय होना चाहता है।

टांगानिका—9 दिसम्बर, 1962 को टांगानिका रिपब्लिक (गणराज्य) घोषित किया गया और डा० जूलियस नीएड्रे प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए। टांगानिका एक पार्टी के शासन का राज्य हैं। टांगानिका में केवल एक पार्टी है : टांगानिका अफ्रीकनल नेशन

यूनियन (टानू) ।

नासू-करार—प्रेज़ीडेण्ट केनेडी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मि० मैकमिलन नासू में चालू समस्याओं पर विचार करने के लिए मिले। दोनों में करार हुआ और घोषणा की गई कि अमेरिका बिना वारहेड के पोलरिस मिसाइल ब्रिटेन को देगा। दोनों की भेंट वी० बमवर्षकों के निरुपयोगी होने पर ब्रिटेन स्वतंत्र रूप से अणु-शक्ति का देश कैसे रहे, इसका उपाय सोचने के लिए हुई थी। दोनों ने यह घोषणा की कि उन्होंने बमवर्षकों का एक भाग 'नाटो' के अधीन रखना मान लिया है। दोनों नेताओं ने माना कि पोलरिस मिसाइल पर भावी प्रतिरक्षा और एटलाण्टिक क्षेत्र और सम्पूर्ण विश्व की सुरक्षा की दृष्टि से विचार करना चाहिए। कनाडियन प्रधानमंत्री श्री डेफेनवेकर (अब ये प्रधानमंत्री नहीं हैं) ने घोषणा की कि अमेरिका और कामनवेल्थ (राष्ट्रकुल) भारत को 10 करोड़ पौं० मूल्य की सैनिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रहे हैं। सम्भवतः लागत 12 करोड़ रु० हो और अमेरिका और कामनवेल्थ इसका 50-50 प्रतिशत भार सहेंगे।

जेनीवा निःशस्त्रीकरण परिषद्—मार्च, 1962 से भारत-समेत 17 देश जेनीवा में निःशस्त्रीकरण का मार्ग ढूंढ़ने का उपाय सोच रहे हैं। अमेरिका की इस बात का कि निःशस्त्रीकरण की एक योजना हो और उसको अन्तर्राष्ट्रीय सम्पुष्टि मिले, उसके लिए निरीक्षक नियुक्त किए जाएं, रूस विरोधी है। निःशस्त्रीकरण योजना बनाने की आशा न देखकर भूमिगत अणु बमों के विस्फोट को रोकने पर समझौता करने का यत्न किया गया। अमेरिका नौ साल में पूर्ण निःशस्त्रीकरण करने के पक्ष में है। रूस का कहना है कि यह चार साल में हो। रूस इतना मानने को तैयार है कि विशाल रूस में अणु विस्फोट का पता देनेवाले तीन 'ब्लैक बाक्स' रावर्ट सिसमिक स्टेशन बनाये जाएं। अमेरिका इसको निरुपयोगी मानता है, क्योंकि इनमें से दो ब्लैक बाक्स सिसमिक (भूकम्प बतानेवाला) क्षेत्र से बाहर होंगे।

भारत 1962 में

भारत-चीन संघर्ष

1956 से चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर बलात् अधिकार कर रखा है। चीन इस इलाके को खाली करने को उद्यत नहीं। क्योंकि यह प्रदेश सिक्यांग और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है और चीन को ल्हासा तक पहुंचने का सरल मार्ग देता है। चीन इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। सम्पूर्ण हिमालय सीमा पर चीनी सेना बड़ी संख्या में 1960 से तैनात कर दी गई। सितम्बर, 1962 में जब चीनी सेना थागला नदी तक आ गई और पुल को उसने पार करने की कोशिश की तब भारतीय सैनिकों ने उसको रोका और भारत-चीन संग्राम छिड़ गया। चीनी सेना बहुत बड़ी संख्या में थी। भारत इतने विशाल हमले की आशंका न करता था। चीनी सेना लावा के समान आगे बढ़ती गई। 20 अक्तूबर को चीनी सेना ने धोला और लोंगजू पर प्रबल आक्रमण किया। नेफा क्षेत्र में चीनियों ने सेला में बगैर लड़े उसकी बगल से गुज़रकर बोमडीला ले लिया। मध्य अंचल में बाराहुती पर चीनियों ने हमला किया। लद्दाख में चूसूल क्षेत्र में उनका ज़ोरदार हमला हुआ। पर चूसूल भारत के हाथ में ही रहा। पर गालवान घाटी, चिपचैप क्षेत्र आदि चीनियों ने ले लिए।

21 नवम्बर, 1962 को चीन ने एकाकी युद्ध-विराम की घोषणा की। चीन ने कहा कि 1 दिसम्बर से उसकी सेना भारत से पीछे हटनी शुरू हो ज़ाएगी। चीन ने इसके साथ तीन शर्तें भी जोड़ी थीं। भारत की मांग थी कि चीन जब तक 8 सितम्बर, 1962 की पांत पर लौटकर न जाएगा, उसके साथ सन्धि-वार्ता नहीं की जा सकती।

चीन ने लद्दाख में और 2000 वर्गमील ज़मीन पर और नेफा में 500 वर्गमील ज़मीन पर अधिकार कर लिया। चीन के अधिकार में इस समय 14500 वर्गमील ज़मीन भारत की है। चीनियों ने युद्ध-विराम की घोषणा करने से पहले 15 से 19 नवम्बर तक प्रबल हमला किया था। 21 नवम्बर के बाद चीन के तीन प्रश्न ये थे:

(1) भारत सरकार युद्ध-विराम को स्वीकार करती है या नहीं, (2) दोनों पक्षों की सशस्त्र सेना परस्पर लड़ेगी नहीं, और 7 नवम्बर, 1959 को दोनों पक्षों के नियंत्रण में जहां तक वस्तुतः प्रदेश था, उससे 20 किलोमीटर पीछे हट दोनों लौट जाएं, (3) दोनों पक्षों के अधिकारी मिलें और पीछे हटने के बारे में तय करें।

भारत का जवाब—भारत का जवाब था कि पहले चीन अपनी सेना 8 सितम्बर, 1962 की लाइन तक हटावे, तब उसके साथ सन्धि-वार्ता की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह सुझाव रखा कि सीमा-विवाद का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने ले जाया जाए। यदि चीन को यह पसन्द हो। प्रधानमंत्री ने 10 दिसम्बर को कहा कि भारत शान्तिपूर्ण ढंग से मामले को हल करने को तैयार है, परन्तु जब तक चीन हाल के आक्रमण में लिए स्थान खाली नहीं करता, और 8 सितम्बर, 1962 से पहले जहां उसकी सेना थी, वहां वापस नहीं लौट जाती तब तक उसके साथ सन्धि-वार्ता नहीं की जा सकती। इसको न मानने का अर्थ होगा कि चीन ने निर्लज्जतापूर्वक आक्रमण कर जो पाया है, वह उसके पास रहने दिया जाए और भारत की सुरक्षा को और अधिक खतरे में डाल दिया जाए। चाऊ एन लाई ने श्री नेहरू की बात मानने से इन्कार कर दिया। युद्ध-विराम को भारत ने स्वीकार कर लिया। परन्तु दोनों पक्षों में लड़ाई न हो इसलिए 20 किलोमीटर पीछे हटने की बात करने को तैयार है, पर यह तभी हो सकती है, जब चीन इस आक्रमण से प्राप्त भू-भाग को एकदम खाली कर दे और 8 सितम्बर की स्थिति पर लौट जाए। 7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियंत्रण की चीनी लाइन भारत को स्वीकार नहीं। क्योंकि यह तथ्य के प्रतिकूल है। 8 सितम्बर, 1962 की लाइन यथार्थ है, और यह इस सिद्धान्त से सुसंगत है कि संधि-चर्चा शुरू होने से पहले आक्रमण का अन्त हो जाना चाहिए। दोनों देशों के अधिकारियों के मिलने से पहले उनको युद्ध-विराम और सेना पीछे हटाने के बारे में निश्चित निर्देश दिए जाने चाहिए।

7 नवम्बर, 1959 की चीनी लाइन और भारत-निर्दिष्ट

8 सितम्बर, 1962 की लाइन के बीच 2500 वर्गमील का अन्तर है। चीन तीन मास के आक्रमण के फल को भी 7 नवम्बर, 1959 की लाइन में शामिल करता है। भारत-चीन युद्ध छिड़ जाने पर चीन ने कलकत्ता और बम्बई से अपने वाणिज्य प्रतिनिधि वापस बुला लिए। भारत ने भी ल्हासा और शंघाई में अपना दफ्तर बन्द कर दिया। चीनी हमले के कारण प्रतिरक्षामंत्री श्रीकृष्णमेनन को हटाने की मांग ने ज़ोर पकड़ा और प्रधानमंत्री को जनता की यह बात माननी पड़ी। उनकी जगह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री यशवन्त-राव चह्वाण प्रतिरक्षामन्त्री नियुक्त हुए।

राष्ट्रपति ने 26 अक्तूबर, 1962 को संविधान के अनुसार संकट-काल की घोषणा की और संकटकालीन घोषणा के साथ भारत-रक्षा कानून बनाया गया। चीन ने अपनी घोषणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसकी सेना मेकमेहन पांत से पीछे हट जाएगी, पर धौला और लोंगजू में उसकी चौकी रहेगी।

बोमडीला चीनी खाली कर गए और भारत का नागरिक प्रशा-सन वहां पुनः स्थापित हो गया।

चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए 30 सदस्यों की एक डिफेंस कौंसिल बनाई गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त सेना के मुख्य अधिकारी इसके सदस्य हैं।

8 दिसम्बर को चीन ने भारत को धमकी दी कि यदि वह उसकी तीनों शर्तें न मानेगा तो चीन समझेगा कि सीमा-संघर्ष का अन्त नहीं हुआ, 19 दिसम्बर को भारत ने जवाब दिया कि इलाका खाली करने के बाद धौला और लोंगजू में चीनी चौकी का रहना भारत को स्वीकार नहीं।

भारत-चीन सम्बन्ध 1962 में

14 जनवरी—चीनी गश्ती सेना 12 मील चौकी से आगे बढ़ आई। कुछ चीनी फौजी अधिकारी लोंगजू के पास पूर्वी सीमा को लांघ-कर रोई गांव तक आ गए।

22 फरवरी—लद्दाख में चीनी गश्त का हरावल होने का भारत ने विरोध किया।

15 अप्रेल—सुमदो, लद्दाख में चीनी चौकी स्थापित करने का भारत सरकार ने विरोध किया।

18 अप्रेल—पूर्वीय अंचल में रोई गांव तक चीनियों के चले आने का भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया।

चिप चैप घाटी में चीनी सेना बराबर हरावल में गश्त लगाती रही।

30 अप्रेल—चीन ने घोषणा की कि काराकोरम दर्रे से कोंगका दर्रे तक उसने सैनिक गश्त लगाने का निश्चय किया है। भारत अपनी दोनों चौकियां हटा ले। यदि भारत सरकार यह बात न मानेगी, तो चीन सारे क्षेत्र में पतरोली कार्रवाई शुरू कर देगा।

10 मई—भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि सम्पूर्ण प्रदेश की प्रभुत्व शक्ति या सर्वभौम सत्ता भारत संघ में निहित है। अतः कश्मीर की सीमा के बारे में पाकिस्तान से किया गया समझौता अवैध होगा और उसका कोई कानूनी मूल्य न होगा।

स्पांगुर से दक्षिण-पूर्व 10 मील दूर चीन ने और एक चौकी स्थापित कर ली।

14 मई—चिप चैप (लद्दाख) क्षेत्र में आक्रमण। चीनी पतरोल का भारत सरकार ने विरोध किया। भारत सरकार ने यह भी कहा कि शान्तिपूर्ण समझौते के विचार से भारत चीन को अक्साई चिन की राह मुल्की यातायात करने की अनुमति दे सकता है।

2 जून—भारत-चीन 1954 करार समाप्त हो गया, क्योंकि चीन ने इसको प्रारम्भ से ही भंग किया था। तीर्थयात्रियों को परेशान किया।

6 जून—भारत सरकार ने चीन को कड़ा विरोध-पत्र भेजा कि चीन ने भारतभूमि से और एक सड़क निकाल ली है।

28 जून—चिप चैप घाटी में और एक चौकी बनाने के विरोध में चीन सरकार को भारत ने पत्र भेजा।

10 जुलाई—गालवन नदी के क्षेत्र में भारतीय चौकी घेरने के विरोध में भारत ने पत्र भेजा।

26 जुलाई—लद्दाख में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति की ओर चीन का ध्यान खींचते हुए भारत ने दिसम्बर, 1960 की रिपोर्ट के आधार पर दोनों देशों के बीच समझौता-वार्ता शुरू करने की आवश्यकता बताई।

28 जुलाई—पानगांग क्षेत्र में भारतीय पतरोल पर चीनी आक्रमण का भारत ने विरोध किया।

4 अगस्त—चीन सरकार ने शान्तिपूर्ण सन्धि-वार्ता का निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि चीन अपनी ही शर्तों पर सन्धि-चर्चा चलाने को तैयार है। यथापूर्व स्थिति के बारे में चीन ने कहा कि वह इस बात को न अब और न कभी भविष्य में स्वीकार करेगा।

15 अगस्त—चूला (पानगांग क्षेत्र) क्षेत्र में भारतीय चौकी पर चीन ने आक्रमण किया। भारत ने चीन को विरोध-पत्र भेजा।

22 अगस्त—चिप चैप घाटी, पानगांग, स्पांगुर और कारा काश क्षेत्र में 18 नवीन सैनिक चौकियां चीन ने बनाली हैं, इसका भारत ने विरोध किया। भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर खींचा कि पिछले पांच सालों में लद्दाख की सीमा में जो परिवर्तन हुआ है, उसे रद्द करके सीमा को पुनः अपने मूल स्थान पर आ जाना चाहिए। फिर दोनों देशों में सन्धि-वार्ता शुरू की जाए।

24 अगस्त—पानगांग (पयस गंगा) क्षेत्र में नई चीनी सैनिक चौकी बनाने का भारत सरकार ने विरोध किया।

27 अगस्त—चिप चैप प्रदेश में भारतीय पतरोल पर चीनी सेना के आक्रमण का भारत ने विरोध किया।

28 अगस्त—पानगांग (पयसगंगा) स्पांगुर, और काराकाश प्रदेश में चीनी सेना द्वारा और चार नई सैनिक चौकी बनाने का भारत ने विरोध किया।

2 सितम्बर—चिप चैप क्षेत्र में भारतीय पतरोल पर चीनी सेना के हमले का भारत ने विरोध किया।

7 सितम्बर—चागचेनमो घाटी और पानगांग-स्पांगुर क्षेत्रों में चीनी सेना के घुस आने का भारत ने विरोध किया।

8 सितम्बर—भारत के नेफा प्रदेश में चीनी सेना थागला पर्वत के पार भारतीय प्रदेश में घुस आई।

17 सितम्बर—भारत सरकार ने चीन को चेतावनी दी कि थागला पहाड़ी को पार कर चीनी सेना के भारत में घुस आने के कारण उत्पन्न परिस्थिति और परिणामों के लिए एकमात्र चीन ज़िम्मेदार होगा।

20 सितम्बर—चिप चैप क्षेत्र में चीनी सेना के घुस आने का भारत ने विरोध किया।

21 सितम्बर—चिप चैप, काराकाश, पानगांग-स्पांगुर क्षेत्रों में 6 नई चौकियां (सैनिक) चीन ने बना लीं। इसका भारत ने विरोध किया।

6 अक्तूबर—भारत सरकार ने चीन को सूचित किया कि जब तक आक्रमण करने की भूल का सुधार नहीं किया जाता और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक चीनी सेना वापस नहीं लौट जाती, तब तक उसके साथ सन्धि-वार्ता करना सम्भव नहीं।

20 अक्तूबर—चीनी सेना ने प्रबल आक्रमण विशाल पैमाने पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों अंचलों में किया। भारतभूमि में चीनी सेना बहुत दूर तक घुस आई।

24 अक्तूबर—चीनी प्रधानमन्त्री ने प्रधानमंत्री श्री नेहरू को पत्र लिखकर तीन चीनी शर्तें मानने का आग्रह किया : वास्तविक नियंत्रण की सीमा पर दोनों देशों की सेना आ जाए। वास्तविक नियंत्रण की सीमा का अतिक्रमण कोई न करे। इसके बाद दोनों मैत्रीपूर्ण वार्ता के लिए मिलें।

27 अक्तूबर—भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि जब वास्तविक और नया आक्रमण जारी है, भारत सन्धि-वार्ता करने को सहमत नहीं हो सकता। अतः चीन पहले 8 सितम्बर की स्थिति पर फिर वापस लौट जाए, और सन्धि-वार्ता के अनुकूल वातावरण पैदा करे।

नागालैंड—नागालैंड भारत का एक नया राज्य हो गया। यह भारत संघ का 16 वां राज्य है। नागालैंड की असेम्बली में 60 सदस्य होंगे। राज्य सभा और लोकसभा में इसका एक-एक सदस्य होगा। असम व नागालैंड का हाईकोर्ट एक ही होगा। असम का राज्यपाल ही नागालैंड का राज्यपाल होगा।

केरल—मुख्यमंत्री पोत्तमथानु पिल्ले को पंजाब का राज्यपाल बनाकर केरल के संयुक्त मंत्रिमंडल का अन्त कर दिया गया। संयुक्त मंत्रिमंडल का अन्त हो जाने पर केरल विधानसभा में कम्युनिस्ट सदस्यों ने मन्त्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था, परन्तु प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 14 सदस्य इस प्रस्ताव पर तटस्थ रहे।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

1962 में भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं हुआ। पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न को उठाए रखने को विवश है।

22 जून, 1962 को भारत के प्रबल विरोध का ख्याल न कर आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद् में कश्मीर पर प्रस्ताव पेश किया। सोवियत रूस ने उसको 'वीटो' (निषेध) कर दिया।

त्रिपुरा—त्रिपुरा में भारत के अनेक गांव पाकिस्तान ने ले लिए थे। भारतीय गांवों पर लगातार पाक सेना ने गोली भी बरसाई थी। शिलांग में भारत-पाक वार्ता हुई और युद्ध-विराम हो गया। 16 अक्तूबर, 1962 को 15 दिन बाद लड़ाई बन्द हुई। छोटा खेल से दोनों की सेना को दस दिन में वापस चले जाना चाहिए था। पर पाकिस्तान फिर भी और 12 दिन तक रुक-रुककर गोली चलाता रहा। विवाद-क्षेत्र सबरूम के सामने नदी पर रामगढ़ के चारों ओर है। सितम्बर, 1962 से पाकिस्तान राइफल यहां तैनात है। त्रिपुरा का कहना है कि असलांग मौजा और चेलाकम पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अधिकृत कर लिए हैं।

कर्णफुली बांध—21 अप्रेल, 1962 को सिंचाई व बिजली मंत्री ने घोषणा की कि कर्णफुली बांध के बारे में भारत को शायद प्रतिशोधात्मक कारंवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को सरकार ने सूचित

कर दिया है कि उसका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है। कर्णफुली बांध के कारण मीज़ो ज़िले के लूशाई हिल का एक भाग जलमग्न हो जाएगा।

पाकिस्तान का रुख—चीन-भारत संग्राम शुरू होने पर पाकिस्तान ने चीन के प्रति सख्य व मैत्री भाव प्रकट किया और भारत को पश्चिमी राष्ट्रों से सैनिक सहायता न मिले इसके लिए भगीरथ प्रयत्न किया। उसने कहा भारत को मित्रराष्ट्र उस समय तक सैनिक मदद न दें जब तक भारत कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दे देता। उसने अमेरिका को यहां तक धमकी दी कि यदि भारत को सैनिक सहायता दी गई तो वह सीटो और सेंटो का सदस्य न रहेगा। उसने चीन के साथ प्रतिरक्षा करार करने की भी तैयारी दिखाई।

एंग्लो-अमरीकी मिशन—नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में श्री डंकन सैंडी के नेतृत्व में ब्रिटिश मिशन और श्री अवेरल हैरीमेन के नेतृत्व में अमरीकी मिशन भारत की सैनिक ज़रूरत का पता लगाने भारत आया। इनकी प्रेरणा से भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर और अन्य विषयों पर वार्ता प्रारम्भ हुई। इसका उद्देश्य था कि पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री जुल्फीकार भुट्टो और भारत के रेलवे मंत्री सरदार स्वर्णसिंह बात करके ऐसा आधार तैयार कर दें, जिससे नेहरू-अयूब वार्ता सम्भव हो सके और कश्मीर-समस्या हल हो जाए। सैंडी-हैरीमेन का विचार था कि कश्मीर का प्रश्न तय हो जाने पर भारत और पाकिस्तान मिलकर चीन के मुकावले संयुक्त मोर्चा वना सकेंगे। परन्तु रावलपिण्डी में प्रथम वार्ता शुरू होने पर ही मालूम हो गया कि पाकिस्तान ने चीन से सन्धि कर ली है और कश्मीर का भाग चीन को देना मान लिया है। बात का सिलसिला पर यहां टूटा नहीं। दोनों की वार्ता के 6 दौर हुए और पाकिस्तान में मंत्रिमंडल का संकट होने के साथ 17 मई, 1963 को इस वार्ता का अन्त हो गया। ये वार्ताएं रावलपिण्डी, दिल्ली, कराची, कलकत्ता में हुईं। भारत की मान्यता है कि कश्मीर का भारत में विलय अन्तिम और अटूट है। कश्मीर में हुए दो निर्वाचनों ने इस सत्य की पुष्टि की है। भारत कश्मीर की स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन करने

को तैयार नहीं, जिससे कश्मीर को इस समय हानि पहुंचे और भारत में पुनः साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न हो। क्योंकि कश्मीर का इस समय पाकिस्तान में जाने का अर्थ है कि भारत में बाकी रहे मुसलमान भी भारत छोड़ दें और पाकिस्तान चले जाएं। यह भारत की धर्म-निरपेक्ष राज्य की कल्पना पर भारी आघात होगा।

भारत-पाक वार्ता में पाकिस्तान ने सदा सम्पूर्ण कश्मीर मांगा। भारत यद्यपि किशन गंगा के वाम तट का भाग पाकिस्तान को देने तैयार था, पर पाकिस्तान तो जम्मू के कुछ वर्गमील भाग को छोड़कर सारा का सारा कश्मीर चाहता था।

भारतीय पुरातत्व

प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्ययन का विचार सर्वप्रथम सर विलियम जोंस ने दिया। 1783 में बंगाल एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की गई और इसके साथ एक संग्रहालय भी स्थापित हुआ। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की कुंजी 1883 में जेम्स प्रिंसेप ने ढूंढ़ी। खरोष्टी वर्णमाला भी आपने ही पढ़ी। 1904 में मॉनुमेंट प्रिज़रवेशन एक्ट बना और इसके कारण भारतीय पुरातत्व में एक नये युग का आरम्भ हुआ। पुरातत्व विभाग दस अनुभागों में विभक्त है। दस केन्द्रों में देश को विभक्त कर अन्वेषण किया जाता है। आगरा, औरंगाबाद, दिल्ली, मद्रास, बड़ौदा, पटना, कलकत्ता, विशाखापत्तनम्, श्रीनगर और मद्रास केन्द्र हैं। पुरातत्व विभाग जहां प्राचीन इमारतों की रक्षा करता है, उनका दुरुपयोग नहीं होने देता, वहां हज़ारों की संख्या में उसने शिलालेख और ताम्रपत्र खोजे हैं। संगृहीत ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहालयों—सारनाथ, नालन्दा सदृश म्युज़ियमों में रखा जाता है। भारत में इस समय 100 संग्रहालय हैं। 15 अक्तूबर, 1959 से यह विभाग एक स्कूल भी दिल्ली में चला रहा है। इसका पाठ्यक्रम 20 मास का है। खुदाई के परिणामों को यह विभाग प्रकाशित करता है। 'एंशंट इण्डिया' के इसने अनेक अंक प्रकाशित किए हैं। 'एपिग्राफिका इण्डिका' भी यही विभाग प्रकाशित करता है।

हिस्टारिकल रिकार्ड्स कमीशन—पुराने ऐतिहासिक लेखों, कागज-पत्रों को पढ़ने के लिए भारत सरकार ने इसकी 1919 में स्थापना की थी। ऐतिहासिक पांडुलिपियों की यह रक्षा करता है।

परराष्ट्र विषय

परराष्ट्र मन्त्रालय—भारत का अन्य देशों के साथ क्या सम्बन्ध हो, इसका नियंत्रण यह मंत्रालय करता है। इसका मुख्य अधिकारी सेक्रेटरी-जनरल होता है, जो परराष्ट मंत्री के निर्देशन में काम करता है। हज-यात्रा का प्रबन्ध भी इसकी ज़िम्मेदारी है। फोरेन सेक्रेटरी के अधीन संयुक्त राष्ट, पूर्व व पश्चिम डिवीज़न, और कान्फ्रेंस डिवीज़न हैं। कामनवेल्थ सेक्रेटरी के अधीन पाकिस्तान और दक्षिण-पूर्व एशिया है। स्पेशल सेक्रेटरी प्रशासन और विदेशों के भारतीय दूतावासों को देखता है। मंत्रालय तेरह विभागों में विभक्त है। आई० ए० एस०, आई० पी० एस० के समान आई० एफ० एस० का भी निर्माण किया गया है। इण्डियन फारेन सर्विस में 1962 में 233 स्थायी व्यक्ति थे। इनके अतिरिक्त 10 उच्च पद हैं और 93 अस्थायी पद हैं।

सीमान्त-क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग सेवा है। इसमें 73 जगहें हैं। 1960 के प्रारम्भ में 116 भारतीय मिशन और पद विदेशों में थे : 54 राजदूत, 11 हाई कमीशन, 6 लीगेशन, 9 कमीशन, 3 व्यापार कमीशन, 15 कांसुलेट-जनरल, 7 कांसुलेट, 5 वाइस काउंसिल 3 स्पेशल मिशन और 3 एजेंसियां थीं। भारत में 64 देशों के राजनय (डिप्लोमेटिक) मिशन थे।

सिंचाई

भारत में वर्षा सदा एक समय और सर्वत्र एक समान नहीं पड़ती। यह असमानता साधारण नहीं। असम में जहां एक ओर 460 इंच वर्षा होती है, वहां राजस्थान में तीन इंच ही होती है। सारे देश की दृष्टि से 42 इंच औसत वर्षा होती है। वर्षा निश्चित एक समय पर सदा नहीं होती, फलतः भारतीय कृषि को वर्षा का जुआ कहा जाता है। फलतः आबादी के बढ़ने के समान इस देश की कृषि

का विकास नहीं हुआ है। अनाज की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए आवश्यक है कि जहां खेती का जोत वढ़ाया जाए, वहां उसकी सिंचाई की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए। भारत की जल-सम्पत्ति का अनुमान 13560 लाख एकड़ फुट किया गया है। इसमें से 4500 लाख एकड़ फुट पानी सिंचाई के काम आता है। नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था करने की सम्भावनाओं का अब अन्त हो गया है। भविष्य के वास्ते सिंचाई की यही योजना संभव हो सकती है कि वांध वनाकर वर्षा के पानी को संचित किया जाए, और उसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए। सिंचाई का दूसरा साधन है, तालाव, कुएं आदि वनवाना और सिंचाई के इन छोटे साधनों का उपयोग करना। भारत के तीनों पंचवर्षीय नियोजनों में सिंचाई और विजली को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया।

सिंचाई व विजली का एक पृथक् मंत्रालय है। इसके ही अधीन सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन है। यह योजनाएं प्रारम्भ करता है, राज्यों की योजनाओं में एकसूत्रता लाता है। विजली का विकास करता है।

बाढ़-नियन्त्रण—हर साल बरसात के दिनों में देश के किसी न किसी भाग में वाढ़ आती रहती है। धन-जन की इससे बड़ी हानि होती है। भारत सरकार ने बाढ़-नियन्त्रण के लिए सेंट्रल फ्लड कंट्रोल की स्थापना की है। इनके अतिरिक्त 13 स्टेट फ्लड कंट्रोल वोर्ड हैं। सिंचाई व विजली की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि० की 1957 में स्थापना की गई। पूना में अनुसन्धान केन्द्र है, जहां पेचीदा समस्याओं का हल ढूंढ़ा जाता है। विजली शक्ति की खोज के लिए पावर रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई। यह बंगलौर और भोपाल में है।

बहुमुखी नदी घाटी परियोजनाएं अधिकतर केन्द्रीय हैं। जैसे भाखड़ा-नांगल परियोजना, दामोदर घाटी निगम, हीराकुड वांध परियोजना, कोयना परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, आदि।

फरक्का तटबन्ध परियोजना—यह कलकत्ता बन्दरगाह की रक्षा और भागीरथी-हुगली नदी के नौका-नयन को कायम रखने के उद्देश्य

से बनाई गई है। इस काम के वास्ते अप्रेल, 1961 में फरक्का तटबंध नियन्त्रण बोर्ड स्थापित किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत तिस्ता नदी पर तटबंध वनाया जाएगा। प० बंगाल में इससे तीस लाख एकड़ की सिंचाई हो सकेगी। इससे 300000 किलोवाट बिजली भी पैदा होगी। इन सवके अतिरिक्त इससे वाढ़ 'नियन्त्रण' में सहायता मिलेगी।

मुचकुंद परियोजना—यह आंध्र और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण की पूंजी में उड़ीसा का भाग 30 प्रतिशत होगा। विशाखापत्तनम् से 120 मील दूर मुचकुंद नदी पर बांध बनाया जाएगा। इससे 14 मील नीचे और एक बांध होगा। इसके पास ही बिजलीघर होगा। वांध 176 फुट ऊंचा और 1345 फुट लम्बा होगा। जलाशय में पानी 272000 लाख क्युबिक फुट संचित होगा। 17000 किलोवाट क्षमता के तीन विजली-उत्पादक (जनरेटर) लग गए हैं। 21250 किलोवाट के और तीन विजली-उत्पादक (जनरेटर) लगने शेष हैं।

चम्बल परियोजना—विंध्य पर्वतमाला की ढाल की 2800 फुट ऊंचाई से चम्बल निकलती है, और मध्यप्रदेश, राजस्थान और यू० पी० में वहती है। इस परियोजना के प्रथम चरण में तीन बांध और एक तटबंध वनाना है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बिजलीघर, प्रेरुण तार लाइन, कोटा तटवंध (वैरज) व इसके दोनों ओर नहरें। गांधी सागर बांध में 68·5 लाख एकड़ फुट पानी संचित रहेगा। 11 लाख एकड़ की इसकी नहरों से सिंचाई होगी। इसके अतिरिक्त 80000 किलोवाट विजली मिलेगी। दूसरा बांध राणाप्रताप सागर बांध होगा। कोटा तटवंध लगभग इस समय पूर्ण हो चुका है। सिंचाई के वास्ते 1960 से पानी दिया जा रहा है।

भद्रा—मैसूर राज्य की सिंचाई और विजली की यह परियोजना शीघ्र पूरी होनेवाली है। भद्रा नदी पर लक्कावली में 1445 फुट लम्बा 235 फुट ऊंचा बांध बनाया जा रहा है। इसमें 715000 लाख क्युबिक फुट पानी जमा रह सकेगा। मैसूर में इससे 245000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी।

कोयना परियोजना—महाबलेश्वर के पश्चिमी ढाल से कोयना नदी निकलती है और पश्चिमी घाट में कृष्णा नदी में मिल जाती है। 208 फुट ऊंचा बांध कोयना नदी के आरपार बनाया गया है। नदी के जल की धारा को बदलने के लिए एक सुरंग बनाई गई है। इससे 1570 फुट पानी गिरेगा। बिजली घर में 60000 कि० वाट के चार यूनिट होंगे।

ककरा पारा परिकल्पना—यह सूरत से 50 मील ऊपर ताप्ती नदी पर 2038 फुट लंबा बांध होगा। इसकी नहरें 1963 में पूरी होंगी। इससे 645 लाख एकड़ सिंचाई होगी। इसका आरम्भ 1949 में हुआ था।

रेंड बांध—7 जनवरी, 1963 को इसका उद्‌घाटन हुआ। रेंड नदी सोण नदी की एक शाखा है। पिपरी (मिर्ज़ापुर) में बांध बनाकर नदी का पानी गोविन्दवल्लभ पन्त सागर में जमा किया गया है। रेंड बांध 180 वर्गमील में है। इसमें से 85000 एकड़ उत्तरप्रदेश में है, और शेष मध्यप्रदेश में है। रेंड बिजलीघर की क्षमता इस समय 250000 किलोवाट है। यह बढ़कर 300000 किलोवाट हो जाएगी। यह परियोजना अमेरिकी सहायता का फल है।

त्रिशूली जलविद्युत् परियोजना—सेण्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन इसे नेपाल में तैयार कर रहा है। त्रिशूली नदी नेपाल की है। त्रिशूली बाज़ार से साढ़े तीन मील और ऊपर बांध होगा और इस 1100 क्युजेक पानी को 176 फुट ऊंचाई से गिराकर 18000 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी।

नागार्जुन सागर—यह आंध्र सरकार की परियोजना है। नंदीकोंडा गांव के समीप कृष्णा नदी पर बांध बनाया गया है और दो नहरें बनाई गई हैं। 54·4 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई इससे होगी। पानी का फैलाव 73·66 वर्गमील होगा। अतः नौका-नयन और मत्स्य-पालन भी यहां हो सकेगा। यहां से बिजली भी पैदा होगी।

तवा—मध्यप्रदेश सरकार की यह एक परियोजना है। तवा नदी पर 5420 फुट लंबा और 182 फुट ऊंचा बांध बनाया जाएगा। नदी

के दोनों ओर नहरें और जल प्रणालियां बनाई जाएंगी । 42000 किलोवाट क्षमता दो के बिजलीघर बनाए जाएंगे । नहरी जल-वितरण व्यवस्था का सारा काम 1960 में पूरा हो गया ।

हीराकुड (दूसरा चरण)—बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चिपलीमा में बिजलीघर 14·32 करोड़ रु० की लागत से बनाया जा रहा है । चिपलीमा बिजलीघर में तीन यूनिट होंगे और इनमें से हरएक की क्षमता 24000 किलोवाट होगी ।

कुंडा परियोजना—मद्रास राज्य की यह सबसे बड़ी जल विद्युत् परियोजना है । इसके दो चरण पूरे हो गए हैं । 180 एम० डब्लू० क्षमता की बिजली स्थापित हो चुकी है । इसके तीसरे चरण में अतिरिक्त तीन बिजलीघर बनाने की योजना है ।

राजस्थान नहर—यह 425 मील लम्बी नहर बनाने की योजना है। इसकी क्षमता 18500 क्युज़ेक पानी की होगी । राजस्थान नहर सबसे बड़ी और सबसे लम्बी नहर होगी । इसकी पूरक नहरें 134 मील लम्बी होंगी । राजस्थान नहर का एक भाग पंजाब में होगा, जो 110 मील होगा । शेष राजस्थान का भाग 291 मील होगा ।

बीमा

राष्ट्रीयकरण—1956 में जीवन-बीमा उद्योग राष्ट्रीयकरण किया गया । 1 सितम्बर, 1956 को जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई । इस देश में जीवन बीमा का व्यवसाय इसके सिवाय और कोई नहीं कर सकता । डाकघर भी करता है, पर उसका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है । आग, दुर्घटना, समुद्र आदि का बीमा व्यवसाय भारतीय और विदेशी कम्पनियां दोनों कर सकती हैं । कुछ राज्य-सरकारें भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं । जैसे—आंध्र, मैसूर, केरल आदि । वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, इकानामिक अफेयर्स । इसीके अन्तर्गत बीमा विभाग (इंश्योरेंस डिवीज़न) है । बीमा की नई योजना है जनता पालिसी योजना (2) ग्रुप इंश्योरेंस सुपरेनूएशन स्कीम—एक समान प्रकृति के लोग, फैक्टरी के बाबू लोग और अन्य कर्मचारी थोड़ी लागत में सामूहिक बीमा करा सकते हैं ।(3) सेलरी

सेविंग स्कीम नौकरीपेशा लोगों के लिए है। इसके अन्तर्गत उनके वेतन से बीमे का प्रीमियम अपने-आप काट लिया जाता है। (4) नान मेडिकल जनरल और स्पेशल स्कीम जारी की गई है।

इंश्योरेंस एसोसियेशन आफ इण्डिया—भारत में बीमा करने का व्यवसाय करनेवाली सब कम्पनियों ने 1950 में यह संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के अन्तर्गत दो कौंसिलें हैं : लाइफ इंश्योरेंस कौंसिल और जनरल इंश्योरेंस कौंसिल। इनके सदस्य बीमा-व्यवसाय करनेवाले ही हो सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस कौंसिल ने, बीमा-व्यवसाय करनेवालों के लिए एक आचार संहिता बनाई है।

भारत सरकार की सलाह से भारत में साधारण बीमा करनेवाली कम्पनियों ने **रिइंशुरेंस कार्पोरेशन आफ इण्डिया** की स्थापना की है। भारत से बीमा-व्यवसाय विदेशों में न जाए इस विचार से इसकी स्थापना की गई है। सब कम्पनियां अपनी प्रीमियम आय का एक निश्चित अंश इसको देने को बाध्य हैं।

डिपाज़िट इंश्योरेंस कार्पोरेशन 1 जनवरी, 1962 से अमल में है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यावसायिक बैंकों को इसके यहां अपने-आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। बीमा होने पर बैंक प्रति तिमाही 5 न० पै० प्रतिशत वार्षिक हिसाब से सूद देगा। बैंक में जमा करनेवाले को इसका लाभ मिलेगा। बीमा 1500 रु० तक की जमा राशि का होता है।

प्रावीडेण्ट सोसायटीज—अल्प साधनवालों के लिए यह है। यह 1000 रु० से अधिक का बीमा ही नहीं करती। डाक-विभाग 1883 से बीमा का कार्य कर रहा है। सेना के लोगों के लिए भी यह फंड खोल दिया गया है। नागपुर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज स्थापित है। बीमा उद्योग के प्रबन्धक यहां प्रशिक्षण पाते हैं।

एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंश कार्पोरेशन—यह कानून 1948 में बनाया गया था। 30 रु० से कम मासिक वेतन पानेवाले इस फंड में कुछ नहीं देते, पर इसके लाभ पाने के अधिकारी हैं। 400 रु० मासिक से अधिक पानेवाले इसके सदस्य नहीं हो सकते। इस योजना के अन्तर्गत दवा-दारू मुफ्त होती हैं। बीमार होने पर ये लोग दैनिक वेतन

का 8 सप्ताह तक पाते हैं। प्रसूति के दिनों में स्त्रियां 12 सप्ताह तक इससे मदद पा सकती हैं। एम्प्लाईज़ स्टेट इंश्योरेंश योजना का लाभ 18·65 लाख लोग पिछले दस साल से उठा रहे हैं। चिकित्सा का लाभ तो 43·63 लाख कर्मचारी उठा रहे हैं।

एम्प्लाईज़ प्रावीडेंट फंड एक्ट, 1952 के अनुसार जहां 50 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां यह ज़रूरी है कि 500 रु० और इससे कम वेतन पानेवाले कर्मचारी को अपनी आय का 6¼ प्रतिशत इस फंड में देना होता है।

जीवन-बीमा की प्रगति

1961 तक बीमा करानेवालों की संख्या	85·77 लाख
1961 में बीमा करानेवालों की संख्या	1469·664 लाख
1960 की तुलना में 1961 में हुई वृद्धि	22·37 प्रति०
1961 के कुल दावे	34·11 करोड़ रु०
1961 में बीमा की गई रकम का औसत	4094० रु०
1961 में कितनी रकम का बीमा किया गया	608·82 करोड़
1961 में प्रीमियम से आय	112·30 करोड़
1961 में जारी की गई पालिसियों की संख्या	8056
1961 में लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन के निक्षिप्त धन का मूल्य	581·54 करोड़

भूमि-सुधार

संविधान का एक उद्देश्य भूमि कानून में सुधार करना है। कांग्रेस इसके लिए वर्षों से वचनबद्ध है। नियोजन कमीशन का मत है कि भूमि-सम्पत्ति पर स्वामित्व-विषयक कानून आर्थिक विषमता दूर करनेवाले होने चाहिए। आय और सम्पत्ति में विद्यमान असमानता कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर भूमि-विषयक कानून बनाने चाहिए। भूमि-व्यवस्था ऐसी हो, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ हो और उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो। नियोजन कमीशन ने यह भी कहा कि कृषि-उत्पादन के मार्ग में, भूमि-व्यवस्था के कारण जो बाधाएं आती हैं, वे दूर की जाएं, राज्यों की नीति यह रही है:

ज़मींदारी का उन्मूलन : काश्तकार को उपज का $\frac{1}{4}$ या $\frac{1}{6}$ भाग शुल्क में देने के सहित भूमि पर स्वत्व स्वीकार करना, जोत की हदबन्दी, जोत को खण्डित होने से बचाना, सहकारी खेती का विकास एवं ग्राम सहकारी समितियों का प्रबन्ध ।

योजना आयोग ने राज्यों के सम्मुख निम्न उद्देश्य से सुधार कार्यक्रम रखा : (1) लगान में कमी करना, (2) पट्टे की सुरक्षा की व्यवस्था करना । किसानों को स्वामित्व का अधिकार देना ।

ज़मींदारी उन्मूलन का प्रभाव—मध्यवर्तियों या बिचवैयों का अन्त हो गया । ज़मींदारों को मुआवज़ा दिया जाता है । 1961 तक 217 करोड़ रु० मुआवज़े में दिए जा चुके थे ।

(2) मुआवज़ा कुछ नगदी में और कुछ बांडों में दिया जाता है । छोटे ज़मींदार हर साल नगदी पाते हैं ।

(3) ज़मींदारों को सीर रखने की छूट दी गई है । पर अधिकांश राज्यों में इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है ।

(4) ज़मींदारी उन्मूलन के बाद किसान सरकार को सीधा लगान देता है । लगान का कई गुणा देने पर वह भूमि का मालिक हो जाता है ।

मध्यवर्तियों का अन्त—जागीरदारों, ज़मींदारों, इनामदारों का अन्त करने से दो करोड़ काश्तकार सीधे सरकार के सम्पर्क में आ गए । बंजर, वन आदि पर राज्य का अधिकार हो गया । मुआवज़े की रकम की अदायगी एक गम्भीर समस्या हो गई है ।

संकटकालीन कानून

भारत रक्षा कानून—चीनी हमला होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन संकटकालीन घोषणा 26 अक्तूबर, 1962 को की गई । इसके साथ ही डिफेंस आफ इण्डिया आर्डिनेंस भी जारी किया गया । यह पुराने भारत रक्षा कानून, 1939 के आधार पर था । संविधान का अनुच्छेद 19 इसके कारण निरुपयोगी हो गया क्योंकि मूल अधिकार स्थगित कर दिए गए । संकटकाल में सरकार कोई भी कानून बना सकती है । संविधान इसमें कोई अड़चन न डाल सकेगा ।

और न उसकी दुहाई दी जा सकेगी। अनुच्छेद 14 में दिया गया अधिकार इसके द्वारा वापस ले लिया गया है।

भारत रक्षा कानून सिविल डिफेंस सर्विस की स्थापना करने और स्पेशल ट्रिब्युनल बैठाने का अधिकार सरकार को देता है। भारत रक्षा कानून के अधीन सम्पत्ति ली जा सकती है। संकटकालीन घोषणा के रहते हुए यह कानून बना रहेगा।

स्वर्ण-प्रतिबन्धक कानून—गोल्ड कंट्रोल रूल्स के अधीन आभूषणों और अन्य वस्तुओं की अल्प मात्रा के सिवाय बिना घोषणा किए सोना नहीं रखा जा सकता। गोल्ड कंट्रोल रूल्स भी डिफेंस आफ इंडिया के अधीन ही 10 जनवरी, 1963 को जारी किया गया। घोषित सोने के स्टाक की सूचना तुरन्त दी जानी चाहिए। चांदी के वायदे के सौदे सारे देश में बन्द कर दिए गए। सोने के प्रति आकर्षण कम करने और सोने का तस्कर व्यापार रोकने के लिए यह किया गया। विरासत के सिवाय बिना लाइसेंस और परमिट के और सोना नहीं लिया जा सकता। भविष्य में 14 कैरेट के सोने के ही आभूषण बनाए जाएंगे। सरकार ने इस कानून को सफल बनाने के लिए 'गोल्ड बोर्ड' की स्थापना की है।

फारेनर्स ला—31 अक्तूबर, 1962 को फारेनर्स ला (एप्लीकेशन एण्ड अमेंडमेंट) अध्यादेश जारी हुआ। इसके द्वारा सरकार को अधिकार दिया गया है कि भारत के विरोध में काम करनेवाले व्यक्ति को, व दुश्मन की मदद करनेवाले व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर सकती है, नज़रबन्द कर सकती है। चीनी मूल के सब लोग विदेशी माने जाएंगे और उनसे वैसा ही व्यवहार किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोश—27 अक्तूबर, 1962 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोश की स्थापना की गई, जिससे मोर्चे पर गए जवानों की मदद की जा सके। भारत के नागरिकों से कहा गया कि शस्त्रास्त्र खरीदने के लिए आभूषण दें, सोना दें, नकदी दें, धन दें। इस कोश में 1 रु० तक का चन्दा लिया जा सकता है।

भारत के नागरिक ये भी खरीद सकते हैं : नेशनल डिफेंस बांड्स, (2) डिफेंस डिपॉज़िट सर्टिफिकेट, 10,100,500,1000 रु० के हैं। इन-

पर साढ़े चार प्रतिशत सूद मिलता है। ये 12 वर्षीय नेशनल सर्टिफिकेट भी हैं। पहले का रुपया दस साल वाद वापस मिल जाता है। इसका बारह साल दाद मिलता है। ये 10 रु० से लेकर 25000 रु० तक के हैं। प्रीमियम प्राइज़ वांड—1963 भी जारी किया गया। 1 करोड़ रु० के वांड पर इनामी धन 5 लाख रु० होगा। सबसे वड़ा इनाम 50000 रु० का है। इनपर 10 प्रतिशत प्रीमियम दिया जाता है।

एमर्जेंसी कमिटी—मंत्रिमंडल की एक एमर्जेंसी कमिटी वनाई गई। राज्यों में सव दलों को मिलाकर सिटीज़न कमिटियां बनाई गईं। 31 सदस्यों की नेशनल डिफेंस कौंसिल की स्थापता की गई। सिटीज़न सेंट्रल कौंसिल की स्थापना की गई।

एमर्जेंसी प्रोडक्शन कमिटी—श्रममंत्री ने इसकी स्थापना की है। 29 नवम्वर, 1962 को इसकी स्थापना की गई। उत्पादन बढ़ाने के लिए इण्डस्ट्रियल ट्रूस रेगुलेशन का पूर्णतः पालन कराना इसका उद्देश्य है।

होमगार्ड—15 जनवरी, 1963 को सरकार ने होम गार्ड की स्थापना की। इसमें सारे देश-भर में 10 लाख व्यक्ति भरती किए जाएंगे। होम गार्ड (1) आन्तरिक सुरक्षा कायम रखने में मदद करेंगे, ये पुलिस की भी मदद करेंगे। (2) हवाई आक्रमण, आग लगने, वाढ़ आने आदि के समान संकट आने पर मदद करेंगे, (3) ये संकटकालिक सेना का काम करेंगे। इसमें 16 से 40 साल की आयु के व्यक्ति भरती हो सकते हैं।

विलेज वालण्टियर फोर्स स्कीम—यह जनवरी, 1963 को चालू की गई है।

एमर्जेंसी रिस्क इंश्योरेंस स्कीम—यह दिसम्वर, 1962 में जारी की गई। शत्रु को मार भगाने के कारण पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना वनाई गई है। 30000 रु० तक के माल का बीमा किया जा सकता है। प्रीमियम की दर 15 न० पै० प्रति 100 रु० है।

भारतीय आर्थिक तंत्र

कृषि—69·8 प्रतिशत भारतीय जनता की आजीविका का साधन खेती है। 1960-61 में राष्ट्रीय आय में खेती का भाग 49·3 प्रतिशत

था। औसतन जोत 7·5 एकड़ का है।

1961 की गणना के अनुसार ढोरों की कुल संख्या 3565 लाख और मुर्गी आदि पाउल्ट्री की 1169 लाख थी। भारत में 1958-59 में वन 1281 लाख एकड़ में थे। कृषित भूमि के तीन-चौथाई भाग में अनाज की फसलें बोई जाती हैं। परन्तु खाद्य फसलों का मूल्य और व्यावसायिक फसलों का मूल्य बराबर होता है। धान की खेती फसल क्षेत्र के 22 प्रतिशत में की जाती है। कृषित भूमि का 20 प्रतिशत से भी कम सिंचित है।

प्रति एकड़ औसतन उपज कम है। जैसे चावल 900 पौं० प्रति एकड़, 750 पौं० गेहूं, सब अन्न धान्यों का प्रति एकड़ औसतन उपज 610 पौं० है। इसी प्रकार मूंगफली 630 पौं०, कपास 110 पौं० और गन्ना 3400 पौं० है।

प्रति व्यक्ति उपलब्ध अन्न धान्य (प्रतिदन औंसों में)

	शालीधान्य	दालें	अन्न धान्य
1958	12·1	2·0	14·1
1959	13·6	2·6	16·2
1960	13·4	2·3	15·7
1961	13·8	2·4	16·2

	अन्नधान्य का आयात (मू० लाख रु० में)
1958-59	12843
1959-60	13964
1960-61	19465
1961-62	19983

	राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति (1948-49 की कीमतों के आधार)
1957-58	267·4
1958-59	280·2
1959-60	279·0
1960-61	292·5

विदेशी सहायता 31 मार्च, 1962 तक प्रयुक्त

	(लाख रु० में)
अमेरिका	109730
रूस	10070

केन्द्रीय व राज्य-सरकारों का कर्ज़

	(लाख रु० में)
केन्द्रीय सरकार का कर्ज़	
1962-63	754030

पश्चिमी ज०	18600	राज्यों का	
ब्रिटेन	14540	1960-61	69770
कनाडा	10430		
जापान	2140		
योग—	196860		

उद्योग-व्यवसाय व व्यापार—1958 में 8052 पंजीकृत फैक्ट-रियां भारत में थीं। संगठित कारखानों और खानों से लगभग 40 लाख लोगों को आजीविका मिलती है। 1960-61 की राष्ट्रीय आय में इनका भाग था 150000 लाख रु० अर्थात् 10½ प्रतिशत था। लघु परिमाण के उद्योग भी इसी परिमाण में लोगों को रोज़ी और काम देते हैं। इनका राष्ट्रीय आय में भाग भी उनके तुल्य है। सूती वस्त्र मिलों का भाग इसमें एक पंचमांश भाग है और सीमेंट और चीनी का मिलकर इसमें 10वां भाग है। भारत का विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय का 12 प्रतिशत है।

अनुमान है कि कोयले की खान में 1000 फुट नीचे 60000 लाख टन कोयला है। कच्चा लोहा भारत की खानों में 210000 लाख टन जमा है। विश्व-भर में यह सबसे अधिक है।

भारत में खनिज पदार्थों का उत्पादन (मूल्य लाख रु० में)

1948	6400
1957	12930
1958	13830
1959	14290
1960	16320

पेट्रोलियम व पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन (000 मैट्रिक टनों में)

	1959	1960	1961
अपरिष्कृत पेट्रोलियम	441	449	442
पेट्रोलियम पदार्थ	5152	5758	6100

भारत में अणुशक्ति

अणुशक्ति की खोज में भारत एशिया के अन्दर अपना नेतृत्व कायम रखे हुए है। अणुशक्ति की खोज और उत्पादन एकमात्र

सरकार के कार्य-क्षेत्र में है। भारत सरकार ने 1948 में एटमिक एनर्जी

कमीशन की स्थापना की थी। भारत अणुशक्ति की खोज बिजली पैदा करने के लिए कर रहा है, पश्चिमी देशों के समान नर-संहार के लिए नहीं।

अणुशक्ति कमीशन ने ट्रामबे में अणु-शक्ति का एक केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र 15 विभागों में विभक्त है। अगस्त, 1954 से भारत सरकार ने अणुशक्ति का स्वतन्त्र विभाग स्थापित किया है। पहला अणु रिएक्टर अप्सरा चालू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यद्यपि बिजली-उत्पादन नहीं है, अपितु अणुशक्ति का अनुसंधान करना और भारत के शिल्पिकों को अणु-प्लाण्ट के संचालन का अनुभव देना है। इसपर 35 लाख रु० लागत आई है। इसके अनुत्पन्न आइसोटोपो का इस्तेमाल दवाइयां और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में हुआ है। भारत का दूसरा रिएक्टर ज़रलीना रिएक्टर के नाम से प्रसिद्ध है। यह जनवरी, 1961 से काम कर रहा है। कनाडा के सहयोग से भारत का तीसरा कनाडा-भारत रिएक्टर 7½ करोड़ रु० की लागत से बना है। यह जुलाई, 1960 से चालू है। यह विश्व-भर में सबसे बड़ा आइसोटोप का उत्पादक है।

एटमिक मिनरल्स डिवीज़न—आणविक खनिज पदार्थों की खोज और उनका विकास करना इसका कार्य है। रेडियो-सक्रिय खनिज द्रव्यों की खोज में यह सहायता देता है।

अणुशक्ति के क्षेत्र में भारत का स्थान—संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी की प्रशासक समिति का एक सदस्य भारत भी है। क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। भारतीय अणुशक्ति कमीशन के अध्यक्ष डा० होमी जे० भाभा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी के एक गवर्नर हैं। अमेरिका के नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन ने 1960 में मत प्रकट किया था कि भारत, चीन, पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी समेत दुनिया के 12 देश आणविक शस्त्रास्त्र बना सकते हैं।

विद्युत्मय हुए भारत के शहर और कस्बे (1960)

जनसंख्या वार	कुल संख्या	जिलों की संख्या 1956	विद्युत्मय हुए 1961
एक लाख से अधिक आबादी के शहर	73	73	73
50 हज़ार से एक लाख तक के	111	111	111
10 हज़ार से 50 हज़ार तक के	1257	716	1073
10 हज़ार से कम के	559665	6500	21643
	561106	7400	22900

बिजली का उपयोग

	प्रतिशत			
औद्योगिक शक्ति	69·3	(1960)	71·9	(1961)
घरेलू उपयोग	10·4		9·7	
व्यावसायिक रोशनी व लघु शक्ति	6·3		5·6	
सिंचाई	5·8		5·4	
सार्वजनिक रोशनी	1·4		7·3	
सार्वजनिक वाटरवर्क्स	3·4		2·9	

भारत में जन-स्वास्थ्य

स्वास्थ्य-सेवा—राज्यों में स्वास्थ्य-सेवा के नियंत्रण से अभिप्राय है : (1) मलेरिया, तपेदिक, अंग-शोध आदि बीमारियों का नियंत्रण करना है। (2) प्रसूति-गृहों का विस्तार, शिशु-कल्याण, परिवार-नियोजन की योजनाओं को पूरा करना, (3) चिकित्सा के शिक्षण की संस्थाओं के लिए साज-सामान की व्यवस्था करना, (4) दवाइयों और औषधियों में मिलावट को रोकना; ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड राज्यों को तकनीकी परामर्श देता है।

भारतीय प्रणाली—भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा-प्रणाली (वैद्यक व हकीमी) और होमियोपैथी को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है। विद्यमान चिकित्सा-प्रणाली में इनका समावेश करने का भी आश्वासन दिया गया है। 1959 में श्री के० एन० उडुपा कमिटी ने आयुर्वेद के प्रशिक्षण, फार्मेसी, अनुसंधान और वैद्यों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दी थी। इसकी सिफारिश मानकर सेण्ट्रल कौंसिल आयुर्वेदिक रिसर्च की स्थापना की गई। 24 अगस्त, 1953 से जामनगर में रिसर्च इन इण्डीजीनियस सिस्टम आफ मेडिसिन कार्य कर रहा है। 1956-57 में इसके साथ एक सिद्ध यूनिट जोड़ा गया। होम्योपैथी के लिए सरकार ने पांच साल का एक पाठ्यक्रम स्वीकार किया है।

सेण्ट्रल कौंसिल आफ हेल्थ—संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन 9 अगस्त 1952 को यह कौंसिल स्थापित की गई। जन-स्वास्थ्य के सब पहलुओं पर विचार करना और नीति-निर्माण करना इसका काम है। नर्सों के प्रशिक्षण का न्यूनतम प्रतिमान निश्चय करने का कार्य इण्डियन नर्सिंग कौंसिल करती है। इसका मुख्य ध्येय देश-भर में शिक्षा का एक प्रतिमान तैयार करना है।

मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया—इसकी स्थापना 1960 में की गई। यह इण्डियन मेडिकल रजिस्टर रखता है। इसमें डाक्टरी करनेवाले सब डाक्टरों के नाम रहते हैं। सेण्ट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो और आल इण्डिया कौंसिल आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा के उच्च स्तर को कायम रखने के लिए हैं।

छूत रोग—1958 में भारत सरकार ने नेशनल मलेरिया अभियान चलाया। यह काम मलेरिया इंस्टीट्यूट अमेरिका की टेक्निकल कोआपरेशन मिशन, विश्व स्वास्थ्य संस्था के सहयोग से कर रहा है। बड़ौदा, कटक, दिल्ली, हैदराबाद, शिलांग और बंगलोर में 6 एकीकरण संस्थाएं स्थापित हैं।

नेशनल फाइलेरिया कण्ट्रोल प्रोग्राम—फील पांव रोग का अन्त करने और मच्छरों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए 1954-56 में

इसकी स्थापना की गई।

गुप्त रोग—अनुमान है कि जनसंख्या का 5 प्रतिशत सिफलिस और इतने ही प्रतिशत गोनोरिया से पीड़ित है। बी० डी० ट्रेनिंग एण्ड डीमांस्टेशन सेंटर नई दिल्ली में है। यहां प्राप्त शिक्षा को पुनः ताज़ा करने का पाठ्यक्रम पूरा किया जाता है।

ट्युबरक्लोसिस कण्ट्रोल प्रोग्राम—केन्द्रीय सरकार ने तपेदिक का अन्त करने के विचार से टी० बी० के बीमारों का सर्वे 1958 में पूरा किया। ज्ञात हुआ कि 50 लाख व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं। 1948 से टी० बी० बी० सी० जी० के टीके लगाने की योजना चालू है। बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली, पटियाला, पटना और त्रिवेन्द्रम में प्रदर्शन और प्रशिक्षण के केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट सदृश अनेक संस्थाओं में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। 6 विश्वविद्यालयों में इसका डिप्लोमा कोर्स है। नेशनल टी० बी० इंस्टीट्यूट की स्थापना बंगलौर में की गई है। 15 आफटर केयर कालोनी स्थापित की गई हैं, जहां तपेदिक के रोगियों को पुनर्वासित किया जाता है।

कोढ़—1954 में कोढ़ के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया। कोढ़ के बीमारों की संख्या इस समय अनुमानतः बीस लाख है। आंध्र, असम, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास और महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में इस रोग का ज़ोर ज्यादा है। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउण्डेशन सेंटर, चिल्कीलापल्ली, (आंध्र) सेंट्रल लेप्रोसी टीचिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चिंगलेपुट, (मद्रास), विलिंगडन लेप्रोसी सेनीटोरियम, चिंगलेपुट, सिल्वर जुबिली, चिल्ड्रन क्लिनिक सैदापेट (मद्रास) के अतिरिक्त हिन्द कुष्ट निवारण संघ, महरोगी सेवा मण्डल सदृश स्वेच्छासेवा संस्थाएं इस रोग का अन्त करने का प्रयत्न कर रही हैं।

इंफ्ल्यूएंजा—1950 में कूनूर में इंफ्ल्यूएंजा सेंटर की स्थापना की गई। 1954 में इसकी वैक्सीन तैयार की गई।

कैंसर—इस रोग के इलाज के वास्ते कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सरकार ने की है। इस समय इस रोग के अनुसन्धान-कार्य

बम्बई और कलकत्ता में केन्द्रित है।

चेचक निवारण प्रोग्राम—प्रत्येक राज्य के एक जिले में और दिल्ली में चेचक का अन्त करने के ध्येय से एक अग्रिम प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। इस समय वैक्सीन उत्पादक 13 केन्द्र हैं। इस समय इनकी उत्पादन-क्षमता 750 लाख स्टैंडर्ड डोज़ है।

इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च—इसके माध्यम से भारत सरकार नियोजित अनुसन्धान कार्य करती है।

स्वास्थ्य-बीमा—यह औद्योगिक मज़दूरों के लिए है। इस समय 16·96 लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसकी योजना के अन्तर्गत बीमाशुदा व्यक्ति और उनके परिवार दवा-दारू की सहायता सरकारी दवाखानों से पाने के अधिकारी हैं। कोयला और अभ्रक की खानों के मज़दूरों को यह लाभ कोल मांइस लेबर वेल्फेयर फंड और माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फंड से मिलता है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्तूबर, 1960 से शिशु-दिवस 14 नवम्बर, 1960 से मनाया जा रहा है। 30 जनवरी को हर साल कुष्ठ-विरोधी दिवस मनाया जाता है।

जल व सफाई—1954 में नेशनल वाटर सप्लाई एंड सेनीटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। 102·17 करोड़ रु० की लागत के 100 शहरी मोरी-नाली योजनाएं और 348 ग्राम जल-पुराया (सप्लाई) योजनाएं पूरी की गईं। 1960 में वाटर सप्लाई एंड सेनीटेशन कमिटी की स्थापना की गई।

डाक्टरों की संख्या	88389	दाइयां	38528
कम्पाउंडर	20448	टीका लगानेवाले	6142
नर्स	32733		

हस्पतालों, खाटों आदि की संख्या (1958)

हस्पतालों की संख्या	3400	बीमारों की संख्या लाख में	
दवाखानों की संख्या	9200	इन डोर	70
खाटों की संख्या (000 में)	160	आउट डोर	1200

भारतीय जीवनाशा

1951 की जनगणना	पुरुष	32·55 वर्ष
	स्त्री	31·66 ,,
किंग्स्ले डेविस के मुताबिक	पुरुष	32·09 ,,
	स्त्री	31·37 ,,
1961 की सरकारी गणना के अनुसार	पुरुष	26·91 ,,
	स्त्री	26·56 ,,

सन्तुलित आहार की रचना

	औंस		औंस
शालीधान्य	14	फल	3
दाल	3	दूध	10
हरी पत्तोंवाली सब्ज़ी	4	चीनी	2
कन्द	3	मांस-मछली	3
अन्य सब्ज़ी	3	अंडा	1

काम के अनुसार आवश्यक आहार की मात्रा

पुरुष 120 पौं० में	कैलोरी	स्त्री 100 पौं० में	कैलोरी
हलका व बैठकर काम करने वालों के लिए	2400	साधारण काम	2100
मध्यम कठोर काम	3000	मध्य कठोर काम	2500
बहुत कठोर काम	3600	बहुत कठोर काम	3000
		गर्भवती	2100
		दूध पिलाने के समय	2700

भारत में परिवार-नियोजन

ध्येय—1921 के बाद से हुई जनगणनाओं में प्रतिदशक जन-संख्या में वृद्धि का प्रमाण इस प्रकार दिखलाई दिया : 11, 13·5, 14·1 और 21·49 प्रतिशत । 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 43 करोड़ 90 लाख है । भारत की जनसंख्या की वृद्धि यदि इसी रीति से होती रही, तो भारत के आर्थिक, सामाजिक विकास की सब योजनाओं का कोई भी फल न निकलेगा । अतः परिवार-नियोजन का लक्ष्य है कि परिवार छोटे हों । जनता को

इसके वास्ते शिक्षित करना है। अतः परिवार-नियोजन जनता में प्रचार करता है कि वह राष्ट्रीय प्रगति के विचार से परिवार सीमित करें। नियोजन कमीशन ने इसका लक्ष्य इस प्रकार निश्चित किया है : (1) तेज़ी से हो रही जनगणना की वृद्धि के यथार्थ कारणों का सही-सही चित्र सामने रखो, (2) परिवार-नियोजन के उपाय ढूंढ़े जाएं, उन उपयुक्त उपायों का जनता में व्यापक रूप से प्रचार किया जाए, (3) सरकारी हस्पतालों और सार्वजनिक एजेंसियों की सेवा का पारिवारिक नियोजन एक भाग बनाया जाए, (4) निरोधक उपायों की खोज की जाए, (5) परिवार-नियोजन का कार्य करनेवालों को प्रशिक्षण पाने की सुविधा दी जाए।

सेण्ट्रल बोर्ड—प्रथम पंचवर्षीय नियोजन के अन्तिम भाग में परिवार-नियोजन का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इस सारे कार्य का केन्द्र है : सेंटल फैमिली प्लैनिंग बोर्ड। इसके चार भाग हैं : प्रशिक्षण, सेवा, शिक्षा, और अन्वेषण। केरल और कश्मीर को छोड़कर शेष सब राज्यों में फैमिली प्लैनिंग बोर्ड काम कर रहा है। बम्बई में इसका अनुसन्धान-केन्द्र है।

इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में कोई अन्तर इसके कारण न आए। परिवार-नियोजन के प्रोग्राम का विस्तार करने की सरकारी योजना इस प्रकार है : (1) सन्तति-निरोधक (कंट्रासेप्टिव) बांटने के लिए डिपो खोले जाएं, वहां एक पुरुष और स्त्री रहे। इनको मासिक 7 रु० दिया जाए ; (2) राज्यों को प्रशिक्षण दिया जाए कि वे जनता को परिवार छोटा रखने की प्रेरणा करें और सन्तति-निरोधक बांटें, इनको प्रतिमास 10 रुपया मिलेगा ; (3) कंट्रासेप्टिव व बंध्यात्व के उपायों के प्रचार वितरण में राज्यों को केन्द्रीय सरकार शत-प्रतिशत सहायता देती है ; (4) शहरों में फैमिली प्लैनिंग क्लिनिक हो और चलता-फिरता प्लैनिंग क्लिनिक हो। यह प्रत्येक ज़िले में एक हो ; (5) राज्यों को बंध्यात्व के आपरेशन के वास्ते 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है। (6) डाइरेक्टर-जनरल हेल्थ सर्विस के अन्तर्गत अनुसन्धान-केन्द्र की स्थापना (7) बड़ोदा और धनबाद में प्रशिक्षण-केन्द्र की स्थापना।

प्रगति—(1) 1960 तक शहरों में 549 और गांवों में 1100 क्लीनिक खोले गए; (2) एक व्यापक प्रशिक्षण प्रोग्राम जारी किया गया; (3) साधारण शिक्षण संस्थाओं में भी परिवार-नियोजन के प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया। तृतीय नियोजन के अन्तर्गत शहरों में क्लीनिक की संख्या 2100 हो जाएगी और गांवों में 6100 हो जाएगी। संतति-निरोध और परिवार-कल्याण पर सलाह देने की व्यवस्था रहेगी। 1960-61 तक 1650 परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं।

भारत में श्रम

श्रम व रोज़गार मन्त्रालय—यह मंत्रालय निम्न बातों के लिए उत्तरदायी है :

(1) श्रम कल्याण व ट्रेड यूनियन, (2) उद्योग व श्रम-विवाद, (3) कारखानों के मज़दूर, (4) बेकारी बीमा व स्वास्थ्य बीमा आदि, (5) रेलवे, बड़े बन्दरगाहों, खानों और तेल-क्षेत्रों में काम करने-वाले मज़दूर, (6) सेना से हटाए सैनिकों और सेवा-मुक्त मज़दूरों को काम देना, (7) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था व अन्य सम्बद्ध संस्थाओं में भाग लेना।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय रेलवे, खान और अन्य केन्द्रीय उद्योगों के मज़दूरों में श्रम-कानूनों का परिपालन देखता है, शेष राज्य देखते हैं।

ट्रेड यूनियन—ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926, ट्रेड यूनियन (मज़दूरों की संस्था) को औद्योगिक विवाद की स्थिति में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की कानूनी स्थिति प्रदान करता है। मज़दूर संस्थाओं की रजिस्टरी इसके अधीन होती है। 1947 में यह संशोधित हुआ। इसमें काम-योजकों को बाध्य किया गया है कि वे प्रतिनिधि यूनियनों को अवश्य स्वीकार करें।

भारत में इस समय विद्यमान मुख्य मज़दूर संस्थाएं और उनकी सदस्य-संख्या इस प्रकार है :

	सन् 1959	सन् 1960
इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)	1023371	1053386
हिन्द मज़दूर सभा	241636	286202

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	507654	508962
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	90629	110034
जोड़—	1863290	1958584

श्रम-कल्याण—फैक्टरीज़ एक्ट, 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 ने सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की है। जैसे, कैंटीन, शिशुगृह व पालने, विश्रामगृह स्नान-सुविधा, डाक्टरी सहायता, कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति। कोयला और अभ्रक की खानों में काम करनेवालों के लिए कानूनन लेबर वेल्फेयर फंड की स्थापना हुई है। चाइल्ड वेल्फेयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। शिक्षा व मनोरंजन की सुविधाएं दी गई हैं। प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 के अनुसार चाय बागानों में काम करनेवालों और उनके परिवार के वास्ते निवास की सुविधा देना आवश्यक हो गया है। आयरन ओर माइन्स लेबर वेल्फेयर सेस एक्ट, 1961 लागू है। लोहे की खानों के मज़दूरों के वास्ते इससे लेबर वेल्फेयर फंड निर्मित होगा।

औद्योगिक विवाद—औद्योगिक विवाद उत्पन्न ही न हों, और उत्पन्न हों तो हड़ताल होने की नौबत न आए, इस उद्देश्य से सरकार ने कुछ आदर्श नियम बनाए हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर) 1946, इसे मानना उन औद्योगिक संस्थानों के लिए आवश्यक है, जिनके यहां 100 या इससे अधिक मज़दूर काम करते हैं। एक कोड आफ डिसिप्लिन (अनुशासन संहिता) बनाई गई है, जिससे विवादों को मिटाया जा सकता है। औद्योगिक विवादों को मिटाने के लिए तीन ट्रिब्युनल हैं लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल और नेशनल ट्रिब्युनल। राज्यों के पृथक् ट्रिब्युनल हैं। लेबर कोर्ट, दिल्ली और धनबाद, बम्बई और कलकत्ता में इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल हैं। कुछ उद्योगों में मज़दूरों को संचालन में भाग देने की योजना भी चालू है। मज़दूरों को शिक्षा देने के लिए सेंटल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन है।

सामाजिक सुरक्षा—बिजली से चलनेवाले सब बारहमासी उद्योगों में, जिनमें 20 या 20 से अधिक लोग काम करते हैं, एम्प्लायीज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, 1948 लागू है। 400 रु० माहवार तक पानेवाले बाबू भी इसका लाभ पाते हैं। सब राज्यों में इसका लाभ

उठानेवालों की संख्या 15 लाख 77 हज़ार है। डाक्टरी व्यवस्था का लाभ 4·88 लाख परिवारों को मिल रहा है।

नेशनल एम्प्लायमेंट सर्विस—दूसरे महायुद्ध में रोज़गार दिलानेवाले 'एम्प्लायमेंट एक्सचेंज' की स्थापना की गई थी। विस्थापित लोगों के वास्ते काम ढूंढ़ने के लिए यह स्थापित की गई थी। अब यह सब वर्ग के लोगों की काम खोजने में सहायता करता है। 1956 से यह राज्यों को दे दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने नीति-निर्माण, एकीकरण और प्रतिमान कायम करने तक अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखा है। 1958 में सेंट्रल कमिटी आन एम्प्लायमेंट स्थापित की गई है जो सरकार को सलाह देती है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा

सेना का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। सेना के प्रबन्ध और युद्ध-संचालन की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मंत्रालय और जल-थल-नभ सेना के सर्विस सदर मुकामों पर है। प्रतिरक्षा मंत्रालय नीति-निर्माण, उनको क्रियान्वित करने और सैनिक व्यय को मंजूर करने के लिए उत्तरदायी है। डिफेंस कमिटी आफ दी केबीनेट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, और प्रतिरक्षा की नीति का निर्माण यह कमिटी करती है। इसके अतिरिक्त डिफेंस मिनिस्टर कमिटी और चीफ आफ स्टाफ कमिटी अन्य दो कमिटियां भी हैं।

प्रशासन की ज़िम्मेदारी आफिस आफ दी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर पर है। अन्य प्रशासन अधिकारी हैं : डाइरेक्टर-जनरल आफ आर्डिनेंस फैक्टरीज़, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०, भारत इलेक्ट्रोनिक लि० यह सेना के लिए बेतार की तार और इलेक्ट्रोनिक साज-सामान तैयार करती है। एन० सी० सी० का प्रशासन नेशनल केडेट कोर डायरेक्टोरेट करता है। छावनियों और सेना की ज़मीनों का प्रबन्ध मिलिट्री लैंड एण्ड कंटूनमेंट सर्विस करती है। विदेशी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए स्कूल आफ फारेन लैंग्वेजेज़ है।

प्रशिक्षण—नेशनल डिफेंस अकादमी, इण्डियन मिलिटरी अकादमी, इनफेंट्री स्कूल, कालेज आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग आदि

संस्थाएं सैनिक शिक्षा देती हैं। पर चुने हुए अफसरों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजा जाता है। नेशनल डिफेंस कालेज, दिल्ली की स्थापना 1960 में की गई थी। तीनों सेनाओं के अफसरों को यहां संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कालेज, वेलिंगटन में है। यहां अफसरों को उच्च पदों पर काम करने के योग्य बनाया जाता है। कमिशंड अफसर होने का मुख्य मार्ग है, नेशनल डिफेंस अकादमी में शिक्षा पाना। यह खड़कवासला, पूना में है। यहां केडेट को तीन साल की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय इण्डियन मिलिटरी कालेज, देहरादून में पूर्व-केडेट शिक्षा दी जाती है। यह नेशनल डिफेंस अकादमी की पूरक है।

आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज—यह पूना में है। इसमें नये कमिशंड डाक्टर अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इण्डियन मिलिटरी अकादमी, देहरादून, सेना के अफसरों को प्रशिक्षण देने की मुख्य संस्था है। यहां नेशनल डिफेंस अकादमी से उत्तीर्ण केडेट आते हैं। एन० सी० सी० ग्रेजुएट केडेट भी इसमें आते हैं। आर्मी केडेट की स्थापना 1960 में की गई है। इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जो केडेट से नीचे के होते हैं।

जनता को शिक्षण—संकट-काल के वास्ते सेना तैयार करने के विचार से जनता को भी सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था है। जैसे टेरीटोरियल आर्मी, लोक सहायक सेना, नेशनल केडेट कोर और आक्जिलरी केडेट कोर।

थल-सेना—आर्मी का सदर मुकाम नई दिल्ली में है। नौ सेना और हवाई सेना का भी यही है। चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ शाखाओं में विभक्त है। आर्मी के अफसरों के पद ऊपर से नीचे इस प्रकार हैं: जनरल, लैफ्टिनेंट-जनरल, मेजर-जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ले० कर्नल, मेजर, कैप्टन, लैफ्टिनेंट और सेकंड लैफ्टिनेंट।

नौ सेना—चीफ आफ दी नेवल स्टाफ के चार मुख्य स्टाफ अफसर हैं। सुरंग अपसारक (माइन स्वीपर्स) और सर्वेशिप को छोड़कर शेष सब जहाजों का नियंत्रण फ्लैग-अफसर करता है। कोमोडोर-इन-चार्ज कोचीन, कोचीन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।

कोमोडोर, पूर्वीय तट, विशाखापत्तनम्, ग्राई० एन० एस० सरकार, ग्राई० एन० एस० हुगली ग्रौर ग्राई० एन० एस० ग्रदयार के लिए उत्तरदायी है। भारतीय बेड़े में इस समय 11 प्रमुख जहाज़ हैं।

हवाई सेना—चीफ ग्राफ दी एयर स्टाफ की सहायता पांच मुख्य स्टाफ ग्रफसर करते हैं। एयर सदर मुकाम का कार्य चार मुख्य भागों में विभक्त है : हवाई बेड़े में—परिवहन, लड़ाकू ग्रौर बमवर्षक विमान हैं। लड़ाकू विमानों में वैमपायर, तूफानी, मिस्टर्स, हंटर्स, नाट्स हैं। परिवहन विमानों में डकोटा के ग्रतिरिक्त ग्राटर्स ए० एन० 12 भी शामिल है।

हेलीकोप्टर मुख्यतः एम० ग्राई०–4 टाइप के हैं। लद्दाख ग्रौर नेफा में इन्होंने बहुमूल्य सेवा की।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी—हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी, बंगलौर में एच०–2 विमान तैयार किया जाता है। पुष्पक ग्रौर कृषक भारत के सुपरसोनिक विमान हैं। ब्रिस्टल ग्रॉर्फस, रोल्स-राईस डार्ट एंजिन, जेट-एरो एंजिन भी भारत ने बनाए हैं। भारत सरकार ने एवरो–748 बनाने का निश्चय किया है। कानपुर में विमान बनाने की दूसरी फैक्टरी खोली गई है। यह हवाई सेना के विमानों के संरक्षण व मरम्मत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल

केबिनेट मन्त्री

श्री जवाहरलाल नेहरू (प्रधान-मंत्री), परराष्ट्र, ग्रणुशक्ति

श्री गुलज़ारीलाल नन्दा, गृह, श्रम व रोज़गार

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, वित्त

श्री यशवन्तराव चह्वाण, प्रतिरक्षा

सरदार स्वर्णसिंह, खाद्य व कृषि

श्री ग्रशोक सेन, विधि

प्रो० हुमायुन क़बिर, शिक्षा, वैज्ञानिक ग्रनुसंधान व संस्कृति

श्री एच० सी० दासप्पा, रेलवे

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्, इस्पात व भारी उद्योग

श्री सत्यनारायणसिंह, पार्लमेंटरी विषय, सूचना व प्रसार

पार्लमेंटरी सेक्रेटरी

अन्ना साहिब शिंदे, खाद्य व कृषि
डी एरिंग, परराष्ट्र
एस० सी० ज़मीर, परराष्ट्र
एस० अहमद मेहदी, सिंचाई व बिजली
डोड्डा थिमैया, खान व ईंधन
एम० आर० कृष्ण, शिक्षा

राज्य मंत्री

श्री मेहरचन्द खन्ना—निर्माण, आवास व पुनर्वास
श्री मनुभाई शाह—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
श्री नित्यानन्द कानूनगो, वाणिज्य व उद्योग
श्री राजबहादुर, जहाज़रानी, परिवहन
श्री सुरेन्द्रकुमार डे, सामुदायिक विकास व पंचायती राज्य व सहकारिता
डा० सुशीला नायर, स्वास्थ्य
श्री जयसुखलाल हाथी, पूर्ति
श्रीमती लक्ष्मी मेनन, परराष्ट्र
श्री रघुरमैया, प्रतिरक्षा-उत्पादन
श्री अलगेसन, तेल और खान व संचार
डा० रामसुभगसिंह, कृषि
के० एल० राव, सिंचाई

उपमंत्री

श्रीबलिराम भगत, नियोजन
श्री मनमोहनदास, वैज्ञानिक अनुसंधान व संस्कृति
श्री शाहनवाज़ खान, रेलवे
श्री ए० एम० थामस, खाद्य व कृषि
श्री पट्टाभि रमण श्रम, रोज़गार व नियोजन
श्री हजरनवीस, खान व ईंधन
श्री रामस्वामी, रेलवे
श्री अहमदमोईउद्दीन, परिवहन-संचार
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, वित्त
श्री नस्कर, निर्माण, आवास व पुनर्वास
श्री बी० एस० मूर्ति, सामुदायिक विकास
श्रीमती सुन्दरम् रामचन्द्रन्, शिक्षा
श्री प्रकाशचन्द्र सेठी, इस्पात व भारी उद्योग
श्री जगन्नाथ राव, प्रतिरक्षा व अर्थएकीकरण
श्री आर० के० मालवीय, श्रम व रोज़गार
श्रीमती चन्द्रशेखर, गृह
श्री शामनाथ, सूचना व प्रसार
डा० राजू, स्वास्थ्य
श्री दिनेशसिंह, परराष्ट्र
श्री बिबुधेन्द्र मिश्र, विधि
श्री भगवती, परिवहन व संचार
श्री शामधर मिश्र, सामुदायिक विकास

तीसरा आम चुनाव—1962

भारत का तीसरा सार्वत्रिक या ग्राम चुनाव 19 से 24 फरवरी, 1962 में हुआ। केरल और उड़ीसा की विधानसभाओं को छोड़-कर सब राज्य-विधानसभा और लोकसभा और दिल्ली में दिल्ली कार्पोरेशन का चुनाव एकसाथ हुआ। विश्व के इतिहास में यह सबसे बड़ा मतदान था। पहले ग्राम चुनाव में 886 लाख लोगों ने वोट दिया था। मतदाताओं की कुल संख्या 1730 लाख थी। अर्थात् 51·15 प्रतिशत ने वोट दिया। दूसरे ग्राम चुनाव में वोटरों की संख्या 19 करोड़ 30 लाख थी। इसमें से 920 लाख ने वोट दिया। अर्थात् 45·57 प्रतिशत ने वोट दिया।

पोलिंग बूथ—पोलिंग बूथों की संख्या तीसरे ग्राम चुनाव में ढाई लाख थी। 900 वोटरों के लिए एक बूथ था। यत्न यह था कि किसी व्यक्ति को मतदान में भाग लेने के लिए एक मील से अधिक न चलना पड़े।

चिह्न-प्रणाली—इस बार मत देने के लिए इस दिन उम्मीदवार के नाम के सामने चिह्न बनाने की प्रणाली का सूत्रपात किया गया। गुणा का चिह्न या क्रास मार्क उम्मीदवार के चिह्न के आगे भी लगाया जा सकता था। विधानसभा और लोकसभा के मतदान-पत्र विभिन्न रंगों के थे। 1962 में 21 करोड़ 60 लाख मतदाताओं की संख्या थी, जबकि 1957 में 19 करोड़ 40 लाख थी।

लोकसभा के निर्वाचन का परिणाम इस प्रकार रहा :

नाम राज्य	कुल स्थान	कांग्रेस	कम्युनिस्ट	प्र० सोपा	सोश०	स्वतन्त्र	आज़ाद व अन्य दल	जनसंघ
आंध्रप्रदेश	43	34	7	–	–	1	1	–
असम	12	9	–	2	–	–	1	–
बिहार	53	39	1	2	1	7	3	–
गुजरात	22	16	–	1	–	4	1	–
केरल	18	6	6	–	–	–	6	–
मध्यप्रदेश	36	24	–	3	1	–	5	3
मद्रास	41	31	2	–	–	–	8	–
महाराष्ट्र	44	41	–	1	–	–	2	–

मैसूर	26	25	–	–	–	–	1	–
उड़ीसा	20	14	–	1	1	–	4	–
पंजाब	22	14	–	–	1	–	4	3
राजस्थान	22	14	–	–	–	3	4	1
उत्तरप्रदेश	86	62	2	2	1	3	9	7
प० बंगाल	36	22	9	–	–	–	5	–
दिल्ली	5	5	–	–	–	–	–	–
हिमाचल-प्रदेश	4	4	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	2	1	1	–	1	–	–	–
त्रिपुरा	2	–	2	–	–	–	–	–
योग—	494	361	29	12	6	18	54	14

अन्य पार्टियों में झारखण्ड (बिहार), मुस्लिम लीग (केरल), रामराज्य परिषद् (मध्यप्रदेश), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, फारवर्ड ब्लाक (मद्रास), गणतंत्र परिषद् (उड़ीसा), अकाली दल (पंजाब), रामराज्य परिषद् (राजस्थान), रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया, हिन्दू महासभा (यू० पी०), फारवर्ड ब्लाक (बंगाल), ये दल सम्मिलित हैं।



—भारत के राज्यों में क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य-प्रदेश है और आबादी की दृष्टि से उत्तरप्रदेश है। उत्तरप्रदेश विस्तार की दृष्टि से चौथा है।

—भारतीय राज्यों में केरल सबसे छोटा है। केरल सर्वाधिक सघन बस्ती का राज्य है।

—संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, में यू० पी० के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, क्रमशः 86 और 34 सदस्य।

—आकार में केरल के बाद बंगाल सबसे छोटा राज्य है।

—मैसूर राज्य के निर्माण के कारण पांच प्रदेशों में विभक्त कन्नड़-भाषी एक जगह एकत्र हो गए हैं।

—पंजाब में पेप्सू के विलय हो जाने से पहले के हिन्दी और पंजाबी-भाषी लोग दो ज़ोनों में विभक्त हो गए हैं।

—वी० लाइसेंस प्राप्त भारत में प्रशिक्षित पहले वैमानिक का नाम भगतलाल था।

○ ○ ○

मुद्रक : शिक्षा भारती प्रेस, शाहदरा, दिल्ली-३२